हिन्दी माला, खंड 18, अंक 5

शुक्रवार, 26 फरवरी, 1993
7 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 18, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1993/ 7 फाल्गुन, 1914, (शक)

विषय				पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	...	...	1-2
प्रश्नकाल का निलम्बन किए जाने के बारे में	...	...	...	2-8
प्रश्नों के लिखित उत्तर :				
तारांकित प्रश्न संख्या : 61 से 80	...	...	...	8-33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 623 से 631, 633 से 643, 645, 646, 648, 661, 663 से 707, 709 से 760 और 762 से 824			...	34-216
सभा पटल पर रखे गए पत्र				217-222
राज्य सभा से सन्देश				222
राज्य सभा द्वारा यथा पारित लोक अभिलेख विधेयक				
राज्य सभा द्वारा यथा पारित	...	...	...	223
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति				
चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	...	...	...	223
विधेयक—पुरःस्थापित				223-230
(एक) मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) विधेयक (धारा 2 में संशोधन)				
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	...	223-224
(दो) मणिपुर उच्च न्यायालय विधेयक				
श्री याइमा सिंह युमनाम	...	...	...	224
(तीन) विशेष शैक्षणिक सुविधा (गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक				
श्री दिलीप भाई संघानी	...	...	...	224

विषय				पृष्ठ
(चार) लोक नियोजन (चयन का क्षेत्र, अधिवासिक अपेक्षा और स्थानांन्तरणीयता) विधेयक				
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	...	225
(पांच) समाज के आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण (उच्च शिक्षा तथा सरकारी नियोजन) विधेयक				
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	...	225
(छः) मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक (विधेयक के वर्तमान पूरे नाम आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन)				
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	...	225-226
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 30 में संशोधन)				
श्री वी० अकबर पाशा	...	...	...	226
(आठ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 302 और 306 में संशोधन)				
श्री मोहन सिंह	...	...	...	226-227
(नौ) दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक (धारा 7 आदि का लोप)				
श्री मोहन सिंह	...	...	...	227
(दस) इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक				
श्री मोहन सिंह	...	...	...	227
(ग्यारह) दयाभूत जीवन-अन्त विधेयक				
श्री मोहनसिंह	...	...	...	228
(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 174 में संशोधन)				
डा० बसंत पवार	...	...	...	228
(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)				
प्रो० रासा सिंह रावत	...	...	...	228-229

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 ख में संशोधन)

श्री हरिन पाठक 229

(पन्द्रह) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री शरद दिघे 229-230

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक 230-257

(विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बसुदेव आचार्य 230-233

श्री पवन कुमार बंसल 233-238

प्रो० रासा सिंह रावत 238-241

श्री मोहन सिंह 241-243

श्री रमेश चेन्नितला 243-245

श्री भोगेन्द्र झा ... ... 245-247 व 254

डा० कार्तिकेश्नर पात्र 247-249

श्री पी० सी० थामस 249-251

श्री सोमनाथ चटर्जी 251-252

प्रो० के० वी० थामस 252

श्री वीरेन्द्र सिंह 252-254

श्री जार्ज फर्नान्डीज 254-256

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 256-257

सम्पत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक 257-259

(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्रीमती सुमित्रा महाजन 257-258

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 125 और 127 में संशोधन)
श्रीमती सुमित्रा महाजन 258

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 479 आदि का लोप)
श्रीमती सुमित्रा महाजन 258-259

लोक सभा

शुक्रवार, 26 फरवरी, 1993/7 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

11.00 म० पू०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभी को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री बलदेवसिंह आर्य, राजमंगल मिश्र और भगवत दयाल शर्मा ने दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बलदेव सिंह आर्य 1950-52 के दौरान उत्तर प्रदेश से अनंतिय संसद के सदस्य रहे।

श्री आर्य एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और अपनी राजनैतिक गतिविधियों के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। समाज के दलित वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने अथक कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के संवर्धन के लिए भी कार्य किया।

श्री आर्य ने गढ़वाल जिले के समग्र विकास में विशेष रुचि ली और वहां कई स्कूल खुलवाए।

वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और राज्य मन्त्री मंडल में भी मंत्री रहे।

श्री आर्य का निधन 22 दिसम्बर 1992 को 80 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री राजमंगल मिश्र नवीं लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1989-91 के दौरान बिहार के गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह बिहार विधान सभा के सदस्य रहे और इस समय बिहार विधान परिषद के सदस्य थे।

पेशे से श्री मिश्र एक वकील और किसान थे। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया।

श्री मिश्र एक योग्य सांसद थे और सभा की कार्यवाही में गहन रुचि लेते थे। यह सदन की आवास समिति के भी सदस्य रहे। इससे पहले वह बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों से भी सम्बद्ध रहे।

श्री मिश्र का निधन 9 फरवरी, 1993 को 70 वर्ष की आयु में पटना में हुआ।

श्री भगवत दयाल शर्मा मार्च से सितम्बर, 1977 तक छठी लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1968-74 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

श्री शर्मा स्वतन्त्रता सेनानी थे और हरियाणा के जाने-माने लोगों में से थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए।

श्री शर्मा एक कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ योग्य सांसद भी थे। वर्ष 1962-66 के दौरान वह पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे तथा 1966-67 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। और पंजाब में मंत्री पद का कार्यभार इन्होंने बहुत कुशलता से संभाला और बाद में हरियाणा के प्रथम मुख्य मंत्री बने। वह उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।

श्री शर्मा एक सक्रिय मजदूर नेता थे और श्रमिकों के कल्याण में बहुत रुचि लेते थे। जिनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में उन्होंने वर्ष 1957 और 1958 में दो बार भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया। वह 1963-64 के दौरान ब्रिटेन गए। वह श्रमिक नेताओं के शिष्टमण्डल के सदस्य थे।

श्री शर्मा का निधन 22 फरवरी, 1993 को 75 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा शोक सतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर का मौन रखेगी।

11.04 म० पू०

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

11.06 म० पू०

प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी का मरडर हुआ है, उसका भी कंडोलेंस कर दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, हम प्रश्नकाल चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्नकाल से ही शुरू क्यों न करें? हम प्रश्नकाल निलम्बित क्यों करें? हम कार्यवाही प्रश्नकाल से प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यह एक प्रथा ही बन गई है। हर बारे वे प्रश्नकाल के निलम्बन की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, हमें प्रश्नकाल के अधिकार से लगातार वंचित किया जा रहा है। इनके पास इस मामले पर चर्चा करने हेतु पर्याप्त समय है। यह एक प्रथा ही बन गई है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान) हमें प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित किया गया है। महोदय, क्या आपको प्रश्नकाल निलम्बन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? (व्यवधान) क्या आपने इसे निलम्बित कर दिया है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्नकाल के निलम्बन हेतु नोटिस मिला है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अनिल बसु : प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह प्रैक्टिस हो गई है और प्रतिदिन यह हो रहा है। यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए ।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा उनकी बात मान लेते हैं, हमारी भी मान लीजिए; क्वेश्चन ऑवर होना चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा । (व्यवधान) मुझे प्रश्नकाल निलम्बन हेतु नोटिस प्राप्त हुआ है । यह निर्णय अध्यक्ष को करना है कि प्रश्नकाल निलम्बित किया जाय, या नहीं । मैं इस मामले में आपकी बात सुनना चाहता हूं कि प्रश्नकाल निलम्बित किया जाय या नहीं ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा ।

(व्यवधान)

मैं आपकी बात सुनूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मुझे भी एक मिनट का समय दिया जाए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा ।

श्री ए० चार्ल्स : वे सम्भ्रान्ति की स्थिति पैदा करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री ए०चार्ल्स : ऐसा किया जाना संसदीय व्यवस्था के उच्च मानदण्डों के अनुरूप नहीं है । वे प्रश्नकाल का समय बर्बाद कर रहे हैं जिसकी हम अनुमति नहीं देंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । यदि आपने नहीं सुना, तो इसमें मेरा दोष नहीं है ।

श्री अनिल बसु : क्या आपने प्रश्नकाल निलम्बित कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह सवाल नहीं उठा सकते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहूंगा कि आप इस मामले को अध्यक्ष पर छोड़ें कि वह अपने विवेक

का इस्तेमाल करें और इस चर्चा में आपकी सहायता करें। आपने देखा होगा कि कल आप प्रश्नकाल में प्रश्नों की चर्चा कर सकते थे। सभा में बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता था। यदि आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो ऐसा सम्भव है। यदि आप मुझ पर अथवा अन्य लोगों पर अपने विचार थोपेंगे तो ऐसा सम्भव नहीं होगा। कृपया मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिये और मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

श्री अनिल बसु : प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए। यह आपका निर्णय था कि प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं प्रश्न काल को निलम्बित कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुविचारित दृष्टिकोण सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि आज प्रश्नकाल निलम्बित करने की आवश्यकता क्यों है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का यह पूछना बिल्कुल औचित्यपूर्ण है कि मैंने प्रश्नकाल निलम्बन का प्रस्ताव क्यों पेश किया। मैंने किसी भावना से यह प्रश्नकाल निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ यह कह रहे हैं मैं उस पर अपना निर्णय दूंगा। कृपया चुप रहिये। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मैं भी आपको इसकी अनुमति दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : चार मुख्य बातों से प्रेरित होकर मैंने प्रश्नकाल निलम्बन का प्रस्ताव पेश किया। मेरा विचार है कि कल से दिल्ली में अत्यन्त एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। **(व्यवधान)** ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? मैं स्पष्ट करूंगा कि यह अभूतपूर्व स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और वे चार मुद्दे क्या हैं।

मेरी पार्टी ने काफी पहले घोषणा कर दी थी कि 25 फरवरी को हम दिल्ली के वोट क्लब में एक सार्वजनिक रैली आयोजित करेंगे **(व्यवधान)**। एक राजनैतिक दल के रूप में हम राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। **(व्यवधान)** इसका हमें पूरा हक है। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : हमें सरकार का धन्यवाद करना है। **(व्यवधान)** कल भी मैंने इसके बारे में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : जब आप भाषण दें तो अपने भाषण में सरकार का अभिनन्दन करें।

श्री ए० चार्ल्स : हमें इस सरकार पर फक्र है जिसने लोकतन्त्र की रक्षा की। **(व्यवधान)**। मैं माननीय गृह मन्त्री श्री राजेश पायलट और माननीय प्रधान मंत्री तथा समूची सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोकतन्त्र की रक्षा की और देश की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा की। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : एक और कारण जिससे मुझे वेदना पहुंची है और जिसने मुझे प्रश्नकाल को

स्थगित करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है वह यह है कि मैं यह समझने में असमर्थ रहा हूं कि माननीय सदस्य को किस बात पर गर्व हुआ है। वह कहते हैं कि उन्हें इसका गर्व है। मुझे नहीं मालूम कि सत्ताधारी दल को किस बात का गर्व है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं अनुरोध करता हूं कि यह जो चार कारण हैं, इसी कारण हमने कहा था कि हम सार्वजनिक रैली करेंगे। हमें अपना राजनैतिक कार्यक्रम चुनना और उसके लिए कार्य करने का पूरा अधिकार है। मैं आपकी यह बात मानने को तैयार हूं कि सरकार को रैली की अनुमती नहीं देने का अधिकार है।

राष्ट्र के एक मुख्य राजनैतिक दल के राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं, सरकार के इस निर्णय, जो चाहे किसी कारण से लिया गया हो, के साथ सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी रैली पर रोक लगाना, मेरे दल के सही रूप में लिये जा रहे राजनैतिक प्रचार पर रोक लगाने के पीछे संवैधानिक आधार नहीं है, अपितु तुच्छ राजनैतिक कारण हैं। ऐसा मन्त्रिमण्डल में टकराव रोकने के इरादे से भी किया गया है। यदि मैं सरकार के राजनैतिक निर्णय से असहमत हूं, तब न केवल यह मेरा अधिकार अपितु कर्त्तव्य भी बनता है कि मैं सरकार का विरोध करूं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अगर हम यह मानकर चलें कि सरकार जो भी निर्णय करती है और वह राजनैतिक निर्णय करती है, उन राजनैतिक निर्णयों से हम अगर सहमत नहीं हैं तो मेरा यह अधिकार ही नहीं, यह मेरा धर्म और कर्त्तव्य बन जाता है कि मैं उसका विरोध करूंगा। श्रीमन्, हमने तय किया था कि हम 25 तारीख को रैली करेंगे। 25 तारीख की रैली की जितनी सफलता की अपेक्षा की थी।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।···(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने मेरे साथी श्री जसवंत सिंह से नोटिस प्राप्त होने के बाद अपने निर्णय से उन्हें बोलने की अनुमति दी है। उन्हें मुख्यत: सत्ताधारी दल के लोगों, जो कि दोषी हैं, के द्वारा बोलने से रोका जा रहा है। महोदय, वह आपके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह शांत रहें और श्री जसवंत सिंह को बिना किसी बाधा के अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां रैली से राजनैतिक लाभ लेने का प्रश्न नहीं है। हम राजनैतिक रैली इस कारण करना चाहते थे क्योंकि हम राष्ट्र को संदेश देना चाहते थे। जो राजनैतिक संदेश हम देश को देना चाहते थे, हमारी मूल भावना का वह सन्देश राष्ट्र को उससे ज्यादा रूप में मिल चुका है। जो सन्देश हम देना चाहते थे वह मिल चुका है, यह मुद्दा नहीं है।

[हिन्दी]

सवाल यह नहीं था अगर कि आप बोट क्लब पर खाईयां खोद देंगे, खंदकें खोद देंगे और बार्बड् वॉयर फैंसिंग खड़ी कर देंगे। सवाल यह नहीं था कि कोई विदेशी फौज वहां आकर हमला करके बोट क्लब पर कब्जा कर लेगी। सवाल यह था कि रैली करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, एक राजनैतिक

अधिकार है। हमारी पार्टी का मकसद उस बोट क्लब की जमीन पर कब्जा कर लेने का नहीं था। हमारी पार्टी का मकसद इस रैली द्वारा एक राजनैतिक सन्देश देश को पहुंचाने का और वह राजनैतिक संदेश हमने देश के लोगों को पहुंचा दिया है। जितना यहां विरोध होगा जितनी अड़चनें होंगी, जितने ऐसे हाथ उठेंगे और जितनी बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जायेगा हमें इस बात का घमण्ड है तो इसका हमें राजनैतिक लाभ मिलता जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और इन मित्रों से कहूंगा कि ये हाथ नहीं खड़े करें। अगर इनमें हिम्मत है तो छाती खोलकर कहें कि हमें घमण्ड है। अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल है कि···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, रैली के मुद्दे पर पहले ही सदन में चार घंटे चर्चा हो चुकी है। महोदय उसके बाद की घटनाओं को वह उचित नहीं ठहरा सके हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह: इन छोटी-छोटी बातों पर किये गये व्यवधानों से मैं दबने वाला नहीं हूं। यहां जो मुद्दे हैं, उनका स्वरूप इनसे कहीं बड़ा है।

यह बात कही गई थी कि इस रैली में हिंसा हो सकती है। गृह मन्त्री द्वारा मेरे पार्टी अध्यक्ष को लिखे गये पत्र में यही आरोप लगाया गया था कि रैली में हिंसा हो सकती है। मुझे इस बारे में दो बातें कहनी हैं। मेरी पहली बात यह है कि हर तरह से उकसाने पर, सरकारी ताकतों द्वारा सुनियोजित तरीके से हर सम्भव प्रयास करने के बावजूद, एक भी कार्यकर्त्ता, राजनैतिक कार्यकर्त्ता ने हिंसा नहीं की।

[हिन्दी]

एक कार्यकर्त्ता ने अपना हाथ नहीं उठाया। अध्यक्ष जी जिस हत्या और वायलेन्स की यह सरकार बात करती है जिसका उस चिट्ठी में उल्लेख था, गृह मंत्री महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उस चिट्ठी में भूल गये थे। यह वायलेन्स हमारी तरफ से नहीं हुई है।

[अनुवाद]

महोदय, सरकार द्वारा दिल्ली के आम नागरिकों पर जो हिंसा की गई, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। महोदय, हिंसा के मामले में इतना ही कहना है, महोदय, एक और मामला है वह है संसद सदस्यों के साथ किया गया बर्ताव।

[हिन्दी]

मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप इसको गंभीरता से सुनें···(व्यवधान) आपके और मेरे मतभेद हो सकते हैं, आपके और मेरे राजनैतिक मतभेद हैं। मेरे और आपके जो राजनैतिक मतभेद हैं, वह खुले हैं। मैं मानता हूं वह ठीक बात है।···(व्यवधान)···हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहां सांसदों का सवाल है, मेरी बात सुन लीजिये आप।···(व्यवधान) यह सांसदों के प्रति हुए व्यवहार के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैं आपसे कहूं कि यह लाठी का सवाल नहीं है, अध्यक्ष जी, आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं। ये लाठी का सवाल नहीं हैं, और शारद जी, ये पानी का सवाल भी नहीं है।···(व्यवधान)··· मैं आपसे बहुत गंभीरता और विनम्रता से निवेदन करता हूं। मेरे अनुभव में इतने सारे सांसदों का इस प्रकार से सरकार द्वारा जान-बूझकर अनादर होना उचित नहीं है, यह लाठी, पानी और आंसू गैस का सवाल नहीं है। मैं यहां यह कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मुझ पर व्यक्तिगत रूप से क्या हमला हुआ है, या मेरी सहयोगी श्रीमती वसुंधरा राजे पर किस प्रकार का प्रहार हुआ है, या उमा भारती पर

किस प्रकार का प्रहार हुआ है, शिवराज सिंह चौहान या अन्य मित्रों पर क्या प्रहार हुआ है, वह सवाल नहीं है, या प्रैस के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है वह सवाल नहीं है। माननीय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह दुर्व्यवहार एक व्यक्ति पर नहीं हो रहा है, संसद पर जब दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार की साजिश से हो रहा है, यह दुर्व्यवहार संसद की गरिमा और संसद के इंस्टीट्यूशन पर हो रहा है। मेरा निवेदन आपसे है।···(व्यवधान)···मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इसको समझेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद की गरिमा पर, चाहे इमरजेंसी हो, 1980 का साल हो या 1984 का साल हो, जब 1984 की बात आती है···(व्यवधान)···बोट क्लब को एक रण क्षेत्र बना देना था तो यही रण क्षेत्र 1984 में क्यों नहीं बनाया ? ···(व्यवधान)···

मेरा एक और पॉइंट है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विट्ठल भाई पटेल हाउस में मैं व्यक्तिगत रूप से मौजूद था और विट्ठल भाई पटेल हाउस में जो घटना घटी है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। डॉ० मुरली मनोहर जोशी, जो हमारी ऑल इंडिया पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन पर यह व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की आन पर हमला है और जब भारतीय जनता पार्टी की आन पर हमला करेंगे तो हमसे चुप नहीं रहा जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर करीब सौ-सवा सौ सांसद थे। उन सौ-सवा-सौ सांसदों के साथ, करीब सौ सवा-सौ और लोग थे। अध्यक्ष जी, जब वे सौ सवा-सौ सांसद और उनके साथ सौ-सवा सौ दूसरे लोग, यानी 250 लोग, एक घोषित कार्यक्रम के अनुसार, विट्ठल भाई पटेल से रफी मार्ग चौराहे के रास्ते, बोट क्लब की ओर जाने लगे···(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी की हत्या का जिस प्रकार से यह प्रयास किया गया है, वह भारतीय जनता पार्टी की हत्या का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

डा० मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, वह 250-300 लोगों का जत्था एक घोषित कार्यक्रम के अनुसार, वहां बिल्कुल शांतिपूर्वक गया था लेकिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के, उन पर व्यक्तिगत रूप से, वाटर कैनन, टीअर-गैस और लाठी के साथ, हत्या का प्रयास किया गया।

अध्यक्ष जी, मैं निवेदन नहीं करना चाहता कि माननीय राजमाता जी भी वहां थीं। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप मत आइये, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक कि मैं कोई व्यवस्था नहीं कर लेता। इनके आगे मैं खड़ा हुआ था।

जो कुछ अध्यक्ष जी, कल हुआ है, डा० मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, हमारे सांसदों का और 125 दूसरे लोगों का, वहां जो एक जत्था गया था, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया।

[अनुवाद]

गंभीरतापूर्वक मेरा यह अनुरोध है कि यह हमला एक संसद सदस्य के ऊपर नहीं है, अपितु यह हमला संसद जैसी संस्था के ऊपर है जिसके आप संरक्षक हैं जिसकी गरिमा आपको रखनी है। इसी कारण मुझे तीन मांगें करनी हैं और जब तक यह तीन मांगें पूरी नहीं हो जाती मुझे डर है, अफसोस है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम कल जो दिल्ली में हुआ उसके प्रति विरोध जताते रहेंगे।

मेरी पहली मांग यह है कि दिल्ली में 25 फरवरी को हुई घटनाओं—जिसमें प्रेस पर हमला शामिल है और दिल्ली के तमाम लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ी, महिला संसद सदस्यों पर जो

हमले किये गये और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं यहां तक कि जो महिलाएं वहां केवल खड़ी थीं उन पर हमले के लिए जब तक सरकार माफी नहीं मांगेगी, हम अपने पास मौजूद सभी उचित तरीकों से अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

मेरा दूसरा निवेदन एक विशिष्ट घटना पर है जो कि विट्ठल भाई पटेल हाउस पर हुई जहां से डा० मुरली मनोहर जोशी 125 संसद सदस्यों के एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। इस घटना की जांच होनी चाहिए क्योंकि यह घटना केवल संसद सदस्यों से ही सम्बद्ध है। दिल्ली में जितनी भी घटनायें हुई केवल एक स्थान ऐसा था जहां कि संसद सदस्यों का एक दल था और यहां जो मसला सामने है वह संसद के विशेषाधिकार का है, महोदय आप जिसके संरक्षक हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस घटना की जांच कराई जानी चाहिए। आप चाहें तो विशेषाधिकार समिति, या किसी संसदीय समिति, या किसी अन्य समिति के माध्यम से इसकी जांच करा सकते हैं या व्यक्तिगत तौर पर सरकार से स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांग सकते हैं, सदस्यों के माध्यम से जांच कर सकते हैं लेकिन, मैं आपसे अपील करूंगा कि संसद की गरिमा बनायें रखने के लिए इस घटना की जांच अवश्य कराई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जब पार्लियामेंट के दरवाजे, अध्यक्ष जी, होम मिनिस्ट्री के हुक्म से बन्द होने शुरू हो जाएंगे और जब पार्लियामेंट के सांसदों के साथ होम मिनिस्ट्री के हुक्म की वजह से दुर्व्यवहार होगा···(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मेरी तीन मांगों में से आखिरी मांग यह है कि जो कुछ गृह मंत्रालय ने करवाया है यह सब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के माध्यम से करवाया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनका नाम सब जानते हैं। हमारी मांग है दिल्ली में या तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी या आज का पुलिस कमिश्नर रहेगा। इसलिए मैंने आज के क्वश्चन-ऑवर के सस्पेंशन का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री दलीप भाई संघानी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, ये देखिये, मेरे हाथ में ये लाठी का टुकड़ा है जिससे प्रहार किया गया है। (व्यवधान)

11.31 म० पू०

इस समय श्री दिलीप भाई संघानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : सभा 12.00 बजे मध्याह्न पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.32 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रबड़ का लाभकारी मूल्य

[अनुवाद]

*61. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का माप चिन्ह मूल्य (बेन्च मार्क प्राइस)

निर्धारित करने के सम्बन्ध में लागत अध्ययन पर सिफारिश करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया था ;

(ख) क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट मिल गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में रबड़ का लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर रबड़ का लाभकारी मूल्य कब तक निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ) सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की लागत पर सिफारिशें देने हेतु कोई अध्ययन दल गठित नहीं किया है। किंतु, सरकार वित्त मंत्री की लागत लेखा शाखा की लागत अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित प्राकृतिक रबड़ (आर० एम० ए०-IV और आर० एम० ए०-V) की बेंच मार्क कीमत में संशोधन की घोषणा करती रही है। यह शाखा प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन हेतु विभिन्न निविष्टियों की लागत में समय-समय पर हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करती है। लागत लेखा शाखा की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 5 जनवरी, 1993 को आर० एम० ए०-IV और आर० एम ए०-V ग्रेडों के लिये निर्धारित बेंच मार्क कीमतें इस प्रकार हैं—आर० एम० ए०-IV ग्रेड के लिए 23,450 रु० प्रति मी० टन और आर० एम० ए०-V ग्रेड के लिए 22,950 रुपये प्रति मी० टन।

विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973

[हिन्दी]

*62. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशीमुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अनेक रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में इस अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए कुछ विशेष उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 नामक एक अध्यादेश प्रख्यापित करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन किए गए हैं और उक्त अध्यादेश की प्रतिलिपियां सदन में परिचालित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं। यह बताने का कोई आधार नहीं है कि हाल ही में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है।

(च) और (छ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में इसका उल्लंघन और विदेशी मुद्रा में कारोबार/बाजारी करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

चीन के साथ सीमा-व्यापार समझौता

[अनुवाद]

63. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने हाल ही में किसी सीमा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह व्यापार समझौता किस तारीख से लागू हुआ है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए खोले गये या खोले जाने वाले सीमावर्ती मार्गों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत और चीन ने दिसम्बर, 1991 में सीमावर्ती व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए।

ज्ञापन में यह व्यवस्था की गई :

(1) कि सीमावर्ती व्यापार प्रारम्भ में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पिथोड़ागढ़ जिले में गुंजी तथा चीन गणराज्य के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पुलान तक सीमित होगा;

(2) कि सीमावर्ती व्यापार का विस्तार परस्पर विचार-विमर्श के बाद भारत-चीन सीमा पर अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है;

(3) कि लिपुलेख दर्रे का प्रयोग दोनों ओर से व्यापारियों, वस्तुओं और परिवहन के साधनों के प्रवेश और निकास के लिए सीमावर्ती मार्ग के रूप में किया जा सकेगा। व्यापारियों को प्रवेश और निकास के लिए वैध कागजात दिए जाएंगे जो संबंधित प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होंगे;

(4) कि वस्तु-विनिमय तथा स्थल मार्ग व्यापार का संचालन प्रत्येक देश में लागू कानूनों, विनियमों तथा नियमों के अनुसार किया जाएगा;

(5) कि कारोबार का तरीका दोनों पक्षों को स्वीकार्य मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा अथवा वस्तु विनिमय शर्तों पर होगा;

(च) कि ज्ञापन प्रारम्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा और बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष स्वत: ही इसकी अवधि बढ़ती रहेगी। जब तक कि कोई भी पक्ष समाप्त होने की तारीख से पहले कम से कम तीन महीने के लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता।

1. यह ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात् 13-12-1991 से लागू हुआ। तथापि सीमावर्ती व्यापार दिनांक 15-7-92 से फिर से शुरू हुआ।

2. सीमावर्ती व्यापार अभी तक इण्डियन ट्रेड मार्ट के रूप में गुंजी के साथ लिपुलेख मार्ग से तथा चीन पक्ष में ट्रेड मार्ट के रूप में पुलन के मार्ग से होता रहा है। भारत-चीन सीमा पर अन्य स्थानों पर सीमावर्ती व्यापार में विस्तार संबंधी मामला विचाराधीन है।

परिसम्पत्ति-ढांचा समिति

[हिन्दी]

*64. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री लखित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सांविधिक निगमों के कर्मचारियों की परिसम्पत्तियों के ढांचे पर विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट देने में विलंब के क्या कारण हैं, और

(घ) इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) पूर्व वित्त सचिव, श्री एच० एन० रे की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की मुख्य सिफारिशें—(i) नए वेतन आयोग का गठन करना, (ii) महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए वर्तमान निराकरण फार्मूले में परिवर्तन करना, (iii) सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा बैंकों में एक जैसे "बैंच मार्क्स" वाले पदों का पता लगाना ताकि यथा समय में इन पदों के बीच परिसम्पत्तियों में मोटे तौर पर समानता लाई जा सके, (iv) कर्मचारियों की संख्या में 10-15 प्रतिशत तक की कमी करना, तथा (v) छुट्टी यात्रा रियायत तथा समयोपरि भत्ते में कटौती करने से सम्बन्धित हैं।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) तथा (घ) : उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पौधों और बीजों का विश्व भर में पेटेण्ट किया जाना

[अनुवाद]

*65. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौधों और बीजों को विश्व भर में पेटेण्ट करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने पौधों और बीजों को विश्व भर में पेटेण्ट करने के लिए किसी भारतीय अथवा विदेशी अनुसंधान एकक को अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में भारत में पौधों एवं

बीजों के लिए उत्पाद पेटेन्ट दिये जाने की अनुमति नहीं है। भारत किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित किए जाने का समर्थन नहीं करता है जिसमें पौधों एवं बीजों को पेटेन्टिम आवश्यक हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूस के साथ बकाया ऋण के बारे में समझौता

[अनुवाद]

**66 श्री गुरुदास कामत :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और रूस के बीच बकाया ऋणों के निबटारे के सम्बन्ध में हुए समझौते की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) 31 जनवरी, 1993 को कुल रूसी ऋण की राशि रुपयों में कितनी थी और रुपया-रूबल विनिमय दर के समझौते के परिणामस्वरूप परिवर्तित राशि कितनी है;

(ग) उक्त समझौते के कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार रूस से ऋण लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उसकी शर्तें क्या हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) इस करार में 1-4-1992 को ऋण की मूलधन राशि की 1978 के पुराने प्रोटोकॉल द्वारा निश्चित 1-1-1990 को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रुबल से रुपयों में परिवर्तित करने की व्यवस्था है। (1 रुबल = 19.9169 रुपए) 1-4-1992 को ऋण की मूल राशि को भी 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा निश्चित 1-4-1992 की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रुबल से रुपयों में परिवर्तित किया जाएगा। (1 रुबल = 31.7514 रुपए) उपर्युक्त परिकलन के अनुसार दो राशियों में अन्तर को रुपयों में पुनः निर्धारित किया जाएगा और 45 वर्ष की अवधि में इसकी वार्षिक किस्तों में वापसी अदायगी की जाएगी। इस पुर्नअनुसूचित भाग पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए रुपए के मूल्य घटबढ़ के विरुद्ध भी कोई संरक्षण नहीं होगा। उसके बाद यदि 5 वर्ष की अवधि में रुपए का औसत वार्षिक ह्रास 3 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो इसे एस० डी० आर० से सूचांकित कर दिया जाएगा। प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार की समीक्षा की जाएगी ऋण के गैर-पुर्नअनुसूचित भाग की राशि रुपयों में होगी जो 1-1-90 को विनिमय दर पर रुबल ऋण के परिवर्तन के समानुरूप होगी। इसके बाद यह राशि रुपयों में मूल्य वर्गित होगी और ऋण के इस भाग मूलधन और ब्याज की वापसी अदायगी भारत द्वारा अंतसरकार प्रत्येक संगत ऋण करार के लिए प्रवृत्त अनुसूची के अनुसार की जाएगी। ऋण के इस गैर-पुर्नअनुसूचित भाग के मूलधन और ब्याज के सम्बन्ध में रुपए में भुगतान तथापि, रुपया-राशि को पांच मुद्राओं की एस०डी०आर० बास्केट के रुपए मूल्य में भावी परिवर्तन के अनुरूप समायोजित करके संरक्षित किया जाएगा। भारतीय माल और

सेवाओं के रूस को निर्यात करने के लिए ऋण की वापसी-अदायगी का उपयोग करने सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

(ख) 31 जनवरी, 1993 को बकाया रुबल ऋण लगभग 98,710 लाख रुबल का था। करों के अनुसार 1-4-1992 को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित यह राशि 29,754 करोड़ रुपए होती है। 1-1-90 को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित इस बकाया मूलधन की राशि 18,664 करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार 18,664 करोड़ रुपए का बकाया मूलधन की ब्याज सहित अदायगी भुगतान की वर्तमान अनुसूची के अनुसार की जाती रहेगी, जबकि 11,090 करोड़ रुपए की राशि को 45 वर्ष की अवधि में पुर्नअनुसूचित किया जाएगा।

(ग) यह करार उस तारीख से प्रवृत्त होगे जिस तारीख को दोनों पक्षों के पत्रों का आदान-प्रदान होगा जिनमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई।

(घ) से (च) : सरकार रूस से अधिक ऋण प्राप्त करेगी बशर्ते कि सभी सम्बन्धित शर्तें स्वीकार्य हों।

ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग

*67. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटेन आर्थिक सहयोग ने गत तीन वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री की हाल की यात्रा के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग की जड़ें और अधिक सुदृढ़ हो गई है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर करने की बात की गई है; और

(ङ) इनकी शर्तें क्या हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने जनवरी, 1993 में अपनी भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में 94.3 मिलियन पौंड की सहायता अनुदान प्रदान करने की घोषणा की।

(i) चन्द्रपुर एच वी डी सी परियोजना	— 63 मिलियन पौंड
(ii) हीराकुंड (बुरला) जल विद्युत शक्ति परियोजना का नवीकरण और उन्नयन	— 25.1 मिलियन पौंड
(iii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का आधुनिकीकरण	— 6.2 मिलियन पौंड

(ङ) उपर्युक्त सभी सहायता अनुदान के रूप में हैं।

विवरण

ब्रिटिश सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

(मिलियन पाउंड)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	समझौते की तिथि	राशि देने की वचनबद्धता
1	2	3	4
	विद्युत क्षेत्र		
1.	कानपुर बिजली संवितरण परियोजना	21.11.90	9.600
2.	विद्युत क्षेत्र अनुदान 1983	23-2-83	30.000
3.	नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना	16-9-87	12.930
4.	यूरी पनबिजली परियोजना अनुदान	2-11-88	17.160
5.	ऊर्जा कार्यकुशलता अनुदान	21-11-90	40.000
	रेलवे क्षेत्र		
6.	रेलवे क्षेत्र अनुदान 1990	9-2-90	16.347
7.	रेलवे परियोजना अनुदान 1983	19-2-83	31.264
8.	ट्रेन डिस्काइंबर सिस्ट्म	11-3-88	0.500
	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र अनुदान 1983		
9.	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र अनुदान 1983	19-8-83	15.000
10.	एच०बी०जे० पाइप लाइन पम्प, स्टेशन उपस्कर अनुदान	19-1-88	6.060
	खानें		
11.	बाल्को पावर परियोजना	30-9-84	94.188
12.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	13-3-87	60.900
	कोयला क्षेत्र		
13.	कोयला क्षेत्र अनुदान 1987	13-3-87	31.000
14.	ए०पी०कोयला परियोजना	13-12-91	11.250
	कृषि		
15.	भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना, फेज II	11-12-87	22 200
16.	एच०एफ०सी० वर्षा सचित कृषि परियोजना	1-9-89	2.394
17.	महाराष्ट्र ग्रामीण पानी आपूर्ति योजना	10-9-91	16.460
18.	त्रिमको वर्षासिंचित कृषि परियोजना	7-1-93	2.511

1	2	3	4
	दूर-संचार		
19.	अन्त : समुद्री केबल परियोजना अनुदान	13-12-87	6.140
	शहरी विकास		
20.	हैदराबाद आवास सुधार परियोजना फेज-II-ए	11-3-88	3.000
21.	विजाग आवास सुधार परियोजना	18-3-88	9.000
22.	इन्दौर आवास सुधार परियोजना	6-3-89	14.400
23.	हैदराबाद आवास सुधार परियोजना फेज-III	15-3-90	14.940
24.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार परियोजना	15-5-91	12.240
25.	विजयवाड़ा गंदी बस्ती सुधार परियोजना	15-5-91	16.250
	शिक्षा		
26.	आन्ध्रप्रदेश प्राथमिक पाठशाला के अन्तर को कम करना	26-4-88	0.630
27.	आन्ध्रप्रदेश शिक्षा परियोजना फेज II	5-9-89	27.900
	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
28.	उड़ीसा परिवार कल्याण परियोजना फेज-II	9-2-90	18.000
29.	आन्ध्रप्रदेश स्कूल स्वास्थ्य परियोजना	21-1-92	9.000
	पर्यावरण क्षेत्र		
30.	प० घाट खानिकी परियोजना	8-10-92	18.074
	अन्य		
31.	स्थानीय लागत अनुदान 1987	18-12-87	51.337
32.	मिश्रित परियोजना अनुदान 1980	19-3-80	70.000
33.	ग्रामीण जल तथा अपशिष्ट प्रबन्ध में संबद्ध प्रशिक्षण	19-4-90	0.152
34.	कार्यक्रम सहायता अनुदान 1992	26-11-92	20.000
	जिसमें तकनीकी सहयोग परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।		

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग

*68. **कु० फ्रिडा तोपनो** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने 25 परियोजनाएं

भेजी हैं। इनमें से दो परियोजनाएं पैदल-पथों को मजबूत बनाने के लिए हैं, एक परियोजना इन्हें चौड़ा करके दो लेनों वाला बनाने के लिए, एक इन्हें चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने के लिए, दो परियोजनाएं पुलों के लिए, दो परियोजनाएं पुलियों के लिए तथा सत्रह परियोजनाएं कड़ी किनारियों की व्यवस्था, जंक्शनों में सुधार, किनारों की सुरक्षा, आदि विविध कार्यों के लिए हैं। इन 25 परियोजनाओं में से 149.131 लाख रु० सकल की परियोजनाओं अर्थात् पुलियों के लिए एक परियोजना तथा नौ अन्य विविध परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए 1992-93 की अनुदान मांगों में 15.48 लाख रु० का प्रावधान मौजूद है।

श्रम कानूनों में संशोधन

*69. डा० केडी जेस्वाणी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) अप्रैल, 1990 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में नये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लिये विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए मई, 1990 में (श्री० जी रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति गठित की गयी थी, जिसमें नियोक्ताओं के संगठनों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1990 में प्रस्तुत कर दी थी। इसकी सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थी। फरफरी, 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में और सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया था। रिपोर्ट में असहमति वाले मुद्दों पर पांच राज्यों के श्रम मन्त्रियों की एक समिति द्वारा भी विचार किया गया था। इन विचार विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुर्नसंरचना के सम्बन्ध में अन्तर-मन्त्रालय ग्रुप की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

मूल्य वृद्धि

[हिन्दी]

*70. श्री एच०डी० देवगौड़ा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की अंक दर/अंक आधार पर साप्ताहिक दर कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वार्षिक विकास दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में (डा० अबरार अहमद) : (क) अगस्त, 1992 के बाद से आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :

महीना	थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982)
अगस्त, 1992	235.4	240.3
सितम्बर, 1992	233.8	239.3
अक्तूबर, 1992	234.0	238.1
नवम्बर, 1992	231.9	236.7
दिसम्बर, 1992	231.0 ×	अभी उपलब्ध नहीं है।
जनवरी, 1993	230.7 ×	अभी उपलब्ध नहीं है।

* अनन्तिम

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आर्थिक वृद्धि की दर का वार्षिक आधार पर अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पूर्वानुमान के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में, 1991-92 में 1.2 प्रतिशत की तुलना में 1992-93 में 4.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

(घ) सरकार ने वृहत् आर्थिक स्थिरीकरण और मूल्य स्थिरता के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें राजकोषीय घाटे पर कड़ा नियन्त्रण, सख्त मौद्रिक नीति, उच्च फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थन/वसूली मूल्यों को बढ़ाने के अलावा समय पर आयातों के जरिए खाद्य पूर्ति (चावल और गेहूं) को बढ़ाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात संकुचन उपायों में छूट देना शामिल है।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर

सप्ताह संख्या	को समाप्त होने वाला सप्ताह (तारीख)	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (बिन्दु प्रति बिन्दु)	
		1992-93	1991-92
1	2	3	4
1.	04-04-92	13.83	11.67
2.	11-04-92	14.02	11.46
3.	18-04-92	13.95	11.57

1	2	3	4
4.	25-04-92	13.55	11.41
5.	02-05-92	13.88	11.57
6.	09-05-92	13.83	11.53
7.	16-05-92	13.64	11.75
8.	23-05-92	13.54	12.08
9.	30-05-92	12.86	12.26
10.	06-06-92	13.01	12.15
11.	13-06-92	12.80	12.08
12.	20-06-92	12.65	12.10
13.	27-06-92	12.34	12.29
14.	04-07-92	12.34	12.42
15.	11-07-92	12.24	12.61
16.	18-07-92	11.90	12.87
17.	25-07-92	10.40	14.46
18.	01-08-92	9.99	15.04
19.	08-08-92	9.69	15.65
20.	15-08-92	9.30	16.32
21.	22-08-92	8.56	16.69
22.	29-08-92	9.22	16.38
23.	05-09-92	9.07	16.55
24.	12-09-92	9.02	16.48
25.	19-09-92	10.17	16.31
26.	26-09-92	10.23	15.95
27.	03-10-92	10.62	15.32
28.	10-10-92	10.42	15.25
29.	17-10-92	10.61	14.05
30.	24-10-92	10.55	13.98
31.	31-10-92	10.18	14.29
32.	07-11-92	9.43	14.59

1	2	3	4
33.	14-11-92	9.03	14.86
34.	21-11-92	8.78	14.95
35.	28-11-92	8.55	14.65
36.	05-12-92	8.60	14.40
37.	12-12-92	8.46	13.80
38.	19-12-92	8.55*	13.85
39.	26-12-92	7.84*	14.30
40.	02-01-93	7.12*	14.01
41.	09-01-93	6.97*	13.75
42.	16-01-93	6.77*	13.30
43.	23-01-93	7.00*	13.12
44.	30-01-93	6.86*	12.93
45.	06-02-93	6.95*	12.46

* अनन्तिम

बेरोजगारी

[अनुवाद]

71. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवकों की बढ़ती हुई संख्या की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या से अवगत है तथा उसकी चिंता आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में परिलक्षित होती है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है । योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षित रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित अधिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है । भौगोलिक तथा फसलवार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजरभूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व है । ये प्रयास शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सृजित करेंगे ।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक

[हिन्दी]

*72. डा० लाल बहादुर राजल :
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति देने के लिए राज्यवार अब तक कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) सरकार द्वारा राज्यवार कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों के काम-काज को विनियमित करनेके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) सरकार का विचार इन बैंकों पर किस प्रकार का नियन्त्रण रखने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति/कम्पनी बैंक खोलना चाहती है तो उसे निर्धारित फार्म में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को एग्जिम बैंक से निर्धारित फार्म में अभी तक केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के लिये लाईसेंस जारी करने सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव को अभी तक अनुमोदित नहीं किया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1993 में निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। इन दिशा निर्देशों से संबंधित विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक को भारत स्थित बैंकों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने, नियंत्रित करने और निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक जांचों के माध्यम से और बैंकों से विभिन्न प्रकार की सांविधिक और गैर-सांविधिक विवरणी और सूचनाएं मंगवाकर भी इस शक्ति का प्रयोग करता है।

विवरण

नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के गठन सम्बन्धी मार्गनिर्देश

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत ऐसा बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे बैंक के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत गुण-दोषों के आधार पर लाइसेंस जारी कर सकता है। बैंक को उचित समय पर भारतीय रिजर्व बैंक

अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय इन मामलों में अन्तिम होगा।

(ग) बैंक, जहां तक उसका सम्बन्ध प्राधिकृत, अभिदत्त और चुकता पूंजी से है, बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों से नियन्त्रित होगा। ऐसे बैंकों की न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। ऐसे बैंकों के लिए प्रवर्तक के अंशदान का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक करेगा और वह लागू विनियमों के अनुरूप होगा।

(घ) बैंक के शेयर स्टाक बाजार में सूचीबद्ध होंगे।

(ङ) महानगरीय शहरों और अन्य अधिक बैंकों वाले क्षेत्रों में नए बैंकों के मुख्यालयों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, लाइसेंस जारी करते समय उन्हें तरजीह दी जाये जिनके मुख्यालय ऐसे स्थानों पर हों जहां किसी अन्य बैंक का मुख्यालय न हो।

(च) किसी एक शेयरधारक का वोट देने का अधिकार कुल वोट देने के अधिकारों का एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा द्वारा नियंत्रित होगा जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 12(2) में कहा गया है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत सरकारी वित्तीय संस्थानों को इस अधिकतम सीमा से छूट दी जा सकती है।

(छ) ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक बनाने की अनुमति नए बैंक को नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसी अन्य बैंकिंग कम्पनी या कम्पनियों का निदेशक हो जो अपने आप में बैंकिंग कम्पनी के सभी शेयरधारकों के वोट देने के अधिकारों के 20% से अधिक की वोट देने का अधिकार रखता हो, जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित है।

(ज) यह बैंक अपने प्रबन्धन स्थापना, नकदी आवश्यकताओं और अपने कार्यकलापों की सम्भावना के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और अन्य सम्बद्ध कानूनों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेश, अनुदेश, मार्गनिर्देश अन्य बैंकों के मामले के अनुरूप ऐसे किसी बैंक पर लागू होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि एक नया बैंक प्रारम्भ में महत्वपूर्ण (कोड) बैंकिंग क्रिया-कलापों पर ही केन्द्रित हो।

(झ) ऐसा बैंक बैंकिंग कार्यों, लेखा सम्बन्धी नीतियों और अन्य नीतियों, जैसी भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित की हैं, के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण मानदण्डों के अधीन होगा। बैंक को बहुत पहले ही जोखिम वाली आस्तियों की 8% की पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार से इसे प्रारम्भ से ही आय की पहचान सम्बन्धी मानदण्ड, परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण और व्यवस्थाएं भी लागू होंगी। इस प्रकार की एकल ऋणकर्ता और ग्रुप ऋणकर्ता की एक्सपोजर सीमाएं होंगी जो समय-समय पर लागू होंगी।

(ञ) बैंक को अन्य घरेलू बैंकों को लागू प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा। बहरहाल, इस तथ्य की पुष्टि में कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सभी श्रेणियों को ऋण देने में कुछ समय लगना अपेक्षित होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन वर्षों की प्रारम्भिक अवधि के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋणों की संरचना में कुछ संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

(ट) ऐसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार के निर्देशों की भी अनुपालना करनी होगी जैसाकि निर्यात ऋण के मामले में विद्यमान बैंकों पर लागू हैं। इसकी सुविधा के रूप में, इसे विदेशी मुद्रा में कार्य करने के लिए, जब आवेदन करें, प्राधिकृत डीलर लाइसेंस जारी किया जाये।

(ठ) किसी नए बैंक को उसकी स्थापना के पश्चात् कम से कम तीन वर्षों के लिए कोई अनुषंगी या म्यूचुअल फण्ड के गठन की अनुमति नहीं होगी। ऐसी किसी बैंक की अन्य कम्पनियों की इक्विटी की धारिता अन्य बैंकों को लागू विद्यमान प्रावधानों द्वारा नियन्त्रित होगी—अर्थात्

(1) जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्धारित है, बैंक या नियन्त्रित करने वाली कम्पनी की पूंजी निधियों का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, और

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशकों के अनुसार एक वर्ष के दौरान बैंक की वृद्धिशील जमाराशियों का 1.5 प्रतिशत।

अनुषंगिकों और म्यूचुअल फण्ड (यदि और जब स्थापित हो) और अन्य कम्पनियों में पोर्टफोलियों निवेशों में ऐसे निवेशों का कुल बैंकों के अपनी प्रदत्त पूंजी और प्रारक्षित धन का 20% से अधिक नहीं होगा।

(ड) शाखा खोलने के सम्बन्ध में, यह विद्यमान नीति द्वारा नियन्त्रित होगा कि बैंकों द्वारा एक बार पूंजी पर्याप्तता और विवेक पूर्ण लेखा सम्बन्धी मानदण्डों के पूरा करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बगैर वे शहरी/महानगरीय केन्द्रों सहित विभिन्न केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए स्वतन्त्र हैं। बहरहाल, महानगरीय क्षेत्र और शहरों में उनकी शाखाओं के अधिक संकेन्द्रिकरण को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार किसी नए बैंक को ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं का खोलना अपेक्षित होगा।

(ढ) ऐसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की समग्र नीति मार्गनिर्देशों के भीतर अपनी ऋण नीति को निर्धारित करना होगा। ऐसा कहते समय, इसे सम्बद्ध पार्टी सम्बन्धी लेन-देनों को शामिल करते हुए विवेकपूर्ण मानदण्डों की विशेषरूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(ण) ऐसे बैंक की बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय उपस्कर, कम्प्यूटर, दूर-संचार आदि में नवीनतम आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण प्रयोग करना होगा। बैंक को ग्राहकों की शिकायतों पर कार्यवाई करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त ग्राहक शिकायत कक्ष रखना चाहिये।

(त) ऐसी अन्य शर्तें जैसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं।

बाल श्रमिक

[अनुवाद]

*73. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और अन्य राज्यों में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से उड़ीसा के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री ए० संगमा) : (क) से (ङ) बाल श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई वार्षिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :

	उड़ीसा (लाखों में)	भारत (लाखों में)
1971 में बाल श्रमिक	4.92	107.5
1981 में बाल श्रमिक	7.02	136.4
1971 में कुल श्रम-बल	68.51	1804.8
1981 में कुल श्रम-बल	86.35	2225.2

कार्य के दौरान बालकों को शोषण से बचाने के लिए और उनकी कार्य दशाओं में सुधार के लिए विभिन्न कानूनों में विधायी प्रावधान बनाये गये हैं। इसके अलावा, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है और अन्य क्षेत्रों में उनके नियोजन को विनियमित करता है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिये सामान्य विकास कार्यक्रमों और बाल श्रमिकों के उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजना पर ध्यान देने का प्रावधान है।

कार्योन्मुखी परियोजनायें शुरू करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, कामकाजी बालकों के लाभ के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से आई० पी० ई० सी० (बाल श्रमिकों के उन्मूलन का अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम) और सी० एल० ए० एस० पी० (बाल श्रम कार्रवाई एवं सहायता कार्यक्रम) नामक दो परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।

उपरोक्त उपाय उड़ीसा सहित पूरे देश में लागू हैं।

ब्रह्मपुत्र अन्तर्देशीय जलमार्ग

*74. श्री प्रवीन डेका : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में अन्य अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। अब तक तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया जा चुका है, जो इस प्रकार है:

(i) गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली का इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड (26-10-1986 से घोषित)।

(ii) ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी खण्ड (28-12-1988 से घोषित)।

(iii) केरल में वैस्ट कोस्ट कनाल का कोल्लाम, कोट्टापुरम् खण्ड और चम्पाकारा तथा उद्योग मंडल नहरें (1-2-1993 से घोषित)।

इस समय, गंगा के हल्दिया-पटना खण्ड को नदी सफाई कार्य करके, नौवहन के लिए विकसित किया जा रहा है। हल्दिया-फरक्का खण्ड (560 कि० मी०) में दिन में नौवहन के लिए न्यूनतम 2.0 मीटर गहरा तथा 45 मीटर चौड़ा नौवहन चैनल, चैनल चिह्नों के साथ, उपलब्ध करवाया गया है। फरक्का-पटना खण्ड में न्यूनतम 1.5 मीटर गहरा नौवहन चैनल उपलब्ध है। हल्दिया, पाकुर, फरक्का, भागलपुर, मुंगेर और पटना में कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 4.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पटना में एक स्थाई टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है।

दिन के समय नौवहन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश बार्डर से गुहावटी खण्ड में न्यूनतम 2.0 मीटर गहरा तथा 4 मीटर चौड़ा तथा गुवाहटी से डिब्रूगढ़ तक 1.5 मीटर गहरा चैनल, चैनल चिन्हों के साथ, उपलब्ध करवाये गये हैं। धुबरी-पटना खण्ड में कार्गो हैंडलिंग के लिए टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

जहां तक वैस्ट कोस्ट कनाल का सम्बन्ध है, जलमार्गों के विकास तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के नये विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 62.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, सातवीं और आठवीं योजनाओं में विभिन्न राज्यों की, केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित स्कीमों को केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी गई थी।

(1) गोवा की मंडोवी, जुआरो तथा मापुसा नदियों में वृहद निकर्षण कार्य।

(2) बिहार में गंडक और कोसी नदियों में जलराशिक सर्वेक्षण।

(3) केरल में चम्पाकरा तथा उद्योगमण्डल नहरों का विकास तथा हेतु जैट्टियोंका आधुनिकीकरण।

(4) तमिलनाडु में वोकिंघम नहर में सुधार कार्य।

(5) उत्तर प्रदेश में गंगा के फीडर रूटों के विकास के लिए जलराशिक सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययन।

(6) गुजरात में माधमाट और भरूच के बीच जलमार्ग का विकास।

(7) असम में पंडु पर स्लिपवे का निर्माण।

(8) पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर फैरी सेवाओं के लिए 9 स्थानों पर टर्मिनल सुविधाएं।

सड़क निर्माण कार्य को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

[हिन्दी]

*75. श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री केसरी लाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख-रखाव और विकास कार्य के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को ठेके दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ठेके दिए गये हैं ;

(ग) गैर सरकारी संगठनों को किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है, और

(घ) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए जाने वाले कर का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) : जी, नहीं । तथापि, सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क आधारित सुविधाओं के निर्माण, रख-रखाव और संचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार कर रही है। विभिन्न उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पनवल बाईपास के कार्य को, निर्माण, संचालन तथा अन्तरण (बी और टी) के आधार पर आरम्भ करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि० (आई० एल० एण्ड एफ० एस०) के बीच हाल ही में एक समझौता-ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। सरकार का आशय निजी क्षेत्र को, बाईपासों, पुलों तथा एक्सप्रेसवे आदि के विकास में शामिल करना है। शुल्क की दर अलग-अलग परियोजना के लिए अलग-अलग होगी जो कि लागत, ट्रेफिक की सघनता, रियायत की अवधि, समय, ईंधन आदि की बचत की दृष्टि से होने वाले लाभों पर निर्भर करेगी।

चाय के निर्यात में कमी

[अनुवाद]

* 76 श्री चित्तबसु :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात में कमी के संकेत दिखाई पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार ने चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपायों के रूप में निर्यात आधारित चाय की छः किस्मों को मंजूरी दे दी है; और

(ङ) विदेशी बाजारों में इन ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के

दौरान चाय के निर्यातों में कमी आई है। इसका कारण यह रहा है कि रूस और अन्य सी० आई० एस० देशों द्वारा अपनी आंतरिक आर्थिक समस्याओं के कारण चाय की कम खरीद की गई।

(ग) सरकार विभिन्न देशों को उद्योग शिष्टमंडल भेजकर चाय के निर्यात के विविधीकरण को प्रोत्साहन दे रही है। रूस सहित कुछेक सी० आई० एस० देशों के साथ व्यापार संलेख भी सम्पन्न किये गये हैं। अन्य देशों को अपनी चाय की गुणवत्ता और कीमत की प्रतियोगिता बताते हुए भारतीय चाय की अधिक मात्रा खरीदने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) विश्व बाजार में भारतीय चाय के संवर्धन हेतु टी बोर्ड पहले ही दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी लोगों का प्रचार कर रहा है जिसका उद्देश्य भारतीय चाय की सुप्रसिद्ध किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए टी बोर्ड विदेश में संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शुरू करता है जिनमें मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और प्रचार अभियान, आदि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के बांड तथा यूनिटों का व्यापार

*77. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बांडों तथा यूनिटों में व्यापार के सम्बन्ध में नाइकर्णी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य सम्बन्धित निकायों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बांडों की निर्गम शर्तें बाजार आधारित होनी चाहिए।

(ii) कर-मुक्त बांडों के निर्गम की समीक्षा की जाये।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत बांडों में तुरन्त वायदा लेन-देन की अनुमति दी जाये।

(iv) व्यापार को सरल बनाने के लिए इलेक्ट्रोनिक निकासी तथा निपटान प्रणाली की चरण-बद्ध तरीके से स्थापना की जाये। इस बीच, बैंकर रसीदों का उपयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक रक्षोपायों द्वारा व्यापार करने की अनुमति दी जाये।

(ख) और (ग) : पूंजी बाजारों से सम्बद्ध उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उन सिफारिशों की जांच की गई। इस समिति में गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड शामिल थे। समिति ने उपयुक्त संघटनात्मक प्रबन्धों के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों और यूनिटों में तुरन्त वायदा लेन-देन की अनुमति न देने का निश्चय किया : समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रोनिक निकासी, निपटान और निक्षेप प्रणाली की स्थापना करने से सम्बद्ध कार्य को भारतीय स्टाक धारिता निगम लि० ने अपने हाथ में ले लिया है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*78. श्री जार्ज फर्नांडीज :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० बी० आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए एक उपयुक्त वित्तीय पुनर्गठन पैकेज तैयार करने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रुग्ण शिपयार्ड के वित्तीय पुनर्गठन पैकेज के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) एस० बी० आई० कैपिटल मार्किट्स लि० ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में पूंजीगत पुनर्गठन हेतु 2 विकल्प दिए थे जिनमें निम्नलिखित मतभेद थे—

(i) नकद घाटे की प्रतिपूर्ति की मात्रा।

(ii) नकद-उधार शेष का निपटान।

उन दोनों विकल्पों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II पर दिए गये हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

[प्रस्तावित पूंजीगत पुनर्गठन के ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण —पहला विकल्प

(करोड़ रु०)

ब्यौरा	31-03-92 पुनर्गठन-पूर्व	31-03-92 पुनर्गठन के बाद	टिप्पणियां
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	67.43	122.00+	इसमें पूंजीगत निवेश हेतु दिया गया 54.57 करोड़ रु० का ऋण शामिल है।
2. सुरक्षित ऋण			
2.1 एस० बी० आई० नकद उधार	150.00	52.37	*फंडिड इन्टरेस्ट टर्म लोन
एस०बी० आई० एफ० आई० टी० एल०		97.63	

1	2	3	4
3. असुरक्षित ऋण			
3.1 सरकारी ऋण			
3.1.1 संसाधन ऋण	87.00	—*	*माफ कर दिया गया।
3.1.2 हाउसिंग स्कीम	2.81%		%54.57 करोड़ रु० की इस राशि को इक्विटी में बदल दिया है जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।
3.1.3 ओ० पी० एफ० यार्ड ऋण	10.83		
3.1.4 स्टेज 2 परियोजना ऋण	37.34		
3.1.5 इन्टरेस्ट फंडिड स्टेज 2	3.59		
3.1.6 संचित ब्याज और देय सरकारी ऋण	100.52	—*	*माफ कर दिया गया।
4. सरकार से अन्य ऋण	10.40	25.19	
4.1 उन पर ब्याज तथा देय	14.48		
4.2 संचित ब्याज जो देय नहीं है	0.31		
5. संचित घाटा	(399.95)	(212.43)**	31-3-92 को अनंतिम रूप से अनुमानित 399.95 करोड़ रु० की संचित हानि को इस प्रकार परिवर्तित किया जाना है। (i) माफ किया गया ब्याज —100.52 करोड़ रु० (ii) बकाया घाटे की प्रतिपूर्ति के समायोजित —87.00 करोड़ रु० (iii) पूंजीगत पुनर्गठन के बाद संचित हानि —212.43 करोड़ रु०

31-3-92 को 399.95करोड़ रुपए की संचित हानि का अनुमान एस०बी० आई० कैपीटल मार्किट की दिनांक 23-3-92 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

विवरण-II

प्रस्तावित पूंजीगत पुनर्गठन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण—दूसरा विकल्प

(करोड़ रु०)

ब्यौरा	31-3-92 पुनर्गठन पूर्व	31-9-92 पुनर्गठन के बाद	टिप्पणियां
1	2	3	4
शेयर पूंजी	76.43	122.00+	इसमे पूंजीगत निवेश हेतु दिया गया।
सुरक्षित ऋण			54.57 करोड़ रु० का ऋण शामिल है।
एस० बी० आई० नकद उधार	150.00	—	
असुरक्षित ऋण			
नया ब्याज मुक्त सरकारी ऋण		150.00	
संसाधन ऋण	87.00%	%	54.57 करोड़ रु० की इस राशि को इक्विटी में बदल दिया गया है जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है।
हाउसिंग स्कीम	2.81		
बी० पी० एफ० यार्ड ऋण	10.83		
स्टेज 2 परियोजना ऋण	37.34		*नकद हानि की प्रतिपूर्ति के प्रति समायोजित
इन्टरेस्ट फंडिड स्टेज 2	3.59		
उपर्युक्त पर संचित ब्याज तथा देय	100.52	—*	
सरकार से अन्य ऋण	10.40	25.19	
उस पर संचित ब्याज जो देय है	14.48		
उस पर संचित ब्याज जो देय नहीं है	0.31		
पी० एंड एल० अकाउंट (हानि)	399.95	212.43*	*31-3-92 को अनंतिम रूप से अनुमानित 399.95 करोड़ रुपये की संचित हानि को इस प्रकार परिवर्तित किया जाना है : (i) माफ किया गया ब्याज —100.52 करोड़ रु० (ii) नकद घाटे की प्रतिपूर्ति के प्रति समायोजित —87.00 करोड़ रु० (iii) पूंजीगत पुनर्गठन के बाद संचित हानि —212.43 करोड़ रु०

*** 31-3-92 को 399.95 करोड़ रुपये की संचित हानि का अनुमान एफ० पी० आई० कैपिटल मार्किट द्वारा दिनांक 23-3-92 की प्रस्तुत पर आधारित है।

लेखा—परीक्षापूर्ण होने के पश्चात् 455.54 करोड़ रुपये की संयमी हानि थी।

राज्यों को अनुदान और ऋण

*79. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को अलग-अलग कितना वार्षिक अनुदान तथा अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या उक्त अवधि में कुछ राज्यों को स्वीकृत वार्षिक अनुदान और अल्पावधि ऋण राशि में कमी होती गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने वित्तीय आबंटन बढ़ाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को मंजूर किये गये वार्षिक अनुदानों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। वित्त मन्त्रालय द्वारा राज्यों को कोई अल्पावधि ऋण मंजूर नहीं किये जाते।

(ख) उक्त अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, गोवा और हरियाणा के मामले को छोड़कर राज्यों को स्वीकृत वार्षिक अनुदानों में वृद्धि हुई है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश के लिए 1989-90 की तुलना में 1990-91 में थोड़ी-सी कमी हुई थी क्योंकि नवें वित्त आयोग द्वारा उनकी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई राशि उनकी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की गई राशि से थोड़ी कम थी। गोवा के लिए 1991-92 के दौरान अनुदान में कमी राज्य योजना के लिए 1990-91 की तुलना में 1991-92 में कम केन्द्रीय योजना सहायता आबंटित किये जाने के कारण हुई। हरियाणा ने नवें वित्त आयोग द्वारा उनकी पहली रिपोर्ट में सिफारिश किए गये प्रशासन के स्तरों के उन्नयन के कुछ कार्य निर्धारित समयावधि में शुरू नहीं किए और उनके प्रति दावों को तरजीह दी। इस तरह, हरियाणा 1990-91 की तुलना में 1991-92 में कम राशि की प्रतिपूर्ति का हकदार था।

(घ) और (ङ) राज्यों को किये गये वित्तीय आबंटन या तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में होते हैं या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्तियों तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रति दायर किये गये दावों के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में होते हैं अथवा नवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होते हैं।

विवरण

राज्यों को स्वीकृत वार्षिक अनुदान

(करोड़ रुपए में)

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1. आन्ध्र प्रदेश	178.41	335.24	359.03
2. अरुणाचल प्रदेश	210.91	209.45	272.50
3. असम	413 34	776.28	893.05
4. बिहार	211.58	414.68	498.33
5. गोवा	51.91	65.02	48.32
6. गुजरात	89.77	175.59	263.29
7. हरियाणा	33.32	61.10	55.36
8. हिमाचल प्रदेश	290.55	344.49	376.77
9. जम्मू और कश्मीर	390.06	741.69	868.68
10. कर्नाटक	91.42	113.37	151.16
11. केरल	101.39	180.29	197.50
12. मध्य प्रदेश	171.87	321.85	409.69
13. महाराष्ट्र	190.92	226.59	248.95
14. मणिपुर	192.32	213.21	245.37
15. मेघालय	162.96	185.96	197.84
16. मिजोरम	182.07	201.41	224.70
17. नागालैण्ड	186.52	210.35	242.42
18. उड़ीसा	197.48	302.09	334.27
19. पंजाब	45.94	81.92	95.27
20. राजस्थान	160.49	400.64	459.63
21. सिक्किम	71.28	81.34	98.35
22. तमिलनाडु	181.09	221.26	268.47
23. त्रिपुरा	227.13	254.44	279.49
24. उत्तर प्रदेश	564.80	1149.50	1351.74
25. पश्चिम बंगाल	187.17	320.49	348.12
कुल	4784.70	7588.25	8788.12

भूतपूर्व सैनिकों को आवास सुविधाएं

*80. डॉ० ए० के० पटेल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों को रियायती दर पर आवास सुविधाएं देने अथवा हूडा, डी०डी०ए० और अन्य राज्यीय ग्रामीण/शहरी आवास बोर्डों से प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं पहले से ही लागू हैं;

(घ) 1991 और 1992 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितने आबंटन किये गये;

(ङ) 1993 के लिए ऐसे आबंटनों का राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(च) क्या 1991 और 1992 के दौरान इन भूतपूर्व सैनिकों की आवासीय भूमि/आवास खरीदने के लिए कोई आर्थिक सहायता दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (छ) आवास की व्यवस्था राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा अन्य राज्य ग्रामीण/शहरी आवास बोर्ड स्वायत्त/अर्ध-सरकारी निकाय हैं जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को आवास और आवास भू-खण्डों के आबंटन के लिए आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग निर्धारित किया है। भूतपूर्व सैनिकों को आवास/आवासीय भू-खण्डों के आबंटन के लिए आरक्षण के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप-समूह में इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है।

आवास की व्यवस्था राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं इसलिए अपनी आवासीय योजनाओं को बनाने और उनके लिए धनराशि उपलब्ध कराने का काम भी वे सरकारें ही करती हैं।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवास/आवासीय भू-खण्डों के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण का विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	आबंटन में आरक्षण का प्रतिशत	
		आवास	आवासीय भू-खण्ड
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	—
2.	बिहार	10	10
3.	गोवा	—	2

1 2	3	4
4. गुजरात	10	पेंशन को छोड़कर 1200/- रु० तक की मासिक आय वाले भूतपूर्व सैनिकों को मकान बनाने के लिए 2 गुंठा भूमि
5. हरियाणा	9	20
6. हिमाचल प्रदेश	10	10
7. जम्मू और कश्मीर	—	2
8. केरल	3	3
9. कर्नाटक	10	10
10, मध्य प्रदेश	2	2
11. महाराष्ट्र	5	—
12. मणिपुर	5	5
13. मेघालय	—	10
14. उड़ीसा	5	आवासीय भू-खण्डों के आवंटन में प्राथमिकता
15. पंजाब	—	8
16. राजस्थान	2	10
17. सिक्किम	5	—
18. तमिलनाडु	7.5	7.5
19. उत्तर प्रदेश	3	3
20. पश्चिम बंगाल	5	5
21. अरुणाचल प्रदेश	—	—
22. असम	—	—
2 . मिजोरम	—	—
24. नगालैण्ड	—	—
25. त्रिपुरा	—	—
26. चंडीगढ़	6	—
27. दिल्ली	1	—
28. पांडिचेरी	3	3
29. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घाटा

623. **प्रो अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जो घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन बैंकों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 31-3-1993 को समाप्त चालू वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, यूको बैंक और न्यू बैंक आफ इंडिया ने 31-3-1992 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों में घाटा दिखाया है।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यानिष्पादन और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर यथापेक्षित उपाय करते रहे हैं।

स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (गोल्डन हैन्डशेक स्कीम)

624. **डा० सुधीर राय :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीनस्थ सभी उपक्रमों में स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक उपक्रम में इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है;

(ग) 31 जनवरी, 1993 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक उपक्रम में योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे।

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा मन्त्रालय के अधीन मिश्र धातु निगम लिमिटेड और माझगांव डाक लिमिटेड को छोड़कर रक्षा क्षेत्र के सभी उपक्रमों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में अपनी योजनाएं अधिसूचित कर दी हैं।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या और 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई शीघ्रता से की जाती है लेकिन इसमें धनराशि की कमी का भी ध्यान रखा जाता है।

विवरण

क्र०सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का नाम	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या	31-1-1993 की स्थिति के अनुसार निबटान के लिए लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)	699	133
2.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल)	507	—
3.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल)	375	87
4.	माझगांव डाक लिमिटेड (एम डी एल)	—	—
5.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)	20	—
6.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)	1	—
7.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)	9	—
8.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	—	—

वस्त्र मशीनरी का निर्माण व निर्यात

625. श्री गोपी नाथ राजपति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किये गये वस्त्र मशीनरी के कुल निर्माण व निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन देशों को इसका निर्यात किया गया, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसके निर्माण व निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र मशीनरी का उत्पादन तथा वस्त्र मशीनरी और पुर्जों के निर्यात से सम्बन्धित ब्यौरे निम्नानुसार हैं ।

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1989-90	644.02	125.48
1990-91	945.41	164.59
1991-92	1029.60	164.46

(ख) भारतीय वस्त्र मशीनरी और पुर्जों का निर्यात विश्व के लगभग सभी देशों में किया जा रहा है जिनमें सी आई एस (भूतपूर्व यू०एस०एस०आर०) बंगलादेश, बोत्सवाना, क्यूबा, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, केन्या मलेशिया, मारिशस, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, श्री लंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, थाइलैंड, तुर्की, उगांडा, वियतनाम, आदि प्रमुख देश हैं।

(ग) और (घ) हालांकि सरकार को वस्त्र मशीनरी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वस्त्र मशीन के निर्यातकों ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं। सरकार ने इन सुझावों की जांच की है और जहां सम्भव हुआ है, इन्हें कार्यान्वित किया है।

भारतीय चाय व्यापार निगम के कर्मचारियों को भविष्य निधि/ ग्रेचुइटी के बकाया का भुगतान

626. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबन्ध वाले चाय बागानों के कर्मचारियों को भविष्य निधि/ग्रेचुइटी के बकाया का भुगतान करने हेतु कोई कदम उठाये हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) (चाय कम्पनी) चाय के रुग्ण एककों का अधिग्रहण और अन्तरण अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के तहत नियुक्त भुगतान आयुक्त ने टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० द्वारा संचालित राष्ट्रीकृत रुग्ण चाय बागानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि की शेष राशि ग्रेचुइटी से सम्बन्धित दावों सहित विभिन्न प्रकार के दावों का निपटान करने के लिए कार्यभार ग्रहण किया है, जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व कर्मचारियों के जमा थे।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा फालतू भूमि की बिक्री

[हिन्दी]

627. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 27 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने इस बीच अपने विभिन्न डिपुओं में मौजूद अप्रयुक्त अथवा फालतू भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बेचने की अपनी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो डिपोवार ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) उक्त भूमि को बेचने के परिणामस्वरूप अनुमानित कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की नई शाखायें

श्री एन० जे० राठवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखायें वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है; और

(ख) इन्हें कब तक खोल दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/उप कार्यालयों के रूप में सभी राज्यों में उसकी शाखायें इसके अतिरिक्त, 150 जिलों में एकल व्यक्ति संचालित जिला कार्यालय हैं। 1992-93 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50 और जिला कार्यालय खोलने का अन्तिम प्रस्ताव है। इसकी जिले-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। पता लगाए गए केन्द्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होने पर कार्यालय खोले जायेंगे।

विवरण

राज्य	जिला
1	2
असम	एन सी हिल्स
	सोनितपुर
आन्ध्र प्रदेश	करीम नगर
	मेंढक
	नालगोंडा
	वारंगल
बिहार	मुजफ्फरपुर
गुजरात	खेड़ा
	मेहसाणा
	राजकोट
हरियाणा	फरीदाबाद
	सिरसा
हिमाचल प्रदेश	सोलन
जम्मू व कश्मीर	रजौरी
कर्नाटक	बेलगांव
	चिकमगलूर/कोडागु
	कोलार
	बिदार

1	2
केरल	इडुकी
	कोल्लाम
	मालापुरम
	वायनाड
महाराष्ट्र	अमरावती
	बुलडाना
	धुले
	नासिक
	रायगढ़
	सांगली
	उसमानाबाद
मध्य प्रदेश	देवास
	राजनंदगांव
	रतलाम
	सुरगूजा
	विदीशा
उड़ीसा	मयूरभंज
	कोरापुट
पंजाब	लुधियाना
राजस्थान	बांसवाड़ा
	दौसा
	झुनझुन
	नागौर
	सिरवी
तमिलनाडु	चेंगी नगर
	कन्याकुमारी
	पुडुकोट्टई
	मदुरै
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
	अलमोड़ा

1	2
	बस्ती
	बुलन्दशहर
	जौनपुर
	मुजफ्फरनगर
	प्रतापगढ़
	टिहरीगढ़वाल
	रायबरेली
पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी
	मुर्शीदाबाद

निर्यातकों को नकदी प्रतिपूरक योजना का भुगतान न होना

[अनुवाद]

629. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इंजीनियरिंग माल के उन निर्यातकों को "नकद मुआवजा समर्थन" राशि का भुगतान कर दिया है जिन्होंने अपने निर्यात अनुबंधों को पूरा कर लिया है और विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया है तथा 8 जुलाई से पूर्व अपने विदेशी खरीददारों को माल बेच दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने नकदी मुआवजा समर्थन योजना को भूतलक्षी प्रभाव से वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसे निर्यातकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (छ) नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सी० सी० एस०) को 3-7-91 से वापस ले लिया गया है। वापसी का आदेश केवल भविष्य प्रभावी रूप से ही प्रभावी है। तदनुसार, 2-7-91 को या उसकी मध्यरात्रि तक हुए वास्तविक निर्यात ही सी० सी० एस० लाभ के पात्र थे।

उस प्रकार के निर्यात जिनके सौदे कर लिए गए, भुगतान ले लिए गए इत्यादि, लेकिन वास्तविक निर्यात 2-7-91 को या उसके पहले नहीं किये गये वे इस प्रकार के सी० सी० एस० लाभ के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त प्रकार के सी० सी० एस० दावों का निपटारा करने के लिए कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए। किन्तु चूंकि इन मामलों में 2-7-91 को या उससे पहले वास्तविक निर्यात नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया और पार्टियों को सूचित कर दिया गया।

नैनी के पास यमुना नदी पर पुल का निर्माण

630. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 7 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनी के पास यमुना नदी पर पुल निर्माण परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसको पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना नदी पर 100.36 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि पर एक पुल के निर्माण को हाल ही में सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी गई है।

(ख) चूंकि परियोजना के लिए विस्तृत प्राक्कलन को अभी संस्वीकृति दी जानी है, अतः कार्य पूरा होने के समय शिड्यूल के बारे में बता पाना अभी सम्भव नहीं है।

श्रमिकों के संरक्षण हेतु समिति

[हिन्दी]

631. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि और भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खाद्य बाजार

[अनुवाद]

633. **श्रीसनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजार में भारत का हिस्सा 1.2% और 1.6% के बीच रहा है जबकि इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दूना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री खाद्य उद्योग द्वारा अपनी क्षमता का दोहन कर पाने में असफलता के क्या कारण हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार हो रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विश्व के समुद्री खाद्य व्यापार में वर्ष 1983-90 के दौरान भारत का शेयर निम्नानुसार था—

वर्ष	विश्व के आयात (यू० एस० मिलि० डालर)	भारत के निर्यात (यू० एस० मिलि० डालर)	प्रतिशत शेयर
1983	17111	354	2.71
1984	17185	333	1.94
1985	18619	298	1.60
1986	24256	362	1.49
1987	30486	378	1.24
1988	35260	431	1.22
1989	35833	391	1.09
1990	39411	505	1.28

(ख) पिछले आठ वर्षों में भारत के निर्यात 354 मिलि० यू० एस० डालर से बढ़कर 505 मिलि० यू० एस० डालर तक हुए हैं। अधिक तीव्र गति से वृद्धि सम्भव नहीं रही है क्योंकि भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग इतनी से प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को अपना नहीं रहा है जितनी तेजी से अन्य मछली पालन करने वाले राष्ट्र अपना रहे है। गहरे समुद्र क्षेत्र में पर्याप्त भारतीय उद्यम में विकास नहीं हुआ है और न ही अवस्थापना संबंधी बाधाओं और उच्च किस्म के बीज और भोजन तथा प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण खारे जल में मछली पकड़ने के क्षेत्र में क्षमता की अधिक प्राप्ति नहीं हुई है।

(ग) इस मंत्रालय ने मत्स्य उद्योग से निर्यातों को एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञा किया है और एम्पीडा ने देश में मत्स्य पालन का संवर्धन करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई नीति का उद्देश्य भी विविधीकृत मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करना और गहरे समुद्र के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापित करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नये कार्यालय

631. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :**
श्री सुव्रत मुखर्जी :
डा० असीम बाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार देश में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों में नये कार्यालय/शाखाएं खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(घ) क्या नये कार्यालय खोलने के लिये भूमि मांगी गई है/अधिग्रहीत कर ली गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश के किसी नये वाणिज्यिक या औद्योगिक केन्द्र में कोई कार्यालय खोलने की फिलहाल उनकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

भारत ब्रिटेन व्यापार

635. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटेन के साथ व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच मंत्रालय स्तर पर तथा उच्च सरकारी स्तर पर बातचीत की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) जिन क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन व्यापार बढ़ाया जायेगा उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि द्विपक्षीय व्यापार को व्यापक बनाया जाये। दोनों सरकारों और दोनों पक्षों के व्यापारियों के बीच हाल ही में हुए परस्पर विचार-विनिमय तथा भारत-ब्रिटेन साझेदारी की स्थापना की पहल से आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में और अधिक सहयोग होने की आशा है।

चाय उद्योग हेतु विश्व बैंक से ऋण

636. **श्री प्रकाश बी० पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चाय उद्योग ने चाय का निर्यात करने हेतु चाय बागान क्षेत्र बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नैपथ के आयात का गैर-सरणीकरण

637. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नैपथ के आयात का गैर-सरणीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) औषध तथा उरवर्क उद्योग इससे कहां तक लाभान्वित हो सकेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरणीकरण से नैपथ उपयोक्ताओं के लिए प्रतियोगी कीमतों पर मुक्त रूप से सामग्री प्राप्त करने में सुविधा होने की आशा है।

रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण

638. **श्री संदीपान भगवान घोरात :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने व इसका आधुनिकीकरण करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की थी,

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सेना मुख्यालय ने सेना के पुनरीक्षण और पुनर्गठन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है ताकि इसे अधिक अनुकूलतम और लागत प्रभावी बनाया जा सके।

(ख) और (ग) समिति ने अपनी सिफारिशों में युद्धनीतिगत विश्लेषण और बल-स्तरों, प्रशिक्षण, युद्धक्षेत्र सेना का संगठन, स्थायी विरचनायें, स्थापनाएं, और यूनिटें, स्टाफ पद्धति और सेना को संभारिकी सहायता जैसे क्षेत्रों को शामिल किया है। अधिक ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

पाकिस्तान सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी

639. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी में बढ़ोतरी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा पर इस तरह की दुष्टतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : भारत-पाक सीमा पर पिछले दो वर्षों के दौरान की गई जब्तियां निम्न प्रकार हैं :—

	हेरोइन	हशीश
	(किलोग्राम में)	
1991	41.460	564.670
1992	36.565	617.820

(ख) अलग-अलग एजेंसियों के बीच आसूचना एकत्र करने की व्यवस्था तथा आसूचना के विनिमय को कारगर बनाया गया है। विभिन्न एजेंसियों के प्रवर्तन अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबन्दी कर दी गई है। सीमा क्षेत्रों पर प्रवर्तन एजेंसियों की शक्ति को बढ़ाया गया है। कुछ प्रवर्तन एजेंसियों को उपकरण भी दिये गये हैं ताकि सीमा क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता तथा संचार सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

मध्य प्रदेश में बैंकों की नयी शाखायें

[हिन्दी]

640. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने हेतु लाइसेंस जारी कर दिये हैं;

(ख) क्या बैंकों ने शाखायें खोल दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में बैंकिंग केन्द्र या तो अर्धशहरी हैं या फिर ग्रामीण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रत्येक बैंक को देश में अपनी पसन्द के अर्धशहरी केन्द्रों पर शाखायें खोलने के लिए शाखाओं की विनिर्दिष्ट संख्या आबंटित की है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई विनिर्दिष्ट कोटा निर्धारित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को अर्धशहरी केन्द्रों पर शाखायें खोलने के लिए विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों के सम्बन्ध में बैंकों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक ग्रामीण केन्द्रों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मार्फत विदिशा जिले के लिए 10 और सिहोर जिले के लिए 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रायसेन जिले के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सिहोर जिले को केवल एक केन्द्र चरनैल प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के सेवा क्षेत्र मानदण्डों के अनुरूप है और वह शाखा खोलने के लिए दिनांक 11-8-1992 को बैंक आफ इण्डिया को लाइसेंस जारी किया गया है। बैंक ने उक्त केन्द्र पर अभी शाखा नहीं खोली है। लाइसेंस एक वर्ष के लिये मान्य है।

नौवहन क्षेत्र में विदेशी भागीदारी

[अनुवाद]

641. श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन उद्योग को विदेशी कम्पनियों के साथ खुली प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए नौवहन क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी भागीदारी (इक्विटी) की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय नौवहन उद्योग के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण की सरकारी नीति के अनुरूप तथा जहाजों की खरीद में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के प्रयोजन और इस प्रकार भारतीय टनेज को बढ़ाने के लिये सरकार ने नौवहन क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी है।

(ग) उपर्युक्त उपाय से एक भारतीय कम्पनी में केवल 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी संहभाविता की अनुमति होगी और इससे जहाजों की खरीद में अधिक पूंजी निवेश होने की सम्भावना है। इसके फलस्वरूप भारतीय टनेज में वृद्धि तथा भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक हिस्सा होना चाहिए। सभी भारतीय नौवहन कम्पनियों को "ट्रांस-चार्ट" से पूर्ववत् कार्गो प्राथमिकता उपलब्ध होती रहेगी। उपर्युक्त उपाय से भारतीय नौवहन को बढ़ावा तथा बढ़ी हुई टनेज के लक्ष्य को प्राप्त करने जैसा कि राष्ट्रीय नौवहन नीति में अपेक्षित है, की सम्भावना है।

नरसिम्हन समिति

[हिन्दी]

622. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई में ये शामिल हैं—सांविधिक चल निधि अनुपात (एस० एल० आर०) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी० आर० आर०) में कमी, ब्याज दर, ढांचे को सरल बनाना, पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान और आवश्यकताओं सम्बन्धी प्रावधान के लिए मानदण्ड तैयार करना, बेहतर सुस्पष्टता के लिए तुलन-पत्र और लाभ और हानि के फार्मेटों का पुनरीक्षण, शाखा लाइसेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का पुनरीक्षण, औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) को कम्पनी में बदलने की प्रक्रिया शुरू करना, निजी क्षेत्र के नये बैंकों के प्रवेश से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करना इत्यादि। सरकार ने समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय किया है।

विदेशी ऋणों सम्बन्धी आंकड़े

643. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्रिय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किये गये आंकड़े समान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारत पर विदेशी ऋण के सम्बन्ध में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले यथा प्रकाशित आंकड़ों में कुछ भिन्नताएं रही हैं।

(ख) ये भिन्नताएं विदेशी ऋण की अवधारणा, वर्गीकरण और मूल्यांकन में भिन्नताएं होने के कारण उत्पन्न हुई थी।

(ग) दिसम्बर, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विदेशी ऋण विषयक आंकड़ों के लिए एक नीति समूह और एक कार्य-दल की नियुक्ति की थी। इस समूह के विचाराधीन विषयों में एक विषय भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच ऋण विषयक आंकड़ों में भिन्नताओं की जांच करना था। समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के ऋण विषयक आंकड़ों में भिन्नताओं का समाधान करने के बाद 31 मार्च, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने विदेशी ऋण के आंकड़ों के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली और "विदेशी क्षेत्र के लिये एक ऐसे ऋण एकक" की स्थापना करने की सिफारिश की थी जो, अन्य बातों के साथ-साथ, भविष्य में भारत में सभी प्रकार के ऋण आंकड़ों के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

व्यापक कृषि विकास योजना हेतु विश्व बैंक सहायता

[अनुवाद]

645. **श्री धर्मभिक्षम :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने व्यापक कृषि विकास योजना हेतु विश्व बैंक की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत योजनावार तथा राज्यवार और कितनी सहायता मांगी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां, चार राज्यों अर्थात् असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने कृषि विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक सहायता मांगी है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक राजस्थान में कृषि विकास परियोजना के लिये हाल ही में 731 लाख विशेष आहरण अधिकार (1060 लाख अमेरिकी डालर के बराबर) की सहायता प्रदान करने के लिये सहमत हुआ है। राज्य सरकार अपनी नई कृषि नीति के कार्यान्वयन के लिये इस सहायता का इस्तेमाल करेगी। इस नीति के उद्देश्य उन्नत तकनीकी, वित्त और संसाधनों के किफायती इस्तेमाल के माध्यम से कृषि के विकास को तेज करना।

प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन और संरक्षण के माध्यम से दीर्घावधिक संशोधन को बढ़ाकर और (ग) ग्रामीण जनता के निर्धन वर्ग के लिये विकास कार्यक्रमों का बेहतर लक्ष्य निर्धारण करके इक्विटी में सुधार करना है। असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिये सहायता की मात्रा और अन्य ब्यौरे नहीं दिये जा सकते क्योंकि इन परियोजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

निर्यात और आयात

646. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान रुपयों, अमेरिकी डालरों तथा विशेष आहरण अधिकारों के हिसाब से अलग-अलग कुल कितना-कितना आयात और निर्यात किया गया ;

(ख) इसमें 1991 को इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में परिवर्तन की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) 1992-93 के लिये निर्यात तथा व्यापार संतुलन के मूलभूत लक्ष्यों तथा नवीनतम संशोधित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति की क्या संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए निर्यात लक्ष्य :

यू० एस० डालर में : 20132 मिलियन

रुपए में : 57,580 करोड़

व्यापार संतुलन वस्तुओं के आयात के कारण आयों और व्यय के बीच का अन्तर है। आयातों के लिए और इसी तरह व्यापार संतुलन के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) हालांकि वर्ष 1992-93 के लिए निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किये गये हैं, फिर भी कमी होने की संभावना है।

विवरण

भारत के निर्यात और आयात रुपए, यू० एस० डालर तथा एस० डी० आर० में

निर्यात			आयात		
अप्रैल-दिसम्बर 1991	अप्रैल-दिसम्बर 1992	अप्रैल-दिसम्बर 1991 की तुलना में प्रतिशतता में परिवर्तन	अप्रैल-दिसम्बर 1991	अप्रैल-दिसम्बर 1992	अप्रैल-दिसम्बर 1991 की तुलना में प्रतिशतता में परिवर्तन
30332	37329	23.1	34230	47480	38.7
32644	13075	3.4	14272	16631	16.5
9310	10176	9.3	10508	12943	23.2

काजू का निर्यात

648. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान काजू का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) जिन प्रमुख देशों को काजू का निर्यात किया जाता है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) 1992-93 के दौरान काजू के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या रूस में भारतीय काजू की मांग है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, माह अप्रैल से नवम्बर, 1992 तक की अवधि के दौरान काजू गिरी के निर्यात के अन्तिम आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं।

	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (लाख रुपये)
(1) कुल निर्यात	36126	50456.95
(2) स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल देशों को निर्यात	16255	21770.67

भारतीय काजू गिरी के प्रमुख आयात देश यह हैं: आस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और स्वतन्त्र देशों का राष्ट्रकुल।

उदारीकृत विनिमय-दर प्रबन्ध योजना की सुविधा देना, काजू गिरी के निर्यात पर अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण को कुछ खास शर्तों के अध्यधीन समाप्त करना ऐसे कुछ कदम हैं जो सरकार ने काजू गिरी का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए हैं। उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, काजू निर्यात संवर्धन परिषद् विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेती है और अन्य देशों के आयातकों के साथ परस्पर बातचीत करने के उद्देश्य से क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहभागिता करती है। काजू निर्यात संवर्धन परिषद् उन देशों को प्रतिनिधिमंडल भी प्रायोजित करती है जिन्हें निर्यात बढ़ाने की सम्भावना हो।

भारत-जर्मनी व्यापार

649. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के साथ व्यापार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भारत-जर्मनी व्यापार समझौतों के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार का सदैव भारत-जर्मन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का प्रयास रहा है। अभिज्ञात किये गये कुछेक संभावित क्षेत्र हैं: इंजीनियरी वस्तुएं, चमड़े के सभी उत्पाद, कालीन, सूती वस्त्र गार्मेंटस, समुद्री उत्पाद, खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पाद, चाय, पटसन, रसायन और भेषजीय, ग्रेनाइट और सिरामिक टाईल्स, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, निर्माण हार्डवेयर और फिटिंग्स औद्योगिक गार्मेंटस और परामर्शी सेवाएं।

बाल श्रमिकों के लाभ की परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

[हिन्दी]

650. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कार्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को वित्तीय सहायता देने हेतु निर्धारित मानदण्ड और प्रक्रिया क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाये जा रहे कार्रवाई कार्यक्रम की लागत के 75% तक की वित्तीय सहायता स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध करवा रही है।

इस समय निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(1) **मध्य प्रदेश** : भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली को बीड़ी उद्योग में कार्यरत बालकों के लिए कल्याण केन्द्र चलाने के लिए।

(2) **कर्नाटक** : कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, बैंगलौर को बैंगलौर में जय राजेन्द्र रैंग पिकर्स परियोजना के लिए।

(3) (i) मालारची न्यास वाह्याकुलम में "माचिस उद्योग में कार्यरत बालकों के लिये समेकित पाइलट परियोजनाएं" नामक परियोजना के लिये।

(ii) "कान्ग्रेगेशन ऑफ द सिस्टर्स आफ द क्रॉस आफ चावनोड" तिरूचरापल्ली को तिरूचरापल्ली में "फ्रोम रैग्स टू रिचेज" परियोजना के लिए।

(4) **उड़ीसा** : रुचिका स्कूल भुवनेश्वर को भुवनेश्वर में "कामकाजी बालकों के लिए गैर संस्थानिक देखरेख" परियोजना के लिए।

(5) **पश्चिमी बंगाल** : विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी, कलकत्ता को कलकत्ता में "स्ट्रीट चिल्ड्रेन का समेकित विकास" परियोजना के लिए।

(6) **नई दिल्ली** : भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली को स्ट्रीट और कामकाजी बालकों के कल्याण परियोजना के लिए।

अपनाये जा रहे पात्रता मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि अन्य बातों के साथ-साथ संगठन का कानूनी अस्तित्व हो, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए सिफारिश की गयी हो, संगठन तीन वर्षों की अवधि से अस्तित्व में हो, मजबूत वित्तीय स्थिति में हो और उसे संदर्भित परियोजना चलाने का अनुभव हो।

राज्यों का अनुदान

651. **श्री छेदी पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में वर्षवार और 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्यों के लिए स्वीकृत वार्षिक अनुदान की राशि में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को अपेक्षित अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में प्रत्येक राज्य को स्वीकृत/आवंटित वार्षिक अनुदान दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) गोवा और हरियाणा के मामले को छोड़कर अनुदानों में वृद्धि होती रही है।

(ग) और (घ) गोवा के मामले में 1991-92 के दौरान अनुदान में कमी, राज्य योजना के लिए 1990-91 की तुलना में 1991-92 में कम केन्द्रीय योजना सहायता आवंटित किये जाने के कारण हुई। हरियाणा ने नवें वित्त आयोग द्वारा उनकी पहली रिपोर्ट में सिफारिश किये गये प्रशासन के स्तरों

के क्रियान्वयन के कुछ कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत शुरू नहीं किये और उनके प्रति दावों को तरजीह दी। इस तरह, हरियाणा 1990-91 की तुलना में 1991-92 में कम राशि की प्रतिपूर्ति का हकदार था।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	राज्यों को स्वीकृत/आबंटित वार्षिक अनुदान		
	1900-91 स्वीकृत	1991-92 स्वीकृत	1992-93 स्वीकृत
1. आन्ध्र प्रदेश	335.24	359.03	382.28
2. अरुणाचल प्रदेश	209.45	272.59	307.16
3. असम	776.28	893.05	1106.00
4. बिहार	414.68	498.33	561.05
5. गोवा	65.02	48.32	51.06
6. गुजरात	175.59	263.29	217.02
7. हरियाणा	61.10	55.36	55.63
8. हिमाचल प्रदेश	344.49	376.77	426.95
9. जम्मू और कश्मीर	741.69	868.68	968.07
10. कर्नाटक	113.37	151.16	221.88
11. केरल	180.29	197.50	249.28
12. मध्य प्रदेश	321.85	409.69	443.23
13. महाराष्ट्र	226.59	248.95	422.08
14. मणिपुर	213.21	245.37	266.77
15. मेघालय	185.96	197.84	223.92
16. मिजोरम	201.41	224.70	236.25
17. नागालैंड	210.35	242.42	257.12
18. उड़ीसा	302.09	334.27	374.27
19. पंजाब	81.92	95.18	96.18
20. राजस्थान	400.64	459.63	512.85
21. सिक्किम	81.34	98.35	116.71
22. तमिलनाडु	221.26	268.47	308.27
23. त्रिपुरा	254.44	279.49	307.73
24. उत्तर प्रदेश	1149.50	1351.74	1434.70
25. पश्चिम बंगाल	320.49	348.12	422.16
कुल:	7588.25	8788.12	10018.62

मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत हेतु धन

652. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वास्तव में उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राशि के खर्च किये जाने के बारे में केन्द्र सरकार किस तरह निगरानी करती है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संवैधानिक रूप से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है और अन्य सड़कों के लिए अनिवार्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारें ही जिम्मेदार होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का आबंटन आवश्यकता तथा संसाधनों की सकल उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत पर गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस प्रकार है :

वर्ष	लाख रुपए
1989-90	1097.90
1990-91	1174.41
1991-92	1618.89

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिए राज्य सरकारें निष्पादन एजेंसी हैं। इस मन्त्रालय का क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की सतह के नवीकरण और सामान्य स्थिति सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख करता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाना

[अनुवाद]

653. डा० ए० के० पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 में अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 1, 2, 3, 5, 8, 8 सी और 47 को चार लेनों का बनाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस सम्पूर्ण कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 38 खण्ड हैं, जिन्हें चार लेनों का बनाने सम्बन्धी निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर दो खण्डों पर 1992-93 में निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और शेष 36 खंडों पर राशियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वर्ष 1996 के अन्त तक "शड्यूल" के अनुसार निर्माण कार्य पूरे किए जाने की संभावना है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा रुग्ण उद्योगों को सहायता

654. **श्री थाइल जॉन अब्राहम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा रुग्ण उद्योगों को, राज्यवार, कितनी सहायता प्रदान की गई और चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता प्रदान की जायेगी; और

(ख) तत्सम्बन्धी उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रुग्ण औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता की राज्य-वार और उद्योग-वार प्रमात्रा को क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण एकक जिन्हें तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के बाद सम्भावित रूप से अर्थक्षम पाया जाता है उन्हें ऐसी सहायता मंजूर करने पर विचार किया जाता है।

विवरण-I

रुग्ण एककों को राज्यवार संवितरण

(लाख रुपए में)

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
आन्ध्र प्रदेश	81.99	131.50	453.31
बिहार	10.00	653.63	353.88
दिल्ली	80.00	—	16.44
गुजरात	282.79	222.47	169.27
हरियाणा	24.00	33.67	110.87
हिमाचल प्रदेश	—	—	31.50
केरल	227.94	142.53	25.96
कर्नाटक	45.26	170.00	77.20
मध्य प्रदेश	12.00	238.65	9.00
महाराष्ट्र	303.67	314.49	299.14
पंजाब	306.41	89.00	27.00
पांडिचेरी	—	37.80	22.50
राजस्थान	4.00	68.00	89.55
तमिलनाडु	170.50	254.96	301.90
उत्तर प्रदेश	128.45	801.28	561.94
पश्चिम बंगाल	1441.27	1372.33	1393.15
जोड़	3118.28	4530.31	3942.61

विवरण-II

ऋण एककों को उद्योग समूह वार संवितरण

(लाख रुपए में)

उद्योग	1989-90	1990-91	1991-92
बेसिक मेटल	110.68	119.95	156.20
मेटल प्राडक्ट्स	—	27.00	23.00
टेक्सटाईल (जूट सहित)	751.30	1016.14	772.28
पेपर	55.85	155.63	425.76
केमिकल	56.00	113.00	261.85
इलेक्ट्रिकल	264.50	190.20	211.26
मशिनरी	331.16	251.50	54.78
ट्रान्सपोर्ट	135.47	—	43.44
रबर	60.00	64.50	35.00
फूड	327.01	897.21	107.00
अन्य	1026.31	1695.18	1852.04
जोड़	3118.28	4530.31	3942.61

मध्य प्रदेश में चाय बागान

655. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आठवीं योजना के दौरान चाय बागान के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि को बागान क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र चाय बागान के लिए उपयुक्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) जी हां।

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान चाय की खेती में शामिल करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भू-क्षेत्र परम्परागत क्षेत्रों में 14750 हेक्टेयर और गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 2500 हेक्टेयर है।

(ग) तथा (घ) मध्य प्रदेश के बस्तर तथा सरगूजा जिलों में परीक्षण रोपण कार्य किया गया। यह प्रयास प्रतिकूल कृषि जलवायु दशाओं के कारण सफल नहीं रहा। सहदोल जिले में भी चाय उगाने की उपयुक्तता हेतु कुछ स्थानों का मूल्यांकन किया गया किन्तु उन्हें भी अनुपयुक्त पाया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पुस्तकों की मांग

656. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रकाशित पुस्तकों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार विशेषत: संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और अफ्रीकी देशों में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त देशों में पुस्तकों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 तथा 1992-93 (अनुमानित) के दौरान किए गए पुस्तकों के निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है :

भारत द्वारा पुस्तकों तथा प्रकाशनों का निर्यात

	1991-92 के दौरान	1992-93 (अनुमानित) के दौरान
	(मिलियन डालर में)	
1. सं० रा० अमरीका	2.2	2.3
2. ब्रिटेन	2.9	3.3
3. अफ्रीका	0.9	1.0

(ग) रसायन और सम्बद्ध उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेबिसल) कलकत्ता पुस्तकों का निर्यात बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। कुछ क्रियाकलाप नीचे दिए गये हैं :

(i) 1992-93 के दौरान नाइजीरिया और केन्या इत्यादि में भारतीय पुस्तकों और प्रकाशनों की प्रदर्शनियां लगाईं तथा प्रतिनिधि मण्डल भेजे।

(ii) भारतीय पुस्तकों और प्रकाशनों विशेषकर विद्यालय और महाविद्यालय की पाठ्यपुस्तकों से परिचय कराने हेतु अफ्रीका के खरीददारों के एक प्रतिनिधि मण्डल को भारत आमन्त्रित किया गया।

(iii) परिषद अगले वित्तीय वर्ष के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से एक प्रतिनिधि मण्डल को अमरीका भेजने तथा संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियां आयोजित करने की भी योजना बना रही है।

(iv) इस्कैप देशों के प्रकाशकों और लेखकों का भारत में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है।

विदेशी ऋण

657. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 तक विदेशी ऋण की धनराशि क्या थी;

(ख) क्या विदेशी ऋण की राशि के परिकलन में लघु अवधि जमाराशियों/ऋणों अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों तथा प्रतिरक्षा ऋणों को भी शामिल किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित तीनों श्रेणियों मे से प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत ऋण की राशि कितनी-कितनी थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा०अबरार अहमद): (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों तथा अल्पावधिक ऋण सहित भारत का कुल विदेशी ऋण 30 सितम्बर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार 726720 लाख अमेरिकी डालर और सिविलियन रुबल ऋण 9780 लाख रुबल होने का अनुमान है। इसके अलावा, 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 21,760 लाख अमेरिकी डालर और 88,990 लाख रुबल का जी० सी० ए० और रुबल रक्षा ऋण भी है। इसके बाद की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि उस अवधि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अल्पावधिक जमा और अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1992 को बकाया ऋण राशि क्रमश: 77,110 लाख अमेरिकी डालर और 56,870 लाख अमेरिकी डालर थी। 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार 21760 लाख अमेरिकी डालर और 88990 लाख रुबल का क्रमश: जी०सी० ए० और रुबल रक्षा ऋण भी है।

चाय का उत्पादन

658. **श्री के० एच० मुनियप्पा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान चाय के उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में चाय के मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) कैलेन्डर वर्ष 1992 के दौरान चाय का उत्पादन 703.93 मि० किग्रा० होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1991 के दौरान यह उत्पादन 741.72 मि० किग्रा० हुआ था। इस प्रकार इसमें 37.79 मि० किग्रा० की गिरावट आई है।

(ख) वर्ष 1992 के दौरान चाय उत्पादन में यह जो गिरावट आई है उसका कारण यह है कि भारत के चाय उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जलवायु की स्थिति प्रतिकूल रही।

(ग) चाय बोर्ड चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास योजनाएं चलाता रहा है। इन योजनाओं में दीर्घावधि ऋण और नये रोपण कार्यों, पुनर्रोपण, पुनर्नवीकरण, सिंचाई सुविधाओं, प्रसंस्करण मशीनों के लिए आर्थिक सहायता एवं अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

डंकेल प्रारूप का किसानों पर प्रभाव

659. **श्री प्रफुल पटेल :**

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री रवि राय :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री शशि प्रकाश :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डंकेल प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे की जांच-पड़ताल हेतु संसदीय समिति को सौंपने का है; और

(घ) इस सम्बन्ध में वाणिज्य सचिव द्वारा हाल में ही आयोजित विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने राजनैतिक दलों के साथ परामर्श शुरू किया है जो अभी पूरा नहीं हुआ है।

(घ) दिसम्बर, 1992 में जेनेवा में हुई वार्ताओं के दौरान भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के बारे में संशोधनों, सुधारों और समझौतों की मांग की है :

(1) वस्त्रों के क्षेत्र में प्रारूप करार की बैंक लोडिंग के विषय पर।

(2) ट्रिप्स के क्षेत्र में अनिवार्य लाइसेंसिंग, चालू हालत में आयात, स्पष्ट संक्रमण अवधि, उत्पत्तिमूलक सामग्री और पौधों की किस्म के संरक्षण की विशिष्ट प्रणाली के विषयों पर;

(3) कृषि के क्षेत्र में खाद्य स्टाक करने, सार्वजनिक वितरण तथा न्यूनतम बाजार प्रवेश के विषय पर; और

(4) सेवाओं के क्षेत्र में—कार्यकुशल तथा व्यावसायिक कार्मिकों के आवागमन के विषय पर।

छोटे तम्बाकू उत्पाद तथा बीडी निर्माताओं के लिए बोर्ड

660. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्जीनिया तम्बाकू की तरह बीडी तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के नियन्त्रण में लाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे तम्बाकू उत्पादक तथा बीडी निर्माताओं के हितों की रक्षार्थ क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार गैर-वर्जीनिया तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) तम्बाकू बोर्ड जो कि वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करता है, के पास वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों के हितों को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए कई विकासात्मक योजनाएं और एक अच्छी नीलामी प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, सरकार गैर वर्जीनिया तम्बाकू के उन बीजों और पौधों के उत्पादन के लिए गैर-योजनास्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जो किसानों को बेचे जाते हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारें गैर-वर्जीनिया तम्बाकू के छोटे उपजकर्ताओं और छोटे स्तर के बीड़ी विनिर्माताओं के हितों का काफी ध्यान रखती हैं।

निर्यात लक्ष्य प्राप्ति योजना

661. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का निर्यात अभी भी आयात पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्यात उत्साह को पुनः स्थापित करने तथा आयात को कम करने के लिये एक अल्पावधि कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आयात सघनता अलग-अलग वस्तुओं के लिये अलग-अलग होती है। जबकि रत्न तथा आभूषणों जैसी उच्च मूल्य वाले उत्पादों के मामले में यह सामान्यतया अधिक होती है, कृषि एवं खनिज मूल के आधारित उत्पादों के निर्यात के मामले में आयात सघनता कम होती है।

(ग) तथा (घ) वस्तु बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ की गई गहन समीक्षा के आधार पर निर्यात को फिर से गति प्रदान करने के लिए एक अल्पावधि कार्य योजना तैयार की गई थी। जो नीतिगत उपाय वाणिज्य मंत्रालय के अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं उन पर वह कार्रवाई कर रहा है उदाहरणार्थ-एक्सिम नीति। जहां तक आयात अंश को कम किये जाने का सम्बन्ध है, एक्सिम नीति, 1992-97 का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा यह भी है कि विदेश व्यापार के नियन्त्रण मुक्त ढांचे के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी हो।

निर्यातकों के लिए स्वघोषित पास बुक योजना

663. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विनिर्दिष्ट निर्यातकों के लिए निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत स्वघोषित पास बुक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां।

विस्तृत प्रक्रिया सहित इस योजना को वाणिज्य मंत्रालय को दिनांक 12-8-92 की सार्वजनिक

सूचना संख्या 37 (पी०एम०)/92-97 के द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। इसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। योजना पर क्रियान्वयन हो रहा है।

राजस्थान में बेरोजगार व्यक्ति

[हिन्दी]

674. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को राजस्थान में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे और उनका वर्गीकरण क्या है; और

(ख) इन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें दौर के आधार पर, 1987-88 के दौरान राजस्थान में सामान्य मौलिक स्तर के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 464,000 होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें से 20.82% शिक्षित (मैट्रिक व उससे ऊपर) थे। 1992 के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भौगोलिक और फसलवार विविधिकृत कृषीय विकास, बंजरभूमि विकास और वानिकी, ग्रामीण गैर-फार्म सैक्टर तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास के विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

राजस्थान की 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं को तथा राज्य के राज्य स्तरीय विकास, संभाव्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, निम्न क्षेत्रों पर मुख्यबल दिया गया है :

1. रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, हेतु कार्यक्रम।
2. मूलभूत सुविधाओं की बाधाओं को दूर करना।
3. सभी गांवो में पेयजल की व्यवस्था करना, 2000 ई०, तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार तथा प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण विस्तार।
4. जनसंख्या वृद्धि की दर से प्रगामी कमी।
5. बागवानी, पशुधर इत्यादि पर बल सहित कृषीय आधार पर विविधीकरण।
6. जल का सर्वाधिक दक्ष उपयोग, जो राज्य का एक नाजुक संसाधन है, तथा।
7. सूखे को दूर करने के क्रियाकलाप इनसे राज्य में पर्याप्त राज्य में पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित होने की सम्भावना है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को स्वायत्तता

665. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुग्ण और आर्थिक रूप से अलाभप्रद कम्पनियों को बन्द करने हेतु औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को अधिक शक्तियां प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) (क) : जी हां।

(ख) सरकार ने गैर-अर्थक्षम कम्पनियों के शीघ्र परिसमापन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) बिल, 1992 पहले ही पेश कर दिया है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

दिल्ली में सड़क दुर्घटना

[हिन्दी]

666. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री डा० लाल बहादुर रावल :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री राजवीर सिंह :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री राम विलास पासवान :
श्री शरद यादव :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री मदनलाल खुराना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों तथा अन्य सेवाओं की बसों के ड्राइवरों द्वारा अंधाधुंध और लापरवाही से बस चलाने के कारण दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा इन बसों के चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) व (ख) दिल्ली में

दिल्ली परिवहन निगम प्रचालन तथा अन्य सेवाओं के अधीन प्रचालित निजी बसों के ड्राइवरों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 तथा 1992 के लिए सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) एस० टी० ए० परमिटों के अधीन चल रही रैड लाइन बसों के लाइसैंस धारी ड्राइवरों के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक पांच दिवसीय सायंकालीन पुन:चर्या-कार्यकुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस स्कीम के अधीन अभी तक 221 ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एस० टी० ए० परमिटों के अधीन चल रही बसों में कार्यरत सभी ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए इस स्कीम को और आगे बढ़ाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सड़क दुर्घटना को न्यूनतम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) ट्रैफिक नियमों एवं विनियमों को कड़ाई से तथा दृढ़ता से लागू करना।

(2) अंधाधुंध और लापरवाही से बस चलाने, रैड लाइन पार करने, सड़क ट्रांजिग, चौराहों पर अप्राधिकृत पार्किंग आदि करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाना।

(3) नोटिस जारी करके उल्लंघन करने वालों को नियमित रूप से दण्डित करना।

(4) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष "मोबाइल" चैकिंग।

(5) अत्यन्त आधुनिक संयंत्रों यथा पैरीस्कोप वैन, रॉडार गन द्वारा दण्ड देना।

(6) नेटवर्क में ट्रैफिक सिग्नलों का समक्रमिक होना।

(7) अंधाधुंध ड्राइविंग के लिए प्रातः सांय, रात में यादृच्छिक तथा सामूहिक चैकिंग

(8) ड्राइवरों को साहित्य का वितरण।

(9) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों, दिल्ली परिवहन निगम प्रचालकों तथा अन्य प्रचालकों के अधीन निजी ड्राइवरों को विशेष सड़क सुरक्षा व्याख्यान।

(10) बस बाक्स, पीले बाक्स इत्यादि की शुरूआत।

विवरण

वर्ष 1991 तथा 1992 के लिए दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	1991	1992
1.	दिल्ली परिवहन निगम के अधीन	111	126
2.	दिल्ली परिवहन निगम	581	508
3.	मिनी बसें	88	111
4.	निजी बसें	596	719
5.	अन्य राज्य बसें	69	61
6.	रैड लाइन	—	8
	कुल	1445	1533

कागज निर्यात एककों पर लेवी

[अनुवाद]

667. **श्री शिवाजी पटनायक :**
श्री उद्धव वर्मन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी कागज निर्माताओं को विदेशी कागज एककों की तुलना में अधिक लेवी का भुगतान करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी और विदेशी एककों पर लगायी गयी लेवी का ब्यौरा क्या है और ऐसी असमानता के क्या कारण हैं ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कागज का उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि इसे स्वदेशी एककों द्वारा निर्मित किया गया है अथवा अन्य एककों द्वारा। आयात शुल्क लगाने के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गए निजी बैंकिंग केन्द्र

668. **प्रो० प्रेम चूमल :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने नई दिल्ली में निजी बैंकिंग केन्द्र खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि नई दिल्ली में एक व्यक्तिगत बैंकिंग बजट स्थापित किया गया है। इस केन्द्र को सौंपे गये कार्य ये हैं : व्यक्तिगत बैंकिंग ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक संसाधन पूल को विकसित करना और उसका रख-रखाव करना, बाजार योग्य व्यावसायिक पैकजों का मूल्यांकन करना, और उन्हें तैयार करना निरंतर आधार पर बाजार सर्वेक्षण/अनुसंधान करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना खरीदारों के व्यवहार का अध्ययन करना और उपयुक्त उत्पादन डिजाइनों का सुझाव देना आदि।

(ग) और (घ) ग्राहक सेवा से सम्बन्धित गोइपोरिया समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं रिहाइशी क्षेत्रों में खोली जाये। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विश्वसनीयता को सुधारने के उद्देश्य से समिति ने सुझाव दिया है कि बैंक व्यक्तिगत और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिये महानगरीय केन्द्रों में चयनात्मक आधार पर उच्च प्रोफाइल वाली व्यक्तिगत बैंकिंग

शाखाएं स्थापित कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इसे कार्यान्वित करने के लिये बैंकों से कह दिया गया है।

अप्रयुक्त विदेशी ऋण

[हिन्दी]

669. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
डा० के० डी० जेस्वाणी :
श्री एच० डी० देवगौडा :
डा० डी० वेंकटेश्वरा राव :
श्री अन्ना जोशी :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों/संस्थाओं द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों में से 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार देश/संस्थान-वार कुल कितनी धनराशि अप्रयुक्त थी ; और

(ख) इस प्रकार के अप्रयुक्त ऋणों का परियोजनावार और राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) सूचना सलंग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना सलंग्न II और III में दी गई है।

विवरण-I

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	देश संख्या	अनाहृरित शेष
1	2	3
1.	ए. डी. बी.	6543.29
2.	आई. बी. आर. डी.	15574.11
3.	आई. डी. ए.	14433.71
4.	आई. एफ. ए. डी.	103.74

1	2	3
5.	ओ. पी. ई. सी.	59.69
6.	आस्ट्रेलिया	40.21
7.	आस्ट्रेलिया	25.42
8.	बेल्जियम	12.73
9.	डेनमार्क	32.34
10.	जर्मनी	2168.32
11.	फ्रांस	720.89
12.	इटली	36.26
13.	जापान	8213.00
14.	कुवैत फंड	124.92
15.	नीदर लैण्ड्स	99.64
16.	सऊदी फंड	153.31
17.	स्वीडन	119.02
18.	स्विट्जर लैण्ड	137.87
19.	यू. एस. ए.	95.43
20.	यू. एस. एस. आर. (पूर्ववर्ती)	12364.47
	जोड़ रु०	61058.37
	अमेरिकी डालर	=19874.54 मिलियन
	(अमेरिकी डालर की विनिमय दर	=30.7219 रुपए)

विवरण-II

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	क्षेत्र	अनाहरित शेष
1	2	3
1.	कृषि	3644.43
2.	ऊर्जा	61.19
3.	ऊर्जा-कोयला	2064.74

1	2	3
4.	ऊर्जा-बिजली	27743.67
5.	ऊर्जा-तेल:	344.56
6.	उर्वरक	487.59
7.	उद्योग	4435.57
8.	आधार भूत संरचना	17.12
9.	आधार भूत संरचना-रेल	2168.82
10.	आधार भूत संरचना-सड़क	2847.79
11.	आधार भूत संरचना-दूर संचार	703.54
12.	आधार भूत संरचना-पत्तन	619.93
13.	आधार भूत संरचना-सामान्य	198.76
14.	सिंचाई	4230.50
15.	सामाजिक	4412.92
16.	शहरी विकास	2817.89
17.	संरचनागत समायोजन	2447.00
18.	अन्य	1812.38
	जोड़ रु०	61058.37

1 अमेरिकी डालर = 30.7219 रुपये की विनिमय दर के हिसाब से = 19874.54 मिलियन अमेरीकी डालर

इसमें सोवियत संघ (पूर्ववर्ती) से सम्बन्धित 12364.47 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

विवरण III

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र	अनाहरित राशि
1	2	3
1.	केन्द्रीय	39455.28
2.	आन्ध्र प्रदेश	2031.77
3.	आसाम	5.18
4.	बिहार	42.38

1	2	3
5.	गुजरात	1620.15
6.	हरियाणा	74.27
7.	हिमाचल प्रदेश	58.51
8.	केरल	513.57
9.	कर्नाटक	2602.88
10.	मध्य प्रदेश	165.86
11.	महाराष्ट्र	3613.73
12.	उड़ीसा	323.01
13.	पंजाब	363.69
14.	राजस्थान	239.92
15.	तमिलनाडु	2574.76
16.	उत्तर प्रदेश	2659.68
17.	पश्चिमी बंगाल	606.09
18.	बहुराज्य	4107 64
	जोड़	61058.37

1 अमेरिकी डालर = 30.7219 रुपए की विनिमय
दर के हिसाब से = 19874.54 मिलियन अमेरिकी डालर

इसमें सोवियत संघ (पूर्ववर्ती) से सम्बन्धित 12364.47 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

रुपया-रुबल विनिमय दर

[अनुवाद]

670. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :
श्री प्रवीन डेका :
श्री के० तुलसिऐया वांडायार :
श्री चित्त बसु :
श्री अन्ना जोशी :
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री राम सिंह कासवां :
श्री इम्बासम्बा :
श्री केशरी लाल :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री पांडुरंग पुंडल्कि फुंडकर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपया-रुबल विनिमय दर के मसले को सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से भारत को कितना लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) रूस के राष्ट्रपति येल्तसिन की जनवरी, 1993 में भारत की हाल ही की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच एक करार सम्पन्न हुआ। इस करार में 1-4-1992 को ऋण की मूलधन राशि को 1978 के पुराने प्रोटोकाल द्वारा निश्चित 1-1-1990 को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रुबल से रुपयों में परिवर्तित करने की व्यवस्था है। (1 रुबल = 19.9169 रुपए) 1-4-1992 की ऋण की मूल राशि को भी 1978 के प्रोटोकाल द्वारा यथा निश्चित 1-4-1992 की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रुबल से रुपयों में परिवर्तित किया जाएगा (1 रुबल = 31 7514 रुपए) उपर्युक्त परिकलन के अनुसार दो राशियों में अन्तर को रुपयों में पुनः निर्धारित किया जाएगा और 45 वर्ष की अवधि में इसकी वार्षिक किश्तों में वापसी अदायगी की जाएगी। इस पुनर्अनुसूचित भाग पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए रुपए के मूल्य में घटबढ़ के विरुद्ध भी कोई संरक्षण नहीं होगा। उसके बाद यदि इस 5 वर्ष की अवधि में रुपए का औसत वार्षिक ह्रास 3 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो इसे एस० डी० आर० से सूचांकित कर दिया जाएगा। प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार की समीक्षा की जाएगी। ऋण के गैर-पुनर्अनुचित भाग की राशि रुपयों में होगी जो 1-1-90 को विनिमय दर पर रुबल ऋण के परिवर्तन के समानुरूप होगी। इसके बाद यह राशि रुपयों में मूल्य वर्गित होगी और ऋण के इस भाग पर मूलधन और ब्याज की वापसी अदायगी भारत द्वारा अंतसंरकार प्रत्येक संगत ऋण करार के लिए प्रवृत्त अनुसूची के अनुसार की जाएगी। ऋण के इस गैर-पुनर्अनुसूचित भाग के मूलधन और ब्याज के संबंध में रुपए में भुगतान तथापि, रुपया-राशि को पांच मुद्राओं की एस०डी०आर० बास्केट के रुपए मूल्य में भावी परिवर्तन के अनुरूप समायोजित करके संरक्षित किया जाएगा। भारतीय माल और सेवाओं के रूस को निर्यात करने के लिए ऋण की वापसी अदायगी का उपयोग करने सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। मात्रात्मक शर्तों पर 1-4-1992 को बकाया रुबल ऋण लगभग 98710 लाख रुबल का था। करार के अनुसार 1-4-1992 को प्रचलित विनिमय दर पर परिकलित यह राशि 31342 करोड़ रुपए होती है। 1-1-90 को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित इस बकाया मूलधन की राशि 19660 करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार 19660 करोड़ रुपए का बकाया मूलधन की ब्याज सहित अदायगी भुगतान की वर्तमान अनुसूची के अनुसार की जाती रहेगी, जबकि 11862 करोड़ रुपए की राशि को 45 वर्ष की अवधि में पुनर्अनुसूचित किया जाएगा।

(ग) करार के अन्तर्गत, पूर्व सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ को भारत के बकाया ऋण का लगभग 37 प्रतिशत अब 45 वर्ष की अवधि के लिए उदार शर्तों पर पुनः अनुसूचित किया गया है। भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात द्वारा ऋण की वापसी अदायगी का प्रावधान भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहन देगा तथा हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के अन्य तरीकों के मजबूत पुनरारंभ के लिए आधार स्थापित करेगा।

आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम के लिए गारंटी में छूट

671. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम को वर्ष 1989-90 की 1.38 करोड़ रुपयों के गारंटी शुल्क के भुगतान में छूट देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम को बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को वर्ष 1989-90 के लिए गारन्टी फीस के भुगतान में छूट देने हेतु अनुरोध किया था।

(ख) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम ने गारन्टी योजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता की गहराई से जांच करने के पश्चात 1990 91 से गारन्टी फीस के भुगतान के क्षेत्राधिकारी से अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को हटाने पर विचार किया था। सभी संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् बोर्ड इस सुविचारित निर्णय पर पहुंचा है कि गारन्टी फीस के भुगतान के क्षेत्राधिकार से अग्रिमों की ऐसी विनिर्दिष्ट श्रेणियों को अलग करने की अनुमति केवल वर्ष 1990-91 से ही दी जाये। निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात और छूट मिल जाने पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार, वर्ष 1991-92 के लिए इसी प्रकार की छूटें दी गई थी और इन्हें अब वर्ष 1992-93 से आगे के वर्षों के लिए स्थायी रूप से कर दिया गया है। लेकिन योजना की अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए यह संभाव्य नहीं पाया गया कि गारन्टी फीस के भुगतान के लिए छूट प्राप्त श्रेणियों का लाभ 1990-91 से पहले तक बढ़ाया जाये। वर्ष 1989-90 में गारन्टी फीस की वसूली सरकारी गारन्टी प्राप्त सभी ऋणों के संबंध में की गई है। यह वसूली केवल आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम के संबंध में ही नहीं की गई है।

निर्यातोन्मुखी कम्पनियां

[हिन्दी]

672. श्री मृत्युंजय नायक :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री रामलखन सिंह यादव :
क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्यातोन्मुखी कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिन्होंने 1992 में अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया है;

(ख) इनमें से उन कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिन्हें निर्यात व्यापार करने से रोक दिया गया है और जिनकी आयात-निर्यात कोड़ संख्या रद्द कर दी गई है;

(ग) क्या उन पर कोई अर्थ दण्ड भी लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चूंकि निर्यातोन्मुख एकक योजना के अन्तर्गत एककों और निर्यात संसाधन जोन के एकको का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। अत: वर्ष 1992-93 के लिए उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण

[अनुवाद]

673. श्री आनन्द अहिरवार :
श्री देवी बक्श सिंह :
श्री एम० वे० राठवा :

श्री मुमताज अंसारी :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री बलराज पासी :
श्री हरिन पाठक :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री ललित उरांव :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में "स्व-रोजगार योजना" के अन्तर्गत देश के वर्ग वार के कितने शिक्षित बेरोजगार और आदिवासी युवाओं को अपनी आजीविका कमाने हेतु ऋण स्वीकृत किये गये;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कितने किसानों को ऋण स्वीकृत किये गये थे;

(ग) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई ऋण राशियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1993-94 में कितने ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है;

(ङ) क्या ऋणों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिन शिक्षित बेरोजगार युवकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण मंजूर किये गये, उनकी राज्यवार/संघ राज्य वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण I में दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित किसानों को संवितरित किये गये अग्रिमों का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है ।

(घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से सम्बन्धित लक्ष्य उद्योग मंत्रालय में विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसानों को ऋण देने का सम्बन्ध है, बैंकों द्वारा इन जातियों के किसानों समेत उद्यमियों को ऋण देने के वास्ते अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ङ) और (च) लाभार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान किये गये ऋणों का दिये गये प्रयोजनों के लिए ही इस्तेमाल करें । अलबत्ता इन ऋणों के दुरुपयोग संबंधी कुछ मामले समय-समय पर बैंकों की जानकारी में आते रहते हैं और सम्बन्धित बैंकों द्वारा ऐसे मामलों पर इन प्रयोजनों के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

विवरण-I

एस० ई० ई० यू० वाई० योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान बैंकों द्वारा मंजूर किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और मंजूर किए गए ऋण की राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक द्वारा मंजूर किए गए मामलों की सं०						मंजूर किए गए ऋण की राशि (लाख रु० में)					
		1989-90			1990-91		1991-92	1989-90		1990-91		1991-92	
		जोड़	अनु० जाति/ अनु०ज०जा०	जोड़	अ०जा०/ अ०ज०जा०	जोड़	अ० जा०/ अ०ज०जा०	जोड़	अ० जा०/ अ०ज०जा०	जोड़	अ० जा०/ अ०ज०जा०	जोड़	अ० जा०/ अ० ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	7404	884	8047	1185	6849	925	1679.47	186.88	1866.63	265.88	1574.83	196.09
2.	असम	3141	518	3067	N.R.	3480	700	1737.41	134.98	822.25	N.R	915.16	202.48
3.	बिहार	9176	1263	11545	2356	8827	1817	2342.91	296.19	3005.63	575.94	2353.03	442.75
4.	गुजरात	5084	387	2419	248	1145	125	722.73	48.51	344.92	30.89	164.26	17.92
5.	हरियाणा	2418	241	2545	420	2502	319	499.35	42.12	543.72	75.84	569.37	58.08
6.	हिमाचल प्रदेश	769	102	870	98	937	10	151.69	20.85	174.88	22.51	193.09	21.70
7.	जम्मू एवं कश्मीर	223	9	236	N.R.	N.R.	N.R.	53.23	1.90	71.88	N.R.	N.R.	N.R.
8.	कर्नाटक	6010	708	5115	1009	4771	730	1181.14	128.00	1069.64	102.61	1047.00	136.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	केरल	8430	130	6249	261	4980	177	1493.29	22.86	1152.22	32.49	880.48	28.31
10.	मध्य प्रदेश	7936	658	6751	NR	7229	1046	1617.86	132.73	1489.36	235.84	1685.10	218.71
11.	महाराष्ट्र	8210	921	9027	1002	10131	1051	1493.12	159.61	1687.69	170.03	1848.40	184.86
12.	मणिपुर	749	252	750	279	750	280	229.09	77.65	242.65	90.10	245.68	90.00
13.	मेघालय	90	90	24	24	NR	NR	17.54	17.54	5.73	5.73	NR	NR
14.	नागालैण्ड	57	57	57	57	95	NR	12.69	12.69	12.69	12.69	25.24	NR
15.	उड़ीसा	4347	836	4578	762	4347	720	1096.63	183.06	1170.91	181.38	1149.40	176.01
16.	पंजाब	7690	731	7463	1040	7167	NR	1801.62	180.37	1714.40	252.58	1443.69	NR
17.	राजस्थान	5127	869	5330	888	5779	1115	842.27	119.82	1159.04	173.93	1298.37	230.44
18.	सिक्किम	17	6	28	12	55	9	3.15	1.60	5.30	2.70	9.85	1.85
19.	तमिलनाडु	8692	599	8015	470	8245	396	1518.78	92.51	1414.00	81.60	1449.31	65.85
20.	त्रिपुरा	183	37	502	50	420	38	46.69	11.25	132.40	14.49	117.70	12.49
21.	उत्तर प्रदेश	13749	1563	13201	1463	11888	1319	3283.86	325.94	3068.70	326.32	2787.02	289.71
22.	पश्चिमी बंगाल	6412	433	4225	202	3056	35	1514.00	96.57	968.99	NR	680.48	4.55
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20	NR	23	NR	30	4	4.50	NR	4.57	NR	6.69	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	22	22	12	12	3.76	3.76	4.71	2.94	2.99	2.99
25.	चण्डीगढ़	90	3	127	13	151	13	22.72	0.65	30.58	2.94	34.90	3.25
26.	दादरा और नागर हवेली	26	7	20	NR	36	13	6.50	1.15	5.00	NR	9.20	3.36
27.	गोवा	124	1	199	NR	NR	NR	33.91	0.30	NR	NR	NR	NR
28.	मिजोरम	109	109	136	136	68	68	29.95	29.95	36.68	36.68	20.34	20.34
29.	पांडिचेरी	230	43	305	40	299	47	33.90	3.86	43.25	4.26	44.04	4.72
30	लक्षद्वीप	20	20	12	12	14	14	3.79	3.79	2.80	2.80	3.40	3.40
31.	दमन और दीव	12	NR	12	1	7	NR	3.49	NR	2.51	0.15	1.85	NR
–	जोड़	106561	11493	101190	12050	93270	11077	22481.04	2337.09	22253.81	2775.27	20557.37	2416.66

टिप्पणी :

1. सूचित नहीं किया गया।
2. 1990-91 और 1991-92 के वर्ष की सूचना अनन्तिम है।

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के विवरण को दर्शाने वाला विवरण —जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (सोल भा० रि० बैंक)

(राशि हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89		1989-90		1990-91	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	11171	44499	9005	40459	7032	35997
हिमाचल प्रदेश	6230	15479	6580	22806	7052	30146
जम्मू व कश्मीर	477	1350	302	1578	313	1836
पंजाब	16798	77981	17612	87477	15091	69118
राजस्थान	29348	107331	25259	93063	26654	116921
चण्डीगढ़	95	397	50	255	20	263
दिल्ली	277	1079	241	939	457	2029
असम	4291	22557	5895	16959	3105	17718
मनिपुर	106	574	272	1472	135	471
मेघालय	227	1052	773	4208	1055	5552
नागालैण्ड	481	4973	891	7252	967	6414
त्रिपुरा	2051	4014	1129	3352	647	2090
अरुणाचल प्रदेश	125	703	179	934	597	1982
मिजोरम	70	1292	93	1648	83	592
सिक्किम	378	1844	448	1945	159	771

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	49911	214588	48630	239783	49205	192362
उड़ीसा	54108	157078	60253	135448	71295	160474
पश्चिम बंगाल	40735	86125	45175	90429	27225	55677
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	42	89	156	410	20	66
मध्य प्रदेश	40222	146996	35636	105896	35465	112768
उत्तर प्रदेश	98300	283320	93086	300861	75723	323507
गुजरात	29028	75683	24306	81599	23916	105314
महाराष्ट्र	53062	203493	33055	125657	62321	226450
दमन और दीव	6	32	2	12	2	13
गोवा	323	1321	107	775	30	127
दादरा व नागर हवेली	34	341	169	375	52	301
आन्ध्र प्रदेश	74225	280148	91909	549859	157132	657202
कर्नाटक	32362	180861	35499	151456	27356	122652
केरल	28281	66349	24752	72327	23042	73379
तमिलनाडु	78973	269369	77937	271618	109960	393564
पांडिचेरी	971	3323	665	2365	756	3156
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
योग	659928	2153271	640066	2413217	723165	2720953

खमरिया स्थित आयुध कारखाने में विस्फोट

[हिन्दी]

674. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास खमरिया स्थित आयुध कारखाने के "भराइ अनुभाग" में 27 जनवरी, 1992 को कोई विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गए तथा इसके परिणाम स्वरूप कितना नुकसान हुआ; और

(ग) मृतकों के परिवारों को कितनी सहायता प्रदान की गई ?

रक्षा मंत्री (शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना के परिणामस्वरूप, निर्माणी के पांच कर्मचारियों की मृत्यु हुई। सम्पत्ति और सामग्री को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) विवरण संलग्न है।

कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त धनराशि देना

[अनुवाद]

375. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण राशि पर किस दर से ब्याज लगाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी समितियों और क्षेत्रीय बैंकों को मौसमी कृषि प्रचालनों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान कर रहा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई ऋण की सामान्य श्रृंखला से उपलब्ध कराई जाती हैं। अच्छी वर्षा होने तथा उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण, फसल ऋणों के लिए मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण की सामान्य श्रृंखला (जी. एल. सी.) की सीमा में वृद्धि करने की मांग की है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने जी. एल. सी. में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि की है और इस प्रकार 1992-93 के लिए इसे 2700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3100 करोड़ रुपए कर दिया है।

(ग) नाबार्ड सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये गये ऋणों पर उसी दर से ब्याज लेता है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड को उधार उपलब्ध करवाता है। नाबार्ड, संस्थाओं की नाबार्ड पर पुनर्वित्त संबंधी निर्भरता के स्तर को देखते हुए 3% से 6.5% तक ब्याज वसूल करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 5% प्रतिवर्ष पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

आ युध निर्माणी, खमरिया, जबलपुर में 27 जनवरी, 93 को हुई भीषण दुर्घटना के कारण मारे गए व्यक्तियों के बारे में किया गया भुगतान

	स्व० श्री अरुपदमनी	स्व० श्री नत्थू	स्व० श्री सुनील कुमार	स्व० श्री पृथ्वी कुमार	स्व० श्री सुमेरा
डी०जी०ओ०एफ० अनुग्रहपूर्वक राशि	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
श्रम कल्याण निधि	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
वूमनस् वैलफेयर एसोशिएसन	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
मृत्यु राहत निधि	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
सहकारी समिति	100	100	100	100	100
अनुभाग दान	430	430	430	430	430
अनुभाग उपदान	11,400	11,580	11,400	11,400	10,325
सामूहिक बीमा	16,998	16,998	16,998	16,014	16,998
कर्मचारी मुआवजा*	83,192	67,776	83,968	74,760	74,760
सामान्य भविष्य निधि	3,626	9,335	9,287	14,162	7,846
छुट्टी का वेतन	3,476	880	3,476	3,476	1,320
अन्तिम वेतन	1,537	1,563	1,537	1,537	1,527
कुल :	1,48,259	1,36,162	1,54,696	1,49,379	1,40,806
पारिवारिक पेंशन (प्रतिमाह)	475	483	लागू नहीं	475	468

* मुआवजे की राशि कमिश्नर, जबलपुर के पास जमा कर दी गई है।

निर्यात तथा व्यापार घरानों को लाइसेंस प्रदान करना

676. **श्री पृथ्वीराज डा० चव्हाण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष आर. ई. पी. लाइसेंस प्रदान करने सम्बन्धी अनेक आवेदन पत्र जे. सी. सी. आई. एण्ड. ई. के विभिन्न कार्यालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी 1993 तक कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ग) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) विलम्ब न होने देने तथा मानदंडों में विसंगतियों को हटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में विशेष आर. ई. पी. लाइसेंस देने का कोई प्रावधान नहीं है। पुरानी नीतियों के तहत विभिन्न पत्तन कार्यालयों में प्रस्तुत किये गये उन आवेदन पत्रों के ब्यौरे जो दिनांक 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार लम्बित पड़े हों, तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

विनिमय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए की मान्यता

[हिन्दी]

677. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने भारतीय रुपये को विनिमय मुद्रा के रूप में मान्यता दी है; और

(ख) अन्य देशों में भारतीय रुपये को विनिमय मुद्रा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) वर्तमान विनिमय विनियमन के अन्तर्गत रुपया मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा नहीं है और इसलिए अन्य देशों द्वारा इसे विनिमय मुद्रा के रूप में मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) 1 मार्च 1992 से शुरू उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन पद्धति रुपए को परिवर्तनीय मुद्रा बनाने की दिशा में एक उपाय है।

बेरोजगार युवक

[अनुवाद]

678. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री महेश कनोडिया :
श्री नरेश कुमार बालियान :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इनकी संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें दौर पर आधारित 1987-88 के दौरान चालू साप्ताहिक स्तर के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या तथा कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अनुवर्ती वर्षों के लिए इस प्रकार के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर मुख्य बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भौगोलिक और फसलवार विविधकृत कृषीय विकास, बंजरभूमि तथा यांत्रिकी के विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के विकास, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विकास योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख नीति के मूल तत्व हैं। परिकल्पित किए गए विभिन्न उपायों से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचाने की आशा है।

विवरण

चालू साप्ताहिक स्तर (1987-88) के आधार पर कुल जनसंख्या में बेरोजगार व्यक्तियों का राज्यवार अनुमान और उनकी प्रतिशतता

राज्य/संघ शासित प्रदेश	बेरोजगारों की संख्या (000)	कुल जनसंख्या में बेरोजगारों की प्रतिशतता
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1490	2.29
2. असम	282	1.53
3. बिहार	942	1.15
4. गुजरात	563	1.52

1	2	3
5. हरियाणा	349	2.11
6. हिमाचल प्रदेश	64	1.27
7. जम्मू और कश्मीर	125	1.68
8. कर्नाटक	569	1.30
9. केरल	1718	6.50
10. मध्य प्रदेश	648	0.98
11. महाराष्ट्र	1091	1.47
12. मणिपुर	9	0.58
13. मेघालय	2	0.14
14. नागालैंड	2	1.76
15. उड़ीसा	614	1.93
16. पंजाब	293	1.43
17. राजस्थान	709	1.75
18. सिक्किम	3	0.93
19. तमिलनाडु	1974	3.47
20. त्रिपुरा	32	1.31
21. उत्तर प्रदेश	1218	0.92
22. पश्चिम बंगाल	1430	2.23
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	1.59
24. अरुणाचल प्रदेश	1	0.11
25. चंडीगढ़	20	3.58
26. दादर और नगर हवेली	नगण्य	0.31
27. दिल्ली	120	1.59
28. गोवा दमन और दीव	39	3.13
29. लक्षद्वीप	3	5.82
30. मिजोरम	नगण्य	0.04
31. पांडिचेरी	40	5.16
अखिल भारत	14354	1.78

टिप्पणी —1. साप्ताहिक स्तरीय अवधारणा द्वारा, बेरोजगार व्यक्ति वह होता है, जिसे यद्यपि कार्य के लिए उपलब्ध होने पर भी संदर्भाधीन सप्ताह के दौरान एक घण्टे के लिए भी कार्य नहीं मिला हो।

2. भारत के महा संजीयक द्वारा प्रकाशित 1981 तथा 1991 के जनगणना आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 1988 के लिए अनुमानित जनसंख्या सम्बन्धी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें दौर की मोटी दरें लागू करते हुए बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में अनुमान लगाया गया है।

3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के रोजगार एवं बेरोजगार संबंधी 43वें दौर (1987-88) के सर्वेक्षण में जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख और कारगिल जिले तथा नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं किए गए हैं।

सिगरेट/तम्बाकू कम्पनियों द्वारा उत्पादन शुल्क की अपवंचना

679. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री प्रभुदयाल कछेरिया :
श्री एम० के० बालियान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सिगरेट निर्माता और तम्बाकू कम्पनियां उत्पादन शुल्क की अपवंचना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी-वार कुल कितने उत्पाद शुल्क की अपवंचना की गयी;

(घ) सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क के अपवंचना की राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा सिगरेट निर्माता और तम्बाकू कम्पनियों के विरुद्ध उत्पादन शुल्क अपवंचन सम्बन्धी मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) और (ग) उन कम्पनियों के नाम जिसके सम्बन्ध में शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाई गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अपवंचन किए गए शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी करना, न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के जरिए अपवंचन किए गए शुल्क की सही-सही राशि का अन्दाजा लगाना और न्यायनिर्णयन में पुष्ट मांगों की वसूली करना शामिल है। पुष्ट मांगों की वसूली भी कम्पनियों द्वारा दायर किए गए स्थगन आवेदनों तथा अपीली स्तर पर दिए गए निर्णय पर निर्भर करती है। ऊपर (ख) और (ग) में उल्लिखित मामलों में से लगभग 9.8 करोड़ रुपये की मांगों की पुष्टि कर ली गई है। इसमें से अब तक लगभग 17 लाख रुपए की राशि जमा/वसूल की जा चुकी है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम मैसर्स	वर्ष	पता लगाए गए अपवंचन की राशि (लाख रु० में)
	सिगरेट निर्माता कम्पनियां		
1.	जे. के. सिगरेट, जम्मू।	1991-92	7.54
		92-93	241.02
		92-93	0.45
2.	मैसर्स श्रीजी सेल्स कारपोरेशन अहमदाबाद।		
	में चन्द्र टोबैक्को लिमिटेड गोडाउन।	92-93	5.05
3.	चन्द्र टोबैक्को कम्पनी, हैदराबाद।	90-91	4 69
		92-93	715.92
4.	पाटलीपुत्र टोबैक्को कम्पनी लि० कलकत्ता।	90-91	0-47
5.	तिरुपति सिगरेट्स लि०, वाराणसी।	90-91	34.09
6.	कानपुर सिगरेट्स लि०, कानपुर।	90-91	1880.00
7.	आई. टी. सी. लि० सहारनपुर।	91-92	519.87
8.	न्यू टोबैक्को कम्पनी लि० कलकत्ता।	90-91	87.00
		91-92	68.00
		92-93	436.00
9.	आई. टी. सी. लि०, बंगलोर।	91-92	323.75
		92-93	417.61
10.	आई. टी. सी. लि० मुंगेर।	90-91	260.00
11.	गोडफे फिलिप्त इंडिया लि०, बम्बई।	92-93	349.00
	टोबैक्को कम्पनियां		
1.	सीजन मंगलौर बीड़ी फैक्टरी, मद्रास।	91-92	0.15
2.	निजाम टोबैक्को कम्पनी, हैदराबाद।	92-93	3.38
3.	ताजमहल टोबैक्को कम्पनी, हैदराबाद।	92-93	0.04
4.	गुप्ता टोबैक्को कम्पनी, दिल्ली।	92-93	0.47
5.	के. के. कार्यालय, दिल्ली।	92-93	0.60
6.	कुबेर इंटरनेशनल, दिल्ली।	92-93	1.28

टिप्पणी—वर्ष 1992-93 की सूचना अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 की अवधि के लिए है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

[हिन्दी]

680. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री नवल किशोर राय :

कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) यह निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुर्नसंरचना के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है। कई माडल तैयार किए गये हैं और सभी पहलुओं से प्रत्येक की प्रभावकारिता की जांच की जा रही है। इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यमान सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक राष्ट्रीय भारतीय ग्रामीण बैंक बनाने का भी एक प्रस्ताव है। अलबत्ता, इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

राज्य सरकारों पर बकाया ऋण

[अनुवाद]

681. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को देय बकाया राशि को उस राशि में से काट लिया गया है जो उन्हें वित्त आयोग के हस्तांतरण के अन्तर्गत वितरित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 के अन्त में प्रत्येक राज्य की बकाया देय राशि और वित्त आयोग के हस्तांतरण में से काटे गए सम्बन्धित राज्य के हिस्से का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त आयोग के हस्तांतरण में से काटी गई राज्यों की देय राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन कटौतियों के बाद भी 1991-92 के अन्त में असम तथा जम्मू कश्मीर द्वारा वित्त मंत्रालय को देय बकाया राशि क्रमश: 468 करोड़ तथा 144 करोड़ रु. थी। 1992-93 की समाप्ति की स्थिति की सूचना साल पूरा होने तक अभी दी जा सकती है।

विवरण

वित्त आयोग के हस्तांतरणों में से काटी गई राज्यों की देय राशियां

(करोड़ रु० में)

राज्य/वर्ष	काटी गई राशि
1991-92	
असम	43.90
जम्मू तथा कश्मीर	142.43
नागालैण्ड	25.50
मिजोरम	2.43
अरुणाचल प्रदेश	2·05
सिक्किम	0.57
उड़ीसा	14.81
केरल	5.89
1992-93 (जनवरी 1993 तक)	
असम	51.76

चाय का निर्यात

682. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने वर्ष 1992-93 के लिए चाय के निर्यात हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चाय के निर्यात में कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए 1200 करोड़ रुपए मूल्य के 210 मि० किग्रा० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) तथा (ग) रूस तथा अन्य स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों द्वारा आर्थिक समस्या के कारण चाय की कम खरीद की वजह से चाय का निर्यात लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना नहीं है।

(घ) सरकार विभिन्न देशों में चाय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजकर चाय निर्यात विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। रूस सहित कुछ स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों के साथ व्यापार संलेख भी किये गये हैं। अन्य देशों को भी हमारी चाय की गुणवत्ता और कीमत प्रतियोगिता-क्षमता बताकर भारतीय चाय की और अधिक मात्रा खरीदने के लिए राजी किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दी गई सहायता

683. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीकृत बैंकों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का वित्तपोषण न करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उड़ीसा में विशेष रूप से बालासोर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसी योजनाओं का वित्तपोषण करना बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित परिवारों के सम्बन्ध में उड़ीसा में और विशेष रूप से बालासोर जिले में बैंकों का कार्य निष्पादन दिया गया है—

	1991-92		1992-93 (अप्रैल-सितम्बर)	
	उड़ीसा	बालासोर	उड़ीसा	बालासोर
हिताधिकारियों की संख्या	111712	8260	22246	531
संवितरित राशि (लाख रुपए)	3869	404	739	23

मोटर यान अधिनियम, 1988

[हिन्दी]

684. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक किये जाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस स्तर पर कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता कि संशोधन वाला विधेयक कब तक पेश किया जाएगा।

विवरण

मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों में किये जाने वाले प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं—

आवेदकों से गैर-परिवहन वाहन चलाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जोर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है यदि उसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है,

—जहां आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चलाने की सक्षमता परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे 7 दिन बीत जाने के बाद पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए,

—अन्य देशों द्वारा जारी किये गये वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को परीक्षा आदि की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी और अन्य देशों द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के आधार पर भारत में लाइसेंस दे दिया जाएगा,

—मोटर वाहनों की आयु निर्धारित करने से संबंधित उपबंधों को हटाना,

— धारा 64 के खंड (ख) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने की शक्ति को राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियों में अंतरित किया जाना,

—एक "आर्टिकुलेटेड" वाहन का परमिट धारक उसके स्वामित्व में सेमी ट्रैलर के साथ किसी आर्टिकुलेटेड वाहन या उसके स्वामित्व वाले किसी आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम मूवर के लिए सेमी ट्रैलर हेतु प्राइम मूवर का प्रयोग कर सकता है,

—किसी व्यक्ति/कम्पनी (जो परिवहन उपक्रम न हो) को दिए जा सकने वाले स्टेट कैरिज परमिटों की अधिकतम संख्या से सम्बन्धित उपबन्ध को हटाना,

—राज्य सरकारों को यह अधिकार देना कि वे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण को किसी रुट पर सड़क की दशा और अतिरिक्त यातायात वहन करने के लिए सड़क की क्षमता को ध्यान में रखते हुए परमिटों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिये निर्देश दे सकें,

—स्टेज कैरिज चलाने और परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु नियम बनाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकार देना,

—ड्राइवर या वाहन के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को यह कर्तव्य निर्धारित करना कि वे घायल व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सक के पास अथवा अस्पताल में पहुंचाएं और चिकित्सक के लिए यह अनिवार्य करना कि वह घायल व्यक्ति का इलाज करें और पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही घायल का इलाज करने की प्रक्रियात्मक ओपचारिकताओं की प्रतिक्षा किये बगैर उसे सभी तरह की चिकित्सा सुविधा प्रदान करे,

—मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 25,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० करना और स्थायी रूप से अपंगता के मामले में मुआवजे की राशि को 12,000 रु० से बढ़ाकर 25,000 रु० करना।

—टक्कर मारकर भाग जाने की दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 8,500 रु० से बढ़ाकर 25,000 रु० करना और गम्भीर रूप से घायल के मामले में मुआवजे की राशि को 2000 रु० से बढ़ाकर 12,500 रु० करना।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण परिवारों को ऋण

[अनुवाद]

685. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धन ग्रामीण किसानों को कितना ऋण दिया गया; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसे ऋण देने में कोई अनियमितता न बरती जाए, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता जून, 1990 और जून, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे तथा सीमांत किसानों को क्रमशः 1407 करोड़ रुपये और 1516 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये।

(ख) ऋणों की मंजूरी और संवितरण में होने वाली देरी और ऐसे ऋण प्रदान करने में बरती गयी किसी भी प्रकार की अनियमितता के बारे में बैंकों को मिलने वाली शिकायतों की उनके द्वारा जांच की जाती है ताकि उचारी कार्रवाई की जा सके। बैंकों द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

पर्यटक कोचों के लिए राष्ट्रीय परमिट

686. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री 6 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न सं०-146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने माल वाहक वाहनों के अनुरूप ही पर्यटक कोचों को राष्ट्रीय परमिट देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब लागू किए जाने की सम्भावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मोटर वाहन नियमावली, 1993 (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) के मसौदे को अधिसूचना सं०-सा. का. नि. सं०-10 (अ) दिनांक 11 जनवरी, 1993 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। इस स्कीम के मसौदे के अनुसार पात्र आपरेटरों को मान्यता प्राप्त पर्यटक सर्किटों पर प्रचालन के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। महानिदेशक, पर्यटन, पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यटक आपरेटरों को यह परमिट प्रदान किये जाएंगे।

(ग) इस स्कीम के मसौदे को दिनांक 10 फरवरी, 1993 को जनता के लिए उपलब्ध करवाया गया था और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 45 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता।

खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्मेलन

687. **श्री हाराधन राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1992 में खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं खानों में सुरक्षा से संबंधित 26-27 दिसम्बर, 1992 को आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन को कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था।

रेड्डी समिति की रिपोर्ट

688. **प्रो० राम कापसे** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में एक सामान्य संहिता बनाने के लिए श्री के. एल. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने केन्द्रीय सरकार को कोई अंतरिम रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें मूल्यांकन, माल का शुल्क निर्धारण, भाडा-गारण, शुल्क प्रतिअदायगी, मॉडवेट, वापसियां आदि जैसे मामलों के सम्बन्ध में है।

(ग) इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

रोजगार कार्यालयों द्वारा आदिवासियों को रोजगार

[हिन्दी]

689. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में नियुक्तियों के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा आदिवासी उम्मीदवारों के नाम नहीं भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां आदिवासियों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है;

(ग) क्या सरकार का रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में आदिवासियों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने का विचार है या ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एवं (ख) रोजगार कार्यालयों की भूमिका अधिसूचित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करने तक की सीमित है। नीतिगत मामले के रूप में, उनमें अनुसूचित जनजातियों सहित पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को पंजीकरण की उनकी वरिष्ठता और योग्यता के अनुसार प्रायोजित किया जाता है। तथापि, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए, रोजगार कार्यालयों द्वारा केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ही प्रायोजित किया जाता है।

(ग) एवं (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रमिकों का पलायन

[अनुवाद]

690. **श्री रवि राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाल ही में मुम्बई और सूरत में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण काफी श्रमिक इन शहरों को छोड़कर अपने-अपने राज्यों को चले गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन श्रमिकों को पुन: बसाने तथा उनके कार्य स्थानों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग

691. **श्री मुमताज अंसारी :**
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवां वेतन आयोग अथवा स्थायी वेतन आयोग नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) पांचवां वेतन आयोग नियुक्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि स्थायी वेतन पुनरीक्षा समिति के गठन करने की कर्मचारी पक्ष की मांग पर जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

[हिन्दी]

692. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री याइमा सिंह युमनाम :
श्री के० वी० थामस :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि के ओवर ड्राफ्ट की अनुमति दी गई;

(ख) क्या सरकार ने कुछ राज्यों या संघशासित क्षेत्रों को ओवर ड्राफ्ट की धनराशि को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओवर ड्राफ्टों में ऐसे परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों के ओवर ड्राफ्ट में रहने के अवसरों की संख्या, ओवरड्राफ्ट में रहने के क्रमिक कार्यदिवसों की संख्या तथा ओवर ड्राफ्ट की अधिकतम धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी व्यापार में कमी

[अनुवाद]

693. श्री चन्द्रजीत यादव :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व "ईस्टर्न ब्लाक" के देशों के साथ रुपयों में व्यापार समाप्त होने तथा 1990-91 तथा 1991-92 में दुर्लभ मुद्रा व्यापार के चलन के कारण पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार देश के विदेश व्यापार में कितनी कमी आई है; और

(ख) सरकार ने विदेशी बाजारों को सुरक्षित रखने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1989-90 से 1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर) के लिए देश के विदेश व्यापार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1990-91 और 1991-92 तथा 1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर) और 1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर) के बीच रुपया में भुगतान करने वाले देशों के साथ विदेश व्यापार में गिरावट उन देशों में राजनैतिक और आर्थिक उथल-पुथल के कारण रही न कि रुपया व्यापार समाप्त होने और दुर्लभ मुद्रा में व्यापार शुरू होने के कारण। वास्तव में, चैकोस्लोवाकिया, रोमानिया और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल जैसे देशों के साथ व्यापार हाल तक रुपया व्यापार आधार पर जारी रहा।

(ख) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में कई परिवर्तन किए गए, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना और आयात टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना था। विदेशी मुद्रा आय का सृजन करने के लिए रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। इन्हें नई निर्यात-आयात नीति में पुनः समाहित किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण और प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाकर इसकी निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है। निर्यात को नई गति देना सुनिश्चित करने के लिए एक अल्पावधि कार्य योजना बनाई गई है। इसके अलावा 34 वस्तुओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्यात में प्रतिवर्ष मूल्य या मात्रा की दृष्टि से 30% वृद्धि करना है। लगभग सभी भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ दुर्लभ मुद्रा व्यापार पर आधारित करार किये गये हैं या किये जा रहे हैं।

विवरण

राज्यों के ओवरड्राफ्ट में रहने के अवसरों की संख्या, क्रमिक कार्यदिवसों की संख्या तथा अधिकतम धनराशि

क्रम संख्या	राज्य	1989-90			1990-91			1991-92		
		ओवरड्राफ्ट में रहने के अवसरों की संख्या	ओवरड्राफ्ट में रहने के क्रमिक कार्यदिवसों की संख्या	ओवरड्राफ्ट की अधिकतम धनराशि (करोड़ रु. में)	ओवरड्राफ्ट में रहने के अवसरों की संख्या	ओवरड्राफ्ट में रहने के क्रमिक कार्यदिवसों की संख्या	ओवरड्राफ्ट की अधिकतम धनराशि (करोड़ रु. में)	ओवरड्राफ्ट में रहने के अवसरों की संख्या	ओवरड्राफ्ट में रहने के क्रमिक कार्यदिवसों की संख्या	ओवरड्राफ्ट की अधिकतम धनराशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	2.04	2	9	15.43	3	9	5.48
2.	असम	5	15	187.55	26	83	149.81	18	75	60.89
3.	बिहार	3	4	31.20	5	15	140.56	15	62	237.28
4.	गुजरात	1	3	36.37	4	8	26.71	21	60	154.25
5.	हरियाणा	1	1	2.77	4	12	12.56	1	1	0.64
6.	हिमाचल प्रदेश	20	80	88.13	13	55	74.98	18	72	49.71
7.	कर्नाटक	4	12	49.99	4	9	15.54	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	केरल	18	70	45.38	21	81	78.77	30	130	156.76
9.	मध्य प्रदेश	15	51	177.22	14	49	95.54	37	162	212.68
10.	मणिपुर	5	21	10.94	9	41	13.36	25	114	18.53
11.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मिजोरम	17	59	19.58	3	9	4.14	7	20	19.79
13.	नागालैण्ड	9	39	18.43	3	7	30.51	16	64	31.05
14.	उड़ीसा	12	33	59.54	13	47	49.62	5	25	113.18
15.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	राजस्थान	14	49	89.52	1	6	21.16	7	24	40.66
17.	तमिलनाडु	15	30	70.02	11	24	143.47	12	36	234.33
18.	त्रिपुरा	13	52	10.73	10	43	11.28	6	23	19.31
19.	उत्तर प्रदेश	2	4	64.00	14	40	223.85	11	38	347.95
20.	पश्चिमी बंगाल	—	—	—	1	1	5.33	13	41	259.00

विवरण

भारत का विदेश व्यापार

रुपए में (करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यात			आयात
	रुपया भुगतान क्षेत्र	सामान्य मुद्रा क्षेत्र	योग	
1989-90	5171	22590	27761	35416
	(63.6)	(31.9)	(36.8)	(27.9)
1990-91	5661	26892	32553	41193
	(9.5)	(19.5)	(17.6)	(22.0)
1991-92	4433	39609	44042	47851
	(-21.7)	(47.3)	(35.3)	(10.0)
1992-93	1357	35972	37329	47488
(अप्रैल-दिसम्बर)	(-57.6)	(32.6)	(23.1)	(38.7)

डालर में मिलियन अमरिकी डालर

वर्ष	निर्यात			आयात
	रुपया भुगतान	सामान्य मुद्रा	योग	
1989-90	3106	13520	16626	21272
	(42.3)	(14.7)	(19.0)	(9.1)
1990-91	3155	14988	18143	24073
	(1.6)	(10.9)	(9.1)	(13.2)
1991-92	1798	16067	17865	19411
	(-43.0)	(7.2)	(-1.5)	(-19.4)
1992-93	475	12600	13075	16631
(अप्रैल-दिसम्बर)	(-64.4)	(11.4)	(3.4)	(16.5)

टिप्पणी : कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महा निदेशालय, कलकत्ता

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

[हिन्दी]

694. श्री चिन्मयानन्द :

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन सभी को पेंशन सुविधा का लाभ दिया जा रहा है;

(ग) क्या उनकी पेंशन में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में विश्वस्त आंकड़े एकत्र करने के लिए जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से 15 मई, 1992 से भूतपूर्व सैनिकों की गणना की जा रही है। पात्र भूतपूर्व सैनिकों को पहचान-पत्र जारी किये जा रहे हैं। 31 दिसम्बर, 1992 तक 9, 20, 139 भूतपूर्व सैनिकों को पहचान-पत्र जारी किये गये थे। सैनिक बोर्डों के माध्यम से गणना का कार्य अभी भी जारी है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) केवल वे भूतपूर्व सैनिक जो पेंशन पाने के हकदार हैं, वे ही पेंशन पा रहे हैं। फिलहाल सशस्त्र सेना पेंशनरों को देय पेंशन लाभों में बढ़ोतरी का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

देश के भूतपूर्व सैनिकों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	जिला सैनिक बोर्डों द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या (31-12-93 तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30,370
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
3.	असम	6,412
4.	बिहार	29,520
5.	गोवा	877
6.	गुजरात	5,068.
7.	हरियाणा	98,518
8.	हिमाचल प्रदेश	53,328

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	28,967
10.	कर्नाटक	28,471
11.	केरल	89,907
12.	मध्य प्रदेश	14,675
13.	महाराष्ट्र	76,114
14.	मणिपुर	1,808
15.	मेघालय	1,210
16.	मिजोरम	2,937
17.	नागालैंड	1,102
18.	उड़ीसा	7,136
19.	पंजाब	1,25,598
20.	राजस्थान	58,363
21.	सिक्कम	837
22.	तमिलनाडु	72,768
23.	त्रिपुरा	862
24.	उत्तर प्रदेश	1,46,564
25.	पश्चिम बंगाल	15,944
संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	266
27.	चंडीगढ़	3,122
28.	दिल्ली	18,404
29.	पांडिचेरी	991
	जोड़	9,20,139

रुपए के मूल्य में गिरावट

695. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **वित्त मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए के वास्तविक मूल्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) रुपए के मूल्य को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम रूप में मापा जाता है। रुपए का मूल्य (1982 को आधार मान कर) 1990 में 54 पैसे से 1992 में गिरकर 42 पैसे रह गया है। रुपए के मूल्य में गिरावट का कारण पिछले तीन वर्षों में रहन-सहन के खर्च के सूचकांक में वृद्धि होना है, यह 1990 में 186 से बढ़कर 1992 में 237 हो गया।

(ग) सरकार ने वृहत आर्थिक स्थिरीकरण और मूल्य स्थिरता के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें, राजकोषीय घाटे पर कड़ा नियंत्रण, सख्त मौद्रिक नीति, समय पर गेहूं और चावल के आयातों के जरिये खाद्यान्न पूर्ति को बढ़ाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं। खरीफ की अच्छी फसल के साथ, इन उपायों के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता वस्तुओं में मुद्रास्फीति में जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया है इसमें तेजी से गिरावट आने के कारण यह मार्च, 1992 में 139 प्रतिशत से गिरकर दिसम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) में 8.0 प्रतिशत रह गई।

निर्यात व्यापार के संबंध में कार्य दल की सिफारिश

[अनुवाद]

696. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अत्यधिक संकेंद्रित उत्पादन समूहों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सामान्य एवं वस्तु-विशेष से सम्बन्धित दोनों प्रकार की सिफारिशें वृहत आर्थिक नीति, प्रक्रिया-सरलीकरण, बुनियादी सुविधाओं में सुधार और संस्थागत प्रबन्धों से सम्बन्धित है। अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो कर नीति में संशोधन तथा निर्यात ऋण हेतु बेहतर शर्तों के बारे में हैं। कुछ बिन्दु तो क्रियाविधियों के सरलीकरण और प्रक्रिया को चुस्त बनाए जाने के सम्बन्ध में हैं जबकि कुछ अन्य बिन्दु बेहतर बुनियादी सुविधाओं तथा संस्थागत ढांचे के सृजन के बारे में हैं।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है और अनेक निर्णय पहले ही ले लिए हैं जिसमें ये शामिल हैं—निर्यात ऋण पर ब्याज दर में गिरावट, निर्यात क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश, अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर भाड़ा केन्द्रों को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोलना देश में पैकेजिंग सामग्री के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना, निर्यात दायित्वों को पूरा करने हेतु बैंक गारन्टियों सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण, आदि।

सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यात में कमी

697. **श्री बलराज पासी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को किये जाने वाले निर्यात में गत छः माह के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए, निर्यात एवं आयात के उदारीकरण हेतु सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं : निर्यात से जुड़े हुए आयात का प्रावधान, आयात लाइसेंसिंग में कमी, निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत करना तथा नीति एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बना कर प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना।

ब्रिटेन के व्यापारियों की यात्रा

698. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री जॉन मेजर की भारत यात्रा के दौरान ब्रिटेन के व्यापारियों के एक दल ने भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यात्रा के दौरान, यदि कोई समझौता हुआ हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत तथा ब्रिटेन के बीच विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत के फलस्वरूप भारत ब्रिटेन साझेदारी का सूत्रपात हुआ है जिसका उद्देश्य व्यापार, पूंजी निवेश और तकनालाजी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा, ब्रिटिश तथा भारतीय फर्मों के बीच गैस की सप्लाई तथा बितरण और साफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं।

यातायात सुरक्षा नीति

[हिन्दी]

699. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यातायात सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ग) विशेषत: महानगरों में इस नीति को कब तक लागू किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) वर्ष 2001 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करके 25,000 तक लाने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करके दो लाख तक ले आने के उद्देश्य से तैयार किया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का एक मसौदा 21 जनवरी, 1993 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की नई दिल्ली में हुई बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह मसौदा (यथा संलग्न विवरण) नीति के आधार पर बनाया गया था। परिषद ने, विचार-विमर्श के पश्चात् नौ-सदस्यों वाले एक विशेषज्ञ-दल का गठन किए जाने की सिफारिश की जो, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श/प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकारों और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्यों से और सुझाव प्राप्त होने के पश्चात

सड़क सुरक्षा नीति सम्बन्धी दस्तावेज के मसौदे को अन्तिम रूप देगा। विशेषज्ञ दल का गठन कर दिया गया है और इसे अपनी रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह दल अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की उप समिति को प्रस्तुत करेगा जिसके अध्यक्ष जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री हैं और जो इसे, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की इस वर्ष बाद में होने वाली एक विशेष बैठक में विचारार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत करने के लिए, अन्तिम रूप देगी।

विवरण

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

1990 के दशक और इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दुर्घटाओं को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति तैयार करनी होगी। सन् 2001 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या को कम करके 25,000 तक रखने तथा उसी अवधि में कुल दुर्घटनाओं की संख्या को कम करके 2 लाख तक रखना प्रारम्भिक लक्ष्य होगा। सड़क सुरक्षा के बारे में हमारी आधारभूत नीति यह होनी चाहिए कि जानें बचाई जाएं और गम्भीर तथा दुर्बल चोटों को कम किया जाए, जीवन की गुणवत्ता की हानि तथा सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम के अवसरों को कम किया जाए।

समग्र राष्ट्रीय लक्ष्य

(i) सन् 2001 से पहले सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी करके उसे 25,000 तक तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी करके उसे 2 लाख तक करना।

(ii) दोनों, घरेलू तथा अन्तर राष्ट्रीय मुख्य तकनीकी विकास का लाभ उठाना जिससे कि सन् 2001 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनकी गम्भीरता में कमी की जा सके।

(iii) सन् 2001 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी सड़क प्रयोक्ताओं का व्यवहार इस प्रकार से सुधारा जा सके जिससे कि समाज के एक छोटे हिस्से के लिए ही प्रवर्तन सम्बन्धी कार्रवाई करने की आवश्यता हो।

(iv) ऐसे प्रयास किए जाए जिससे कि 31 दिसम्बर, 1994 तक केन्द्रीय और प्रादेशिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, शहरी विकास सूचना एवं प्रसारण और गृह विभागीय कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों को निगमित किया जा सके।

(vi) 31 दिसम्बर, 1993 तक सभी सरकारी तथा अन्य एजेंसियां अलग-अलग नीतियां तथा कार्य योजना तैयार करेंगी जिनका उद्देश्य होगा। 1990 के दशक में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार कमी की जा सके।

सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वियन के निम्नलिखित आधारभूत परिणाम होने चाहिए :—

—सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों तथा गम्भीर चोटों में लगातार कमी।

—सुरक्षित सड़क तथा वाहन।

—योग्य सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा।

—बेहतर चालक शिक्षा।

—स्कूलों में उच्च स्तर की सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा।

—विशेष कर रिहायशी क्षेत्रों में शान्त यातायात।

—भारी वाहनों की अच्छी सुरक्षा।

—बेहतर सार्वजनिक परिवहन।

—सरकारी कम और स्व विनियम अधिक।

—केन्द्र और राज्य/संघ शासित राज्यों, पुलिस स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य सेवा दलों के बीच समन्वय।

—परिवहन प्रचालन हेतु बेहतर आधारभूत सुविधाएं।

—समाज का अधिक सहयोग।

—सदमें का बेहतर इलाज।

उपर्युक्त प्रत्येक नीति को खण्डों में विभाजित करने तथा कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 का रख रखाव

[अनुवाद]

700. **श्री सुधीर सावंत** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-17 यातायात के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस राजमार्ग की मरम्मत के लिये क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) 1992-93 के दौरान इस हेतु कितना धन दिया गया ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को उपलब्ध राशियों के आधार पर ट्रैफिक योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए राज्यों को समग्र रूप से राशियां आबंटित की जाती है। तथापि, वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के रख रखाव के लिए निम्नलिखित राशियां आबंटित की गई है :

	लाख रु०
महाराष्ट्र	267.56
गोवा	161.43
कर्नाटक	260.00
केरल	235.00
	923.99

सैनिक स्टेशन तथा छावनी बोर्ड

701. **श्री हरिन पाठक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1947 के बाद स्थापित की गयी छावनियों तथा सैनिक स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक की स्थापना कब-कब की गयी;

(ख) देश में 31 जनवरी, 1992 तक छावनियों तथा सैनिक स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक छावनी और सैनिक स्टेशन के पास कितना-कितना भूमि क्षेत्र है;

(ग) छावनी तथा सैनिक स्टेशन की स्थापना करने हेतु क्या मानदण्ड है;

(घ) क्या सरकार ने 1962 के बाद किसी छावनी की स्थापना नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री श्री शरद पवार : (क) से (ङ) 31-1-1992 तक देश में कुल 361 छावनियां और सैन्य स्टेशन हैं। इनमें से छः छावनियां और 299 सेना स्टेशन 1947 में स्थापित किये गए थे। छावनियों और सैन्य स्टेशनों के क्षेत्र-वार और राज्य-वार विवरण-I में दिये गये हैं 1947 के बाद स्थापित की गई छः छावनियों की स्थापना की तारीखें विवरण-II में दी गई हैं। जहां तक सैन्य स्टेशनों की स्थापना की तारिखों का उल्लेख करने का सम्बन्ध है उनकी कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती क्योंकि रक्षा सम्बन्धी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन स्टेशनों का विकास धीरे-धीरे हुआ है जिनमें हमेशा परिवर्तन की गुंजाइश बनी रही है। प्रत्येक सैन्य स्टेशन के बारे में और अधिक सूचना लोक हित में प्रकट नहीं की जा सकती है।

2. छावनी और सैन्य स्टेशन में मुख्य अन्तर यह है कि छावनियों में सैनिक टुकड़ियों के अलावा काफी मात्रा में सिविल जनसंख्या भी रहती है जबकि खासकर अधिसूचित सिविल क्षेत्रों में सैन्य स्टेशन केवल सैनिकों की तैनाती के लिये हैं। इसके अलावा, छावनियों में नागरिक सेवाएं छावनी बोर्डों द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, जो छावनी अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत स्थापिता स्थानीय निकाय हैं। सैन्य स्टेशनों में इन सेवाओं की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है।

3. यह सत्य है कि 1962 से किसी भी छावनी की स्थापना नहीं हुई है। रक्षा बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालने के अलावा छावनियों में बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं इसलिये मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छावनियों को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

विवरण-I

31-1-1992 तक छावनियों और सेना स्टेशनों तथा इनके द्वारा धारित भूमि क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य का नाम	छावनियों की संख्या	भूमि क्षेत्र एकड़ में	सैन्य स्टेशनों की संख्या	भूमि क्षेत्र (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	7	30635.26	12	21810.48
2.	गुजरात	1	1116.11	8	6506.93
3.	कर्नाटक	1	434.18	1	4303.36

1	2	3	4	5	6
4.	केरल	1	309.13	5	633.11
5.	राजस्थान	2	5437.61	14	47335.44
6.	तमिलनाडु	2	4147.13	6	1323 04
7.	आन्ध्र प्रदेश	1	8906.78	27	3773.47
8.	हरियाणा	1	5843.91	2	7214.79
9.	पंजाब	3	15109.16	43	54473.09
10.	हिमाचल प्रदेश	7	4766.56	5	3197.17
11.	पश्चिम बंगाल	3	1588.83	19	18272.09
12.	असम	—	—	26	11725.21
13.	उत्तर प्रदेश	22	51160.60	22	18463.49
14.	मध्य प्रदेश	5	18444.95	13	4967.77
15.	बिहार	2	2420.52	7	7297.72
16.	जम्मू और कश्मीर	2	5456.18	52	32340.53
17.	उड़ीसा	—	—	7	2718.47
18.	त्रिपुरा	—	—	2	1788.13
19.	सिक्किम	—	—	16	420.99
20.	मणिपुर	—	—	2	504.80
21	गोवा	—	—	3	794·18
22.	चंडीगढ़	—	—	1	7538.81
23.	दिल्ली/नई दिल्ली	1	8851.22	1	2841.25
2.4	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	4	2438.89
25.	मेघालय	1	1407.74	1	14.00
		62		299	

विवरण-II

1947 में स्थापित की गई छावनियों का ब्यौरा

क्र० सं०	छावनी का नाम	स्थापना की तारीख
1.	जम्मू	27-09-54
2.	बादामीबाग	27-09-54
3.	मोरार	23-04-56
4.	देहू रोड	06-10-58
5.	बबीना	22-08-59
6.	अजमेर	01-01-62

बीड़ी मजदूर

[हिन्दी]

702. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी मजदूरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उन बीड़ी मजदूरों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनकी भविष्य निधि की राशि कारखाना मालिकों द्वारा नियमित रूप से जमा की जाती है;

(ग) राज्यवार बीड़ी कारखाना मालिकों पर वर्ष 1991-92 तक की भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) देश में राज्यवार बीड़ी कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

(ख) राज्यवार ब्यौरे विवरण-II पर हैं।

(ग) विवरण एकत्र किए जा रहे हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी चूककर्ता कारखानों के विरुद्ध भविष्य निधि राशियां वसूल करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाईयां कर रहे हैं :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि कानूनों के अन्तर्गत अभियोजन दायर किए गए हैं।

(ii) सभी विलम्बित अदायगियों पर हर्जाना लगाया जाता है।

(iii) जहां कहीं आवश्यकता हो छूट निरस्त की जाती हैं।

विवरण-I

देश में राज्यवार 30-9-92 की स्थिति के अनुसार बीड़ी कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	बीड़ी कर्मकारों की संख्या
1	2	3
1.	कर्नाटक	3,55,244
2.	केरल	1,21,331
3.	उत्तर प्रदेश	4,50,000
4.	राजस्थान	2,79,000
5.	गुजरात	2,03,000
6.	उड़ीसा	1,60,000

1	2	3
7.	पश्चिम बंगाल	4,50,000
8.	त्रिपुरा	0,05,000
9.	असम	0,07,725
10.	आंध्र प्रदेश	6,00,000
11.	तमिलनाडु	6,00,000
12.	मध्य प्रदेश	6,00,000
13.	महाराष्ट्र	2,50,000
14.	बिहार	3,91,000
	कुल :	44,72,800

विवरण-II

क्षेत्र	31-3-92 की स्थिति के अनुसार गृह कर्मकारों सहित अंशदाताओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2,87,657
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	642
बिहार	2,847
दिल्ली	—
गुजरात	418
हरियाणा	—
कर्नाटक	2,63,398
केरल	1,02,632
मध्य प्रदेश	71,642
महाराष्ट्र	1,18,637
उड़ीसा	5,160
पंजाब	—
राजस्थान	7,902
तमिलनाडु	2,61,348
उत्तर प्रदेश	1,750
प० बंगाल	37,158
जोड़	11,61,191

कोचीन शिपयार्ड

[अनुवाद]

703. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड नये जहाजों के क्रयादेश न मिलने के कारण संकट में है,

(ख) यदि हां, तो इस शिपयार्ड की क्रयादेश पुस्तिका की नवीनतम स्थिति क्या है,

(ग) 1992-93 के दौरान कुल मिला कर शिपयार्ड का कार्य-निष्पादन कैसा रहा, और

(घ) सरकार ने शिपयार्ड की दशा सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन शिपयार्ड के पास इस समय 86,000 डी० डब्ल्यू० टी० के कूड आयल टैंकर के निर्माण का आर्डर है।

(ग) शिपयार्ड को वर्ष 1992-93 के दौरान 12.56 करोड़ रु० का लेखा घाटा होने की सम्भावना है जबकि पिछले वर्ष 14.92 करोड़ रु० का लेखा घाटा हुआ था।

(घ) शिपयार्ड को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा रहा है :

(i) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूंजीगत पुर्नसंरचना जिसमें ब्याज छूट, योजनागत/पूंजीगत ऋणों के पुर्नभुगतान पर स्थगन, संसाधन ऋणों को माफ करना आदि शामिल है।

(ii) जहाज निर्माण उद्योग के लिए राहत पैकेज तथा मूल्य निर्धारण फार्मूला का संशोधन और भारतीय यार्डों को आर्डर देने वाली नौवहन कम्पनियों के लिए आसान शर्तों पर यार्ड क्रेडिट का विस्तार।

क्रेडिट कार्ड सुविधा

[हिन्दी]

704. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा "क्रेडिट कार्ड" की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या क्रेडिट कार्डों की मांग में वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार ने बैंकों के लिए कोई दिशा-निर्देश तय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :

1. आंध्रा बैंक, 2. बैंक ऑफ बड़ौदा, 3. बैंक ऑफ इण्डिया, 4. विजया बैंक, 5. केनारा बैंक, 6. इलाहाबाद बैंक, 7. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 8. सिंडिकेट बैंक, 9. यूनियन बैंक ऑफ

इण्डिया, 10. कारपोरेशन बैंक, 11. पंजाब एंड सिंध बैंक, 12. देना बैंक, 13. इण्डियन ओवरसीज बैंक, 14. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 15. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 16. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 1989 में वाणिज्यिक बैंकों को इस बात पर बल देते हुए निर्देश जारी किए थे कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि क्रेडिट कार्ड के कारोबार को सुदृढ़ आधार पर चलाया जाए, क्रेडिट कार्ड चयनात्मक आधार पर जारी किए जाएं ताकि अशोध्य ऋणों/धोखाधड़ियां कम से कम हों और कार्ड धारकों से बकाया की तुरन्त वसूली के लिए उनके पास पर्याप्त तंत्र होना चाहिए। बैंकों को यह भी परामर्श दिए गए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि लेनदेनों के लेखा/संसाधानों में कोई अनावश्यक बकाया न हो। नवम्बर 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह भी कहा गया था कि वे एक व्यापक अर्ध वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें तथा उन्हें अपने-अपने निदेशक मण्डलों को प्रस्तुत करें, जिनकी प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी जाएं।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय मार्गों का विकास

[अनुवाद]

705. श्री एम० डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि में राज्य में राष्ट्रीय मार्गों के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाही की तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं योजनावधि के लिये तमिलनाडु सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये 1120.50 करोड़ रु० के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) निधियों की उपलब्धता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की गई हैं :

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1.	रा० रा० 45 पर 22/4 कि० मी० से 24/0 कि० मी० तक के मौजूदा कैरिजवे को चौड़ा करके/सुधार करके चार लेन का बनाना।	49.60
2.	रा० रा० 7 के 249/2 कि० मी० से 259/200 कि० मी० तक (बी०एस० एम० खण्ड) के नामाखल बाईपास की भूमि का अधिग्रहण।	83.11

क्रम सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु०)
(iii)	रा० रा०-5 पर 9/2 कि०मी० से 12/4 कि० मी० पर स्लैब लिबर्ट का निर्माण।	17.98
(iv)	रा० रा०-45 से 64/4 कि०मी० पर नए पोलर पुल के लिए टॉल की उगाही।	24.00

विभागीय लेखा सुधारों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति

706. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने द्वारा 1976 में लागू किये गये विभागीय लेखा सुधारों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक उच्चधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की थी;

(ख) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और उन पर निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विशिष्ट व्यक्तियों के पत्र

707. **श्री जगत वीर सिंह द्रोग** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1992 में तथा जनवरी और फरवरी, 1993 के दौरान अब तक विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा राजस्व विभाग को लिखे गये तथा कराधान मामलों से सम्बन्धित बड़ी संख्या में पत्रों का उत्तर नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पत्रों का शीघ्र उत्तर देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त हुए पत्रों का निपटान सामान्यतया प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। लेकिन, बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर ऐसे पत्रों का उत्तर गोपनीयता के आधार पर बजट के पेश होने तक नहीं दिया जाता है, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बजट-प्रस्तावों के मामलों से होता है। बजट पेश होने के पश्चात् इन पत्रों का उत्तर शीघ्र सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जाएंगे।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को भत्ता

709. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे व्यक्तियों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्धों के बावजूद अब तक कितना भत्ता दे रही है;

(ख) क्या सरकार ने ए० एम० पी० कार्यक्रमों में विदेशी प्रशिक्षण अवयव को शामिल करने के लिये कदम उठाये है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) कोलम्बो योजना के अधीन विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गये प्रशिक्षु भारतीय रिजर्व बैंकों के निर्धारित मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुसार प्रासंगिक व्यय के लिए बाजार दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अनुमत हैं।

(ख) से (ङ) सरकार सिद्धान्त : 1993-94 के दौरान और उससे आगे चलाये जाने वाले उन्नत प्रबन्ध कार्यक्रमों में विदेशी प्रशिक्षण अवयव को शामिल करने के लिए सहमत हो गयी है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बाण्ड जारी करना

[हिन्दी]

716. **श्री केशरी लाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त नियम का संसाधन जुटाने हेतु बाण्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) तथा (ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) को केवल ऐसे बाण्डों और डिबेंचरों को जारी करने की अनुमति है, जिनकी गारण्टी भारत सरकार द्वारा दी गई होती है। आई० एफ० सी० कानून उसे ऐसे बांडों तथा डिबेंचरों को जारी करने की अनुमति नहीं देता, जिन्हें सरकार की गारण्टी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार आई० एफ० सी० आई० को ऋण लेने के लिए बाजार तक पहुंच उपलब्ध नहीं है।

1992-93 (अप्रैल से जनवरी) के दौरान सरकार की गारण्टी वाले बाण्डों को जारी करके आई० एफ० सी० आई० द्वारा जुटाई गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(धनराशि करोड़ रुपए में)

जारी करने की तारीख	जारी धनराशि	अभिदत्त धनराशि
14 सितम्बर, 92	200	199.72
8 अक्तूबर, 92	200	219.99
28 जनवरी, 93	98.39	98.35
	518.39	518.06

चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान आई० एफ०सी०आई० का कोई और बॉण्ड जारी करने का विचार नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत वित्तीय कम्पनियां

711. **श्री ललित उरांव** : क्या वित्त मन्त्री 10 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला-वार, कितनी एवं किन शर्तों पर गैर-सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें/कम्पनियां/चिटफंड्स और इन्वेस्टमेंट कम्पनियां पंजीकृत की गई सम्बन्धी जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, यह कब तक एकत्रित हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को उससे रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 31-3-1992 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की डाक सूची में रखी गई निजी गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं/कम्पनियों की संख्या से सम्बन्धित जिला-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-3-1992 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत निजी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/कम्पनियों की संख्या

राज्य	जिला	चिटफण्ड कम्पनियों की संख्या	निवेश कम्पनियों की संख्या	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/कम्पनियों (कालम 3 और 4 में दिए गए) की संख्या
1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
	दिल्ली	852	317	2082
	चण्डीगढ़	1	—	141
गोवा				
	उत्तर गोवा	—	3	4
	दक्षिण गोवा	—	2	5
पश्चिम बंगाल				
	कलकत्ता	—	120	291
	दार्जिलिंग	—	—	1

1	2	3	4	5
	हावड़ा	—	1	7
	मिदनापोर	—	—	11
	नदिया	—	—	1
	उत्तर 24 परगना	—	—	2
	दक्षिण 24 परगना	—	—	1
उत्तर प्रदेश				
	आगरा	1	2	16
	अलीगढ़	—	1	7
	इलाहाबाद	—	7	20
	अलमोढ़ा	—	—	—
	आजमगढ़	—	1	1
	बहराइच	—	—	—
	बलिया	—	—	2
	बांदा	—	—	1
	बाराबंकी	—	—	1
	बरेली	—	4	31
	बस्ती	—	1	2
	बिजनोर	—	3	8
	बदायूं	—	—	6
	बुलन्दशहर	—	—	6
	चमोली	—	—	—
	देहरादून	—	10	15
	देवरिया	—	2	3
	एटा	—	3	10
	इटावा	—	—	—
	फैजाबाद	—	1	4
	फररुखाबाद	—	3	18
	फतेहपुर	—	—	1
	गढ़वाल	—	—	—
	गाजियाबाद	—	3	16
	गाजिपुर	—	—	—

1	2	3	4	5
	गोंडा	—	—	—
	गोरखपुर	—	—	6
	हमीरपुर	—	—	1
	हरदोई	—	—	1
	जालौन	—	—	—
	जौनपुर	—	1	3
	झांसी	—	—	—
	कानपुर (ग्रामीण) कानपुर (शहरी)	4	37	83
	खीरी	—	—	—
	ललितपुर	—	—	—
	लखनऊ	13	13	86
	मैनपुरी	—	—	1
	मथुरा	—	8	8
	मेरठ	2	2	3
	मिर्जापुर	—	1	3
	मोरदाबाद	—	2	5
	मुजफ्फरनगर	—	3	8
	नैनीताल	—	—	4
	पीलीभीत	—	—	6
	पिथौरागढ़	—	—	—
	प्रतापगढ़	—	—	5
	राय बरेली	—	—	—
	रामपुर	—	—	4
	सहारनपुर	3	1	6
	शाहजहांपुर	—	—	3
	सीतापुर	—	—	—
	सुल्तानपुर	—	—	—
	टिहरी गढ़वाल	—	—	—
	उन्नाव	—	1	4
	उत्तर काशी	—	—	—

1	2	3	4	5
	वाराणसी	—	6	23
	हरिद्वार	9	—	15
	मउ	—	—	—
	सिद्धार्थ नगर	—	—	—
	फिरोजाबाद	—	—	—
	सोनभद्रा	—	—	—
	महाराजगंज	—	—	—
तमिलनाडु				
	अरुपुकोट्टई	—	—	1
	कामराज जिला	1	—	6
	चेंगलपेट ऐमजी आर जिला	24	33	135
	कोयम्बटूर	1	1	4
	धेनकानल अन्ना जिला	—	—	—
	धर्मपुरी	—	—	3
	इरोड पेरियार जिला	2	2	15
	कन्याकुमारी	1	—	3
	मद्रास	126	116	679
	मदुरई	14	—	32
	नीलगिरी	3	2	11
	उत्तर अर्काट अम्बेडकर जिला	—	—	4
	पुडुकोट्टई	1	—	5
	कोइदे ओ मिलेथ	3	—	3
	नामनाड	—	—	3
	सैलैम	4	6	18
	दक्षिण अर्काट जिला	5	—	9
	तिरुनलेवेली	—	—	7
	तिरुचिरापल्ली	12	—	27
	तन्जौर	—	—	6
	टुटिकोरीन	2	—	7
	विरुधनगर कामराज जिला	—	1	8

1	2	3	4	5
राजस्थान				
	अजमेर	—	3	3
	अलवर	—	—	1
	बांसवाड़ा	—	—	—
	बाड़मेर	—	—	—
	भरतपुर	1	—	2
	भीलवाड़ा	—	—	—
	बूंदी	—	—	—
	चित्तौड़गढ़	—	—	—
	चुरू	—	—	—
	धौलपुर	—	—	—
	डूंगरपुर	—	—	—
	गंगानगर	—	2	2
	जयपुर	—	13	19
	जैसलमेर	—	—	—
	जालोर	—	—	—
	झालवाड़	—	—	1
	झुनझुनु	—	—	—
	जोधपुर	—	—	—
	कोटा	2	—	5
	नागौर	—	1	1
	पाली	—	—	2
	सीकर	—	—	—
	सिरोही	1	—	1
	टोंक	—	—	—
	उदयपुर	—	1	7
	सवाई माधोपुर	—	—	—
	बीकानेर	—	—	1
पंजाब				
	अमृतसर	—	—	58
	भटिंडा	—	—	3

1	2	3	4	5
	फरीदकोट	—	—	6
	फिरोजपुर	—	—	7
	गुरदासपुर	—	—	13
	होशियारपुर	—	—	14
	जलंधर	—	—	250
	कपूरथला	—	—	8
	लुधियाना	1	1	53
	पटियाला	—	—	9
	रूपनगर	—	1	25
	संगरूर	—	—	5
उड़ीसा				
	बालासोर	—	—	2
	कटक	—	—	1
	गंजम	—	1	1
	पुरी	—	2	4
	सुन्दरगढ़	—	—	1
मेघालय				
	पूर्वी खासी हिल्स	—	1	3
मणिपुर				
	इम्फाल	—	—	1
महाराष्ट्र				
	ग्रेटर बम्बई	—	951	125
	थाने	—	13	25
	नागपुर	—	10	35
	पुणे	—	63	85
	शोलापुर	—	2	3
	औरंगाबाद	—	6	1
	सांगली	—	2	4
	कोल्हापुर	—	3	4
	नासिक	—	2	3

1	2	3	4	5
	परभानी	—	1	1
	धुले	—	1	1
	उस्मानाबाद	—	—	1
	अमरावती	—	—	1
	अहमदनगर	—	3	5
	भण्डारा	—	1	1
	जलगांव	—	1	5
मध्य प्रदेश				
	ग्वालियर	—	—	4
	रतलाम	—	1	1
	सागर	—	—	2
	इन्दौर	—	5	22
	भोपाल	—	2	4
	बालाघाट	—	1	1
	शिवपुरी	—	—	1
	जबलपुर	—	—	2
केरल				
	थिरुवनन्थापुरम	—	4	12
	कोल्लान	—	—	—
	पथनमथिट्टा	—	—	3
	अलप्पुझा	1	—	2
	कोटायम	—	3	6
	इडुक्की	—	—	—
	एर्नाकुलम	12	33	74
	थ्रीसर	22	8	42
	पालावक्को	2	1	5
	मालापुरम	—	—	1
	कोझीकोड	—	3	11
	वायानाड	—	—	1
	कन्नोर	—	—	1
	कसारागोड	—	—	—

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
	बंगलौर	26	44	151
	बेल्लारी	2	—	8
	बेलगांव	—	—	8
	बिदार	—	—	—
	बीजापुर	—	—	—
	दुर्ग	1	—	2
	चिकमंगलूर	—	—	2
	चित्रदुर्ग	—	1	2
	धारवाड़	3	6	21
	गुलबर्ग	—	—	2
	कोलार	1	—	1
	मांदया	—	—	—
	मैसूर	1	6	10
	रायचूर	—	2	2
	शिमोगा	—	—	2
	साउथ कनारा	—	4	13
	हसन	—	—	—
	टुमकर	—	—	1
	उत्तर कन्नोडा	—	6	12
जम्मू व कश्मीर				
	अनन्तनाग	—	—	—
	बदगाम	—	—	—
	बारामूला	—	—	—
	दोडा	—	—	—
	जम्मू	—	—	18
	कारगील	—	—	—
	कठुआ	—	—	8
	कुपवाड़ा	—	—	—
	लद्दाख	—	—	—

1	2	3	4	5
	पुलवामा	—	—	—
	पूंछ	—	—	—
	राजौरी	—	—	—
	श्रीनगर	1	5	12
	उधमपुर	—	—	—
हिमाचल प्रदेश				
	बिलासपुर	—	—	1
	चम्बा	—	1	1
	हमीरपुर	—	—	8
	कांगड़ा	—	—	2
	किन्नौर	—	—	—
	कुलू	—	—	—
	लाहौल और स्पीती	—	—	—
	मंडी	2	—	4
	शिमला	2	1	3
	सिरमौर	—	—	—
	सोलन	—	—	4
	ऊना	—	—	2
हरियाणा				
	अम्बाला	10	—	55
	यमुना नगर	2	—	5
	कुरूक्षेत्र	—	—	2
	कैथल	—	—	—
	करनाल	46	—	49
	पानीपत	76	—	78
	सोनीपत	29	—	33
	रोहतक	48	—	53
	गुड़गांव	82	—	83
	फरीदाबाद	37	3	158
	रिवाड़ी	1	—	1
	महेन्द्रगढ़	3	—	3

1	2	3	4	5
	हिसार	2	1	8
	सिरसा	—	—	1
	जीन्द	—	—	2
	भिवानी	4	—	4
गुजरात				
	खेडा	—	2	4
	सूरत	—	23	35
	अहमदाबाद	—	182	219
	मेहसाणा	—	2	5
	बड़ौदा	—	35	51
	गांधीनगर	—	—	2
	बलसाड	—	6	6
	राजकोट	—	9	20
	साबरकांठा	—	—	1
	भावनगर	—	3	4
	भरुच	—	—	1
	बनसकांठा	—	—	1
बिहार				
	भागलपुर	—	—	1
	मुजफ्फरपुर	—	—	1
	पटना	—	—	3
	रांची	—	—	1
	सिंहभूमि	—	—	1
असम				
	कामरूप	—	—	2
	कारबी आंगलांग	—	—	1
आंध्र प्रदेश				
	अदीलाबाद	2	—	7
	अनन्तपुर	3	—	5
	पूर्व गोदावरी	—	1	5

1	2	3	4	5
	पश्चिम गोदावरी	4	3	13
	करीमनगर	8	1	38
	कृष्णा	28	2	47
	खम्माम	6	—	8
	कुरनूल	5	—	4
	चित्तूर	3	—	4
	गुन्टूर	10	—	15
	मेढक	1	1	7
	नेल्लोर	1	—	5
	नालगोंडा	2	—	2
	निजामाबाद	—	—	5
	महबूबनगर	1	—	2
	रंगा रेड्डी	136	50	403
	तेनाली	1	—	1
	विशाखापटनम	7	—	11
	प्रकाशम	2	—	3
	वारंगल	13	1	11
	कलपट्टु	1	—	2

कलकत्ता पत्तन न्यास

712. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन न्यास की खाली भूमि पर गत दो वर्षों के दौरान भवन परियोजनाओं, जिनके लिए स्वीकृति मांगी गई है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) सम्भावित खरीदारों से प्राप्त की गई राशियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित भवन परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के भवन निर्माण प्रस्तावों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा दो भवन परियोजनाएं तैयार की गई हैं, एक बी. बी. डी. बैग के समीप कलकत्ता जे. टी. क्षेत्र में और अन्य नए अलीपुर और पुराने अलीपुर के बीच बोट कैनाल क्षेत्र में। बी. बी. डी. बैग में भूमि का

विकास वाणिज्यिक परिसर के रूप में किए जाने का प्रस्ताव है और अलीपुर बोट कैनाल क्षेत्र में भूमि का रिहायशी प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) भावी खरीदारों से प्राप्त की गई पेशगी राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	—6.91 करोड़ रुपये
अनिवासी भारतीय	—55,725 अमरीकी डालर
निजी पार्टियां	—2.65 करोड़ रुपये

(ग) से (ङ) पर्यावरण प्रभाव सम्बन्धी मूल्यांकन (ई० आई० ए०) और पर्यावरण प्रबन्ध योजना (ई० एम० पी०) तैयार कर ली गई हैं और पर्यावरण मंत्रालय को उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई हैं। ई० आई० ए० ने निर्माण चरण के दौरान और भूमि उपयोग, जल सांख्यिकी एवं सामाजिक-आर्थिक, मृदा, जल विज्ञान, जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, लौकिक परिस्थिति विज्ञान, एक्वेटिक परिस्थिति विज्ञान एवं शोर सम्बन्धी प्रचालनात्मक प्रभावों के प्रश्न की जांच की है। ई० एम० पी० ने निर्माण चरण के दौरान तथा प्रचालन स्तर के दौरान कमी लाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं। यह पर्यावरण की अध्ययन पश्चात् निगरानी का भी सुझाव देता है। पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी :

करेंसी नोट के कागज का निर्माण

713. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा गत वर्ष के दौरान करेंसी नोट के कागज का आयात करने पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान करेंसी नोट के कागज "सिक्योरिटी पेपर" का भारत में निर्माण करने हेतु कोई परियोजना स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो परिकल्पित परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया; और

(घ) करेंसी नोट के कागज के आयात पर निरन्तर खर्च हो रही बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) करेंसी कागज के आयात पर चालू वर्ष के दौरान 13.9 करोड़ रुपए तथा पिछले एक वर्ष के दौरान 30.6 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार घरेलू क्षमता को बढ़ाने की संभाव्यता का पता लगा रही है।

इंजीनियरिंग सामान का निर्यात

714. **डा० रमेश चन्द तोमर :**

श्री गापीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान विशेषकर नवम्बर, 1992 तथा जनवरी, 1993 के महीनों में इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1992-93 में किये गये ऐसे सामान के निर्यात में हुई कमी को कम से कम वर्ष 1993-94 में पूरा करने के उद्देश्य से निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी):(क) से(ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, वर्ष 1992-93 में अप्रैल-दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान इंजीनियरी माल का निर्यात 3705 करोड़ रु० मूल्य का हुआ जो वर्ष 1991-92 की इसी अवधि में हुए 2835 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात की तुलना में अधिक है। माह नवम्बर तथा दिसम्बर 1992 के दौरान क्रमश: 430 करोड़ रु० और 550 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ जबकि वर्ष 1991 के इन महीनों में यह निर्यात क्रमश: 430 करोड़ रु० और 460 करोड़ रु० मूल्य का हुआ था, माह जनवरी, 1993 के लिए निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

निर्यात का संवर्धन करते रहना सरकार का सतत प्रयास रहा है। निर्यात बढ़ाने हेतु सरकारी कार्यनीति के कुछ महत्वपूर्ण अंश ये हैं—अधिक वृद्धि की संभाव्यता वाले निर्यात क्षेत्रों पर अत्याधिक ध्यान देना, दोहरी विनिमय-दर प्रणाली, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए का अवमूल्यन, निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों का अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्रावधान और निर्यात से होने वाली आय पर आयकर से छूट।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से छूट

715. **श्री पी० सी० थामस :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां श्रमिक संगठनों ने कर्मचारी राज्य बीमा से छूट दिलाने के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (पी० ए० संगमा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राज्य सरकार से छूट लेना अपेक्षित है। इसलिए उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम जहां से व्यवसाय संघों ने छूट के लिए अभ्यावेदन दिये हैं, उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से छूट प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करती है। कारखानों/प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की जाती है यदि उनके कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में उपलब्ध कराए गये लाभों के अधिकांशतया समान अथवा अधिक लाभ मिलते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	उस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम जहां व्यवसाय संघों ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू करने से छूट के लिए अभ्यावेदन दिया है।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	इंडिया टूरिजम डैवल्पमैंट कारपोरेशन, दिल्ली	दिल्ली
2.	भारत लेदर कारपोरेशन, दिल्ली	दिल्ली
3.	नैशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लि० गुजरात	गुजरात
4.	मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि०, माडर्न बेकरीज के नाम से जाना जाने वाला	गुजरात
5.	इन्स्ट्रोटेशन लि०, कोटा	राजस्थान
6.	मै० विजय नगर कॉटन मिल्स, विजय नगर (एन० टी० सी० यूनिट)	राजस्थान
7.	नैशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन, कोयम्बटूर	तमिलनाडु
8.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, मद्रास	तमिलनाडु
9.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, मुजफ्फरपुर	बिहार
10.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
11.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, चरखी दादरी	हरियाणा
12.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, गुडगांव	हरियाणा
13.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईड्स लि०, उद्योगमण्डल	केरल
14.	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, उद्योगमण्डल	केरल
15.	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०, केरल	केरल
16.	इण्डियन टैलिफोन्स इण्डस्ट्रीज पालाकाड	केरल
17.	मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज पालाकाड	केरल
18.	कोवलाम बीच रिसार्ट कोवलाम (आई० टी० डी० सी० की यूनिट)	केरल
19.	हिन्दुस्तान लेटैक्स लि०, त्रिचूर	केरल
20.	केरल लक्ष्मी मिल्ज (एन० टी० सी० की यूनिट)	केरल
21.	बालमेर एण्ड लोरी, केरल	केरल
22.	बर्न स्टैण्डर्ड कं०, लि०	प० बंगाल
23.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडियन लि०,	प० बंगाल
24.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	प० बंगाल
25.	टायर कारपोरेशन आफ लि०, कलकत्ता	प० बंगाल
26.	नैशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, कलकत्ता	प० बंगाल
27.	एन० जे० एम० सी० लि० (एलैक्जैण्डर खारदाहवर्ड एण्ड हेगर्स की कारपोरेट आफिस यूनिट)	प० बंगाल

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

716. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सकल प्रदूषण वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 55 से 70% की वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया जिससे यह पता चलता हो कि कुल वायु प्रदूषण की 55 से 70%तक की वृद्धि वाहनों से होने वाले प्रदूषण से हुई है। दिल्ली में वायु-प्रदूषण के प्रमुख कारण के रूप में वाहनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को माना जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोल और डीजल द्वारा चलने वाले वाहनों के लिए भारी उत्सर्जन का निर्धारण करने वाली अधिसूचनाएं जारी की हैं। 1995 से इन मानकों को और सख्त किया जाएगा जिसके लिए ड्राफ्ट अधिसूचना पहले से ही जारी की जा चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने वाहनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने के सुझाव दिए हैं—

(i) उपकरणों की खरीद तथा नियम लागू करने के लिए आवश्यक मात्रा में स्टाफ उपलब्ध करवा कर व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(ii) वाहनों की जांच व ट्यूनिंग के लिए निजी वर्कशापों तथा पैट्रोल पम्पों को प्राधिकृत करना।

(iii) प्रदूषण बैंकिंग के लिए अन्य राज्यों के वाहनों के विरुद्ध अभियान शुरू करना।

(iv) जन-जागृति अभियान शुरू करना।

(v) चैकिंग क्रिया-कलापों के समन्वयन के लिए 3 अथवा 4 निकटस्थ राज्यों की अन्तर्राज्य समितियां बनाना।

(vi) महानगरों में वर्कशापों, पुलिस व अन्यों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय समितियां स्थापित करना जो अपने क्षेत्रों में वाहनों पर निगरानी रख सकें।

(vii) प्रवेश-बिन्दुओं पर ओवरलोडिंग को रोकने के लिए बाध्यकरण शर्तों का निर्धारण।

(viii) वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने हेतु राज्य परिवहन उपक्रमों की वर्कशापों को और अधिक मजबूत किया जाना, तथा।

(ix) परिवहन क्रिया-कलापों को नगरीय सीमाओं से बाहर स्थित स्थलों पर स्थानान्तरित करना।

परिवहन विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा नेशनल कैपिटल टैरिओरिटी ऑफ दिल्ली में वाहनों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिआरिटी ऑफ दिल्ली का परिवहन विभाग, मोटर वाहनों द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना को अमल में लाता रहा है। दिसम्बर, 1987 और अप्रैल, 1989 के बीच की अवधि में 24 पैट्रोल पम्पों पर "एग्जास्ट गैस एनालाइजर्स" सहित तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवाके प्रदूषण नियंत्रण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। मई, 1989 से इस सुविधा को परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

विभाग ने जुलाई, 1990 में एक विस्तृत स्कीम तैयार की, जिसके अन्तर्गत दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहनों के प्रदूषण मानकों को प्रमाणित किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रारंभ में वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होते हैं जिनकी वैधता अवधि एक वर्ष की होती है और जो उनके वाहनों की पंजीकरण की निर्धारित समय सूची के अनुसार होती है। अगस्त, 1991 से प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण-पत्र 6 महीने की अवधि के लिए जारी किए जा रहे हैं। उस प्रयोजना से 117 निजी वर्कशापों और पैट्रोल पम्पों को प्रदूषण जांच और ट्यूनिंग सुविधाएं प्रदान करके के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन केन्द्रों ने जुलाई, 1990 और जनवरी, 1993 के बीच 9.84 लाख वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं प्रदान की और 2.77 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ट्यून किया गया है और उनके प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के अन्तर्गत लाया गया।

लगभग 2.15 लाख वाणिज्यिक वाहनों, जैसे ट्रक, बसें, आटो रिक्शा और टैक्सियों को दिल्ली में पंजीकृत किया गया है। इन वाहनों को, सड़क पर चलाने योग्य स्थिति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्राप्त करना पड़ता है। सड़क पर चलने योग्य वाहनों की जांच करते समय निर्धारित प्रदूषण-मानकों को ध्यान में रखते हुए ही, फिट्नैस सर्टीफिकेट प्रदान किए जाते हैं।

मार्च, 1990 और जनवरी, 1993 के बीच कुल 18.36 लाख वाहन मालिकों ने वाहन-जांच सुविधा का लाभ उठाया। उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में निर्धारित मानकों की अनुपालना करने के लिए लगभग 2.30 लाख वाहन मालिकों को चेतावनी-पर्चियां जारी की गई।

अप्रैल, 1990 के महीने में अभियोजन अभियान चलाया गया और जनवरी, 1993 तक 19,394 वाहनों का केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 और मोटर वाहन अधिनियम 1993 के उपबंधों के अनुसार चालान किया गया। इसके अलावा 5,966 परिवहन वाहनों को दिए गए सर्टीफिकेट आफ फिटनैस और 68,187 वाहनों को दिए गए प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाणपत्रों को रद्द किया गया और वाहन मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों को फिट्नैस सर्टीफिकेट/प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पहले निर्धारित मानकों के अन्तर्गत लाया जाए।

भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा चाय का उत्पादन

717. **श्री प्रबीन डेका :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबंधन के अन्तर्गत आने वाले चाय बागानों में प्रतिवर्ष कितनी चाय का उत्पादन हुआ है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बागानों से कितनी आय हुई और इन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बागानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये विकास कार्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पास असम के कछार में पाथिनी चाय बागान नामक एक मात्र चाय बागान है। उपर्युक्त बागान के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के उत्पादन, आय तथा व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं—

(लाख रु० में)

वर्ष	चाय उत्पादन (कि० ग्रा०)	आय	व्यय
1989 90	5,86,219	125.88	157.59
1990 91	6,26,403	100.87	188.54
1991-92	3,17,478	78.17	163.92

(ग) पाथिनी टी इस्टेट के कार्य में सुधार करने के लिए किए जा रहे विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों में शामिल हैं फैक्टरी में अतिरिक्त सी० टी ०सी० मशीनरी लगाना, आधुनिक सिंचाई सुविधाएं तथा ट्रैक्टर इत्यादि का प्रावधान ।

विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाएं

[हिन्दी]

718. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से प्रत्येक राज्य में चल रही परियोजनाओं का नाम क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या है जो निर्धारित लक्ष्य, लागत तथा समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाएंगी;

(ग) इनके क्या कारण है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय सीमा तथा इतनी ही लागत में पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) (क) विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का राज्य-वार एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) परियोजना की लागतों और वस्तुगत लक्ष्यों में मूल्य-वृद्धि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, क्षेत्र-परिवर्तन अथवा पुर्नसरंचना आदि की दृष्टि से परियोजना के कार्याकाल के दौरान संशोधन होते रहते हैं और इसलिए उन परियोजनाओं का पता लगाना सम्भव नहीं है जो लक्ष्यगत लागत एवं समय के भीतर पूरी नहीं होंगी।

(घ) परियोजनाओं में होने वाली क्रियान्वयन सम्बन्धी देरियों को, पूरक संसाधनों को सुदृढ़ बनाकर, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा समय पर खरीद विषयक कार्रवाई किए जाने के लिए विशेष बल देते हुए योजना आयोग और संबद्ध मंत्रालयों द्वारा बारीकी से परिवीक्षण करके और विदेशी मुद्रा,

निविदा मूल्यांकन आदि के सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाकर दूर किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गहन रूप से परिवीक्षण किया जा रहा है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आवरत परियोजना

राज्य सरकारों की परियोजना परियोजना का नाम	(अमेरिकी मिलियन डालर) उधार/ऋण की राशि
1 2	3
आंध्र प्रदेश	
आन्ध्र प्रदेश कंपोजिट-II	131.0
राष्ट्रीय जल-प्रबन्ध	114.0
विभाजक विकास-वर्षा आधारित क्षेत्र	31.0
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
सी० एस० एस० एम०	147.0
हैदराबाद जल और मल-जल	219.72
	10.0
	79.9
राष्ट्रीय कृषि रिसर्च	78.93
परिवार कल्याण प्रशिक्षण	11.3
	113.3
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
आन्ध्र प्रदेश चक्रवात आपात पुनर्निर्माण	40.0
	170.0
राष्ट्रीय डेयरी	360.0
सी डी एस-I (उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश)	10.0
	96.0
तकनीकी शिक्षा-II	397.1
झींगा तथा मत्स्य पालन	65.0
भारतीय जनसंख्या-VIII	79.0

1	2	3
बिहार		
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार I	85.0
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	85.0
		248.0
	राज्य सड़क	170.0
		80.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीकी शिक्षा-I	25.0
		235.0
	जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)	10.0
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	86.7
		114.0
	आई० सी० डी० एस०-II	194.0
नई दिल्ली		
	रिहन्द विद्युत पारेषण	250.0
	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	485.0
	उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीकी शिक्षा-II	307.1
गुजरात		
	गुजरात मध्यम	172.0
	नर्मदा गुजरात बांध	200.0
		100.0
	नर्मदा गुजरात नहर	150.0
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी-I	165.0
	जल-विभाजक विकास (मैदानी)	7.0
		55.0

1	2	3
	कंबाइंड साइकिल पावर	485.0
	पश्चिमी गैस	295.0
	पेट्रोलियम परिवहन	340.0
	गुजरात ग्रामीण सड़कें	119.6
	राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
	गुजरात शहरी	62.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीशियन शिक्षा-I	25.0
		235.0
	जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)	10.0
		86.7
	गैस फूले-रिंग रिडक्शन	450.0
	पेट्रोकेमिकल्स	12.0
		233.0
	औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण	124.0
		31.6
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	114.0
हरियाणा		
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	114.0
		250.0
	उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
	पेट्रोलियम परिवहन	340.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)	10.0
		86.7
	तकनीकी शिक्षा-II	307.1
	राष्ट्रीय राजमार्ग II	

1	2	3
जम्मू तथा कश्मीर		
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
		147.0
	जलविभाजक विकास (पहाड़ी)	13.0
		75.0
	उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
	व्यावसायिक शिक्षा	30.0
		250.0
	जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)	10.0
		86.7
कर्नाटक		
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	114.0
	ऊपरी कृष्णा सिंचाई-II	165.0
		160.0
	जलविभाजक विकास—वर्षा पोषित क्षेत्र	31.0
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
		27.0
	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
		147.0
	कर्नाटक विद्युत	330.0
	कर्नाटक-II	260.0
	जनसंख्या-III	70.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीकी शिक्षा-I	25.0
		235.0
केरल		
	केरल सामाजिक वानिकी-I	31.8
	केरल राज्य विद्युत	176.0

1	2	3
	केरल जल-आपूर्ति तथा सफाई	41.0
	जनसंख्या-III	70.0
	व्यवसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीकी शिक्षा-I	25.0
	-तदेव-	235.0
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	
महाराष्ट्र		
	नर्मदा गुजरात बांध	200.0
		100.0
	महाराष्ट्र कंपोजिट-III	160.0
	जलविभाजक विकास तथा वर्षा पोषित क्षेत्र	31.0
	केन्द्रीय विद्युत पारेषण	250.7
	ट्राम्बे-IV	135.4
	चन्द्रपुर तापीय	300.0
	महाराष्ट्र विद्युत	400.0
	निजी विद्युत उपयोगिताएं	98.0
	पश्चिमी गैस	295.0
		250.0
	राज्य सड़क	170.0
		80.0
	बम्बई जल-आपूर्ति तथा मल निकासी-III	40.0
		145.0
	बम्बई शहरी	138.0
	बम्बई/मद्रास जनसंख्या	57.0
	महाराष्ट्रा पेट्रोकेमिकल	300.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	निजी विद्युत उपयोगिताएं-II (बी० एस० ई० एस०)	200.0
	गैस फ्लेयरिंग रिडक्शन	450.0

1	2	3
	पेट्रोकेमिकल	12.0
		233.0
	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.0
		31.6
	महाराष्ट्र ग्रामीण जल-आपूर्ति तथा सफाई	109.9
	तकनीकी शिक्षा-II	307.1
	महाराष्ट्र वानिकी	124.0
मध्य प्रदेश		
	नर्मदा गुजरात बांध	200.0
		100.0
	जलविभाजक विकास-वर्षा पोषित क्षेत्र	31.0
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	39.1
	इन्द्रा सरोवर पनबिजली	17.425
		17.596
		18.316
	दुधिचुला कोयला	151.0
	कोयला खनन तथा गुणवत्ता सुधार	340.0
	मध्य प्रदेश शहरी	24.1
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	परिवार कल्याण प्रशिक्षण	11.3
		113.3
	तकनीकी शिक्षा-I	25.0
		235.0
	बांध सुरक्षा, मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
	आई० सी० डी० एस०	130.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग	194.0
उड़ीसा		
	राष्ट्रीय राजमार्ग-II	
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	39.1

1	2	3
	जलविभाजक विकास (मैदानी)	7.0
		55.0
	तलचर तापीय	375.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	बांध सुरक्षा, मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
		130.0
	आई० सी० डी० एस०-I (उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश)	10.0
		96·0
	झींगा तथा मत्स्य पालन	85.0
	अपर इन्द्रावती	326.4
पंजाब		
	पंजाब सिंचाई-II	15.0
		150.0
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	85.0
	जलविभाजक विकास (पहाड़ी)	13.0
		75.0
	उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
	पेट्रोलियम परिवहन	340.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	जनसंख्या प्रशिक्षण VII	10.0
		86.7
	तकनीकी शिक्षा-II	307.1
	राष्ट्रीय राजमार्ग	
राजस्थान		
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	39.1
	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	165.0
	जलविभाजक विकास (मैदानी)	7.0
		55.0

1	2	3
	कंबाइंड साइकिल पावर	485.0
	उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
	आयल इंडियन पेट्रोलियम	140.0
	पेट्रोलियम परिवहन	340.0
	राज्य सड़क	170.0
		80.0
	व्यायसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीशियन शिक्षा-I	25.0
		235.0
	बांध सुरक्षा मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
		130.0
हिमाचल प्रदेश		
	तकनीशियन शिक्षा-II	307.1
असम		
	तकनीकी शिक्षा-II	307.1
तमिलनाडु		
	पेरियार वगई	17.5
		17.5
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	114.0
	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
		147.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
	तमिलनाडु जल आपूर्ति और मल-निकासी	36.5
		36.5
	मद्रास जल-आपूर्ति और सफाई	53.0
		16.0
	तमिलनाडु शहरी	200.2
	बम्बई/मद्रास जनसंख्या	57.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	तमिलनाडु	95.9

1	2	3
	बांध सुरक्षा, मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
		130.0
	तमिलनाडु कृषि विकास	20.0
		92.8
	औद्योगिक प्रदूषण	124.0
		31.6
	तकनीशियन शिक्षा-II	307.1
उत्तर प्रदेश		
	ऊपरी गंगा	125.0
	हिमालय जलविभाजक	46.2
	राष्ट्री कृषि विस्तार-I	39.1
	—तदेव—II	6909.0
	—तदेव—III	85.0
	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	165.0
	कंबाइंड साइकिल पावर	485.0
	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	485.0
	दुधिचुआ कोयला	151.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
	राज्य सड़क	170.0
		80.0
	सहकारी उर्वरक	152.0
	उत्तर प्रदेश शहरी	20.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	परिवार कल्याण प्रशिक्षण	11.3
		113.3
	तकनीकी शिक्षा-I	25.0
		235.0
	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.0
	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	31.6

1	2	3
पश्चिमी बंगाल		
	पश्चिमी बंगाल	99.0
	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
		147.0
	फरक्का-II	300.0
	कोयला खनन तथा गुणवत्ता सुधार	340.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
	कलकत्ता शहरी-III	147.0
	पश्चिमी बंगाल जनसंख्या-IV	51.0
	व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
		250.0
	तकनीकी शिक्षा-II	307.1
	झींगा तथा मत्स्य पालन	85.0
	प० ब० वानिकी	34.0
	राष्ट्रीय राजमार्ग-II	

श्रमिकों के लिए शिक्षण केन्द्र

719. **श्री श्रीकांत जेना :**
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन बाल श्रमिकों के लिए कोई शिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे शिक्षण के केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) इन केन्द्रों को अधिक लाभदायक बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या क्रमशः 702, 293 और 1,698,597 है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं, जिनको भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है, के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में विशेष विद्यालय खोले गये हैं। इसके अलावा शिक्षण केन्द्रों को चलाने सहित बाल श्रमिकों के कल्याण की गतिविधियां शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 75% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत विशेष विद्यालयों की संख्या	जी०आई०ए० के अन्तर्गत शिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	50	—
2.	तमिलनाडु	27	7
3.	राजस्थान	20	—
4.	मध्य प्रदेश	8	4
5.	आन्ध्र प्रदेश	20	—
6.	दिल्ली	—	2
7.	पश्चिमी बंगाल	—	41
8.	कर्नाटक	—	3
	कुल	125	50

बीमा निगमों को मिले दावे

[अनुवाद]

720. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या की घटनाओं के परिणामस्वरूप मुम्बई और गुजरात में दंगों के पश्चात् भारतीय साधारण बीमा निगम को कितनी राशि की हानि के दावे मिले; और

(ख) अकेले मुम्बई में ही दंगों के कारण हुई हानि के लिए किए गए दावों के कारण किये गए भुगतान का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा०अबरार अहमद) : (क) बम्बई और गुजरात में सूचित दावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

	सूचित संख्या (अनंतिम)	अनुमानित दावे की राशि (करोड़ रुपए)
बम्बई	1773	43.06
गुजरात	1441	31.64

(ख) बम्बई में 22-2-1993 तक 53.23 लाख रुपए की राशि के 90 दावों 14 उन दावों को शामिल करते हुए जिन्हें वापस ले लिया गया है या कोई दावा नहीं माना गया है, का निपटान हो गया था।

पत्रकारों के लिए सामाजिक बीमा योजना

721 **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अयोध्या तथा देश के कई अन्य भागों में पत्रकारों पर हुए हमलों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों के लिए सामाजिक बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए०संगमा) : (क) से (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में रोजगार के कारण तथा रोजगार के दौरान होने वाली दुर्घटना से चोट लगने और उसके कारण विकलांगता/मृत्यु होने के मामले में क्षतिपूर्ति की अदायगी की व्यवस्था है। सरकार द्वारा नियुक्त की गयी पत्र कर्मचारी विशेषज्ञ समिति ने अपनी 15 जनवरी, 1991 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ "आऊटडोर ड्यूटी पर जाने वाले समाचार पत्र कर्मचारियों" को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची II में शामिल किये जाने की सिफारिश की थी ताकि अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के उन्हें पात्र बनाया जा सके समिति की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयीं थी और अगस्त, 1991 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसे कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट जोखिमकारी व्यवसायों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसमें चिकित्सा देख-रेख, आश्रितों के लिए लाभ आदि की व्यवस्था है, का विस्तार अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के लिए किया गया है। इस स्थिति में केवल पत्रकारों के लिए एक सामाजिक बीमा योजना शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा जब्त किया जाना

[हिन्दी]

722. **श्री जनार्दन मिश्र** :
श्री जगदीश पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन माह के दौरान विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किये गये सोने, चांदी, बेनामी खाते और विदेशी मुद्रा इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) नवम्बर, 1992

से जनवरी, 1993 तक की 3 महीनों की अवधि के दौरान सीमा शुल्क तथा आयकर विभागों की प्रवर्तन एजेंसियां और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने, चांदी, करेंसी आदि की मात्रा/मूल्य और इस अवधि के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मात्रा (मीट्रिक टन में)		मूल्य (लाख रुपयों में)
सीमा शुल्क विभाग			
सोना	3.11		1238
चांदी	298.16		1845
विदेशी मुद्रा	—		313
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या		258	
आयकर विभाग			
नकदी (बेनामी खातों में पड़ी नकदी सहित)			1037
आभूषण			1492
अन्य परिसम्पत्तियां			5854
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या—		शून्य	
प्रवर्तन निदेशालय			
विदेशी मुद्रा			72.00
सोना			0.15
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या		33	

(घ) और (ङ) प्रवर्तन एजेंसियां, तस्करों और कर अपवंचकों की गतिविधियों के प्रति चौकस रहती है, जब भी तथा जहां भी जरूरी हो सुनियोजित सर्वेक्षण कार्य और तलाशी तथा अभिग्रहण संबंधी कार्यवाहियां की जाती हैं। सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

बैंक प्रणाली को कारगर बनाना

723. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक प्रणाली का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी विशेषज्ञ दल/समिति से सिफारिश भी प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बैंकों तथा बीमा कम्पनियों द्वारा गरीब व ग्रामीण लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी है; और

(च) यदि हां, सो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्य और प्रक्रियाओं संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने के लिए श्री एम० नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने 20 नवम्बर, 1991 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। बैंकिंग प्रणाली की संरचना पर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि बैंकिंग प्रणाली का एक स्थूल पैटर्न तैयार करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हो :

(क) 3 या 4 बड़े बैंक (भारतीय स्टेट बैंक सहित) जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के बन सकें।

(ख) 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक, जिनकी सारे देश में शाखाएं हो और जो सर्वव्यापी बैंकिंग कार्य करेंगे।

(ग) स्थानीय बैंक जिनका प्रचालन सामान्यत: विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रहेगा, और

(घ) ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) जिनके परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित होंगे और जिनका कारोबार मुख्य रूप से कृषि और उससे सम्बद्ध कार्य-कलापों का वित्त पोषण करना होगा।

समिति का यह भी विचार था कि इस संशोधित प्रणाली पर कार्रवाई बाजारोन्मुख और लाभ प्रदता के विचारों पर आधारित होनी चाहिए और इसे समामेलन और अधिग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) अग्रिमों को मंजूर करने की प्रक्रिया को समय-समय पर सरल और उदार बनाया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत कमजोर वर्गों को भी कवर किया जाता है, के लिए उदारीकृत मार्जिन और प्रतिभूति संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंकों को 25,000/- रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारंटी नहीं मांगनी चाहिये, और परिसम्पत्तियों का गिरवी/दृष्टि बंधन/बंधक ऋण से ही सृजित किया जाना चाहिए, मानकीकृत आवेदन पत्रों को क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, 25,000/- रुपये की ऋण सीमा तक सभी आवेदन पत्रों का एक पखवाड़े के भीतर निपटान किया जाना होता है और सभी शाखा प्रबंधकों को उच्च प्राधिकारी को भेजे बगैर कमजोर वर्गों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूर करने की विवेकाधीन शक्तियां दी गयी हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा सीधे गरीबों और ग्रामीण जनता को कोई ऋण नहीं दिया जाता है, अत: इस सम्बन्ध में सरलीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल का निर्यात और आयात

[अनुवाद]

724. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री अमल दत्त :
डा० परशुराम गंगवार :
श्री जीवन शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बासमती अथवा उत्तम कोटि के चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि निर्यात के लिए विभिन्न किस्मों के चावल बड़ी मात्रा में फालतू पड़े हैं और यह भी कि उत्तम कोटि के चावल की देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार का विचार उत्तम कोटि के चावल जैसे बासमती का निर्यात करने तथा देश के भीतर खपत के लिए सस्ते किस्म के चावल का आयात करने का है।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) चावल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा चावल का स्वयं निर्यात करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक आयातों का संबंध है, नीति यही रही है कि इस प्रकार का कार्य तभी किया जाता है, जब घरेलू आपूर्ति अथवा कीमत की स्थिति ऐसी मांग करती हैं।

(ङ) कृषि उत्पादन के लिये सरकार की कीमत-नीति का प्रमुख उद्देश्य अधिक विनियोजन तथा उत्पादन को ध्यान में रखकर उपजकर्त्ताओं को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से न केवल उत्पादन की लागत ही कवर होती है बल्कि निवेश करने तथा उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उपजकर्त्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में समुचित सीमा में लाभ भी शामिल होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा घोषित धान की प्राप्ति/न्यूतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :—

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	साधारण	फाइन	सुपर फाइन
1990-91	205	214	225
1991-92	230	240	250
1992-93	270	280	290

गोवा से निर्यात हेतु प्रोत्साहन

725. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा से बॉक्साइट अयस्क, लोहा और मैंगनीज अयस्क तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे;

(ख) क्या सरकार के इस सम्बन्ध में गोवा से कोई अभयावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई अल्पावधि और दीर्घावधि कार्य योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक, वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 में प्रसंस्कृत खनिज और अयस्कों के निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के तहत दिए गए लाभ के अतिरिक्त खनिज और अयस्यों के निर्यातक उदारीकृत विनियम दर प्रबन्ध योजना (एल० ई० आर० एम० एस०) के अन्तर्गत परिवर्तनीयता सम्बन्धी लाभ के हकदार हैं।

(ख) और (ग) सरकार को लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क हटाने और लोह अयस्क के सम्बन्ध में सरणीकरण की नीति में छूट देने के सम्बन्ध में गोआ "मिनरल और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन" से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि गोआ के निर्यातक गोआ मूल के लौह अयस्क का मध्यपूर्व में सीधे ही निर्यात कर सकें। यद्यपि लोह अयस्क पर निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपयुक्त सिफारिशें की गई है तथापि गोआ के गैर-सरकारी शिपर्स गोआ मूल के लौह अयस्क के मध्यपूर्व को निर्यात-सम्बन्धी अनुरोध पर विचार किया परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

(घ) जी, हां।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय ने निर्यात की गति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक अल्पावधि कार्य योजना तैयार की है।

इस कार्य योजना में सामान्य नीतियां शामिल हैं जो अधिक सहायक निर्यात वातावरण का सृजन करने की ओर अग्रसर हैं। इनमें रुपए की पूर्ण-परिवर्तनीयता, निर्यातपूर्ण के लिए बेहतर शर्तें अधिक सक्षम शुल्क वापसी प्रणाली तथा आयकर लाभ का अधिक विस्तार शामिल हैं। इस कार्य योजना में क्षेत्र विशिष्ट मामले भी शामिल हैं जिनमें कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में कमी, प्रत्यक्ष कर प्रावधानों में कुछ परिवर्तन तथा आर० पी० आर० एस० की समय पर उपलब्धता शामिल है।

वाणिज्य मन्त्रालय ने "अत्यधिक महत्व की वस्तुओं" के रूप में अभिज्ञात की गई 34 वस्तुओं के सम्बन्ध में एक मध्यम अवधि का कार्यक्रम भी तैयार किया है। व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इन मदों पर एक संश्लेषित रिपोर्ट तैयार की गई है। सामान्य और

वस्तु विशिष्ट दोनों सिफारिशें सामान्य मैक्रो-आर्थिक नीति, क्रियाविधि का सरलीकरण, व्यवस्थापना सम्बन्धी सुधार तथा संस्थागत प्रबंधों से सम्बन्धित है। मन्त्रालय द्वारा प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है, जो निर्यात-आयात नीति तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में हैं, जो मन्त्रालय के सीधे क्षेत्राधिकार में हैं।

काण्डला पत्तन पर बर्थ का निर्माण

726. डा० के० डी० जेस्वाणी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में काण्डला पत्तन पर सातवां बर्थ कार्य करने लगा है और यातायात के लिए खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यातायात की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आठवीं बर्थ के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कांडला पत्तन पर सातवीं कार्गो बर्थ 11 दिसम्बर, 1992 को चालू की गई और यातायात के लिए खोली गई।

(घ) निवेश निर्णय लेने के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है।

वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन

727. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उक्त तम्बाकू के कुल उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन राज्यों में इसका कोई भण्डार भी पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटक तथा आंध्र में 1992-93 के दौरान उगायी गयी पूरी तम्बाकू को खरीदने की कोई व्यवस्था की है;

(छ) यदि हां, तो इसे किस दर पर खरीदे जाने की सम्भावना है; और

(ज) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इस तम्बाकू का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणय मुखर्जी) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड, वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए प्रत्येक फसल मौसम के लिए फसल के आकार का निर्धारण करता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया वर्तमान फसल आकार निम्नानुसार है :

(i) 1992 की आंध्र की फसल जो कि 1993 में बेची जाएगी 102.95 एम किग्रा०

(ii) 1992 की महाराष्ट्र की फसल जोकि 1993 में बेची जाएगी 0.30 एम किग्रा०

(iii) 1992 की कर्नाटक की फसल जो 1992-93 में बेची जाएगी 21.00 एम किग्रा०

(ग) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान एफ सी वी तम्बाकू का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है :

(उत्पादन-मिलियन किग्रा०)

राज्य	1991-92	1992-93
आंध्र प्रदेश	132.38	119.70*
महाराष्ट्र	0.40	0.30*
कर्नाटक	26.41	32.00*

(* केवल अनुमानित आंकड़े)

(घ) और (ङ) व्यापारिक क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1991-92 की आंध्र फसल में से करीब 13,000 टनेज तम्बाकू (पैक किया गया भार) निर्यातकों तथा व्यापारियों के पास पड़ा है। इसके अलावा, 1992 की कर्नाटक-फसल में से वर्तमान नीलामी के दौरान बेचे गए 30 मिलीयन किग्रा० से भी ज्यादा तम्बाकू माल प्रोसेसिंग तथा निर्यात एवं घरेलू दोनों उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए व्यापारियों के पास पड़ा है।

(च) और (छ) तम्बाकू बोर्ड द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद का प्रश्न तभी उठता है, जबकि नीलामी के मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किए गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाएं। कर्नाटक में, चालू वर्ष की करीब करीब सम्पूर्ण फसल बेच दी गई है, तथा 16-2-93 तक प्राप्त किया गया न्यूनतम औसत मूल्य 27.48 रुपए प्रति कि० ग्रा० है जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में नीलामी की शुरुआत 27 फरवरी, 1993 को होगी। व्यापारिक क्षेत्र ने काली मिट्टी के लिए 20 रु० प्रति किग्रा०, दक्षिणी हल्की मिट्टी के लिए 22 रु० प्रति कि० ग्रा० तथा उत्तरी हल्की मिट्टी के लिए 25 रु० प्रति किग्रा० का न्यूनतम गारंगी शुल्क मूल्य देना सुनिश्चित किया है।

(ज) 1991-92 तथा 1992-93 (जनवरी, 1993 तक) के दौरान निर्यात किए गये वर्जीनिया तम्बाकू की मात्रा (पैक किया हुआ भार) क्रमशः 49,622 टनेज तथा 48,547 टनेज था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

[हिन्दी]

728. **डा० लाल बहादुर रावत :**
श्री सुबास चन्द्र नायक :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एक अंश को उनके मूल वेतन में मिला देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त की गणना औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (1960 = 100) के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के 12 महीने के औसत में 608 के औसत सूचकांक, जिससे कि मौजूदा वेतनमान सम्बद्ध हैं, से अधिक की प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। 3500/-रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी 100% निराकरण, 3500/-रु० प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/-रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले 75% निराकरण और 6000-रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी 65% निराकरण के हकदार हैं। 1-1-93 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का वार्षिक औसत 1168.93 बैठता है। 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते की किस्त सामान्यतः मार्च के महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष की मांग के आधार पर महंगाई भत्ते के एक अंश को कुछ प्रयोजनों के लिए वेतन माने जाने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सहायता

[अनुवाद]

729. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता देने के लिए भेजी गई परियोजना/योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) सरकार द्वारा परियोजना-वार क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) अब तक कितना धन आबंटित किया गया अथवा दिया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अन्तर्गत 619.47 लाख रुपये लागत की की 31 स्कीमें प्रायोजित की है। इन स्कीमों में से 1109.38 लाख रुपए लागत वाली, "सम्बलपुर-सोनपुर सड़क (राज्य रा.मार्ग) पर सोनपुर के समीप महानदी नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण" से सम्बन्धित एक स्कीम 12-2-93 को अनुमोदित की गई है जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत हिस्से को केवल 75.85 लाख रुपए तक सीमित किया गया है। 75.65 लाख रुपये से ऊपर की राशि राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के योजनागत संसाधनों से पूरी की जानी है।

(ग) अनुमोदित कार्य के लिए निधियां जारी करना राज्य सरकार द्वारा पहले किए गये व्यय, राज्य में अनुमोदित स्कीमों की लागत, पहले जारी की गई कुल धनराशि, शेष सक्रिय संस्वीकृति तथा बजट प्रावधान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तथा लेखा परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विस्तृत प्राक्कलन के लिये स्वीकृति पर निर्भर करता है।

अशोध्य ऋणों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिवेदन

730. श्री प्रफुल्ल पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों को अशोध्य ऋणों के निवारण के लिये 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सासाराम में बाइपास सड़क

[हिन्दी]

731. श्री छेदी पासवान : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सासाराम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइपास बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इसे कब तक बना लिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी० टी० सी० में घाटे

[अनुवाद]

732. श्री सूर्यनारायण यादव :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री कुन्जी लाल :
श्री रोशन लाल :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की वर्तमान कुल परिसम्पत्तियां क्या हैं,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने डी० टी० सी० को वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी आर्थिक सहायता दी है,

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान डी० टी० सी० का सकल घाटा/निबल घाटा/कार्यचालन घाटा कितना-कितना है,

(घ) घाटों के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने रेड लाइन बसें चलाने के पश्चात अपनी बसों की सेवाएं कम कर दी हैं, और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-3-92 को 206.57 करोड़ रु०।

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 92-93 के दौरान 31 जनवरी, 1993 तक दिल्ली परिवहन निगम को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को अपने नकद घाटों को पूरा करने के लिए 15.70 करोड़ रु० का अर्थोपाय ऋण उपलब्ध करवाया है।

(ग) चालू वित्त वर्ष में (31 जनवरी, 1993 तक) दिल्ली परिवहन निगम को हुआ घाटा निम्न प्रकार है :

	(लाख रु० में) (अनंतिम)
(i) कार्यचालन घाटा (मूल्यह्रास एवं ब्याज को छोड़कर)	4517.46
(ii) कुल घाटा (मूल्यह्रास एवं ब्याज को जोड़कर)	17818.00

(घ) घाटों के कारण इस प्रकार हैं :

(i) दिल्ली परिवहन निगम का अलाभकारी किराया-ढांचा।

(ii) श्रम व सामग्री "इनपुट्स" की बढ़ती कीमतें।

(iii) छात्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों को रियायती पासों के माध्यम से दी गई रियायतें, तथा

(iv) दिल्ली परिवहन निगम को दिए गए ऋणों पर ऊंची ब्याज दरों का भार।

(ङ) व (च) कुछ पुरानी बसों, जो अपनी प्रचालन आयु के मानकों को पूरा कर चुकी थीं, की स्क्रैपिंग के कारण दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में कुछ कटौती हुई है।

फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का विकास

732. श्री चित्त बसु :
श्री बीरसिंह महतो :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में स्थापित फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आशा के अनुरूप कार्य करने में विफल रहा है और इसके मूलभूत ढांचे का विकास करने के लिये और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार के पास इस परियोजना पर व्यय करने के लिये पर्याप्त धन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का पूर्ण उपयोग करने और इस निर्यातोन्मुख इकाई को और अधिक व्यवहारिक और आकर्षक बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र में एककों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र से निर्यात वृद्धि 1785-86 में 2.30 करोड़ रु० से बढ़कर 1991-92 के दौरान 27.90 करोड़ हो गई है। इ० पी० जेड० में आंतरिक अवस्थापना का विकास केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा बाहरी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को और मजबूत करने के लिये, केन्द्र सरकार ने हाल ही में हुगली पर एक घाट बनाना शुरू किया है ताकि बन्दरगाह और उक्त क्षेत्र के बीच सीधा दोतरफा आवागमन हो सके।

जापान से अनुदान

734. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को 55 करोड़ रुपये का अनुदान देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह धनराशि किन परियोजनाओं पर व्यय की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान, जापान सरकार ने परियोजनाओं के लिए कुल 4.2 अरब येन (105 करोड़ रुपए के बराबर) की अनुदान सहायता प्रदान करने का वचन दिया।

(ख) यह अनुदान सहायता सरकार से सरकार को दी गई सहायता के आधार पर प्रदान की जाती है जिसमें वापस अदायगी की बाध्यता नहीं होती है। सामान्यत: यह प्राप्ति जापान तक ही सीमित है तथापि कुछ मामलों में सीमित अन्तर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर प्राप्ति की आज्ञा दी जाती थी।

(ग) यह अनुदान सहायता निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए दी गई है :

(i) लाल बहादुर शास्त्री मारिटकल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई में नाटिकल एण्ड मौरिन इंजीनियरिंग एजूकेशन के लिये सिमुलेटर्स के आयात के लिये अनुदान सहायता।

(ii) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिये अनुदान सहायता।

(iii) बर्दवान विश्वविद्यालय में ज्योतिष और अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिये सांस्कृतिक अनुदान सहायता।

(iv) 1-10-91 से 31-3-92 तक की अवधि के लिये ऋण-राहत अनुदान सहायता।

(v) भूमिगत जल चरन II परियोजना का दोहन।

(vi) गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन (आई० एफ० पी० कोचीन) के लिये मछली पकड़ने वाले जलयानों की आपूर्ति हेतु अनुदान सहायता।

(vii) 1-4-92 से 30-9-92 तक की अवधि के लिये ऋण राहत अनुदान सहायता।

आवास अन्तरण नियम

735. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री शशि प्रकाश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को आसान बनाने के लिये आवास अन्तरण नियमों में ढील दी गई है;

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में दी गई सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परिवर्तनों के क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) उपभोक्ता माल के आयात को आसान बनाने के लिये आवास अन्तरण नियमावली, 1978 में हाल ही में कोई ढील नहीं दी गई है। तथापि, अब इस आशय की शर्त को समाप्त कर दिया गया है कि इन नियमों के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाकर आयात किये गये माल को न तो बेचा जाएगा अथवा न ही उसे किसी दुकान में प्रदर्शित किया जाएगा अथवा न उपहार में अथवा अन्यथा दिया जाएगा।

(ग) सरकार का अनुभव यह रहा कि इन प्रतिबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू करने से जनता तथा छोटे-मोटे दुकानदारों को नाराजगी तथा परेशानी होगी। अब दी गई इन ढीलों से इस प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट

736. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार के बारे में अपने कृतिक-दल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार परिसंघ ने कौन-सी विशेष मांगें रखी हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी अपने कृतिक दल की रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में प्रस्तुत की गई और इसकी एक प्रति वित्त मन्त्रालय में प्राप्त हुई थी।

(ख) इस रिपोर्ट ने परिसंघ द्वारा बड़ी संख्या में सिफारिश/मांगें की गई हैं। ये इसके साथ संलग्न विवरण में हैं।

(ग) मांगें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन कार्यचालन क्षेत्र/क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। अतः, इस समय इन सभी मांगों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया के बारे में बताना कठिन हैं।

विवरण

कार्य-प्रणालियों से सम्बन्धित आर्थिक सुधार प्रक्रिया में एक प्रमुख तथ्य रेड टेप और प्रशासनिक पहलू है। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

बहुसंख्यक सरकारी स्वीकृतियों के कारण कार्य-प्रणालियों को गतिशील बनाने के पहले के सभी प्रयासों के बावजूद, समन्वय की कमी के कारण संवृद्धि में बाधा जारी रही। कार्य-प्रणालियां दुर्वहनीय, समय लगाने वाली तथा परेशानी भरी रही हैं। जहां भी कुछ सरकारी नियन्त्रण जरूरी हो वहां उन क्षेत्रों के बीच स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए कि कहां नियन्त्रण आवश्यक और कहां नियन्त्रण आवश्यक नहीं है। किसी भी मामले में, नियन्त्रण को विकासशील और संवृद्धि प्रचालित होना चाहिये तथा निषिद्धात्मक व अहितकारी नहीं।

सरकार की भूमिका नियन्त्रक तथा आर्थिक गतिविधि के निदेशक से बदलकर सहजकर्ता तथा निजी उत्पादक बलों के प्रशिक्षक की होनी चाहिये। भारतीय उद्योग परिसंघ सुझाव देता है कि सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिये और उसकी भूमिका निम्नानुसार होनी चाहिये।

(i) नियमों को पुनः बनाना जो पूरी तरह पारदर्शी है तथा व्यक्तियों को कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं है, नियमों को सरल होना चाहिये जिन से स्तरीय समानता सुनिश्चित होती हो।

(ii) ऐसे नियमों को प्रभावकारी ढंग से लागू करना।

(iii) संविदाओं को लागू करना तथा निजी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को पुनः परिभाषित करना तथा कायम रखना।

(iv) आधारभूत ढांचे (अर्ध-लोक सम्पत्ति) के विकास के लिये संसाधनों का बंटवारा तथा सिद्धान्तों में ऐसी सुविधाओं के बिना स्वामित्व तथा प्रचालन के "मानव पूंजी" का निर्माण करने के लिये संसाधनों का वितरण।

नीतियों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिये प्रशासन में प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना सिस्टम विकसित करना है।

बहुत-सा भुगतान एजेन्सियों के स्थान पर एक सूची निपटान विकसित करना।

जहां सम्भव हो एक विस्तृत प्रारूप शुरू करना।

उद्योग को और प्रतियोगी होने में सहायता करने के लिये अधिकारी-वर्ग को राज्यों द्वारा और ज्यादा प्रभावनीय बनाना "इंस्पेक्टर राज" का उन्मूलन करना तथा आत्म-विनियमन पर जोर देना।

अविनियमीकरण के वर्तमान प्रसंग में, आत्म-लेखा परीक्षा पद्धति पर जोर दिया जाना चाहिये।

समय आ गया है जब सरकार को विभिन्न कार्यरत समूहों द्वारा समय-समय पर दी गयी सलाह पर सीधे निर्णय लेने के लिये एक कार्य-दल का गठन करना चाहिये। यह समझाया जाता है कि इस प्रकार गठित कार्यदल में उद्योग के प्रतिनिधियों का भी शामिल किया जाना चाहिये। सी०आई०आई० ने कार्य-प्रणाली सम्बन्धी हेसल पर प्रकाश डालने के लिये पहल की है, यद्यपि यह मात्र एक झलक है, प्रक्रिया लगातार आधार पर होने की जरूरत है।

उत्पाद तथा सीमा शुल्क प्रक्रियायें गम्भीर चिन्ता के विषय हैं क्योंकि वे बहुत उलझी हुई तथा बोझिल हैं। उदाहरण के लिये परिकल्पित निर्यात संविदाओं के अधीन निर्माताओं को चीजों के निपटान के समय उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ता है तथा परिणामतः उसकी वापसी करानी पड़ती है। इसका परिणाम धन का अवरोध होना है तथा नकदी प्रभावित होती है क्योंकि उत्पाद शुल्क को वापस पाने में पर्याप्त समय लगता है। इन अनावश्यक प्रक्रियाओं का महत्व समझ में नहीं आता है। औपचारिकताओं को कम

प्रत्यायोजन करने के लिये शक्ति (अधिकार) को नीचे की ओर सहायक समाहर्ताओं (कलेक्टरों) अथवा अधीक्षकों जैसे प्राधिकारियों को सौंपा जाना चाहिये।

विभिन्न अधिनियमों के अधीन भारी संख्या में पंजिकायें (रजिस्टर) रखी जानी अपेक्षित होती हैं जिसके लिये कोई औचित्य नहीं हैं। दस्तावेजों की संख्या प्रबल रूप से कम की जानी चाहिये।

अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण तथा अविनियमन और विनियन्त्रण के कारण अनेक अधिसूचनाएं, परिपत्र परिचालित किये गये हैं जिनमें विदेशी इक्विटी की सहभागिता के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं इनमें विदेशी सहयोग के करार भी शामिल हैं अर्थात् :

सीमा शुल्क	377
उत्पाद शुल्क	117
प्रत्यक्ष कर	21
आयात व्यापार नियंत्रण	78
निर्यात व्यापार नियंत्रण	7

जिससे भ्रान्ति, जटिलता तथा परेशानी की वृद्धि हुई है।

अन्तर्राज्यीय बैरियर, स्थानीय कर जैसे माल कर, चुंगी, बिक्री कर, मार्ग कर, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता। सिवाय इसके कि मामलों में विलम्ब होता है और कागजी काम और लागत बढ़ती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। निर्धारिती-कर कानूनों में सभी अनिवार्यताएं समय बद्ध होती हैं इसी प्रकार अपीलीय प्राधिकारियों सहित कराधान प्राधिकारियों की सभी अनिवार्यतताएं भी अपीलों आदि का निर्णय करने के लिये समय-बद्ध होनी चाहिये अन्यथा निर्धारितियों को बकाया मांग की पूर्ति करने के लिये परेशान किया जाता है और बाद के वर्षों में निर्धारण में बार-बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

पर्यावरण के मामले में अभी काफी प्रश्न अनुत्तरित हैं। पर्यावरणीय विनियमों का प्रवर्तन कितना प्रभावी है; आर्थिक कानूनों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ऊर्जा का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण हो। पर्यावरणीय अनापत्ति के शीघ्र निपटान के लिए एक पृथक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की जाये जिसमें उद्योग, पर्यावरण विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार का उचित प्रतिनिधित्व हो।

अभिन्न रूप में पर्यावरणीय मामलों से निपटने के उद्देश्य से पर्यावरण-नीति का मूल संकेन्द्रण संसाधन संरक्षण होना चाहिये इसमें उद्योग तथा सरकार दोनों ही को मदद मिलेगी।

सी० आई० आई० ने सुझाव दिया है कि सरकार को गैर-अधिकारी वर्ग विशेषज्ञ अथवा एजेंसियों को सम्बद्ध करने के कुछ नये काल्पनिक तरीकों के बारे में सोचना चाहिये जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि उदारीकरण के उपाय शीघ्र कार्यान्वित किये जाए। कम से कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कुछ निगरानी समितियां स्थापित की जानी चाहिए।

सीमाशुल्क अधिकारियों का तस्करी की गतिविधियों में लिप्त होना

737. श्री हरि किशोर सिंह :

श्री राम विलास पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर तट के सीमा शुल्क कर्मचारियों का तस्करी की गतिविधियों में लिप्त होने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे इन गतिविधियों में किस प्रकार शामिल थे; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) नवम्बर, 1992 के दौरान मंगलौर तट के साथ लगे हुए क्षेत्र से तस्करी-रोधी आपरेशन से लौटने पर दो सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मंगलौर सीमा शुल्क समाहर्तालय के एक सीमाशुल्क अधीक्षक द्वारा निषिद्ध माल का अभिग्रहण करने के उनके प्रयास को विफल कर दिया गया और कथित रूप से जिसके संकेतों से मंगलौर के लगभग 100 कि०मी० उत्तरी तट पर निषिद्ध माल उतारने का प्रयास कर रही दो नौकाएं सतर्क हो गयी थी। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

ग्रामीण बैंकों द्वारा गरीबों को ऋण

[हिन्दी]

738. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने देश में विशेषत: बिहार में गरीबों की रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों को ऋण स्वीकृत करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

चांदी की तस्करी रोकने के लिये चांदी का आयात

[अनुवाद]

739. **श्री एस० बी० थोराट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान चांदी की तस्करी में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में सोने की आयात की तरह चांदी के आयात करने की कोई योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक

चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है इसलिए गत एक वर्ष के दौरान चांदी की तस्करी की ठीक-ठीक मात्रा का अंदाजा लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, गत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान पकड़ी गई चांदी की मात्रा का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है जिससे तस्करी की घटनाओं में कमी आने की प्रवृत्ति का पता चलता है :—

वर्ष	मात्रा (कि० ग्रा० में)
1990	216447
1991	197925
1992	161060 (अनन्तिम)

(ग) से (ङ) चांदी सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी की रोकथाम के लिए तस्करी-रोधी एजेंसियां सतर्क रहती हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है। इसके अलावा, 9 फरवरी, 1993 से भारतीय मूल के यात्री अथवा भारतीय पासपोर्टधारी वे यात्री, जो विदेश में कम से कम 6 महीने रुकने के बाद भारत में वापस लौट रहे हों, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 500 रुपये प्रति कि० ग्राम० के हिसाब से सीमा शुल्क की अदायगी करने पर अपने साथ 100 कि०ग्रा० तक चांदी ला सकते हैं।

बंगलौर में नशीली औषधियों का अवैध व्यापार

740. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दक्षिणी भाग विशेषकर बंगलौर में नशीली औषधियों का अवैध व्यापार बढ़ रहा है जैसा कि 18 जनवरी, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सामने आये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

741. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रक्षा मंत्री 20 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न सं० 3747 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कोई नियमित कार्यक्रम है,

(ख) यदि नहीं, तो परिषद की बैठक आयोजित करने के लिये निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ग) 24 अगस्त, 1990 को परिषद का गठन हो जाने के बाद इसकी कुल कितनी बैठकें हुई तथा किन-किन तिथियों को आयोजित की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श बोर्ड तथा स्ट्रैटेजिक (सामरिक) कोर ग्रुप का पूर्णत: गठन कर दिया गया है;

(ङ) क्या ये दोनों पूर्णतः कार्यरत हैं; और

(च) उपरोक्त परामर्श बोर्ड तथा ग्रुप की अब तक अलग-अलग कुल कितनी बैठकें हुई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठकों के लिए कोई नियमित कार्यक्रम या विशिष्ट मापदण्ड नहीं है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष हैं, और वे आवश्यक होने पर किसी भी समय इसकी बैठक बुला सकते हैं। इस परिषद् की बैठकें इसके गठन के बाद, एक बार 5-10-90 को हुई।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) अब तक सलाहकार बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। युद्धनीति संबंधी कोर ग्रुप की एक बैठक 5-10-90 को हुई थी।

रूस के साथ व्यापार समझौता

742. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

प्रो० रीता वर्मा :

श्री बापू हरि चौरे :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के दौरान रूस के साथ व्यापार समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भारत-रूस व्यापार विस्तार के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान अभी तक रूस से दिये गये आयात और निर्यात को दर्शाते हुए अनुमानित व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है तथा आगामी वर्ष में रूस की तरफ से कितना व्यापार किये जाने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। रूस के साथ पिछली गर्मियों में ही दिनांक 4 मई, 1990 को एक द्विपक्षीय व्यापार करार किया गया है, जो पांच वर्षों के लिये वैध है। हाल के दौरे के दौरान व्यापार के कुछ विशिष्ट पहलुओं और व्यापार से संबंधित मामलों पर रूसी पक्ष के साथ कि गये पारस्परिक समझौते वाले चार पत्रों का आदान-प्रदान किया गया था, ये

(1) प्रति व्यापार तथा व्यापार सहयोग के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य अन्य तरीकों।

(2) भारत द्वारा भारत से अनुमत माल एवं सेवाओं की रूस द्वारा खरीद के कारण, भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा दिये गये राज्य ऋणों के पुर्नभुगतान के तरीके।

(3) भूतपूर्व सोवियत संघ एवं रूसी फैडरेशन को भारत द्वारा दिये गये तकनीकी ऋण का रूस द्वारा पुर्नभुगतान, भारतीय निर्यातकों को वर्ष 1992 में रूस को किये गये उस निर्यात का भुगतान, जिनका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, वर्ष 1992 में भारत द्वारा दिये गये तकनीकी ऋण का रूस द्वारा उपयोग करने की सुविधा का विस्तार, और

(घ) आस्थगित भुगतान शर्तों पर सोवियत संघ से मशीनरी और उपस्कर की सुपुर्दगी के लिए पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में कुछ तरीकों से संबंधित हैं।

(ग) अभी तक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल/भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ व्यापार के अलग-अलग आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं। स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल के सभी गणराज्यों, जिनमे से अधिकांश रूस से सम्बन्धित हैं, के साथ अप्रैल-नवम्बर, 1992 की अवधि के लिए व्यापार के सामूहिक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशक,

	(आंकड़े करोड़ रुपए में)
स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल को निर्यात	1066.39
स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आयात	447.68
व्यापार संतुलन	+618.71

कृषि क्षेत्र में ऋण की आवश्यकताएं

743. श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव :
प्रो० रीता वर्मा :
श्री रामचन्द्रन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बैंक तथा बीमा कम्पनियां कृषि क्षेत्र की कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) तो क्या इनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से कोई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) विभिन्न प्रकार के संशोधन और प्रबन्धकीय बाधाओं के कारण बैंक और वित्तीय संस्थायें इस स्थिति में नहीं है कि वे कृषि क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी कुल जरूरतों को पूरा कर सकें। संस्थागत स्रोत से कृषकों की ऋण सम्बन्धी जरूरतों का कुछ हिस्सा ही पूरा होता है और बाकी हिस्सा उनके अपने संसाधनों/उधार लेने के गैर संस्थागत स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) शीर्ष स्तरीय संस्था है जो अल्पावधिक/दीर्घावधिक कृषि ऋण प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सामान्य उधार व्यवस्था (जी० एल० सी०) में से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मौसमी कृषि कार्यों का वित्तपोषण करने के लिए सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधिक ऋण सीमायें प्रदान करता है। अच्छी वर्षा होने और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण फसल ऋणों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से सामान्य उधार व्यवस्था की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992-93 में मंजूर

किए गये 2700 करोड़ रुपए की सीमा में जनवरी 1993 में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि कर उसे 3100 करोड़ रुपये कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र को ऋण देने की कोई योजना हाथ में नहीं ली है।

भुवनेश्वर में मकानों के निर्माण/खरीद के लिए ऋण

741. **श्री सुवास च द नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में तथा उड़ीसा के अन्य शहरों में मकानों/फ्लैटों के निर्माण/खरीद के लिए ऋण देने वाले बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे ऋण मंजूर करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान प्रक्रिया के कारण सच्चे आवेदनकर्ताओं को कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल बनाने तथा ऋण पर ब्याज की दर को कम करने के लिए भी सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसरण में अलग-अलग आवास वित्त संस्थाओं और राज्य आवास बोर्डों को आवास वित्त मंजूर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक संपत्ति को बंधक रखकर अथवा सरकारी गारण्टी को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और जहां प्रतिभूतियां संभाव्य नहीं होती हैं वहां वे जीवन बीमा पालिसी, शेयर और डिबेंचर, स्वर्ण आभूषण आदि जैसी प्रतिभूतियों के दूसरे रूपों को स्वीकार करते हैं। जीवन बीमा निगम की स्वयं की ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत मकान बनाने के लिए ऋण मंजूर किए जाते हैं। जीवन बीमा निगम की स्वयं की योजनाओं के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों की तसल्ली के मुताबिक प्रतिभूतियां प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है। संबद्ध संस्थाओं के ऐसे प्राधिकारियों को ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करना होता है और आवेदक, ऋण की आवश्यकता, प्रतिभूति की प्रकृति और दूसरे ब्यौरों की सत्यता के बारे में अपने आपको संतुष्ट करना होता है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास वित्त के सम्बन्ध में उड़ीसा के भुवनेश्वर जैसे शहरों और अन्य स्थानों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, समग्र रूप से पूरे देश के लिए वर्ष 1990-91 के लिए वाणिज्यिक बैंकों की उपलब्धि 506 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के लिए जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और हुडको जैसी अन्य वित्तीय और विकासात्मक संस्थाओं से पूरे देश के लिए समग्र रूप से निधियों का प्रवाह क्रमश: 825 करोड़ रुपये, 77 करोड़ रुपये, 119 करोड़ रुपए और 735 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक बैंकों ने आवास वित्त के अन्तर्गत ऋणों की मंजूरी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कदम उठाये हैं। तथापि, वास्तविक आवेदकों की कठिनाई से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायत की सम्बन्धित संस्थाओं भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई हेतु जांच की जाती है।

सितम्बर, 1990 में ब्याज दरों की क्षेत्र विशिष्ट पूर्ति समाप्त कर दी गई थीं और ब्याज दर को ऋण की मात्रा के साथ जोड़ते हुए बैंकों के उधार दर के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया था। युक्तसंगत

बनाए गए ब्याज दर ढांचे में आवास ऋण भी शामिल हैं और इस समय आवास ऋणों सहित ऋणों की ब्याज दरों को संशोधन/कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अप्रयोज्य क्षमता

745. **श्रीमती कृष्णेन्द्रकौर (दीपा)** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रमों को अपनी अप्रयोज्य क्षमता को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के निर्णय से देश की प्रतिरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों को उनके यहां व्यर्थ पड़ी मशीनी-क्षमता का, सिविल क्षेत्र से कार्य लेकर, उपयोग करने को बढ़ावा दे रही है।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव का रक्षा तैयारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी तरफ, उद्योग क्षेत्र की सहायता करने के अलावा, क्षमता का पूर्ण उपयोग करने से रक्षा उत्पादन इकाईयों की कार्य-क्षमता में सुधार हुआ है, और रक्षा सेनाओं से लिए जा रहे उनके मूल्यों में कमी आई है।

सीसम के बीज का निर्यात

746. **श्री पी० पी० कालिया पेरूमल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान सीसम के बीज का सकल निर्यात कितना हुआ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीकी और जापान द्वारा सीसम के बीज के आयात में काफी कमी की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार सीसम के बीज के आयातक देशों के स्वास्थ्य विनियमों का अनुपालन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1991-92 तथा 1992-93 (अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993) के दौरान सीसम बीज का कुल (अनन्तिम) निर्यात क्रमश: 61.47 करोड़ रु० का 33,533 टनेज तथा 68.38 करोड़ रु० का 40,089 टनेज रहा है।

(स्रोत: इण्डियन आयल एण्ड प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स)

(ख) अमरीका तथा जापान को सीसम बीज के निर्यात में काफी गिरावट रही है इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि जापान तथा अमरीकी में स्वास्थ्य नियम काफी सख्त हो गए है तथा वे भारत से सीसम बीज आयात करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि आयातित सामान में बताई गई सहनशक्ति सीमाओं से ज्यादा अनावश्यक कृमिनाशकों का अवशेष होगा।

(ग) से (ङ) दूसरे देशों में प्रतिबंधित कृमिनाशकों के बारे में विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर 15 कृमिनाशकों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी० सहित 10 कृमिनाशकों के उपयोग पर रोक लगाई गई है।

पर्वतीय तथा जनजातिया क्षेत्रों के विकास हेतु विश्व बैंक सहायता

[हिन्दी]

747. **श्री एन० जे० राठवा :**
श्री शिबू सोरेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय तथा जनजातिय क्षेत्रों के विकास के लिए तथा बड़ी संख्या में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से आज तक परियोजना-वार तथा राज्य-वार तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(घ) आवश्यक धनराशि के अभाव में कितनी परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जा सकीं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र के विकास के लिए बिहार पठार परियोजना पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की 1170 लाख अमेरिकी डालर की सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई है। पहाड़ी और जनजातिय क्षेत्रों में अन्य परियोजन की सूची जिसमें कुल सहायता के ब्यौरे तथा अद्यतन संचयी संवितरण दिया गया है, अनुबन्ध में है। विश्व बैंक की सहायता के लिए वचनबद्ध किसी परियोजना को अपेक्षित धनराशियों के अभाव के कारण नहीं रोका गया है।

(घ) से (ङ) हाल ही में परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों को अन्तरित करने का निर्णय किया गया है ताकि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके।

पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में संघटक वाली परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कुल सहायता (मिलियन अमेरिकी डालर)	संचयी संवितरण (मिलियन अमेरिकी डालर)
1	2	3	4
1.	प्रथम एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना (I) (आई० सी० डी० एस-I)	100.5	15.78

1	2	3	4
2.	द्वितीय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना II (आई० सी० डी० एस-II)	194.0	—
3.	प्रथम तकनीकी शिक्षा	218.21	36.0
4.	द्वितीय तकनीकी शिक्षा	291.54	19.1
5.	सातवीं जनसंख्या	86.58	11.6
6.	बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व	219.40	29.40
7.	राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण	84.00	5.0
8.	एकीकृत जलविभाजक विकास (पहाड़ी)	75.0	12.2
9.	बिहार पठार विकास परियोजना	117.0	—

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्जित आय/उठाया गया घाटा

[अनुवाद]

748. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष-वार अर्जित आय तथा उठाए गये घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं कि ये बैंक भविष्य में घाटा न उठाएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद): (क) प्राप्त सूचना के अनुसार 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (अद्यतन उपलब्ध) के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों का औसत लाभ और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों का औसत घाटा नीचे दिया गया है—

	(लाख रुपए)	
	लाभ	घाटा
1989-90	39.6	433.0
1990-91	58.7	77.0
1991-92	59.8	23.0

महाराष्ट्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में गत 3 वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

	(लाख रुपए)	
	लाभ	घाटा
1989-90	44.81	31.71
1990-91	शून्य	36.99
1991-92	शून्य	119.93

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उठाए गए घाटों के अनेक कारण हैं, जैसे निम्न कारोबार टर्नओवर, उच्च प्रबन्ध लागत, प्रचालनों पर कम मार्जिन, ऋण पोर्टफोलियो की विविधीकरण की कमी, यथोचित रूप से निधियों की व्यवस्था में असफलता, तथा कम वसूली। केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है तथा राज्य के संबन्धित विधान द्वारा नियंत्रित होते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किए जाते है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी उनका सांविधिक निरीक्षण करता है तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता है। जहां तक सहकारी ऋण संस्थानों की खराब वसूली का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से मिडिया तथा उनके विस्तार तन्त्र से उधारदात्री संस्थाओं की रकमों की वापसी अदायगी के महत्व का प्रचार करने के लिए कहा गया था। बैंकों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने प्रबन्धन की लागत को उचित स्तर तक ही सीमित रखें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादनों की नाबार्ड तथा भारत सरकार द्वारा नियमित अन्तरालों मानीटरिंग की जाती है। वित्तीय प्रणाली पर समिति, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, ने सिफारिश की थी कि लाभप्रदता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, के सभी प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यद्यपि उनका विशेष ध्यान लक्ष्यमत समूह पर ही रहना चाहिए। दिसम्बर 1992 में नाबार्ड ने सलाह दी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने स्वविवेक से गैर-लक्ष्य समूहों की ग्रामीण प्रतिशतता आधार के 40 प्रतिशत तक का वित्तपोषण कर सकते हैं सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में चुकता पूंजी भी 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर देश में एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापित करने का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

चेलैया समिति की रिपोर्ट

749. **श्री सी० वी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री साईमन मरान्डी :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जीवन शर्मा :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राजा जे० चेलैया के नेतृत्व वाली कर सुधार समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) समिति की अन्तिम रिपोर्ट दो भागों में है। रिपोर्ट के भाग I में निम्नलिखित पांच विस्तृत क्षेत्रों के मुद्दों पर सिफारिश की गई है।

(i) अन्तिम रिपोर्ट में प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित जिन समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है वे ये हैं—विदेशी वस्तुओं का कराधान सहित निगम लाभ कर, कारोबार कराधान, ब्याज कर, कृषि आय कराधान और उपहार कर।

(ii) घरेलू अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली में और सुधार विशेषकर केन्द्रीय स्तर पर, संशोधित कीमत योग कर (मोडवेट) के प्रसार सम्बन्धी अधिक विवरण और "मोडवेट" की कीमत योग कर (वेट) में परिवर्तित करना।

(iii) प्रक्रिया में सुधार जिसमें अपीलीय प्रक्रिया, जटिल उपबन्धों और करदाता के विरुद्ध असभ्यक् रूप से लागू किए गए उपबन्धों, प्रत्यक्ष करों सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को हटाना शामिल है।

(iv) प्रशासन की समस्याएं--प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के साथ-साथ कराधान के अधिक विस्तृत पहलुओं के प्रति प्रशासन को अधिक सहृय तथा सजग बनाना। प्रशासनिक ढांचे, सुविधाओं, परिलब्धियों, उच्च स्तर पर चयन प्रक्रिया, दण्ड और पुरस्कार में परिवर्तन करना।

(v) राजस्व लेखा परीक्षा -- इसकी भूमिका—लेखा परीक्षा का दृष्टि कोण और कर दाताओं के लिए उत्पन्न की गई समस्याएं-सुधार की रूपरेखा।

2. अन्तिम रिपोट के भाग II में आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क को फिर से तय करना और सरल बनाना और आयात शुल्क में छूट सम्बन्धी अधिसूचनाओं की समीक्षा करना; उद्योगों के विशिष्ट ग्रुपों से सम्बन्धित शुल्क संरचना में किए जाने वाले परिवर्तन और समय सीमा जिसके भीतर परिवर्तन हो जाने चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार के निर्णयों का पता वर्ष 1993-94 के बजट प्रस्तावों में परिलक्षित होने लगेगा।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग

[हिन्दी]

750. **श्री महेश कनोडिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र से सहयोग लेने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर पुनर्विचार करने का है?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार की नीति, रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध राष्ट्रीय औद्योगिक आधार मूल सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करना है। इस नीति के अनुसार सरकार निजी क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्रों से भिन्न सरकारी क्षेत्र वाले सिविल क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का बेहतर उपयोग करने का प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह भी है कि यदि अपेक्षित क्षमता पहले से ही मौजूद हो या वह सिविल क्षेत्र में किफायती आधार पर तैयार की जा सकती हो तो रक्षा क्षेत्र में घातक तथा संवेदनशील

उपस्करों के उत्पादन की क्षमता को छोड़कर नई क्षमताओं का विकास नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत यद्यपि घातक तथा संवेदनशील उपस्करों की अन्तिम रूप से एसेंबली का कार्य केवल रक्षा क्षेत्र तक ही रखा जा रहा है, तथापि कई एसेंबलियों, सब-एसेंबलियों तथा संघटकों के संसाधन जुटाने का कार्य सिविल क्षेत्र में भी किया जा रहा है ।

(ग) उपर्युक्त नीति पर पुनर्विचार किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल नहीं है।

सम्बलपुर-सुन्दरगढ़-राउरकेला मार्ग

[अनुवाद]

751. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक उड़ीसा में सम्बलपुर-सुन्दरगढ़-राउरकेला मार्ग के विकास और इसे चार लेन वाला मार्ग बनाने के लिए सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ एशियाई विकास बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। लेकिन एशियाई विकास बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता सड़क में सुधार के लिए है न कि इसे चार लेनों वाला बनाने के लिए।

(ख) 41.07 मिलियन अमरीकी डालर।

(ग) 1996-97

रुपये का मूल्य

752. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री पांडुरंग मुडलिक फुंडकर -
श्री साईमन मरान्डी :
श्री शिबू सोरेन :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च 1992 से शुरू की गयी आंशिक परिवर्तनीयता से डालर की तुलना में रुपये का मूल्य तेजी से घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां,तो इसके बाद डालर के सन्दर्भ में सरकारी दर की तुलना में बाजार दर पर रुपये के मूल्य का कितना ह्रास हुआ है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) रुपये की प्राधिकृत दर में 4 दिसम्बर, 1992 को 1.18 प्रतिशत अधोमुख समायोजन किया गया है। इस समायोजन को छोड़कर रुपए की प्राधिकृत दर स्थिर रही है। जहां तक रुपये की विनिमय दर का सवाल है, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफ० ई० डी० ए० आई०) द्वारा

संकेतक विनिमय दर, जिसकी घोषणा 3 मार्च, 1992 से प्रतिदिन के आधार पर होती है, बाजार-धारणा के पैरामीटर के रूप में प्रयुक्त होती है। इन संकेतक दरों के मासिक औसत के रूप में रुपए में वस्तुत: मई, जून, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1992 के महीनों में डालर की तुलना में वृद्धि हुई है। एफ० ई० डी० ए० आई० दर के रूप में अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए कि विनिमय दर 18-2-93 से 32.7708 रुपए थी जो 3 मार्च, 1992 की 29.1971 पपये प्रति अमेरिकी डालर की विनिमय को दर 10.9 प्रतिशत ह्रास द्योतक है, और उस समय बाजार के उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एल० ई० आर० एम० एस०) के अन्तर्गत कार्य-प्रचालन शुरू किया था।

(ख) प्रतिदिन की दरों के रूप में 1-4-92 से 31-1-93 तक के दौरान एफ० ई० डी० ए० आई० और (अमेरिकी डालर की तुलना में) प्राधिकृत दमों के बीच ह्रास की न्यूनतम सीमा 10.69 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 21.55 प्रतिशत रही। 11-2-93 को संकेतक दर अमेरिकी डालर की तुलना में 33.5289 रुपये पर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। बाजार दरों और प्राधिकृत दरों के बीच का अन्तर 27.97 प्रतिशत पर अधिकतम था। उस तारीख से रुपया सभी प्रमुख मुद्राओं (करेंसी) की तुलना में सुदृढ़ होता रहा है।

(ग) विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की विनिमय दर निरन्तर परिवीक्षण का विषय है।

कश्मीर में जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों के सामने आ रही कठिनाइयां

753. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां से विस्थापित हुये जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों को अपनी पालिसी जारी रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम का निकट भविष्य में ऐसे लोगों के मामलों को दिल्ली में जारी रखने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली में इलाहाबाद बैंक के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से पालिसीधारियों के प्रीमियम की राशि प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। जम्मू और दिल्ली में पृथक मण्डल कार्यालय एकक खोले गए हैं ताकि घाटी में शाखाओं के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाया रखा जा सके।

प्रक्षेपास्त्रों को छोड़ना

754. **श्री विलास मुत्तेमवार** :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरा "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र कब तक छोड़े जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान छोड़े जाने वाले प्रस्तावित अन्य प्रक्षेपास्त्रों का ब्यौरा क्या है ?

राज्य मन्त्री (श्री शरद पवार) : प्रौद्योगिक प्रदर्शक "अग्नि" का अगला प्रक्षेपण वर्ष 1993 के दूसरी तिमाही के दौरान लिए जाने की सम्भावना है।

(ख) अगले प्रक्षेपण के लिए तैयारियां चल रही हैं।

(ग) प्रक्षेपण अभियान आरम्भ करने से पहले विभिन्न उड़ान-प्रणालियों का एकीकरण और परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) "पृथ्वी", "त्रिशूल", "आकाश", और "नाग" प्रक्षेपास्त्रों का इस वर्ष उड़ान परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के म्यूचुअल फण्डों के पंजीकरण के लिए विनियम

755. **श्री बलराज पासी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फण्डों के पंजीकरण के लिये विनियम जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों में म्यूचुअल फण्डों में अनियमितताएं पाए जाने की कोई घटना प्रकाश में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ने 20 जनवरी, 1993 को म्यूचुअल फण्ड के पंजीयन के लिए विनियमन अधिसूचित किए हैं। विनियमनों में अन्य बातों के साथ-साथ म्यूचुअल फण्डों के पंजीयन के लिए शर्तों और प्रक्रिया, उनका संघठन और प्रबन्ध, स्कीमों का संचालन, निवेश के उद्देश्य तथा मूल्यांकन नीतियां, म्यूचुअल फण्डों की सामान्य बाध्यताएं और निरीक्षण तथा विनियमनों के अनुपालन में चूक करने के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रमुख अनियमितताएं निम्नलिखित हैं—मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करना, प्रवर्तकों के साथ निकट सम्बन्ध न रखना और रिकार्डों का अपर्याप्त रख-रखाव।

(ङ) म्यूचुअल फण्डों को कहा गया है कि वे पृथक परिसम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनियों, ट्रस्टी बोर्ड के पुनर्गठन और रिकार्ड रखने की प्रणाली में सुधार कर इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठायें। सेबी इसके अनुपालन के सम्बन्ध में सूक्ष्म रूप से निगरानी कर रहा है।

नकदी फसलों का उत्पादन और निर्यात

756. **श्री पाला० के० एम० मैथ्यू :**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आगामी कुछ वर्षों में चाय, कॉफी, रबड़, काली मिर्च, इलायची, अदरक और कोको आदि जैसी नकदी फसलों के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या काली मिर्च के लिये लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए इसके स्वदेशी बाजार का पता लगाने तथा इसकी बिक्री में बिचौलियों को न रखने की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव हैं। ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :

(क) (1) **कॉफी**—कॉफी की विश्वव्यापी देशी और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक सन्तोषजनक नहीं होने के कारण नए क्षेत्रों में कॉफी के विस्तार को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। किन्तु, मौजूदा रोपित क्षेत्र को समेकित करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए गहन खेती पद्धतियां अपनाई जा रही हैं और मृतप्राय: पौधों के स्थान पर नई-नई किस्मों के पौधे लगाए जा रहे हैं।

(2) **चाय**—वर्ष 1991 से 2000 तक की 10 वर्षीय अवधि के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में 1000 मि० किग्रा० चाय का उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त किए जाने की परिकल्पना है जिसमें से 710 मि० किग्रा० चाय घरेलू मांग को पूरा करने के लिए होगी। परिकल्पित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश का अनुमान 1567 करोड़ रु० है जिसे चाय बोर्ड, चाय उद्योग और वित्तीय संस्थाओं के योगदान से तैयार करना होगा। विकास उपायों में विस्तार रोपण, पुराने और खर्चीले क्षेत्रों में पुनरोंपण और पौधे बदलना, पुनर्नवीकरण, भरपाई तथा समेकन शामिल होंगे। सिंचाई, नालियां बनाना तथा खेतों की उन्नत विधियों और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना तथा फैक्ट्रियों का आधुनिकी करण जैसे उपाय भी किए जाएंगे।

(3) **काली मिर्च, अदरक आदि सहित मसाले**—काली मिर्च, अदरक आदि सहित मसालों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि मन्त्रालय द्वारा मसालों के विकास हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि मन्त्रालय द्वारा आंठवीं योजनाके दौरान कोको का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए (क) सिंचाई सुविधायें प्रदान करना, (ख) वैज्ञानिक खाद डालने तथा पौध संरक्षणों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन प्लाट तैयार करना; और (ग) कोको का विपणन संवर्धन करना जैसे उपाय किए गये हैं।

मसाला बोर्ड ने भी रोपण सामग्री की सप्लाई, पुनरोंपण, सिंचाई और प्रसार सेवा के द्वारा उत्पादकता बढ़ाकर इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं।

(4) रबड़ —रबड़ बोर्ड अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक अल्पावधि तथा दीर्घावधि योजनायें लागू कर रहा है। महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं—(1) रबड़ बागान विकास योजना के अधीन नए रोपण तथा पुनर्रोपण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, (2) अधिक पैदावार वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, (3) परामर्शी, प्रसार और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना, (4) छोटे जोत धारियों में सामूहिक प्रोसेसिंग तथा विपणन को प्रोत्साहित करना; और (5) रबड़ की खेती, उत्पादन तथा प्रोसेसिंग पर अनुसंधान करना।

रबड़ बागान विकास योजना के अधीन दी जाने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) परम्परागत क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक के सभी लघु जोत धारियों और गैर-परम्परागत क्षेत्रों में सभी उपजकर्ताओं को 5,000/-रु० प्रति हेक्टेयर की दर से पूंजी उपदान।

(2) सामान्य श्रेणी के उपजकर्ताओं को 6/-रु० प्रति पौध लेकिन 2000/-रु० प्रति हेक्टेयर और अनु० जा०/अनु० ज०जा० के उपजकर्ताओं को 8/-रु० प्रति पौध लेकिन अधिकतम 3000/-रु० प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उच्च क्वालिटी के पोलो बैग वाले पौधों का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त सहायता।

(3) नाबार्ड के पुनर्वित्त कार्यक्रम के तहत कार्यरत बैंकों से पौधों की परिपक्वता तक रोपण तथा अनुरक्षण को लागत के बराबर दीर्घावधि सहायता। रबड़ बोर्ड द्वारा परम्परागत क्षेत्रों के 5 हेक्टेयर तक के स्वामी उपजकर्ताओं और गैर-परम्परागत क्षेत्रों के सभी उपजकर्ताओं द्वारा लिए गए इस तरह के ऋणों पर ब्याज पर 3% उपदान का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) कृषि मन्त्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) ने काली मिर्च के सम्बन्ध में बाजार हस्तक्षेप योजना (एम आई एस) के एक प्रस्ताव पर विचार किया है। केरल सरकार से बाजार हस्तक्षेप कीमत (एम आई पी) और वसूली लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी नहीं मिलने की वजह से कृषि मन्त्रालय ने इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। बाजार हस्तक्षेप योजना का उद्देश्य यह है कि किसानों को कष्टमय बिक्री से बचाया जाये।

महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा/संवितरण

757. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितनी पूंजी जमा की गयी और कितना ऋण वितरित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां और संवितरित किए गये ऋणों की राशि निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपये में)

जुटाई गई जमाराशियां		संवितरित किये गये ऋण	
मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार	राशि	अप्रैल-मार्च के दौरान	राशि
1990	110.05	1989-90	31.44
1991	124.87	1990-91	22.42
1992	140.83	1991-92	21.54*

(*अनन्तिम)

भारतीय तटरक्षक जहाजों की लिट्टे के जहाजों से मुठभेड़

758. प्रो० के० वी० थामस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाजों की लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के जहाजों से मुठभेड़ हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) 14 जनवरी, 1993 को गश्त के दौरान, भारतीय नौसेना पोत कृपाण और तटरक्षक पोत विवेक ने एक "एम० वी० अहद" पोत की संदेहास्पद गतिविधियां पाईं। उस पोत ने भारतीय नौसेना पोत को अपने नजदीक आने और तलाशी की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद, पोत को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार जांच के लिए मद्रास जाने को कहा गया। 16 जनवरी, 1993 को भारतीय समुद्री क्षेत्र में, घातक सामग्री की तलाशी से बचने के लिए पोत पर सवार लिट्टे कार्यकर्ताओं ने पोत पर आग लगा दी और पोत डूब गया। भारतीय नौसेना/तटरक्षक के सैनिकों ने नौ चालक दल कर्मी/लिट्टे कार्यकर्ताओं को डूबने से बचा लिया और उन्हें विशाखापत्तनम सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच चल रही है।

आयुध कारखाना, इटारसी में विस्फोट

759. श्री शिवराजसिंह चौहान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में आयुध कारखाना, इटारसी में विस्फोट की दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विस्फोट के परिणामस्वरूप जन-धन की कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने उक्त दुर्घटना की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षामंत्री (श्री शरद पवार) : (क) : जी, हां।

(ख) यह दुर्घटना 27-11-92 करीब 01.20 बजे निर्माणी के बॉल पाउडर अनुभाग के भवन सं० 806 में हुई, जहां बॉल पाउडर बनाने का कार्य चल रहा था।

(ग) इस दुर्घटना में चार कर्मचारियों की मृत्यु हुई और एक कर्मचारी घायल हुआ। इसमें सम्पत्ति/सामग्री/मशीनरी को जो नुकसान हुआ उसका मूल्य 48, 56, 330/- रुपए आंका गया है।

(घ) : जी हां।

(ङ) और (च) जांच बोर्ड के निष्कर्ष और सिफारिशें तथा उन पर आयुध निर्माणी बोर्ड की टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं।

रुग्ण औद्योगिक

760. **श्री टी० के० अंजलोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1992 से जनवरी 1993 के बीच औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने केरल में जिन रुग्ण औद्योगिक के मामले उठाये हैं उनकी क्षेत्रवार तथा स्थानवार संख्या कितनी है, और

(ख) बोर्ड ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने सूचित किया है कि जनवरी 1992 और जनवरी 1993 की अवधि के दौरान उन्होंने केरल की 18 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां पेशीकृत की थीं। 18 कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। इनमें से दो मामलों को पोषण योग्य न होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। शेष 16 मामलो में, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत बी० आई० एफ० आर० कार्यवाई कर रहा है और ये मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

केरल के मामलों की सूची

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1	2
*1.	पुनालूर पेपर लि०
2.	ओरियंटल प्लास्टिक्स एण्ड लेमिनेटर्स लि०
3.	सेवन सीज नाइलोन लि०
*4.	सेंचुरी पेरिफेरियल्स लि०
5.	भारति बेवरेजिस लि०
6.	आटोकास्ट लि०
7.	केलरोन रेक्टीफायर लि०
8,	केलरोन पावर लि०
9.	स्टील एण्ड इंडस्ट्रीयल फोरजिंग लि०

1	2
10.	स्टील काम्प्लैक्स लि०
11.	केलट्रान काउंटर्स लि०
12.	केरल स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन लि०
13.	केलट्रान इलेक्ट्रो सिरेमिक
14.	केरल स्टेट सालिसाइलाट्स एण्ड केमिकल्स लि०
15.	केरला मिनिरल्स एण्ड मेटल्स लि०
16.	केरला आटोमोबाइल्स लि०
17.	केरला स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लि०
18.	केरला स्टेट वुड इंडस्ट्रीज लि०

टिप्पणी—*रखरखाव योग्य न होने के कारण खारिज

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षु

762. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कुल कितने अभ्यर्थियों को भेजा,

(ख) क्या सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत 1994 के पश्चात् कार्यकारी व अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) कोलम्बो योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इंग्लैण्ड (यू० के०) में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है :

1989-90	130
1990-91	129
1991-92	128

(ख) से (घ) : अधिकांशतः सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियां तथा विशेष रूप से ब्रिटिश परिषद प्रभाग भारत में उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के दीर्घावधि विकास में सहायता करने के इच्छुक हैं ताकि बहुत से अधिकारियों को लाभान्वित किया जा सके। हम सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा ब्रिटिश परिषद प्रभाग के साथ परामर्श कर रहे हैं।

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता

763. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार सर्वेक्षण शुरू करके 5 जनवरी, 1993 को पेइचिंग में हस्ताक्षरित भारत-चीन व्यापार समझौता, 1993 के अनुसरण में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाथू ला दर्रा (पास) के जरिये भारत-चीन सीमा पर व्यापार शुरू करने के लिए औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यदि नहीं, तो यह विषय इस समय किस चरण में है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1993 के व्यापार-संकेत की एक प्रति सभी वस्तु बोर्डों निर्यात संवर्धन परिषदों, फिक्की, फिओ, सी आई आई इत्यादि व्यापार क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उपकरणों तथा मशीनरी का निर्यात

764. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपकरणों तथा मशीनरी के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके साथ विकसित देशों में बाजार की उपलब्धता का भी पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार कृषि उपकरण तथा मशीनरी सहित निर्यात बढ़ाने के निरन्तर प्रयास करती रही है। कृषि उपकरण तथा मशीनरी सहित इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए गये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) शुल्क छूट योजना अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना तहत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियां उपलब्ध कराना;

(2) निर्यात दायित्व के बदले रियायती आयात शुल्क पर निर्यात उत्पाद के लिए पूंजीगत माल के आयात का प्रावधान;

(3) विदेश में मेलों में भाग लेने क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और अन्य निर्यात संवर्धन उपायों के लिए विपणन विकास निधि से सहायता;

(4) निर्यात को सुकर बनाने के लिए विभिन्न देशों को एक्सिम बैंक के जरिये आस्थगित ऋण और ऋण प्रणाली उपलब्ध कराना;

(5) निर्यात से प्राप्त आय पर आय-कर से छूट; और

(6) निर्यात आय का बाजार विनियम दर पर आंशिक रूप से परिवर्तन ।

(ग) तथा (घ) भारतीय कृषि उपकरण और मशीनरी का निर्यात पहले मुख्यतः विकासशील देशों तक सीमित रहा था । परन्तु हाल के वर्षों में विकसित देशों में निर्यात संभावना का पता लगाया गया है और अब संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम और आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों को इस तरह के निर्यात हो रहे हैं ।

टायरों का निर्यात

765. **श्री पी० सी० थामस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार टायरों के निर्यात का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान टायरों की लागत बढ़ गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका टायरों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से टायरों और ट्यूबों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1989-90	157.3
1990-91	194.9
1991-92	230.9

भारतीय टायरों और ट्यूबों का निर्यात 60 से भी अधिक देशों को किया जा रहा है । तथापि, प्रमुख गंतव्य स्थान संयुक्त राज्य अमरीका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, सिंगापुर, कनाडा, नाइजीरिया और मिस्र हैं ।

(ग) तथा (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान टायरों की घरेलू लागत में वृद्धि हुई है । तथापि, इससे हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । क्योंकि निर्यात एवं आयात नीति की शुल्क छूट योजना के प्रावधानों के तहत निर्यात उत्पादों के लिए कच्चा माल निःशुल्क आयात किया जा सकता है और निर्यात किये गये माल पर उत्पाद शुल्क आदि जैसे केन्द्रीय शुल्क, यदि कोई हों, तो उन्हें वापस कर दिया जाता है ।

सरकारी कर्मचारियों पर छापे

[हिन्दी]

766. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री साईमन मरान्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों पर मारे गए आयकर छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान कितनी धनराशि जब्त की गई तथा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 31 जनवरी, 1993 तक आयकर विभाग द्वारा उन्नीस सरकारी कर्मचारियों की तलाशी ली गई थी। इन तलाशियों के दौरान 109.36 लाख रुपए के मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं।

आयकर अधिनियम में तलाशियों के दौरान व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) संबन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के बाद में सूचना देने के अलावा प्रत्येक मामले में अभिगृहीत सामग्री के आधार पर प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन यथा-उपबंधित आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही शुरू की गई है।

"सोशियल सेफ्टी नेट प्रोग्राम"

[अनुवाद]

767. **श्री आरऊ सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोशियल सेफ्टी नेट प्रोग्राम" के लिए वित्त प्रदान करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा "एड इंडिया कंसोरटियम" के कुछ अन्य सदस्य आगे आए हैं;

(ख) यदि हां, तो "एड इंडिया कंसोरटियम" के प्रत्येक सदस्य द्वारा कुल, कितना ऋण प्रदान किया जाएगा;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक योजना पर कितना व्यय होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित वचनबद्धताएं प्राप्त हुई हैं :

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ—50 करोड़-अमेरिकी डालर

संयुक्त राज्य अमेरिका—3.5 करोड़ डालर

नीदर लैंड—5.556 करोड़ डालर

(ग) और (घ) सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम का प्रयोजन समाज के, लाभ से अपेक्षाकृत अधिक संचित वर्गों पर समायोजन की लागत को कम-से-कम करना है। यह एक कार्यक्रम ऋण है और इसलिए किसी विशिष्ट निवेश से सम्बद्ध नहीं है। कार्यक्रम का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि

सामाजिक क्षेत्र में प्रयास का स्तर सामान्य रूप में और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए विशेष रूप में वास्तविक अर्थों में बनाए रखा जाये।

कार्यक्रम में शामिल मुख्य क्षेत्र हैं—(क) प्रमुख सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम जिनका विषय प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा, रोग नियन्त्रण और पोषणाहार हैं; और (ख) राष्ट्रीय नवीकरण निधि/पहली किस्त (750 करोड़ रुपये) के माध्यम से प्राप्त धनराशियों में से किए गए आबंटन इस प्रकार है : एन० आर० एफ० 500 करोड़ रुपए प्राथमिक स्वास्थ्य 84 करोड़ रुपए, परिवार कल्याण 40 करोड़ रुपए, प्राथमिक शिक्षा 60 करोड़ रुपए और महिला एवं बाल विकास 66 करोड़ रुपये।

दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में हुआ कारोबार

[हिन्दी]

768. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

प्रो० रीता वर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में सम्पन्न हुए भारत-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुल कितना कारोबार हुआ;

(ख) मौके पर ही निपटाये गये व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी धनराशि के व्यापार हेतु अभी बातचीत जारी है तथा इन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा; और

(घ) किन-किन देशों ने अधिकतम क्रयादेश दिए हैं और इसमें कितनी धनराशि निहित है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (14-25 नवम्बर, 1992) में कुल 314.70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

(ख) मौके पर 78.74 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया, जिसमें 2.52 करोड़ रुपये की फुटकर बिक्री शामिल है।

(ग) भागीदारों से समझौता वार्ताओं के तहत 235.96 करोड़ रुपये के बराबर कारोबार की सूचना मिली थी और ऐसे कारोबार को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा, यह भावी क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

(घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई० आई० टी० एफ०) के प्रदर्शकों/भागीदारों ने अन्तिम रूप दिये गये/समझौता वार्ता किये गये कुल कारोबार के सम्बन्ध में जानकारी दी है। विदेशों/विदेशी क्रेताओं के सम्बन्ध में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कुल कितने मूल्य के क्रय आदेश प्राप्त हुए।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17

769. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या महद से होकर गुजरने वाली गोवा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिस कारण जनता को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग के रख-रखाव और मरम्मत पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) सरकार ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, नहीं। बम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को, उपलब्ध राशियों के आधार पर ट्रैफिक-योग्य स्थिति में रखा जा जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा गोवा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड के रख-रखाव एवं मरम्मत पर व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	वहन किया गया व्यय	
	महाराष्ट्र	गोवा
1989-90	291.30 लाख	86.78 लाख
1990-91	396.31 लाख	70.56 लाख
1991-92	319.41 लाख	38.31 लाख

बैंक ऋण वृद्धि दर

[हिन्दी]

770. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :**
श्री मंगल किशोर राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1993 के "इकनामिक टाइम्ज" में "बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट स्लोज इन 92, डिपाजिट्स रिमेन स्टेडी" से प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि कितनी थी और यह 31 दिसम्बर; 1991 तक जमा की गई राशि की तुलना में कितनी अधिक थी;

(ग) क्या जमा राशि में बढ़ोतरी के बावजूद लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र को गत वर्ष की तुलना में कम ऋण दिये गये;

(घ) यदि हां, तो अब तक इन क्षेत्रों को कितने ऋणों का अग्रिम भुगतान किया गया; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिसम्बर 1991 के अन्तिम शुक्रवार अर्थात 27 दिसम्बर, 1991 और दिसम्बर 1992 के अन्तिम शुक्रवार अर्थात् 25 दिसम्बर, 1992 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा-राशियों की रकम का ब्यौरा निम्नानुसार था :—

(रकम करोड़ रुपए में)

निम्नलिखित के अन्त तक	जमा-राशियों की रकम
27 दिसम्बर, 1991	125670
25 दिसम्बर, 1992	146813
वृद्धि	20843
	(16.5 प्रतिशत)

(ग), (घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सभी भारतीय बैंकों के नाम जारी किये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल अग्रिमों का कम-से-कम 18% हिस्सा प्रत्यक्ष कृषि वित्त के लिए प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योग के मामले में ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सितम्बर 1991 और सितम्बर 1992 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, कृषि क्षेत्र (प्रत्यक्ष वित्त) और लघु उद्योगों के लिये 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया अग्रिमों की रकम नीचे दर्शायी गयी है :—

(रकम करोड़ रुपए में)

निम्नलिखित के अन्त तक	कृषि प्रत्यक्ष वित्त	लघु उद्योग (एस०एस०आई०)
सितम्बर 1991	10464	10400
	(15.6%)	
सितम्बर 1992	11181	11316
	(14.9%)	

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

उपर्युक्त को देखने से पता चलता है कि कृषि तथा साथ ही साथ लघु उद्योगों के लिए बकाया रकमों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। प्रतिशत उपलब्धि के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया 18 प्रतिशत का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

सोने का आयात

771. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 माह के दौरान देश में कितने सोने का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितना सोना जब्त किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने इससे कितना राजस्व अर्जित किया; और

(घ) देश में सोने की तस्करी रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अगस्त, 1992 से जनवरी, 1993 के छह महीनों के दौरान पूरे देश में पकड़े गए सोने की मात्रा, देश में वैध रूप से आयात किये गये सोने की मात्रा और इस तरह किये गये आयातों से वसूल की गयी सीमा शुल्क की राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

पकड़े गए सोने की मात्रा—1071 कि०ग्रा०

आयात किये गये सोने की मात्रा—79059 कि०ग्रा०

वसूल की गयी सीमा शुल्क की राशि—173.92 करोड़ रुपये

(घ) सोने सहित सभी प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए तस्करी रोधी एजेंसियां सतर्क हैं। धातु खोजी यंत्रों और एक्स-रे असबाब मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

राज्यों में बकाया कर

[अनुवाद]

772. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री सोमजी भाई दामोदर :
प्रो० राम काप्से :
श्री विलासराव नागनाथराव पूंडिवार :
श्री छेदी पासवान :
श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्यक्ष कर की कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक प्रत्यक्ष करों की कितनी राशि बकाया है;

(ग) निर्धारितियों से बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के हिस्से के रूप में कितना धन वापस किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान मुख्य प्रत्यक्ष करों आदि अर्थात् आयकर और निगम करों कि राज्यवार वसूली के विवरण-I, II तथा III पर संलग्न हैं। अन्य प्रत्यक्ष करों के बारे में इसी प्रकार की सूचना देने के कारण उत्तर काफी लम्बा हो जाएगा और उस सूचना को तैयार करने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे, विशेषकर जब आयकर और निगम कर की मात्रा प्रत्यक्ष कर की समग्र वसूली के 90% से अधिक हो।

(ख) प्रत्यक्ष कर की बकाया राशि के बारे में आंकड़े मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रवार संकलित किए जाते हैं, न कि राज्य-वार। आयकर (निगम कर सहित) की कुल बकाया मांग की राशि के बारे में मुख्य आयुक्तों का क्षेत्रवार विवरण-पत्र विवरण-IV पर संलग्न है।

(ग) आवश्यक प्रशासनिक, कानूनी एवं अन्य उपाय लगातार किये जाते हैं ताकि आयकर की बकाया मांग की राशि को वसूल किया जा सके। बकाया मांग की राशि को वसूल करने के लिए आयकर विभाग की केन्द्रीय कार्य योजना में लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है तथा इसके बारे में प्रत्येक मुख्य

आयुक्त के क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। बड़े-बड़े मामलों में डोजियरों को रखा जाता है तथा स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

महत्वपूर्ण मामलों में, जिनमें अत्यधिक राजस्व की रकम अन्तर्ग्रस्त होती है, जहां-कहीं आवश्यक समझा जाता है, वहां पर विशेष काउंसिलों को नियुक्त किया जाता है ताकि सरकार के निर्णय का बचाव किया जा सके। शीघ्र सुनवाई के लिए तथा जहां-कहीं आवश्यक हो, स्थान आदेशों को रद्द करवाने के लिए न्यायालयों से अनुरोध भी किया जाता है। बकाया राशि की वसूली के लिए अति उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ब) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के लिए आयकर के राज्यवार हिस्से के बारे में सूचना विवरण-I, II तथा III पर दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90 के लिए राज्य वार ब्यौरा

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	राज्य	निगम कर वसूली	आयकर वसूली	राज्यों को संदत्त आयकर का हिस्सा
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	97.27	196.56	289.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.56	2.46
3.	असम	30.17	42.93	98.35
4.	बिहार	2.62	130.41	477.52
5.	गोवा	13.87	17.36	3.36
6.	गुजरात	117.75*	400.29*	169.39
7.	हरियाणा	23.20	60.14	42.63
8.	हिमाचल प्रदेश	1.69	18.09	19.98
9.	जम्मू और कश्मीर	6.29	13.40	27.01
10.	कर्नाटक	99.99	252.29	194.63
11.	केरल	31.93	120.76	140.13
12.	मध्य प्रदेश	24.43	150.01	312.49
13.	महाराष्ट्र	1820.09	1483.82	398.28
14.	मणिपुर	0.15	6.08	7.11
15.	मेघालय	0.87	5.18	7.17

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	—	0.03	2.20
17.	नागालैण्ड	0.05	4.45	2.55
18.	उड़ीसा	18.57	47.01	158.38
19.	पंजाब	84.50	123.76	62.03
20.	राजस्थान	18.67	105.06	186.41
21.	सिक्किम	—	0.02	1.04
22.	तमिलनाडु	244.18	380.24	299.50
23.	त्रिपुरा	0.04	4.11	10.53
24.	उत्तर प्रदेश	477.36	318.42	713.08
25.	पश्चिम बंगाल	447.29	364.96	296.82

*इन आंकड़ों में दादरा नागर हवेली, दमन और दीव के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण-II

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	राज्य	निगम कर वसूली	आयकर वसूली	राज्यों को संदत्त आयकर का हिस्सा
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्रप्रदेश	119.79	222.55	338.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.77	3.01
3.	असम	25.87	46.77	108.41
4.	बिहार	12.24	143.00	511.68
5.	गोवा	19.36	20.13	4.53
6.	गुजरात	63.39	405.12	187.48
7.	हरियाणा	32.21	68.81	51.26
8.	हिमाचल प्रदेश	1.65	16.58	24.52
9.	जम्मू और कश्मीर	16.64	23.12	28.64
10.	कर्नाटक	78.88	273.47	203.06

1	2	3	4	5
11.	केरल	75.23	140.68	153 65
12.	मध्य प्रदेश	28.96	159.44	337.26
13.	महाराष्ट्र	2196.40	1576.62	337.51
14.	मणिपुर	0.08	5.84	7.05
15.	मेघालय	1.03	5.68	8.57
16.	मिजोरम	—	0.02	3 01
17.	नगालैण्ड	0.07	4.67	3.95
18.	उड़ीसा	23.85	58.69	178.25
19.	पंजाब	89.18	145.81	70.29
20.	राजस्थान	40.81	113.10	199.27
21.	सिक्किम	0.11	0.06	1.24
22.	तमिलनाडु	283.23	423.42	326.80
23.	त्रिपुरा	0.05	4.02	12.48
24.	उत्तर प्रदेश	119.52	345.35	691.70
25.	पश्चिम बंगाल	526.06	423.26	328.65

विवरण-III

वर्ष 1991-92 के लिए राज्य वार ब्यौरा

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	राज्य	निगम कर वसूली (अनंतिम)	आयकर वसूली (अनंतिम)	राज्यों की संदत्त आयकर का हिस्सा
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	115.93	265.94	419.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.22	3.68
3.	असम	41.44	67.66	134.43
4.	बिहार	22.25	171.56	633.84
5.	गोवा	25.14	27.68	5.55
6.	गुजरात	136.35	560.49	232.23
7.	हरियाणा	25.27	84.95	63.41

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1.39	21.96	30.36
9.	जम्मू और कश्मीर	21.78	27.65	35.57
10.	कर्नाटक	118.26	341.79	251.65
11.	केरल	70.90	187.05	190.42
12.	मध्य प्रदेश	27.02	213.76	418.03
13.	महाराष्ट्र	3375.01	1980.46	418.35
14.	मणिपुर	0.05	2.11	8.76
15.	मेघालय	0.48	4.21	10.61
16.	मिजोरम	—	—	3.68
17.	नागालैंड	0.04	2.63	4.90
18.	उड़ीसा	20.49	79.00	220.80
19.	पंजाब	138.88	199.36	87.13
20.	राजस्थान	49.33	142.62	246.74
21.	सिक्किम	0.16	0.30	—
22.	तमिलनाडु	477.23	553.51	404.72
23.	त्रिपुरा	0.03	4.80	15.45
24.	उत्तर प्रदेश	284.42	427.81	857.81
25.	पश्चिम बंगाल	872.82	424.80	407.13

विवरण-IV

दिनांक 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र-वार आयकर (निगम कर सहित) की बकाया भाग विषयक विवरण-पत्र ।

क्र०सं०	प्रभार का नाम (मुख्य आयकर आयुक्त/ केन्द्रीय)	माह के अन्त में कुल बकाया राशि तथा बकाया चालू मांग (अनन्तिम) (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	अहमदाबाद	394.16
2.	बंगलौर	172.07
3.	भोपाल	151.59

1	2	3
4.	बम्बई	1829.99
5.	कलकत्ता	848.31
6.	कोचीन	108.02
7.	हैदराबाद	220.67
8.	जयपुर	87.04
9.	कानपुर	171.94
10.	लखनऊ	151.67
11.	मद्रास	370.20
11.	पटना	246.10
13.	पुणे	166.81
14.	चण्डीगढ़	81.98
15.	दिल्ली	626.21
16.	केन्द्रीय प्रभार	1365.39

ब्रिटिश ओवरसीज डेवलेपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन

773. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश ओवरसीज डेवलेपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को कोई नई सहायता/अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह कुल कितनी राशि का है; और

(ग) उन पि परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए सहायना/अनुदान का उपयोग करने प्रस्ताव है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा०अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं के लिए 94.307 मिलियन पौंड राशि के सहायता अनुदानों की घोषणा की है—

(i) चंद्रपुर एच० वी० डी० सी० परियोजना,

(ii) हीराकुड (बुरला) जल विद्युत शक्ति परियोजना का नवीकरण और उन्नयन,

(iii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का आधुनिकीकरण।

इलेक्ट्रानिक सामान की तस्करी

774. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तस्करी द्वारा भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक सामग्री लाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तस्करी किस प्रकार हुई है और कितने मूल्य का इलेक्ट्रानिक सामान जब्त किया गया; और

(ग) देश में तस्करी द्वारा लाये जा रहे इलेक्ट्रानिक सामान पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि इलेक्ट्रानिक वस्तुएं बड़े पैमाने पर देश में तस्करी के लिए बराबर आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं। गत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान पकड़ी गयी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

वर्ष	पकड़े गए इलेक्ट्रानिक माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
1990	2945
1991	5625
1992	2372 (अनन्तिम)

1991 की तुलना में 1992 में इस तरह की तस्करी के मामले में कमी आने की प्रवृत्ति दिखाई दी थी।

(ग) इलेक्ट्रानिक सामान सहित निषिद्ध माल की तस्करी की रोकथाम के लिए तस्करी-रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ट तालमेल रखा जाता है।

भारत आने वाले व्यक्तियों को 9 फरवरी, 1993 से 150 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क अदा करने पर 1.5 लाख रुपये के मूल्य तक की 35 विनिर्दिष्ट वस्तुओं को लाने की अनुमति दी गयी है जिसमें अधिकांशत: इलेक्ट्रानिक वस्तुएं शामिल हैं। इस सम्बन्ध में किए गये उपायों से इलेक्ट्रानिक माल की तस्करी में रोक लगने की सम्भावना है।

रियायत वापस लेने के बाद राजस्व प्राप्ति

775. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 80 सी० सी० ए० तथा 80 सी० सी० बी० के अन्तर्गत स्वीकृत रियायतों को वापस लेने से चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ख) इससे कितने आयकर-दाता प्रभावित हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर अधिनियम की धाराओं 80 सी०सी०ए० और 80 सी०सी०बी० के अन्तर्गत रियायतों को वित्त अधिनियम, 1992 के

द्वारा वापस लेना इस पैकेज का एक भाग था, जिसमें ये शामिल थे—कर विषयक छूट-सीमा को बढ़ाना, कर दरों में कमी करना तथा धारा 80 सी०सी०ए० तथा 80 सी०सी०बी० के अधीन इससे पूर्व समाविष्ट बचत योजनाओं को कर-छूट के प्रयोजनार्थ धारा 88 में शामिल करना। धारा 88 के अन्तर्गत निवेश सीमा को भी 50,000/=रु० से बढ़ाकर 60,000/=रु० कर दिया गया था।

किसी करदाता की बचत-प्रवृत्ति छूट सीमा, कर-दर, निवेश के बारे में उसे उपलब्ध विभिन्न विकल्प, मुद्रास्फीति की दर, उपलब्ध विनियोज्य आय, आदि जैसे अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। बचत की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की बहुलता पर विचार करते हुए धारा 80 सी० सी० ए० तथा धारा 80 सी०सी०बी० के अधीन रियायतों को वापस लेने से किसी विशिष्ट वर्ष में अर्जित कुल राजस्व को निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तदनुसार, इस सम्बन्ध में आंकड़े रखना सम्भव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उससे प्रभावित करदाताओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण

776. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों, बड़े और मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों को कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) गत वर्ष में उपर्युक्त क्षेत्रों द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में कितना योगदान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-94 में कृषि क्षेत्र के लिये अधिक राशि आवंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) मार्च, 1992 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कृषि, लघु उद्योग और मझोले तथा बड़े उद्योगों के नाम बकाया बैंक ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है—

(रकम करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	बकाया ऋण
कृषि	18187
लघु उद्योग	18158
उद्योग (मझोले तथा बड़े)	47330

(ख) विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध किये गये बैंक ऋणों और देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में इन क्षेत्रों के अंशदान के बीच कोई प्रत्यक्ष आपसी सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। अलबत्ता, वर्ष 1990-91 (नवीनतम उपलब्ध) में सकल देशी उत्पादन में वर्तमान कीमतों पर कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 140635 करोड़ रुपये और 85787 करोड़ रुपये था।

(ग) से (ङ) बैंक, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये क्षेत्रवार/वर्षवार आबंटन नहीं करते है। अलबत्ता, वे सभी अर्थक्षम योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को ये हिदायतें दी गयी हैं कि वे अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 18% हिस्सा प्रत्यक्ष वित्त के रूप में कृषि (सम्बन्ध कार्यकलाप सहित) के लिए प्रदान करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर बाईपास सड़क

[हिन्दी]

777. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के सिवानी जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर बाईपास सड़क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 27 मध्य प्रदेश में सिवानी जिले में से होकर नहीं गुजरता।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जर्मन मे निवेश

[अनुवाद]

778. **श्री सुभाष चन्द्र नायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों ने भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी में जो अब संयुक्त जर्मनी का अंग है पर्याप्त निवेश किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा किये गये निवेशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भूतपूर्व जर्मनी की एक कम्पनी में इक्विटी निवेश करके एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने के मैसर्स उषा रेक्टीफायर कारपो० लि०, नई दिल्ली तथा मेसर्स उषा प्लेसी नेटवर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली के संयुक्त प्रस्ताव को सरकार ने 28-9-1992 को स्वीकृति दे दी है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित संयुक्त उद्यम कम्पनी में दो भारतीय कम्पनियों द्वारा इक्विटी निवेश का स्तर निम्नानुसार है—

मैसर्स उषा रेक्टीफायर कारपो० लिमिटेड	डी एम	12.00 लाख (24%)
मैसर्स उषा प्लेसी नेटवर्क्स (प्रा०) लिमिटेड	डी एम	18.00 लाख (36%)

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा गुजरात में निवेश

779. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में कितनी धनराशि निवेश की गई है तथा चालू और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि निवेश किए जाने का विचार है; और

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा जिन योजनाओं में धनराशि निवेश की गई अथवा निवेश की जाने वाली है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०) द्वारा किये गये योजना-वार निवेश संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। वर्ष 1992-93 (31-1-93 तक) में भारतीय जीवन बीमा निगम ने गुजरात राज्य में लगभग 131.85 करोड़ रुपये का निवेश किया है। योजना आबंटन के अनुसार, भारतीय साधारण बीमा निगम (जी० आई० सी०), गुजरात सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गये ऋणों, ग्रामीण आवास योजनाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं, और अग्नि शमन उपस्करों की खरीद के लिये गुजरात सरकार को ऋण तथा कम्पनियों को परियोजना ऋण, और इक्विटी एवं अधिमानी शेयरों में निवेशों तथा गुजरात स्थित कम्पनियों के ऋणपत्रों में निवेश करेगी। साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान गुजरात में किये गये निवेश संलग्न विवरण II में दिये गये हैं।

जहां तक अगले वित्त वर्ष (1993-94) के दौरान किये जाने वाले निवेशों का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम के निवेशों का निर्णय उनके निवेश बजट को अन्तिम रूप देने तथा अगले वित्त वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले राज्य-वार आबंटनों के बाद जुलाई, 1993 तक किया जाएगा।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम के योजना-वार निवेश

(लाख रुपए)

भारतीय जीवन बीमा निगम	वर्ष के दौरान किये गए निवेश		
	1988-90	1990-91	1991-92
1 2	3	4	5
1. राज्य सरकार की प्रतिभूतिया	552.14	450.00	650.00
2. भूमि विकास बैंक के ऋणपत्र	175.00	170.00	700.00
3. राज्य बिजली बोर्ड/बाण्ड	300.00	300.00	500.00

1	2	3	4	5
	4. राज्य वित्त निगम, बाण्ड और शेयर	—	—	300.00
	5. नगर पालिका प्रतिभूतियां	198.00	198.00	—
निम्नलिखित को उधार				
	6. सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को	681.00	539.00	781.00
	7. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां, आवास बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण	2014.10	2007.56	3807.32
	8. जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकारें, नगर पालिकाएं, जिला परिषदे आदि	1333.48	90.00	3200.74
	9. राज्य बिजली बोर्ड	1924.00	2275.00	2502.00
	10. औद्योगिक संपदा	—	—	—
	11. चीनी सहकारी समितियां	—	—	—
	12. राज्य सड़क परिवहन	470.00	556.00	612.00
निगमित क्षेत्र				
	13. कम्पनियों (सरकारी, सहकारी एवं निजी) के शेयर, ऋणपत्र एवं इनको ऋण	11683.70	16057.66	12817.23
	जोड़	19331.42	22643.22	25870.29

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम और इसके सहायक कम्पनियों द्वारा गुजरात में किए गये निवेश की राशियां

वर्ष	राशि (लाख रुपए)
1989-90	1336.00
1990-91	3863.00
1991-92	7471.00
1992-93 (9 महीने)	2785.00
	15455.00

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते किए गए ऋण

780. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा अपरिवर्तनीय ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार प्रतिवर्ष बट्टे खाते कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि को बट्टे खाते किया गया;

(ग) क्या सरकार ने ऋणों को इस प्रकार बट्टे खाते करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा हेतु किसी तन्त्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रत्येक वर्ष वसूल न हो सकने योग्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए उन्होंने बैंकों के नाम कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं। तथापि, चूंकि बैंक ऋण-दात्री संस्थान हैं अत: उधार दिए गए धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बावजूद ऋण अशोध्य हो ही जाते हैं। बैंक किन्हीं अग्रिमों को अशोध्य ऋणों के रूप में तभी बट्टे खाते डालते है जब वसूली की सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद अन्तत: उन्हें पूरी तरह से संतोष हो जाता है कि ऐसे अग्रिम वसूली योग्य नहीं रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियन्त्रित करने वाली संविधियों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, बैंक ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की प्रमात्रा प्रकट नहीं करते हैं जिनके लिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों के सन्तोष और साथ ही अशोध्य ऋणों की राशि को बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने और ऋणकर्ताओं/उधारकर्ता से समझौता करने के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में उन सभी बातों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में प्राधिकारियों द्वारा किसी राशि को बट्टे खाते डालने से पहले विचार किया जाना है। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जिस प्राधिकारी ने उक्त ऋण मंजूर किया है। वह उसे बट्टे खाते नहीं डालेगा। मार्गनिर्देशों यह भी उपबन्धित है कि बट्टे खाते डालने/समझौते से पहले देय राशियों की वसूली के लिए सभी सम्भव कार्रवाई की जानी चाहिए। बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋणों/हानियों का एक विवरण आवधिक रूप से निदेशक मण्डल को भी पेश करना होता है।

चाय का निर्यात और चाय उत्पादकों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

781. **श्री केसरी लाल** :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चाय के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) किस दर पर चाय का निर्यात किया गया था;

(ग) स्वदेशी बाजार में उत्तम किस्म की चाय की दर क्या है;

(घ) चाय का निर्यात करने के लिए चाय उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं; और

(ङ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय का बाजार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का निर्यात तथा इकाई एफ० ओ०बी० वसूली निम्नानुसार रही है।

वर्ष	निर्यात आय (रु०/- करोड़)	सभी चायों की औसत इकाई एफ०ओ०बी० निर्यात कीमतें (रु० कि०ग्रा०)
1989-90	914.82	43.20
1990-91	1071.10	53.78
1991-92	1157.14	55.00

(अनुमानित)

(ग) वर्ष 1992 के दौरान भारतीय नीलामियों में बेची गई चाय की औसत कीमत 38.66 रु० प्रति किग्रा० (अनन्तिम) थी।

(घ) चाय के निर्यात पर वित्तीय प्रोत्साहनों में निर्यात के लिए चाय पर उत्पाद शुल्क में छूट, आय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। चाय बोर्ड भी विदेशी-स्थित बाजारों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहा है।

(ङ) सरकार, विभिन्न देशों में चाय उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजकर चाय-निर्यात के विविधीकरण को प्रोत्साहित करती रही है। रूस सहित स्वतन्त्र राज्य के राष्ट्रकुल के कुछ देशों के साथ व्यापार संलेख भी सम्पन्न किये गये हैं। अपनी चाय को गुणवत्ता और उसकी कीमत प्रतियोगिता क्षमता के बारे में बताकर अन्य देशों को भी भारतीय चाय की अधिक मात्रा खरीदने के लिए राजी किया जा रहा है।

1984 के दंगापीड़ित ऋण प्राप्तकर्ताओं को राहत

782. **श्री ललित उराँव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर 1984 के दंगापीड़ित ऋण प्राप्तकर्ताओं को बैंक ऋणों पर रियायतों की पुनरीक्षा करने हेतु अधिकारियों की समितियों द्वारा की गयी उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) शेष सिफारिशें कब तक लागू कर दी जायेंगी;

(ग) क्या दिसम्बर 1992 तथा जनवरी 1993 के दंगा-पीड़ितों के लिए ऐसी ही एक समिति गठित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) नवम्बर 1984 के दंगा पीड़ितों ऋणकर्ताओं के बैंक ऋणों पर रियायतों की

समीक्षा करने हेतु सरकार ने अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति की मुख्य संशोधित सिफारिशें निम्नानुसार थीं।

(i) उन ऋणों के मामले में जिनमें ऋण की मूल रकम, ऋण देने के समय 5,000/-रुपए तक थी, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की तारीख तक के ब्याज समेत उसे बट्टे खाते डालने के प्रश्न पर विचार किया जाए। किसी ऋणकर्ता द्वारा किसी एक बैंक से लिये गये ऋणों की कुल 5000/-रुपये की रकम पर ही उक्त राहत दी जायेगी। जो खाते पहले ही 31 मार्च, 1992 को या उससे पहले बन्द हो गए हैं वे ऐसी राहत के के पात्र नहीं होंगे।

(ii) उन ऋणों के सम्बन्ध में, जहां ऋणों की मूल राशि 5001/- रुपए से 25,000/- रुपए तक के बीच थी, 31-3-92 तक के कुल ब्याज को बट्टे खाते डालने के लिए विचार किया जा सकता है। 31-3-92 को या उसके पहले से बन्द खाते इस राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) उन ऋणों के मामले में जिनमें ऋण की मूल रकम 25001/- रुपए और उससे अधिक थी, दिनांक 1-1-90 से 31-3-1992 की अवधि के लिए ब्याज दर को घटाकर 4% वार्षिक (सामान्य) करके केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना के अन्तर्गत अन्तिम तारीख (कट-आफ डेट) 31 मार्च, 1992 तक बढ़ायी जा सकती है। जो खाते पहले ही 31 मार्च, 1992 को या उससे पहले बन्द हो गये हैं, वे ऐसी राहत के पात्र नहीं होंगे।

(iv) उपर्युक्त संस्तुति के अनुसार, ब्याज राहत देने के पश्चात्, शेष रकम का भुगतान, सामान्य ब्याज दर पर निर्णय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

(v) दंगा प्रभावित ऋणकर्ताओं के मामले में, बैंकों द्वारा ऐसे ऋणकर्ताओं को पहले के दिये गये ऋणों पर 31 मार्च, 1992 तक ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। जो खाते 31 मार्च, 1992 को या उससे पहले ही बन्द हो गये हैं वे ऐसी राहत के पात्र नहीं होंगे।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को परामर्श दिया जाए कि वे अपर्याप्त वित्तपोषक का शिकार—वर्तमान चालू एककों या वे एकक जिन्हें पोषण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है, ऐसे मामलों की समीक्षा करें और उन्हें वर्तमान ब्याज दरों पर आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण प्रदान करें।

(vii) दंगा प्रभावित उधारकर्ताओं को मंजूर की गयी नयी ऋण सुविधाएं सामान्य ब्याज दरों पर प्रदान की जानी चाहिए और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किये जाने वाले सामान्य मानदण्ड लागू किये जाने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) दिसम्बर 1992 और जनवरी 1993 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 1993 में जारी की गयी हिदायतों और तत्पश्चात् जो कुछ अन्य रियायतें दी गयी हैं, उनमें प्रभावित व्यक्तियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है।

सशस्त्र-बलों के आसूचना विभाग में महिलाओं की भर्ती

783. **श्री महेश कनोडिया :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के आसूचना विभाग में महिलाओं की भर्ती करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इस योजना को लागू किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) नौसेना में आसूचना विंग में महिलाओं की भर्ती की कोई योजना नहीं है।

सेना में, सरकार ने आसूचना विंग में महिलाओं की भर्ती के लिए अनुमति दे दी है। इसमें भर्ती अल्पकालीन सेवा कमीशन के आधार पर केवल अधिकारी संवर्ग में की जाएगी।

वायुसेना में, आसूचना विंग के लिए अधिकारी विभिन्न शाखाओं से लिए जाते हैं और महिलाओं की भर्ती की अनुमति केवल गैर-तननीकी, ग्राउंड ड्यूटी, तकनीकी और उड़ान (वम-वर्षक/लड़ाकू सेवाओं के अलावा) शाखाओं में दी गई हैं।

चीन को लौह-अयस्क का निर्यात

[अनुवाद]

784. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का चीन को नवीन व्यापारिक नया चार के अन्तर्गत लौह-अयस्क का निर्यात करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन को प्रति वर्ष लौह-अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ग) उन राज्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिनसे चीन को निर्यात हेतु लौह-अयस्क प्राप्त करने का विचार है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन को, वर्ष-वार, लौह-अयस्क का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली लौह-अयस्क की प्रस्तावित मात्रा, दोनों देशों के बीच हुए वार्षिक प्रोटोकोल पर निर्भर करती है। फिर भी, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापार प्रोटोकोल के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1992 तथा 1993 के दौरान चीन को निर्यात किए जाने के लिए लौह-अयस्क तथा सांद्रण की निर्देशात्मक मात्राएं क्रमश: 0.75 से 1.4 मिलियन टनेज तथा 1.3 से 1.8 मिलीयन टनेज हैं। इन निर्देशात्मक मात्राओं के अन्तर्गत एम०एम०टी०सी० के आई०ओ०सी०एस० तथा गोवा मूल के लौह-अयस्क के निर्यातक, चीनी के क्रेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय समझौता करते हैं। वास्तविक मात्रा तथा स्रोत इन द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर करेंगे।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन को निर्यात किए गए लोह-अयस्क की वार्षिक मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा लाख टनेज में
1989-90	0.90
1990-91	0.77
1991-92	5.39

स्रोत : वा०जा० एवं अंक० महानिदेशालय

भारतीय रिजर्व बैंक के दर्जे में परिवर्तन

785. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्त और स्वतन्त्र निकाय बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) राजकोषीय और मुद्रा नीति के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने की अभिन्न आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक एक दूसरे के निकट सहयोग से काम करते हैं। उनका सम्बन्ध, स्थिर आर्थिक विकास के हित में आपसी समझ तथा समर्थन की भावना से प्रेरित होता है। सरकार द्वारा शुरू किए गए वित्तीय सुधारों में, वित्तीय क्षेत्र के प्रबन्ध के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अदा की जाने वाली सशक्त भूमिका की परिकल्पना की गयी है।

जर्मनी से ऋण

786. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी सरकार ने बहुत कम ब्याज दर पर 150 करोड़ रुपये का ऋण देने की पेशकश की है जिस पर 10 वर्ष तक ऋण स्थगन रहेगा और 50 वर्षों में लौटाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :

(क) और (ख) वर्ष 1992 के लिए 4273.04 लाख ड्यूश मार्क (लगभग 86283.7 लाख रुपए) की व्यवस्था वाले एक वित्तीय सहयोग करार पर जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच 12-10-92 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस राशि में 2966.04 लाख ड्यूश मार्क (लगभग 59889.68 लाख रुपए) का उदार शर्तों पर ऋण, 557 लाख ड्यूश मार्क (लगभग 11246.83 लाख रुपए) की अनुदान सहायता एवं 750 लाख ड्यूश मार्क (लगभग 15143.85 लाख रुपए) का निर्यात ऋण शामिल है। उदार शर्तों पर ऋण 0.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर 10 वर्ष तक ऋण स्थगन रहेगा और 40 वर्षों में उसे वापस लौटाया जाएगा।

बस स्टाप

887. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के कितने बस स्टाप बिना छत के और टूटी-फूटी हालत में हैं;

(ख) टूटे-फूटे बस स्टापों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के ऐसे कितने बस स्टाप हैं जिनमें अभी छतें पड़नी हैं; और

(घ) इन बस स्टापों पर छतें डालने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) लगभग 129 बस क्यू शैल्टर क्षतिग्रस्त हैं। बस क्यू शैल्टरों की मरम्मत और उनका रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और दिल्ली परिवहन निगम प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य करता है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) नगर के प्रचालन क्षेत्र में लगभग 5500 बस स्टाप हैं जिनमें से लगभग 1836 बस स्टापों पर दिल्ली परिवहन निगम ने स्थायी बस क्यू शैल्टर बनवाए हुए हैं। स्थान की कमी तथा "सैट-बैक" सम्बन्धी प्रतिबंधों के कारण सभी बस स्टापों पर शैल्टर बनाना व्यवहार्य नहीं है।

रबड़ का आयात

788. **श्री पी० सी० थामस :**
श्री पाला के० एन० मैथ्यू :
श्री राजवीर सिंह :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक तथा अच्छे किस्म के रबड़ का आयात करने का है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम तथा अन्य एजेन्सियों को इस तरह से रबड़ जारी न करने के निर्देश दिये हैं जिसके परिणामस्वरूप उनका मूल्य कम हो जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम को सलाह दी गई है कि उनके पास उपलब्ध रबड़ के स्टाक को सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर जारी करने के लिए वे अपने वाणिज्यिक अनुमान का उपयोग करें। एस० टी० सी द्वारा धारित स्टाक में से रबड़ जारी करने के लिए पहले, के प्राकृतिक रबड़ की चालू बाजार स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे।

तम्बाकू का निर्यात

786. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री प्रफुल पटेल :
श्री धर्मभिक्षम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तम्बाकू उत्पादकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में तम्बाकू उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त तम्बाकू का निर्यात करने में क्या कठिनाईयां

(ङ) क्या सरकार को तम्बाकू के निर्यात के सम्बन्ध में उत्तर भारत वाणिज्य को उद्योग मंडल से कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) विश्व प्रतियोगिता का सामना करने के लिए तम्बाकू उद्योग की गति को तीव्र करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : तम्बाकू बोर्ड से यह एकत्र किया गया है कि इस समय तम्बाकू उत्पादकों को किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है तथा 1992 में बेची गई आन्ध्र की फसल में से करीब 13,000 टनेज ही अभी निर्यातकों तथा व्यापारियों के पास है। व्यापारियों के पास जो 13,000 टनेज का स्टाक है पता चला है कि उसमें से 10,000 टनेज प्रतिवेदित रूप से रूस के आयातक संगठनों द्वारा साख-पत्र प्रारम्भ किए जाने में हुई देरी के कारण से रुका पड़ा है। शेष 3,000 टनेज घरेलू सिगरेट उत्पादन उद्योग तथा नेपाल को निर्यात किए जाने के लिए है।

(ङ) से (च) सरकार को "उत्तर भारत व्यापार एवं उद्योग मण्डल" के किसी अध्ययन रिपोर्ट की जानकारी नहीं हैं।

(छ) विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—

—एकीकृत ई० ई० सी० की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आई० एस० ओ० प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कुछ निर्यातकों द्वारा किए जा रहे प्रयास।

—फार्म स्तर का गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्नत फार्म प्रबंधन।

—प्रोसेसिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आयातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोसेसिंग सुविधाओं का मशीनीकरण।

—व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजकर नए बाजारों का पता लगाना तथा वर्तमान बाजारों को सुदृढ़ करना।

—विदेशों में विज्ञापन के जरिए प्रचार, भारतीय तम्बाकू की विभिन्न भाषाओं की पुस्तिकाओं का वितरण, भारतीय तम्बाकू को खुलाब देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

कर की चोरी

[हिन्दी]

790. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बड़े पैमाने पर हो रही विभिन्न केन्द्रीय करों की चोरी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसकी उपलब्धि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) करों का अपवंचन निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसी प्रकार इसे समाप्त करने की प्रक्रिया भी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस समस्या से निपटने के लिए समय-समय पर अपेक्षित विधायी एवं प्रशासनिक उपाए किए जाते हैं। जब कभी आयकर विभाग की जानकारी में कर अपवंचन का कोई विशिष्ट मामला आता है, तो तलाशी, सर्वेक्षण अथवा अन्य जांच-पड़ताल, आदि के माध्यम से समुचित कार्यवाही की जाती है। उचित मामलों में सम्पत्ति की पूर्व खरीद करने, नकदी उधार आदि के लिए जुर्माना लगाने, दंड आयद करने तथा अभियोजना विषयक कार्यवाही करने के माध्यम से भी कार्यवाही की जाती है।

पिछले तीन वित्त वर्षों में आयकर विभाग द्वारा किए गए उपायों में से कुछेक उपायों के परिणाम नीचे दिए गए हैं—

वित्त वर्ष	तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)	सुपुर्द की गई छिपाई गई आय की राशि (करोड़ रु० में)	सर्वेक्षण किए गये परिसंगों की संख्या	चलाए गए अभियोजनों की संख्या
1989-90	3984	128.02	193.44	817803	8928
1990-91	5474	227.87	328.01	892438	3786
1991-92	3468	179.84	188.35	998176	2448

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

[अनुवाद]

791. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तथा सदस्यों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार पीठ-वार इसे कुल कितने मामले भेजे गए तथा कितने लम्बित पड़े हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पीठ द्वारा प्रत्येक वर्ष औसतन कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) आज तक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए मामलों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है तथा मामलों को समय पर निपटाने के लिए कार्य को पूरा करने हेतु क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों की मंजूर की गई संख्या के स्थान पर वर्तमान में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य कार्यरत हैं।

(ख) 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार बी० आई० एफ० आर० के पास पंजीकृत संदर्भों की कुल संख्या 1990, 1991 और 1992 के दौरान निपटाये गये संदर्भ और लम्बित मामलों की पीठ-वार संख्या नीचे दी गई है —

पीठ

		I	II	III	IV	जोड़
31-12-92 तक पंजीकृत संदर्भों की संख्या		413	373	323	174	1283*
31-12-92 की स्थिति के अनुसार लंबित संदर्भों की संख्या		151	117	124	67	459*
वार्षिक निपटान						
1	1990	60	57	59	39	215
	1991	57	49	43	34	183
	1992	52	64	18	17	151
		169	170	120	90	549

नोट:* आबंटन के लिए लम्बित 11 मामलों को छोड़कर

(ग) 31-1-93 की स्थिति के अनुसार बी० आई० एफ० आर० के पास 479 संदर्भ लम्बित थे। बी० आई० एफ० आर० के मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्य पद्धति को सरल बना दिया है और प्रत्येक पीठ द्वारा सुनवाइयों की संख्या को अधिकतम कर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों को माफ करना

[हिन्दी]

792. श्री एच० डी० देवगौड़ा :
श्री नीतिश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये ऋणों को माफ करने की कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की थी तथा इस योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1993 तक कितनी राशि माफ कर दी गई है;

(ग) क्या चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे ऋणों को माफ करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उधारकर्ताओं की चुनिंदा श्रेणी को ऋण राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 1990 में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए० आर० डी० आर०) योजना तैयार की थी। सहकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय योजना जैसी अपनी योजनाएं तैयार की थीं। इस योजना के अन्तर्गत 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने वाले केवल पात्र उधारकर्ताओं के अतिदेयों को कवर करने के लिए ऋण राहत दी गई थी और ऋण की राशि को प्रति उधारकर्ता 10,000 रुपए तक सीमित किया गया था।

अत: योजना के अन्तर्गत दी गई राहत ऋणदात्री संस्थाओं से किसी उधारकर्ता द्वारा ली गई ऋण की राशि और 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार जो राशियां देय हो गई थीं लेकिन वापिस न की गई राशियों पर निर्भर करेगी। योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उधारकर्ता राहत पाने के पात्र थे और इस उद्देश्य के लिए इस प्रकार का कोई आबंटन नहीं किया गया था। योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-2-1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने 7761 करोड़ रुपए की कुल ऋण राहत प्रदान की है जिसका राज्यवार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ए० आर० डी० आर० योजना दिनांक 31-3-1991 को समाप्त हो गई है और इसलिए उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत आगे कोई भी राहत प्रदान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

ऋण राहत योजना की राज्यवार प्रगति

1-2-93 को जारी किए गए प्रमाण-पत्र

(लाख रु० में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंक		सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	सं०	राशि रु०	सं०	राशि रु०	सं०	राशि रु०
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1190273	41597	1385270	35524	418423	11145
अरुणाचल प्रदेश	3599	64	7138	127	1223	25
असम	229694	6122	174030	3619	126806	2680
बिहार	783164	20115	2431437	51981	530815	9159
गोवा	10027	285	9158	155	—	—
गुजरात	460187	13720	838178	35153	45815	860
हरियाणा	224522	8085	307106	13114	67313	2048
हिमाचल प्रदेश	92974	2127	171803	3042	21255	384
जम्मू व कश्मीर	15485	434	8787	3508	9449	263
कर्नाटक	884757	28776	478901	13399	246628	7817
केरल	325564	6943	458044	8191	67821	1050
मध्य प्रदेश	485411	16023	1281316	27219	217815	4289
महाराष्ट्र	683066	25490	2128775	50304	62479	1867

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	15109	479	60639	807	3496	52
मेघालय	14929	643	54586	981	2164	52
मिजोरम	2205	101	—	—	4245	162
नागालैण्ड	15409	692	8469	382	781	33
उड़ीसा	522905	12124	1250159	18588	381022	7641
पंजाब	198113	7606	252377	11238	6148	115
राजस्थान	465849	15445	1262747	32614	292276	8134
सिक्किम	9394	268	—	—	—	—
तमिलनाडु	822263	23035	1088674	28942	63843	1284
त्रिपुरा	46245	796	63927	824	99469	1482
उत्तर प्रदेश	969444	28787	3687348	64728	524861	10670
पश्चिम बंगाल	922093	17446	1031789	13967	506034	6583
चंडीगढ़	1584	70	1696	37	—	—
दादरा व नागर हवेली	1290	15	1508	18	—	—
दमन व दीव	415	11	700	8	—	—
दिल्ली	10590	436	—	—	—	—
लक्षद्वीप	91	3	—	—	—	—
पांडिचेरी	26149	730	19070	378	—	—
अंडमान व निकोबार	3474	84	1280	20	—	—
कुल	9466274	278552	18464912	418868	3700181	78659

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें

[अनुवाद]

793. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों से कैंटीन, पेंशन, अस्पताल तथा अन्य कल्याणकारी और सेवानिवृत्ति सुविधाओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से उड़ीसा से प्राप्त शिकायतों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भूतपूर्व सैनिकों से कैंटीन सुविधाओं, पेंशन, अस्पताल सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) और (ग) पेंशन सम्बन्धी मामलों, वित्तीय सहायता और कैंटीनें खोलने, अस्पताल सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के बारे में उड़ीसा के भूतपूर्व सैनिकों से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अभ्यावेदनों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। पेंशन सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए रक्षा मंत्रालय में सेना मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन शिकायत एककों की स्थापना की गई है। भान्जनगर में विस्तार काउंटर खोलने अथवा चल कैंटीन की व्यवस्था किए जाने तथा बरहामपुर और गंजाम जिले के भूतपूर्व सैनिकों को बरहामपुर स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर को कैंटीन अथवा कैंटीन स्टोर विभाग की कैंटीनें से कैंटीन सुविधाएं लेने की अनुमति दिए जाने के बारे में उड़ीसा से प्राप्त दो अनुरोध मध्य कमान मुख्यालय के विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

[हिन्दी]

794. श्री एन० जे० राठवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को मंत्रालय/विभागों/मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से रिक्त पदों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली

[अनुवाद]

795. श्री एस० बी० थोरात : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों की वसूली के लिए बड़ी संख्या में मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंक ऋणों की वसूली के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक देय राशियों की वसूली के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ये न्यायाधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देयराशियों से सम्बन्धित विवादों को निपटाने में होने वाले वर्तमान विलंबों को कम करने, उनकी निधियों को दीर्घावधिक मुकदमेबाजी में अवरुद्ध होने से बचाने और उनकी वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाने में सहायता करेंगे। इन न्यायाधिकरणों को संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

उत्पादन शुल्क की वसूली में कमी

796. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में हुई अयोध्या की घटनाओं के परिणामस्वरूप हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण देश में उत्पादन शुल्क की वसूली में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के लक्ष्यों की तुलना में कुल कितनी कमी हुई है और वर्ष 1991-92 तथा 1990-91 के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे; और

(ग) यह कमी दंगों तथा इसके लिए जिम्मेदार अन्य कारणों पर कहां तक आरोप्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से राजस्व वसूली बहुत से कारकों पर निर्भर करती है जिनमें से कानून और व्यवस्था भी एक कारक है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) अयोध्या की घटनाओं के कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व में कितनी हानि हुई इसकी मात्रा बता सकना संभव नहीं है। 1992-93 के लक्ष्य की तुलना में होने वाली कमी, यदि कोई हो, का अन्दाजा 31-3-1993 के पश्चात ही लगाया जा सकेगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की वसूली

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	स्वीकृत बजट अनुमान	वास्तविक वसूली
1990-91	25016	24356
1991-92	27283	28020
1992-93	32081	24602*

* अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान वसूली।

स्वर्ण बाण्ड योजना

797. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण बाण्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु इस बीच स्वर्ण बैंक की स्थापना कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके प्रति अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बैंक की स्थापना कब तक की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, स्वर्ण बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार द्वारा ऐसे बैंक की स्थापना के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता, रूपात्मकता और अन्य ब्यौरे की भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विस्तृत जांच की जा रही है।

रूस से पोटाश का आयात

768. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का रूस से पोटाश आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर पोटाश (एम०ओ०पी०) की आवश्यकता का पता लगाकर आयात की जाने वाली मात्रा का निर्धारण किया जाता है। एम०एम०टी०सी० जो कि ऐसे आयातों के लिए सरणीयन एजेंसी है, तब वाणिज्यिक विचार-विमर्श के बाद विश्व-स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के लिए उद्गम तलाश करती है। 1992-93 के दौरान, अभी तक सी०आई०एस० देशों से एम०ओ०पी० की कुल० 2.85 लाख एम०टी०की मात्रा का आयात किया गया है। और 1.5 लाख एम०टी० राज्य आने वाली है। सिर्फ दो सी०आई०एस० देश, रूस और बेलारूस ही एम०ओ०पी० का उत्पादन करते हैं। इन दोनों देशों के बीच उपर्युक्त मात्रा का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेनाओं के लिए बूटों और जूतों की खरीद

799. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिये केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राथमिकता देने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र सेना अपनी बूटों तथा जूतों की आवश्यकताओं सम्बन्धी क्रयादेश केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों को दे रहे हैं;

(घ) यदि नहीं तो क्या ऐसा बचत करने के लिए किया जा रहा है अथवा अन्य किन्हीं कारणों से; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 13 जनवरी, 1992 को जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कीमत में तरजीह पाने के लिए पात्र नहीं है। वैध तथापि, सार्वजनिक उद्यमों की निवेदित दर न्यूनतम निवेदित दर के 10% के अन्तर्गत आती हो तो सम्बन्धित सार्वजनिक उद्यम को खरीद के लिये प्राथमिकता दी जा सकती है। यह नीति तीन वर्ष की अवधि तक के लिए लागू रहेगी।

(ग) से (ङ) जी हां, आयुध उपस्कर निर्माणी द्वारा खरीद के लिये बुकिंग किये जाने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीद करने के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर शेष खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आर्डर दिये जाते हैं।

"एन्टी-टैंक गाइडेड मिसाइल"

800. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एन्टी-टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र "नाग" का विकास कर रहा है।

(ख) और (ग) "नाग" 4 कि०मी० की दूरी तक मार करने वाला तृतीय श्रेणी का टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक-शक्ति "अचूक" और 'सही" होती है। "नाग" प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्ष 1995 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है जिसके बाद इसे सशस्त्र सेनाओं में शामिल कर लिया जायेगा।

अयोध्या समस्या के कारण व्यापार में हुआ घाटा

801. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री लोक नाथ चौधरी :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री शरद दिघे :
श्री नारायण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या की घटनाओं के बाद हुए उपद्रवों का देश की अर्थव्यवस्था पर और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपद्रवों के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार के लिये इस स्तर पर इस बात का सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है कि इन उपद्रवों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(घ) सरकार ने कानून और अनुशासन को बनाये रखने के लिये सभी सम्भव उपाय किये है ताकि सामान्य आर्थिक गतिविधियां अस्त-व्यस्त न हों।

भारत-वियतनाम द्विपक्षीय समझौता

802. **श्री सुधीर गिरि** :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री रूपचन्द पाल :
सैयद मसूदल हुसैन :
डा० सुधीर राय :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को चावल, कोयला, रेशम और लोहा के बदले में इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और चमड़े के क्षेत्र में विशेषज्ञ भेजने के लिए वियतनाम सरकार से कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वियतनाम ने भी अपने उत्पादों के लिए पुनः निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

803. **श्री जार्ज फर्नांडीज :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31-12-92 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्वरूप में परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट में किन्हीं बड़ी अनियमितताओं की जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के संचालन कार्यों में गत तीन वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है। यूनिट धारकों की संख्या जून, 1992 के अन्त में 85 लाख से बढ़कर मध्य फरवरी 1993 तक 265 लाख हो गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का शाखा नेटवर्क 20 से बढ़कर 41 हो गया है और अभिकरण बल जुलाई, 1990 में 55,000 से बढ़कर मध्य फरवरी, 1993 तक 88,000 हो गया है। 31 दिसम्बर, तक के गत तीन वर्षों में व्यापक निष्पादन संकेतकों के द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निष्पादन को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन, वह भारतीय यूनिट ट्रस्ट के म्यूचुअल फण्ड सम्बन्धी संचालन कार्यों को सेबी के नियामक नियन्त्रण के अधीन लाने के लिए सम्बन्धित मामलों की जांच कर रही है।

(घ) और (ङ) मास्टर-गेन 1992 स्कीम के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों को जारी करने एवं कुछेक निवेशकों को लाभांश की अदायगी में विलम्ब, प्रमुख अनियमितताएं हैं जो सरकार के ध्यान में आई हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए सलाह दी गई है।

विवरण

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निष्पादन-व्यापक संकेतक

	89-90	90-91	91-92
1	2	3	4
वित्तीय सुदृढ़ता			
बकाया यूनिट पूंजी (करोड़ रुपए)	13392	16409	24820
कुल निवेश-योग्य निधियां (करोड़ रुपए)	17651	21377	31806

1	2	3	4
अंकित मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	9.2	14.4	43.57
यू०एस० 64 के तहत लाभांश दर (प्रतिशत)	18.00	19.50	25.00
आरक्षित निधि और संभार (करोड़ रुपए)	3155	3695	5133
सकल आय (करोड़ रुपए)	2143	2822	5036
सकल व्यय (करोड़ रुपए)	98	119	290
इक्विटी निवेश (करोड़ रुपए)	3494	4234	8862
(निवेश निधियों का प्रतिशत)	(19.8 प्रतिशत)	(19.8 प्रतिशत)	(27.9 प्रतिशत)
प्रचालन दक्षता			
निवेश निधियों के प्रतिशत के रूप में लागत			
(क) सकल	0.56	0.56	0.54*
(ख) प्रचालन लागत	0.49	0.43	0.46*
(ग) वेतन लागत	0.03	0.047	0.031
प्रति कर्मचारी बिक्री (करोड़ रुपए)	4.57	3.01	6.20
प्रति कर्मचारी सेवित लेखा	5.32	6.81	12.21
न्यास की प्रति कर्मचारी निवल आय (करोड़ रुपए)	1.72	1.85	2.53

* तुलनीयता के लिए समायोजित।

पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा घुसपैठ की घटनाएं

804. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरब सागर में भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा घुसपैठ की बढ़ती हुई घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आए; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई घटना नहीं हुई है। तथापि, सरकार को गुजरात के समुद्री तट पर भारतीय मछुआरों को परेशान किए जाने की घटनाओं की जानकारी है।

(ग) तटरक्षक पोतों और वायुयानों की गश्तें बढ़ा दी गई हैं। सरकार ने इस मामले को राजनयिक स्रोतों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति

805. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ज) क्या सरकार का विचार शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति तैयार करता है। नए शहरी सहकारी बैंकों पर समिति (मराठे समिति) ने शहरी सहकारी बैंकों के गठन सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया है। प्रस्तावित परिवर्तन शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनाये गये संशोधित प्रविष्टि बिन्दु और अर्थक्षमता मान-दण्डों पर निर्भर हैं। तथापि, कोई परिवर्तन किये जाने तक, शहरी बैंकों को विद्यमान लाइसेंसिंग नीति के तहत लाइसेंस दिया जाता रहेगा।

रूस को काली मिर्च का निर्यात

806. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुले बाजार में काली मिर्च का मूल्य बहुत कम है;

(ख) क्या रूस की सरकार ने भारत से काली मिर्च खरीदने का कोई आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले वर्षों की कीमतों की तुलना में काली मिर्च की थोक कीमतों में गिरावट और उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता

[हिन्दी]

807. **श्री खेलन राम जांगड़े** : जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में योजना तथा परियोजना-वार केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कोई स्कीम प्रायोजित नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विकास परिषद

[अनुवाद]

808. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में परिवहन विकास परिषद की 23वीं बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें जिन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया उनका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) परिवहन विकास परिषद की बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) 1-4-1993 से, राष्ट्रीय परमिट-वाले वाहनों के लिए कम्पोजिट फीस को बढ़ाकर प्रति राज्य प्रति वर्ष 3000/-रु० तथा प्रति संघ राज्य क्षेत्र प्रति वर्ष 1500/रु० कर दिया जाएगा।

(ii) भविष्य में, कम्पोजिट फीस की दरों को प्रत्येक तीन वर्षों में 25% तक बढ़ाया जाएगा।

(iii) ट्रक/बस प्रचालनों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

(iv) दैनिक जांच को रोकना है। अन्तर्राज्यीय प्रचालन पर ट्रकों की जांच सीमा चौकियों पर की जाएगी न कि राज्य के अन्दर। वाहनों की राज्य के अन्दर जांच कभी-कभी ही की जाएगी। वैध परमिटों के साथ चलने वाली स्टेज कैरिज बसों की जांच माह में केवल एक बार ही की जाएगी जब तक कि विशेष आरोप न हों। अनाधिकृत तथा परमिटों के बगैर चलने वाले वाहनों के खिलाफ निवारक कार्यवाई की जाएगी।

(v) राज्य सरकारों द्वारा बैटरी चालित वाहनों तथा कम्प्रैस्ड गैस वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक उपाय किए जाएंगे। जो लोग ऐसे वाहनों को व्यवसायिक वाहनों के रूप में चलाना चाहें उन्हें स्वतन्त्र परमिट दिए जाएंगे तथा उन्हें अपनी पसन्द के मार्गों पर चलने और कितना भी किराया वसूल करने की अनुमति होगी। उन्हें पांच वर्ष तक सड़क तथा यात्री कर के भुगतान से छूट दी जायेगी।

(vi) एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर सभी राज्य परिवहन विभागों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

(vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किया जायेगा जिससे राज्य सरकारें स्टेज कैरिज परमिट देने में अन्य वर्गों में प्राथमिकता दे सकें।

(viii) धन प्राप्त करने के लिए सड़क निर्माण को "कोर सेक्टर" में माना जाएगा।

(ix) सड़क क्षेत्र के लिए आवंटन तथा केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि की जानी है।

(x) 6 महीने के अन्दर राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी गति अवरोधों को हटया जाना है।

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया है।

शीर्ष निर्यातकों का कारोबार

809. **श्री पी० सी० थामस :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दस शीर्ष उत्पादक निर्यातकों द्वारा किये गये निर्यात कारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन/मुक्त व्यापार क्षेत्र के ऐसे दो शीर्ष निर्यातकों के निर्यात कारोबार का ब्यौरा क्या है जो दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को निर्यात कर रहे हैं; और

(ग) वीडियों कैसेट उद्योग में प्रमुख उत्पादन और निर्यात के बारे में उनकी मात्रा और उत्पादन मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश के विनिर्माता-निर्यातकों के अलग-अलग निर्यात कारोबार के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। किन्तु, यह उल्लेखनीय है कि देश में इस समय 14 चोटी के व्यापार घराने हैं और उनके निर्यात का एफ० ओ० बी० मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है। इन निर्यात आंकड़ों में न केवल विनिर्मित उत्पादों के बल्कि लौह अयस्क तथा चीनी जैसी वस्तुओं के आंकड़े भी शामिल हैं। निर्यात में न केवल अपने विनिर्मित उत्पाद ही शामिल हैं बल्कि उनके सहायक अथवा अन्य विनिर्माता के उत्पाद भी शामिल हैं।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

चोटी के व्यापार घराने

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	चोटी के व्यापार घराने का नाम	वर्ष	निर्यात का एफ. ओ. बी. मूल्य
1	2	3	4
1.	एलानसंस लि., बम्बई	1989-90	132
2.	ब्रिटेनिया इन्ड., बंगलौर	—वही—	72
3.	गणपति एक्सपोर्ट लि., कलकत्ता	—वही—	88
4.	टाटा एक्सपोर्ट, बम्बई।	—वही—	191
5.	सेनचुरी टैक्सटाइल एंड इन्ड. लि., बम्बई।	1990-91	136
6.	नवभारत इण्टर प्राइजेज, हैदराबाद	—वही—	123
7.	आई. टी. सी. लि. कलकत्ता	—वही—	177

1	2	3	4
8.	हिन्दुस्तान लिवर लि., बम्बई	1990-91	154
9.	नालको, भुवनेश्वर	—वही—	274
10.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं., कलकत्ता	1991-92	421
11.	एन. एम. डी. सी., हैदराबाद	—वही—	297
12.	कुदरेमुख आयरन ओर, बंगलौर	—वही—	328
13.	एम. एम. टी. सी., नई दिल्ली	—वही—	900
14.	इंडियन शुगर एण्ड जनरल इन्ड.	—वही—	348

समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड

810. **श्री धर्मलिंगम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए एक नये वेतन बोर्ड की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की स्थापना कब तक की जायेगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) समाचार-पत्र और समाचार एजेंसी कर्मचारियों लिए एक नया वेतन बोर्ड गठित करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी ऋणों व अनुदानों की प्राप्ति

811. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान विदेशी ऋणों का कुल कितनी राशि के विदेशी ऋण मिले;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त (क) में से कुल कितनी राशि के संस्थागत ऋण मिले;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त काम से कुछ कितनी राशि के वाणिज्यिक ऋण मिले;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विदेशी अनुदानों-संस्थानों अथवा अन्यथा-ऋणों के माध्यम से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान संस्थागत तथा वाणिज्यिक ऋणों को वापस लौटाने के कारण कुल कितनी धनराशि देश से बाहर गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान विदेशी ऋणों का कुल अन्तः प्रवाह 11246 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान उपर्युक्त (क) में से, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिए गए ऋण सहित संस्थागत ऋणों का अन्तः प्रवाह 6130 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान उपर्युक्त (क) में से क्रेता और संभरक ऋण तथा द्विपक्षी और बहुपक्षीय के रूप में वर्गीकृत ऋण के भाग को शामिल करते हुए वाणिज्यिक ऋणों का अन्तःप्रवाह 3121 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान विदेशी अनुदानों का अन्तः प्रवाह 593 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान संस्थागत और वाणिज्यिक ऋणों के कारण कुल बाह्य-प्रवाह 5070 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

गुजरात में राजमार्गों पर पुल

[हिन्दी]

812. **श्री महेश कनोडिया : जल भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92-के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों के मरम्मत का कार्य चल रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत पर व्यय की गयी राशि का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9 पुलों का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव था।

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9 पुलों की मरम्मत की जा रही है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पुलों की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नीचे दी गई राशि व्यय की गई :

1989-90	28 32 लाख
1990-91	73·31 लाख
1991-92	60.50 लाख

बिजली घर सम्बन्धी उपकरणों के लिए येन ऋण

[अनुवाद]

813. **श्री काशीराम राणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जापान द्वारा सप्लाई किये जाने वाले बिजली घर सम्बन्धी उपकरणों की प्राप्ति के लिये द्वितीय येन ऋण के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो निर्णय शीघ्र लेने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान 25 अरब येन के द्वितीय ओ० ई० सी० एफ० ऋण के लिए जापान सरकार के सामने प्रस्तुत की गयी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तम्बाकू का निर्यात

814. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या है जिन्हें तम्बाकू तथा उसके उत्पादों का निर्यात किया जाता है; और

(घ) पिछले तीन सालों में अलग-अलग वर्ष-वार कुल कितनी तम्बाकू निर्यात की गई तथा उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) तम्बाकू तथा इसके उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

—एफ० सी० वी० तम्बाकू और इसके उत्पादों के अभिज्ञात बाजारों में व्यापारी प्रतिनिधिमण्डल भेजना।

—भारतीय तम्बाकू और इसके उत्पादों के आयात के लिये संयुक्त समिति की बैठकों के जरिए सरकारों से बातचीत करना।

—अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।

—अभिज्ञात बाजारों के तम्बाकू संगठनों से प्रतिनिधिमण्डल आमन्त्रित करना ताकि उन्हें भारतीय तम्बाकू से परिचित कराया जा सके और भारतीय निर्यातकों के साथ विचार-विमर्श किया जा सके।

(ग) तम्बाकू और इसके उत्पाद निम्नलिखित देशों को निर्यात किए जाते हैं :

अविनिर्मित तम्बाकू : ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फिन्लैण्ड, जर्मनी, यूनान, आइरिस गणराज्य, इटली, नीदरलैण्ड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, चैकोस्लावाकिया, रूस, पोलैन्ड, स्लोवानिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया, हंगरी, बहरीन, इजरायल, जोर्डन, कुवैत, दक्षिण अरब, यू-एई, यमन, बंगला

देश, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालद्वीप, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, नेपाल, फिलीपीन्स, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, साइप्रस, जिबूटी, अल्जीरिया, मिस्र, लिबिया, मोजाम्बिक, रिवाण्डा सेनेगल, सोमालिया, तंजानिया, केन्या, ट्यूनसिया, जेरे, आस्ट्रेलिया, गुयाना, पपुआ न्यू गीन्निया, न्यूजीलैण्ड, निकारागुआ, सोलोमन द्वीप, संयुक्त राज्य अमरीका, त्रिनिदाड, तोबागो, सूरीनाम आदि।

उत्पाद

बीड़ी : मलेशिया, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, ओमन, यूएई, दक्षिण अरब, बहरीन, कतार, कुवैत, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जर लैण्ड आदि।

सिगरेट : रूस, साइप्रस, यू ए ई, नीदरलैण्ड, नेपाल, जर्मनी, बर्मा, बुल्गारिया, ओमन, बहरीन, दक्षिण अरब, केन्या।

चबाने वाला तम्बाकू : संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, यू ए ई, दक्षिण अरब, कतार, ओमान, कनाड़ा, सिंगापुर, अफगास्तिान, आस्ट्रेलिया आदि।

कटा तम्बाकू : यू ए ई।

हुक्कों में पिया जाने वाला तैयार तम्बाकू : दक्षिण अरब, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, यू० ए० ई० जिबूटी।

मसबार : कतार, संयुक्त राज्य अमरीका।

जर्दा : ओमन, दक्षिण अरब, फान्स।

अन्य उत्पाद : ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान आदि।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :

मात्राटन में मूल्य : करोड़ रु०

	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अविनिर्मित तम्बाकू	58183	152.34	70375	209.16	71792	342.69
तम्बाकू उत्पाद	15512	19.79	13299	54.53	14662	47.71
योग :	73695	172.03	83674	263.69	86454	390.40

एशिया विकास बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

815. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले प्रत्येक दो वर्षों में एशिया विकास बैंक ने विभिन्न श्रेणी में भारत को कितने ऋण मंजूर किए तथा प्रत्येक ऋण में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति आरम्भ करने के बाद से एशिया विकास बैंक भारत में किन प्रमुख परियोजनाओं को धन दे रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) पिछले दो सालों के दौरान एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों, के ब्यौरे जिसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियों के बाद एशिया विकास बैंक द्वारा वित्त-पोषित मुख्य परियोजनाएं भी शामिल हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	1991 परियोजना का नाम	राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)
1.	भारतीय तेल निगम	160.00
2.	द्वितीय रेलवे	225.00
3.	गांधार क्षेत्र विकास	267.00
4.	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यक्रम ऋण	250.00
		892.00
1992		
1.	वित्त क्षेत्र कार्यक्रम	300.00
2.	विद्युत दक्षता क्षेत्र	250.00
3.	ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबन्धन	147.00
4.	कोयला बन्दरगाह परियोजना	285.00
		982.00

भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक समझौते

816. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन सम्बन्धी मुद्दों तथा अन्य बड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो की गयी चर्चा का ब्यौरा क्या है और रूस के साथ वित्तीय मामलों पर कौन-कौन से समझौते किये गये; और

(ग) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ पहले के समझौतों की तुलना में इनकी क्या स्थिति है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां !

(ख) और (ग) भारत और रूस इस बात पर सहमत हुए हैं कि 1-1-93 से पुरानी केन्द्रित रुपया

अदायगी व्यापार प्रणाली, केन्द्री निर्धारित दर और तकनीकी ऋण के प्रावधान सहित समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद, द्विपक्षीय व्यापार मई, 1992 में हस्ताक्षरित व्यापार करार के आधार पर किया जाएगा जिसमें दुर्लभ मुद्रा में अदायगी पर व्यापार करने की व्यवस्था है। इस बात पर भी सहमति हुई कि व्यापार को प्रतिपक्ष व्यापार वस्तु विनिमय, बार्टर, पुनः खरीद (बाई बैंक) ओपरेशन अथवा व्यापारिक सहयोग के किसी अन्य मान्य अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में किया जा सकता है। अंततः इस बात पर सहमति हुई कि भारत द्वारा रूस को स्वीकृत तकनीकी ऋण के अनुप्रयुक्त शेष का 1992 में व्यापार प्रोटोकॉल के अन्तर्गत रूस पक्ष को 1993 में भारत से आयात के लिए उपलब्ध होगा।

रुपया-रुबल विनिमय दर के मामले और रुबल में मूल्यवर्गित पूर्व सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के भारत को रुबल में मूल्यवर्गित ऋण की वापसी अदायगी के सम्बन्ध में भी यह करार हुआ। पूर्व समाजवादी जनतन्त्र संघ ने भारत सरकार को भारत में रक्षा और नागरिक (सिविलियन) दोनों ही परियोजनाओं के लिए अनेक सरकारी ऋण दिए थे। ये ऋण रुबल में मूल्य-वर्गित थे परन्तु भारत द्वारा इनकी वापसी अदायगी भारत द्वारा भारतीय माल के निर्यात द्वारा रुपयों मे की जानी थी। रुपया और रुबल के बीच विनिमय दर की वापसी अदायगी अनुसूची का निर्धारण दोनों देशों के बीच नवम्बर, 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा किया जाना था। इस फार्मूले में 16 मुद्रा बास्केट के सम्बन्ध में रुपए के मूल्य में परिवर्तन की व्यवस्था थी परन्तु इसमें यह परिकल्पना की गई थी कि रुपए का मूल्य अपरिवर्तनीय होगा। इस फार्मूले के अनुसार रुबल का मूल्य बढ़कर 1 रुबल=10 रुपए हो गया उस समय जब प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये गये थे। तब 1 रुबल=रुपए 31.7874 था उस समय अंतिम बार विनिमय दर 17-11-91 को अधिसूचित की गई थी।

नए समझौते में रुबल में मूल्य-वर्गित ऋण में रुपए मूल्य का निर्धारण करने के लिए भिन्न प्रणाली निर्धारित की गई है। इस करार में एक 1-4-1992 को ऋण की प्रधान राशि को रुबल से रुपए में परिवर्तित करने की व्यवस्था है। जिसके लिए 1-1-90 को विनिमय दर का उपयोग किया जाएगा जैसा कि 1978 के पुराने प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारण किया गया है (1 रुबल = 19-9189 रुपए) 1-4-1992 को प्रधान ऋण को मूल राशि को भी रुबल से रुपयों में परिवर्तित किया जाएगा जिसके लिए 1-4-92 की विनिमय दर का प्रयोग किया जाएगा जैसा 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारण किया जाएगा जैसा 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारण किया गया है। (रुबल=31.7514 रुपए)। उपर्युक्त परिकलन के अनुसार दोनों राशियों में अन्तर को रुपए में निर्धारित किया जाएगा और इसकी वापसी अदायगी 45 वर्ष मे वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। इस पुर्नअनुसूचित भाग पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस को 5 वर्ष की अवधि के लिए रुपए के मूल्य में किसी उतार-चढ़ाव के विरुद्ध कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद इसे एस० डी० आर० से सूचकांकित कर दिया जाएगा यदि इस पांच वर्ष की अवधि में रुपए को औसत वार्षिक ह्रास 3 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। इसी प्रकार की पुनरीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष के अन्त में की जाएगी। ऋण का गैर-पुर्नअनुसूचित भाग रुपयों में व राशियों में जो 1-1-1990 को विनिमय दर पर परिवर्तित रुबल ऋण के समानुरूप होगी। यह राशि इसके बाद रुपयों में मूल्य-वर्गित होगी। मूल और ऋण के इस भाग पर ब्याज की अदायगी भारत द्वारा उस अनुसूची के अनुसार की जायेगी जो प्रत्येक संगत अंतर-सरकारी ऋण करारों के समय प्रवृत्त थी। लेकिन, ऋण के इस गैर-पुर्नअनुचित मांग के मूल और उस पर ब्याज के सम्बन्ध में रुपए में अदायगियों का 5 मुद्राओं की एस०डी०आर० बास्केट के रुपए मूल्य में भावी परिवर्तनों के अनुरूप रुपया राशियों को समायोजित करके संरक्षित की जाएगी। भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात के लिए ऋण की वापसी अदायगियों के उपयोग सम्बन्धी वर्तमान प्रबन्ध जारी रहेगा। मात्रात्मक रूप में 1-4-92 को बकाया रुबल ऋण लगभग 9871 मिलियन रुबल था। करार के

अनुसार 1-4-92 को प्रवृत विनिमय दर पर इस राशि को परिवर्तित करने पर 31342 करोड़ रुपए की राशि बनती है। इसी बकाया मूलधन रशि को 1-1-90 को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित करने पर 19660 करोड़ रुपए की राशि बनती है। इस प्रकार 19660 करोड़ रुपए की बकाया मूल राशि ब्याज सहित अदायगी की वर्तमान अदायगी अनुसूची के अनुसार की जाती रहेगी जबकि 11682 करोड़ रुपए की राशि को 45 वर्षों में पुनंअनुचित किया जाएगा।

बिहार में पुल का निर्माण

[हिन्दी]

817. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरही और मांडु, तथा मांडु और कुज्जू के बीच और हजारी बाग से रामगढ़ तक बनने वाले पुलों पर कार्य लगभग दस वर्ष पूर्व शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुलों के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने कार्य को शीघ्रतिशीघ्र पूरा कराने और पुलों को जनता के लिए खोलने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) सम्भवत माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर हजारी बाग रामगढ़ के बीच कुजू और चोथाम पर निर्माणाधीन पुलों से है। ये पुल 1987 में शुरू किये गये थे लेकिन नींवों की प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक परि-स्थितियों और ठेके सम्बन्धी कुछ समस्याओं के कारण अब तक पूरे नहीं हो पाये हैं। इन पुलों को शीघ्र पूरा करवाने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं।

व्यापारियों के लिए आय कर योजना

818. **श्री विलासराव नागनाधराव गुंडेवार :**
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों के लिए बनायी गई आयकर योजना पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया असंतोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के बजट आंकलनों में अनुमानित वसूली की तुलना में व्यापारियों के लिये बनायी गई इस योजना के अन्तर्गत अब तक आयकर की कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(घ) इस योजना का दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्रों और अन्य प्रचार माध्यमों से विज्ञापन करने पर कितनी धनरशि खर्च की गई है; और

(ङ) वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यापारियों द्वारा विवरणिका न भरने पर क्या दण्ड देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 115-के के अधीन छोटे व्यापारियों के लिये आनुमानिक कर योजना के विषय में प्रतिक्रिया के परिमाण के बारे में केवल चालू वित्त वर्ष के अन्त में ही पता चल सकेगा।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) दिनांक 15 फरवरी, 1993 तक 54.50 लाख रुपए की राशि की वसूली की गई है जबकि वर्ष 1992-93 के बजट-प्राक्कलन में 140 करोड़ रुपए की वसूली होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) इस योजना के विज्ञापन पर अनुमानित व्यय 1.22 करोड़ रुपये है।

(ङ) यह योजना केवल खुदरा-व्यापारियों, खान-पान गृहों तथा अकुशल धंधों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए है। यह योजना वेतन-भोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। चूंकि यह योजना वैकल्पिक है, इसलिए किसी दण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।

अरुण सिंह समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

819. **डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :**
श्री जीवन शर्मा :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा व्यय और आधुनिकीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता तथा विदेश सहयोग से स्वदेशीकरण की संदर्शी योजना से सम्बन्ध में अरुण सिंह समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी स्थिति क्या है;

(ख) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि की बचत होगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार ने आर्थिक उपायों से सीधा सम्बन्ध रखने वाली रक्षा व्यय समिति की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए निर्णय लिया है। इन सिफारिशों में जनशक्ति, ईंधन, तेल एवं स्नेहक और परिवहन सम्बन्धी व्यय में कटौती करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाना, माल-व्यवस्था आदि करना शामिल है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आवश्यकता पड़ने पर विदेशी सहयोग से देशीकरण के लिये प्रयास करना एक निरन्तर चलने वाली प्रकिया है।

(ग) रक्षा व्यय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई इस बारे में निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

अनुषंगी इस्पात क्षेत्र पर निर्यात उपकर

820. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुषंगी इस्पात क्षेत्र पर निर्यात उपकर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि (ई जी०ई०ए०एफ०) में उपलब्ध धनराशि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सरकार विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है, जिसमें देश में उत्पादित सभी लौह तथा इस्पात उत्पादों पर ई० जी० ई० ए० एफ० उपकर लगाना शामिल है।

संस्थागत ऋण का वितरण

[हिन्दी]

821. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संस्थागत ऋण वितरित किए गए, और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उन सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा संवितरित सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा संवितरित राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	725.7	1019.5	1515.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.2	1.2	1.2
3.	असम	64.2	78.3	121.4
4.	बिहार	224.6	122.9	329.5
5.	गोवा	84.4	90.3	118.8
6.	गुजरात	1003.8	1503.1	1749.8
7.	हरियाणा	301.4	336.8	369.7
8.	हिमाचल प्रदेश	100.6	79.4	139.7
9.	जम्मू व कश्मीर	55.7	51.2	52.7
10.	कर्नाटक	498.3	667.6	820.4

1 2	3	4	5
11. केरल	220.3	239.3	310.0
12. मध्य प्रदेश	460.6	666.2	710.8
13. महाराष्ट्र	1840.6	2317.0	3830.2
14. मणिपुर	9.6	4.5	4.2
15. मेघालय	12.0	8.4	4.9
16. मिजोरम	4.7	4.0	2.0
17. नागालैंड	4.3	3.6	2.7
18. उड़ीसा	196.5	320.2	337.2
19. पंजाब	401.5	399.6	390.8
20. राजस्थान	327.8	468.2	609.3
21. सिक्कम	3.4	4.6	4.8
22. तमिलनाडु	925.1	1025.5	1252.5
23. त्रिपुरा	3.6	2.4	2.8
24. उत्तर प्रदेश	813.1	964.6	1159.3
25. पश्चिम बंगाल	484.9	480.3	518.3
26. संघ राज्य क्षेत्र	194.6	220.3	793.4
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	0.4	0.2
(ख) दिल्ली	135.9	143.0	672.7
(ग) दमन और दीव	3.2	3.6	7.2
(घ) दादरा व नागर हवेली	21.0	22.1	20.9
(ङ) चंडीगढ़	10.4	7.9	111.1
(च) लक्षद्वीप	—	—	0.3
(छ) पांडिचेरी	23.9	43.3	81.0
योग	8962.3	11079.0	15152.3

कृषि वस्तुओं का निर्यात

[अनुवाद]

822. श्री हरीश नारायण प्रभु आंद्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अनुमानित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजनावधि के दौरान निर्यात के लिए विन-भिन्न कृषि वस्तुओं को चुना गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने देश से प्रसंस्कृत मदों सहित कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से नीतिगत वातावरण तैयार करने के लिए जो विभिन्न उपाए किए हैं उनमें ये शामिल हैं—(1) उदारीकृत विनिमय-दर प्रबन्ध योजना की सुविधा प्रदान करना; (2) कृषि क्रियाकलापों को आयात-निर्यात नीति में एक विनिर्माण क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करना (3) कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात पर अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण की कुछ खास शर्तों के अध्यधीन समाप्त करना; (4) मसालों के संबंध में उपकार की दरें दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से युक्ति संगत बनाई गई हैं और वर्ष 1992-93 के लिए कालीमिर्च के निर्यात पर उपकार से छूट दी गई है। उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, विभिन्न बोर्ड और प्राधिकरण विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में सहभागिता करते हैं और भारतीय माल के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से अन्य देशों के आयातकों के साथ पारस्परिक बातचीत के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड/प्राधिकरण उत्पादकों को उनके उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने में सहायता करते हैं और निर्यात प्रयासों के सुधार हेतु भारतीय उत्पादों के ब्रांड नाम संवर्धन में सहायता प्रदान करते है। किन्तु सरकार की नीति यह है कि कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन इस तरीके से किया जाए कि आम जनता के उपभोग की मदों की घरेलू उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

कृषि वस्तुओं के लिए लक्ष्य वर्ष 1991-92 की कीमतों के आधार पर 6519 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जिसे आठवीं योजनावधि के अन्त (1996-97) तक प्राप्त किया जाना है।

कृषि वस्तुओं में मसालों, काजू, तम्बाकू, फलों तथा सब्जियों आदि जैसी अनेक मदें आती हैं। इनकी अलग-अलग देशों में अलग-अलग मात्रा में मांग होती है। भारतीय कृषि वस्तुओं के लिए प्रमुख बाजार ये हैं—यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम एशिया।

झींगा मछली का निर्यात

823. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत द्वारा किये गये झींगा मछली निर्यात व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत द्वारा निर्यात व्यापार के लिए झींगा मछली का अधिक दोहन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या आठवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में गहरे समुद्री मात्स्यिकी पत्तनों और छोटे मात्स्यिकी पत्तनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गये झींगे निम्नलिखित थे—

	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1989-90	57819	463.31
1990-91	62395	663.33
1991-92	76080	975.43

(ख) और (ग) झींगा स्रोतों पर दबाव कम करने के लिए सरकार मत्स्य पालन के तरीके और विविधिकृत रूप से मछली पकड़ने को प्रोत्साहन दे रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में कारखानों का बंद किया जाना

824. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने कारखाने बन्द किये गए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले कामगारों की संख्या कितनी है तथा कितने लोगों को वास्तव में वह प्रतिपूर्ति धन राशि दी गई है जिसका वादा किया गया था?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

11.32 म० पू०

[तत्पश्चात लोक सभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई]

लोक सभा 12.01 म० प० पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, ये पहले माफी मांगे।···(**व्यवधान**)···हमारी तीन मांगे हैं···(**व्यवधान**)···दिल्ली में पुलिस कमिश्नर नहीं रह सकता···(**व्यवधान**)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : इन्होंने लोकतन्त्र की हत्या की है।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री प्रणव मुखर्जी

(व्यवधान)

12.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रबड़ बोर्ड, कोट्टायम का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3408/93]

(2) (एक) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3409/93]

(4) (एक) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता के वर्ष 1991-92 कार्यकरण की द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3410/93]

सड़क स्कन्ध (अधीनस्त तकनीकी कर्मचारी) भर्ती नियम, 1992

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी सड़क स्कन्ध (अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी) भर्ती नियम, 1992 जो 8 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 9 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3411/93]

केन्द्रीय सरकार (सरकारी उद्यम सर्वे) के औद्योगिक और वाणिज्यक उपक्रमों का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल-कूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

केन्द्रीय सरकार (सरकारी उद्यम सर्वे) के लिए वर्ष 1991-92 (खण्ड 1 से III) औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एस. टी. 3412/93]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 154 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल-कूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 917 (अ) जो 11 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 944 (अ) और सा० का० नि० 945 (अ) जो 24 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में वर्णित कतिपय शर्तों को पूरा करने पर "बैंट लीज" के आधार पर आयातित वायुयानों के आयात पर मूल सीमा शुल्क को रियायती दर प्रदान करना तथा उपचंगी सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 946 (अ) जो 28 दिसम्बर 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजी माल सीमा शुल्क की रियायती दरों से सम्बन्धित 20 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 160/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 947 (अ) और 948 (अ) जो 28 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क और उदग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त तथा अनुषंगी सीमाशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 33 (अ) तथा सा० का० नि० 34 (अ) जो 27 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसी व्यवस्था करना है जिससे कि भूटान की राजकीय सरकार ही नहीं बल्कि भूटान की प्राइवेट पार्टियां भी आयातों तथा निर्यातों का शुल्क मुक्त पारगमन कर सके और उस पर उदग्रहणीय अनुषंगी सीमा शुल्क की अदायगी से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 52 (अ) और सा० का० नि० 53 (अ) जो 8 फरवरी, 1993 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चान्दी को, जब उसका भारतीय मूल के किसी यात्री द्वारा या ऐसे किसी यात्री द्वारा जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन एक विधिमान्य पासपोर्ट का धारक है, भारत में यात्री सामान के रूप में आयात किया जाए। 500 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक मूल सीमा शुल्क और सम्पूर्ण अनुषंगी शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 1993 जो 8 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 54 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आवास अंतरण (संशोधन)नियम, 1993 जो 8 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 55 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 56 (अ) जो 9 फरवरी,1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आने वाले यात्रियों द्वारा असबाब के रूप में आयात की जाने वाली 35 विनिर्दिष्ट मदों पर मूल्यानुसार 105% की रियायती शुल्क दर निर्धारित करना है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल. टी. 3413/93]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (पहला संशोधन) नियम, 1993 जो 5 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 27 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3414/93]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक नियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 902 (अ) जो 30 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 266/67-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3415/93]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के बाईसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन 31 मार्च, 1992 की तिथि के अनुसार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3416/93]

(5) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3417/93]

(6) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल. टी. 3418/93]

(7) स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत स्वर्ण बाण्ड योजना 1993 को जो 18 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 76 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3419/93]

(8) लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 77 (अ) जो 18 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लोक ऋण अधिनियम, 1944 (स्वर्ण बाण्ड-1998 का अंतर्लिखित स्टॉक) के प्रयोजनार्थ सरकारी सुरक्षा का प्रारूप को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 3420/93]

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान किए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल कूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): श्री रंगराजन कुमारमंगलम की ओर से मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 31 —आठवां सत्र, (भाग 2) 1987

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3421/92]

(दो) विवरण संख्या 3 —दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3422/92]

(तीन) विवरण संख्या 27 —ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3423/92]

(चार) विवरण संख्या 24 —बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3424/92]

(पांच) विवरण संख्या 25 —तेरहवां सत्र, 1989 आठवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3425/92]

(छह) विवरण संख्या 20 —चौदहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल टी. 3426/92]

(सात) विवरण संख्या 17 —पहला सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3427/92]

(आठ) विवरण संख्या 19 —दूसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी 3428/92]

(नौ) विवरण संख्या 15 —तीसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3429/92]

(दस) विवरण संख्या 13 —छठा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3430/92]

(ग्यारह) विवरण संख्या 12 —सातवां सत्र, 1991 नौवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल टी. 3431/92]

(बारह) विवरण संख्या 11 —पहला सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3432/92]

(तेरह) विवरण संख्या 8 — दूसरा सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3433/92]

(चौदह) विवरण संख्या 6 —तीसरा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3434/92]

(पन्द्रह) विवरण संख्या 4 —चौथा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3435/92]

(सोलह) विवरण संख्या 1 —पांचवां सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल. टी. 3436/92]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

2.00 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.00 म० प० पर पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, हमारी तीन मांगें हैं। जब तक हमारी ये मांगें नहीं मानी जायेंगी···(**व्यवधान**)···एक तो पुलिस कमिश्नर को हटाया जाये···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या यह भारतीय जनता पार्टी के साथ नया समझौता है। (**व्यवधान**)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : सभा जारी रहेगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है···(**व्यवधान**)···जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जायेंगी, तब तक हम यह सदन चलने नहीं देंगे। (**व्यवधान**)

2.01 म० प०

[इस समय श्री बलराज पासी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.34 म० प०

लोक सभा 3.34 म० प० पर पुनः समवेत हुई

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

राज्य सभा से संदेश

सभापति महोदय : महासचिव राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे।

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 फरवरी, 1993 को हुई अपनी बैठक में पारित लोक अभिलेख विधेयक, 1993 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

3,3 ½ म० प०

राज्य सभा द्वारा यथा पारित लोक अभिलेख विधेयक

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 23 फरवरी, 1993 को यथा पारित लोक अभिलेख विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

———

3.35 म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा 24 फरवरी, 1993 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 फरवरी, 1993 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.34½ म० प०

मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.36 म० प०

मणिपुर उच्च न्यायालय विधेयक*

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि मणिपुर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

3.36½ म० प०

विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक***

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधाएं तथा अन्य मामलों सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के विशेष शैक्षणिक सुविधाएं तथा अन्य मामलों सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री दिलीप भाई संघानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राज्य पत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*** दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.37 म० प०

लोक नियोजन (चयन का क्षेत्र, अधिवासिक अपेक्षा और स्थानांतरणीयता) विधेयक

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक नियोजन के लिए अधिवासिक अपेक्षा तथा स्थानांतरणीयता निर्धारित करने सम्बन्धी विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक नियोजन के लिए अधिवासिक अपेक्षा तथा स्थानांतरणीयता निर्धारित करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.38 म० प०

समाज के आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण (उच्च शिक्षा तथा सरकारी नियोजन) विधेयक*

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज के विभिन्न आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों के लिए उच्च शिक्षा तथा सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"'समाज के विभिन्न आर्थिक रूपेण कमजोर वर्गों के लिए उच्च शिक्षा तथा सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.38½ म० प०

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक (विधेयक के वर्तमान पूरे नाम आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार

---

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.39 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 30 में संशोधन)

श्री बी० अकबर पाशा (बेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० अकबर पाशा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.40 म० प०

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 302 और 390 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

---

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2 प्रकाशित।

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.40 म० प०

दण्ड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक*

(धारा 7 आदि का लोप)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि संशोधन, अधिनियम, 1932 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन, अधिनियम, 1932 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41 म० प०

इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद में एक शैक्षणिक तथा आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उससे सम्बन्धित मामलों सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद में एक शैक्षणिक तथा आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उससे सम्बन्धित मामलों सम्बन्धी विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।"

---

*दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

*दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.41½ म० प०

दयाभूत जीवन अन्त विधेयक*

डा० श्री बसन्त पवार (नासिक): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्णतया बेकार तथा शैया-ग्रस्त हो चुके अथवा लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दयाभूत-जीवन-अन्त का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्णतया बेकार तथा शैया-ग्रस्त हो चुके अथवा लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दयाभूत जीवन अन्त का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० बसन्त पवार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 174 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

[अनुवाद]

3.43 म० प०

चल-चित्र (संशोधन) विधेयक*
(धारा 58 में संशोधन)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री हरिन पाठक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.43½ म० प०

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* दिनांक 26-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.44 म० प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

[विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : श्रीमन्। ये 50 मिनट बोल चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि शिष्यों को भी मौका देंगे···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जरूर देंगे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : श्री आचार्य क्या आप अपना भाषण आज समाप्त करेंगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं केवल 15 मिनट और बोलूंगा। सभापति महोदय, पिछली बार मैंने बरखास्त किए गये रेलवे कर्मचारियों की बहाली के बारे में माननीय रेल मन्त्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लेख किया था। जो कुछ उन्होंने कहा उसे मैं यहां उद्धृत करता हूं !

"मैं अपनी बात पर अटल हूं।"

उन्होंने ऐसा कहा था। उनके शब्द क्या थे ? उनके शब्द ये थे कि सभी बरखास्त कर्मचारियों को जिन्हें ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के कारण 7980 में बरखास्त कर दिया गया था और जिनके पक्ष में हमारे देश के सक्षम न्यायालय—चाहे उच्च न्यायालय हो अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनकी बहाली का निर्णय दिया है, वापस सेवा में ले लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि उनके सम्बन्ध में कोई विशेष अनुमति याचिकाएं भी विचाराधीन हों या ये याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत भी हो गई हों तो इन विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस ले लिया जाएगा। माननीय रेल मन्त्री जी का यही वक्तव्य था। मैं उनके इस आश्वासन का उल्लेख करते हुए मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री निश्चित रूप से अपने शब्दों पर अटल रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि 1980 में बरखास्त किये गये कर्मचारियों को बहाल कर लिया जाएगा। अब बहाली के लिए मुश्किल से केवल 200 व्यक्ति ही बचे हैं।

मेरा निवेदन है कि इनमें से लगभग 74-75 कर्मचारी उत्तर रेलवे के एक जोन से हैं और 3-4 कर्मचारी दक्षिण मध्य रेलवे के हैं।

महोदय, मेरे पास दक्षिण पूर्व रेलवे का एक विशेष मामला है। यहां 1988 में लगभग 22 कर्मचारियों को बरखास्त किया गया था। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता पीठ ने रेलवे द्वारा जारी किये गये बरखास्त आदेश निरस्त करते हुए इन कर्मचारियों के पक्ष में अपना निर्णय दिया और इनमें विशेष अनुमति याचिकाएं भी स्वीकृत नहीं की गई हैं। लेकिन यह मामला अभी तक लम्बित पड़ा हुआ है लेकिन इन कर्मचारियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : क्या यह रैल संरक्षण बल के बारे में है?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लेख कर रहा था।

मैं रेल राज्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इन मामलों पर गौर करें।

रेल संरक्षण बल के मुद्दे पर दो सवाल उठाये गये हैं और इस मुद्दे पर न केवल एक वर्ग ने बल्कि पूरी सभा ने, सर्वसम्मति से किसी प्रकार के दलगत भेदभाव के बिना यह इच्छा जाहिर की है कि इस मुद्दे का समाधान कर लिया जाए। उन्होंने इस सभा की आकांक्षा अभिव्यक्त की है।

महोदय, इस मुद्दे से दो सवाल जुड़े हुए हैं। प्रश्न यह है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत धारा 15 क को संरक्षण प्राप्त होता है और यदि नहीं तो क्या धारा 15 क से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) का उल्लंघन होता है। महोदय, इस तरह के कई मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 33 को 1984 में एक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था···

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आचार्य जी, दो घण्टे इसके लिए अलाट हुए थे। 52 मिनट आप पहले ले चुके हैं। आप इसको थोड़ा कर्ट शार्ट कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बोलपुर) : वह पहले की बात भूल गए हैं।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इसे संक्षिप्त करूंगा। (व्यवधान)

मैं आपको याद दिला रहा हूं।

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : हमें याद है लेकिन आप भूल गये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपनी याददाश्त को ताजा कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : संविधान के अनुच्छेद 33 का प्रतिस्थापन। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होने आपको समर्थन देने का वायदा किया है, इसलिए आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है जब अनुच्छेद 33 संशोधित किया गया तो यह इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया :—

"इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति—संसद विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई—

(क) समस्त बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाये रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठनों में नियोजित व्यक्तियों को, या

(घ) खण्ड (क) से खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को,

लागू होने में किस विस्तार तक निर्बाधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।"

महोदय प्रारूप विधेयक में यह भी जोड़ा गया था ?

"सशस्त्र बल के ऐसे सदस्य जिन्हें ऐसी सम्पत्ति की जिम्मेवारी सौंपी गई हो जो राज्य के क्षेत्राधिकार में हो या कब्जे में हो।"

लेकिन अन्ततः जब अधिनियम संशोधित किया गया उक्त भाग को हटा दिया गया, इसे नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब हुआ कि संविधान का अनुच्छेद 33 रेल संरक्षण बल पर लागू नहीं होता। यदि ऐसा है तो संशोधित अधिनियम की यह धारा 15 क से निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) का उल्लंघन होता है। यदि ऐसा है तो महोदय संशोधित रेल संरक्षण बल अधिनियम की धारा 15 क को हटा दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस सभा में इस सभा के सभी वर्गों द्वारा यह मांग कई बार उठाई गई। पूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 5 नवम्बर, 1990 को एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रेल संरक्षण बल की, जिसकी मान्यता 1985 में समाप्त कर दी गई थी। पुनः बहाल की जाएगी। रेल संरक्षण बल अधिनियम में संशोधन करके रेल संरक्षण बल संगठन की मान्यता समाप्त ही नहीं की गई थी बल्कि संगठन बनाने का मूल अधिकार भी छीन लिया गया था।

महोदय, श्री पी०आर० कुमारमंगलम, जो इस समय केन्द्रीय परिषद के सदस्य हैं, श्री हरीश रावत के साथ, जो इस समय कांग्रेस सेवा दल के वाइस प्रेसीडेन्ट हैं, सभा में अध्यक्ष के आसन के समक्ष धरने पर बैठे थे। उस समय हम सभी ने उनका पूर्ण समर्थन किया था। तत्पश्चात श्री चन्द्रशेखर की सरकार के दौरान उनकी बहाली की मांग उठी। यह मांग की गई कि तत्कालीन रेल मन्त्री श्री जनेश्वर मिश्र उक्त मामले पर हुई कार्रवाई से सभा को अवगत कराएं उन्होंने श्री पी० आर० कुमार मंगलम को लिखे पत्र को पढ़ा। उसमें कहा गया था :

"मैंने उक्त एसोसिएशन की मांग के बारे में सरकार की वास्तविक चिन्ता जाहिर की है। यह निर्णय किया गया है कि निर्धारित औपचारिकताओं के अन्तर्गत एसोसिएशन को मान्यता दे दी जाए।"

श्री जनेश्वर मिश्र ने आर०पी०एफ० इम्पलाइज एसोसिएशन को मान्यता देने सम्बन्धी सरकार

के निर्णय के बारे में इस सदन में इस तरह का बयान दिया था। सरकार एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान रेल मन्त्री यह नहीं कह सकते कि यह निर्णय उस सरकार द्वारा लिया गया था और हम इस निर्णय को नहीं मान सकते क्योंकि नये सिरे से जनमत लिया गया है। इस प्रकार जब एक सरकार कोई निर्णय लेती है तो दूसरी सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्हें उक्त निर्णय को लागू करना चाहिए क्योंकि उस सरकार को इस निर्णय को लागू करने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन जब चुनाव हुए और नई सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया, तो उन्होंने पहली सरकार के निर्णय को लागू नहीं किया।

महोदय, उसके पश्चात एक आन्दोलन हुआ और आर०पी०एफ० इम्पलाइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री यू०एस० झा 7 मार्च, 1992 से आमरण अनसन पर बैठ गये। मैं श्री मनोरंजन भक्त के साथ प्रधान मंत्री से मिला और प्रधान मंत्री ने कहा कि वे खुले दिमाग से मामले पर गौर करेंगे। तत्पश्चात 23 मार्च, 1992 को सभा के सभी वर्गों ने उक्त मांग उठाई और प्रधान मन्त्री जी के आश्वासन पर श्री यू०एस० झा ने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन उसके पश्चात् 11 महीने बीत गये हैं और अभी तक वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। मुझे इसमें विलम्ब का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

महोदय, मैंने उस दिन कहा था कि कभी-कभी मन्त्री जी प्रस्ताव तैयार करते हैं लेकिन नौकरशाह उसे निरस्त कर देते हैं। नौकरशाह अड़चन पैदा करते हैं। हमारे देश के विधि विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किये गये मत के बावजूद इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। कई विधि विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं कि संशोधित रेल संरक्षण बल अधिनियम की धारा 15 (क) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) का उल्लंघन करती है। इस सम्बन्ध में जब इस प्रकार की राय व्यक्त की गई है और जब उनकी बहाली के बारे में तथा एसोसिएशन की मान्यता के बारे में सभा सर्वसम्मत है, तो इस निर्णय के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण मेरी समझ में नहीं आता। उसे यह मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? वे कोई धनराशि की मांग नहीं कर रहे हैं।

4.00 म० प०

वे तो एक संगठन बनाने का अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं क्योंकि उनका यह संगठन पहले से ही अस्तित्व में था जिसे 1972 से मान्यता प्राप्त थी। अब वह मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इसे पुनः मान्यता क्यों नहीं दे रही है जबकि यह सभा सर्वसम्मत से उसे यह मान्यता देना चाहती है।

मुझे बाध्य होकर यह विधेयक लाना पड़ा क्योंकि हम इसकी कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और अब हम अधीर हो गये थे।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह रेल संरक्षण बल (संशोधन) अधिनियम, 1991 को स्वीकार करें और संशोधित अधिनियम की धारा 15-क को हटाने तथा रेलवे संरक्षण बल एसोसिएशन को पुनः मान्यता देने के लिए कदम उठाएं।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): सभापति महोदय, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स एक्ट, 1957 में संशोधन करवाने के लिए मुझे ऐसे ही विधेयक का नोटिस देना पड़ा, क्योंकि आर० पी० एफ० के सदस्यों को एक एसोसिएशन के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले, सदस्यों के कल्याण के लिए कुछ कानूनी रूप से मान्य गतिविधियां चलाने के पक्ष में संसद के भीतर तथा बाहर सभी पक्षों के लोगों द्वारा विचार व्यक्त किये गये हैं। फिर भी इस बेंध अधिकार को उन्हें देने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया

है। श्री वसुदेव आचार्य ने भी काफी विस्तार से इसके पक्ष में चर्चा की है। परन्तु मैं यह चाहूंगा कि आप इन तथ्यों पर ध्यान दें, जिन्हें मैं संसद से आपके समक्ष रख रहा हूं।

पहले जिसे रेलवे का 'वाच एण्ड वार्ड स्टाफ' कहा जाता था, उसे बाद में 'रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स, एक्ट, 1957 के अस्तित्व में आने के पश्चात् रेलवे से सम्बन्धित 22वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के नाम से जाना गया। इस फोर्स का प्रमुख कार्य रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करना रहा तथा संविधान के अन्तर्गत इसे एक सैन्य बल नहीं माना गया है तथा अन्य केन्द्रीय बलों जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, आई० टी० बी० पी०, सी० आर० पी० एफ० अथवा औद्योगिक सुरक्षा बल इत्यादि के साथ इसकी कोई समानता नहीं है जिनका गठन सीमाओं की सुरक्षा करना अथवा जन व्यवस्था या कानून और व्यवस्था बनाये रखना है। रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स की इस स्थिति को सरकार ने आठवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के समान भी स्वीकार किया है।

यहां यह बताना भी सुसंगत होगा कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत इस बल के सदस्यों को रेलवे अधिनियम की परिधि में रेलवे कर्मचारी माना गया है। अन्य विधायी प्रावधान भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आर० पी० एफ० के कर्मचारी किसी सैन्य बल के कर्मचारी न होकर असैनिक कर्मचारी हैं। जोनल स्तर पर तथा अखिल भारतीय स्तर पर कुछ आर० पी० एफ० के संगठन 1971-72 में गठित हुए थे तथा इन्हें 1973 में मान्यता प्रदान की गई थी। एक दशक तक इस सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं थी। ये संगठन सामान्य रूप से अपना कार्य करते रहे तथा इनके सदस्य अपने उत्तर-दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति पूर्णतया जागरूक थे। आधिकारिक स्तर पर भी इस तथ्य को समय-समय पर स्वीकार किया गया? महोदय, इसके विपरीत, 1979 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे बलों ने 1979 में आन्दोलन किया, परन्तु आर० पी० एफ० ने इसमें भाग नहीं लिया तथा उनकी अनुशासन की भावना को काफी सराहना मिली।

इस सन्दर्भ में मैं तत्कालीन रेल मन्त्री के भाषण को उद्धृत करना चाहूंगा जो कि उन्होंने अगस्त, 1981 में आर० पी० एफ० सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन में दिया था जिसमें आर० पी० एफ० की इन शब्दों में प्रशंसा की थी :

> "पिछले कुछ समय में, जब वर्दीधारी दलों में काफी आन्दोलन रहा, आर० पी० एफ० ने सराहनीय धैर्य दिखाया। इसके लिये मैं आपको तथा आपके कर्मचारियों को बधाई देता हूं। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम यह सुनिश्चित करें कि ऐसा अनुकरणीय व्यवहार बनाये रखा जाये।"

महोदय, ऐसी स्थिति में आर० पी० एफ० के कर्मचारियों को उस समय काफी धक्का लगा जब 1985 के अधिनियम संख्या 60 में संशोधन किया गया तथा अधिनियम का पूरा नाम बदल कर 'बल' शब्द के स्थान पर 'केन्द्रीय सशस्त्र बल' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1985 के संशोधन अधिनियम में कुछ और संशोधन किये गये जिनके परिणामस्वरूप आर० पी० एफ० के कर्मचारियों का संगठन बनाने का सांविधिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा आर० पी० एफ० के अराजपत्रित कर्मचारियों से अनुशासनात्मक मामलों में भेदभाव होना आरम्भ हो गया।

इसी संदर्भ में मैं आर० पी० एफ० के कर्मचारियों की शिकायतों को व्यक्त करना चाहता हूं कि आर० पी० एफ० में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों तथा आर० पी० एफ० में पीछे भर्ती होकर

कर्मचारियों में भेदभाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है तथा ऐसी स्थिति में प्रशासकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य जिस बल को सौंपा गया हो, उससे ऐसी परेशानियां पैदा न हो। इसके विपरीत, जैसे कि श्री बसुदेव आचार्य ने कहा है कि इस सभा के सभी पक्षों तथा राजनैतिक दलों के सदस्य यह मांग समय-समय पर उठाते रहे हैं फिर भी आर० पी० एफ० के कर्मचारियों की इस शिकायत के निवारण तथा उन्हें बुलाकर मामले को सुलझाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया है।

आर० पी० एफ० कर्मचारियों को सर्वाधिक चिन्ता इस सम्बन्ध में हैं कि जब इस अनुच्छेद को और व्यापक बनाने के लिए अनुच्छेद 33 में संशोधन किया जा रहा था, ताकि कुछ एक बलों के मामले में संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा समाप्त करने की संसद को शक्ति दी जा सके। इसके बावजूद 1985 का यह संशोधन लाया गया तथा इस सदन के मत को स्वीकार करने के बावजूद अनुच्छेद 33 आर० पी० एफ० के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया। विधेयक के मसौदे में ऐसा प्रावधान था जिसका सीधा अर्थ यह लगाया जा सकता था कि अगर इसे लागू किया गया, तो संविधान में ऐसा प्रावधान होगा, जिससे आर० पी० एफ० के कर्मचारियों के अधिकारों को भी समाप्त किया जा सकेगा। परन्तु श्री पी० वी० नरसिंह राव जो कि उस समय गृहमन्त्री थे, उन्होंने सदस्यों के विचारों के मूल तत्व को समझा तथा आर० पी० एफ० के कर्मचारियों के निवेदन में भी वास्तविकता पाई तथा अनुच्छेद 33 के संशोधन को ऐसे शब्दों में लिखा गया जिससे आर० पी० एफ० इसकी परिधि और प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो गये। तत्पश्चात्, 1985 का यह संशोधन लाया गया तथा उसका पूरा नाम तथा नई जोड़ी गई धारा 15-क सहित कुछ अन्य प्रावधानों से ऐसा काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि इससे एक अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई, अर्थात् रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स आज एक केन्द्रीय सैन्य बल घोषित हो चुका है तथा इसके साथ-साथ वे रेलवे कर्मचारी तथा उत्तम साधारण सरकारी कर्मचारी भी हैं।

यह तर्क काफी विश्वास के साथ दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 33 आर० पी० एफ० के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। परन्तु मेरे विचार में अगर किसी सरकारी अधिकारी को कानून की पुस्तक में दिये इसके प्रावधानों का अर्थ निकालने के लिए कहा जाये तो निश्चित रूप से उसका यही मत होगा कि अनुच्छेद 33 वास्तव में आर० पी० एफ० कर्मचारियों पर लागू होता है तथा इसीलिए उनकी शिकायत उचित है।

महोदय, पहले कही गई बात को दोहरा कर मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के कर्तव्य ऐसे हैं कि प्रमुख तौर पर रेलवे का एक विभाग है, प्रमुख तौर पर यह एक असैनिक संगठन है जिसका कर्त्तव्य रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करना है। महोदय, अनेक समितियों ने इस विषय पर समय-समय पर विचार किया है। राम सुभाना सिंह समिति का उल्लेख मैं बाद में करूंगा। किरपाल सिंह समिति का भी गठन हुआ था। इन दोनों समितियों की सिफारिशों पर सरकार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। वास्तव में समय-समय पर सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि सांविधिक रूप में इन सबका परिणाम जो हुआ, वह हमारे सामने है। किरपाल सिंह समिति की रिपोर्ट के पैरा 9.11 में जो कहा गया है मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा :

> "रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेलवे सम्पत्ति तथा उन्हें यातायात के लिये सौंपी गई सम्पत्ति सुरक्षा के लिये किया गया इस बल का प्रयोग जन व्यवस्था स्थापित करने के लिये करना उन्हें उनके वैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य से विमुख करना होगा। ऐसी शक्तियां वास्तविक रूप में

पुलिस के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा। इसलिये, मेरे विचार में, मैं नहीं समझता कि रेलवे सुरक्षा बल को ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिये।"

ऐसी स्थिति में आर० पी० एफ० संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उनकी मान्यता समाप्त करने की बात नहीं सोची जा सकती। परन्तु, दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद ऐसा हुआ है जबकि इन संगठनों का गठन तथा नियम संशोधित अधिनियम के सबसे कठोर प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं करते। सालों-साल हमने यह देखा है कि अगरे कानून में कोई अच्छा प्रावधान जोड़ा जाता है, तथा उस पर उस समय कोई आपत्ति की जाती है, तो यह कहा जाता है कि यह प्रावधान सरकार को तथा विभाग को समझ तथा स्थिति के अनुसार यथा उचित कार्यवाही करने के लिये सक्षम बनाने के लिये लाया गया है। परन्तु व्यवहारिक तौर पर हम क्या देख रहे हैं? अक्सर इन प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया जाता है तथा सम्बन्धित लोगों के हितों के विरुद्ध उनका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। मैं इस सभा के सदस्यों, नौवीं लोक सभा तथा आठवीं लोक सभा के सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं। श्री आचार्य ने कांग्रेस के एक सदस्य का उल्लेख किया जो कि अपनी बात कहने के लिये सदन के बीचों-बीच पहुंच गये थे तथा तत्कालीन सरकार ने उनके विचारों की उपयोगिता को समझते हुये उन्हें स्वीकार कर लिया। तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा श्री कुमार मंगलम को लिखे पत्र की केवल एक पंक्ति को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, जो कि उस समय आर०पी०एफ० के कर्मचारियों का उनके वैधानिक अधिकार दिलाने के लिये चलाये जा रहे आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दिनांक 27 फरवरी, 1991 को श्री जनेश्वर मिश्रा तत्कालीन रेल मन्त्री ने कहा :

"निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने पर संगठन को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।"

परन्तु उसके पश्चात् कुछ नहीं किया गया। अगर इस पक्ष के लोग सिद्धान्त रूप में इससे मतान्तर रखते हो तो समझ आता है। परन्तु हम ऐसा करने में क्यों असफल रहे, यह समझ नहीं आता। प्रसंगवश, मैं यह बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश सिविल सर्वेन्ट ऐसे मन्त्रियों के विषय में क्या कहते हैं जो कि उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। इसे 'हाउस ट्रेनिंग' कहा जाता है तथा जब कोई मन्त्री स्वाभाविक तौर पर हर बात को सिविल सेवकों के माध्यम से देखता है तो इसे 'वैस्ट मिनस्टर' में कहते हैं कि 'मन्त्री गुलाम बन गया है।' मैं समझता हूं कि इस मामले में निर्णय लेने वाले सभी लोगों ने सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से ही मुद्दों पर गौर किया है। हमने इस बारे में विचार नहीं किया कि वैध मांग क्या रही है और इसमें क्या है, समय-समय पर समितियों की सिफारिशें क्या रही हैं और तीन लोक सभाओं के सर्वसम्मत मत क्या रहे हैं। 8वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने संशोधनों पर गौर करने के बाद, अगर आवश्यक हो तो नियमों और अधिनियम में संशोधन करके इस आर० पी० एफ० संघ को मान्यता देने की सिफारिश की थी और इसी प्रकार 9वीं लोक सभा की अधीनस्थ सम्बन्धी समिति ने भी यही सिफारिश की थी। आप तो उस समय की स्थिति से अवगत हैं जब अखिल भारतीय आर० पी० एफ० संघ के जनरल सेक्रेटरी ने आमरण अनशन किया था। यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय था। हम सबने यहां पर उस घटना के प्रति अपना क्षोभ और चिन्ता व्यक्त की थी। मैंने सोचा कि सरकार कार्यवाही करेगी और हम इस मामले में कुछ कार्यवाही करेंगे। एक बार यह मुद्दा ठण्डा पड़ गया तो हम फिर उसी स्थिति में हैं। ऐसा एक लोकतन्त्र में नहीं होना चाहिए विशेषकर तब जबकि हम लोकतन्त्र पर गर्व करते हैं और लोकतन्त्र की प्रकृति ही भागीदारी की है। इन्हीं कारणों से आर० पी० एफ० के लोगों की वास्तविक शिकायतें हैं, भय है क्योंकि उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर आने वालों के विरुद्ध अनेक वर्षों से अपनी आवाज उठाई है और

उन्हें कुछ सफलता भी मिली, उन्हें इन लोगों का निशाना बनाया जा रहा है। इस भय को दूर किया जाये। हमें इन लोगों के डर को दूर करना है।

महोदय, आर० पी० एफ० कर्मियों को संघ बनाने के अधिकार से वंचित करने का एक अविवादनीय कारण यह है कि संशोधित धारा 12 के तहत इस बल के सदस्य को यह शक्ति प्राप्त है कि रेल सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध करने के शक में किसी व्यक्ति को वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। अगर इस बल को एक सशस्त्र बल मानकर यह तर्क दिया जाता है और उन्हें संघ बनाने के वैध अधिकार से वंचित रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि यह सत्य से इन्कार करना होगा, यह तथ्यों को नकारना होगा क्योंकि इन लोगों को विशेष दर्जा देने के लिए यह संशोधन नहीं लाया गया बल्कि किसी आकस्मिक सम्भावना का सामना करने के लिए यह किया गया यह ऐसी स्थिति के लिए किया गया जब आर० पी० एफ० कर्मी कभी स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं कि अपराध किया जा रहा है और वे उचित समय पर सही कार्यवाही करने में असमर्थ रहते हैं।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिये।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में हूं। मुझे और समय दिया जाए। मैं यथा शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, उन्हें और अधिक कानूनी शक्तियां देने वाला यह संशोधन उनके कार्य को कारगर बनाने के लिए आवश्यक था। मैं कहूंगा कि यह केवल प्रासंगिक है क्योंकि उनके द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को आर० पी० एफ० पूछताछ और अभियोजन हेतु पुलिस के पास भेज देती है।

महोदय, मैं भाषण समाप्त करने से पूर्व डा० राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का उल्लेख करना चाहूंगा, इस बारे में मैंने पहले भी उल्लेख किया था। इसमें कहा गया है :

> "जब तक रेलवे में अपराध नियन्त्रण विशेषकर रेल सम्पत्ति की चोरी पर नियन्त्रण दो एजेंसियों अर्थात राजकीय रेलवे पुलिस (जी० आर० पी०) तथा रेलवे सुरक्षा बल (आर० पी० एफ०) के अन्तर्गत रहेगा अर्थात रोकथाम आर० पी० एफ० के तहत तथा पूछताछ और अभियोजन जी० आर० पी० के तरह होगा तब तक इनमें से किसी के लिए भी समुचित रूप से प्रभावी होना सम्भव नहीं होगा।"

सम्भवत इस सिफारिश और विभिन्न अन्य सिफारिशों के मद्देनजर संज्ञेय अपराध करने के शक में लोगों को गिरफ्तार करने के लिये आर० पी० एफ० कर्मियों को कानूनी शक्ति देने के लिये धारा 12 में संशोधन किया गया था। लेकिन जैसा मैंने अभी-अभी कहा है, उन्हें उनके वैध अधिकार से वंचित करने के लिये इसे एक कारण न माना जाये।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर नए सिरे से खुले दिमाग से विचार करें और निःसन्देह विगत कुछ वर्षों के दौरान हुई घटनाओं को न भूले और सदन की तीन लोक सभाओं के सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को न भूले और संबन्धित लोगों की भावनाओं की भी उपेक्षा न करें। मुझे विश्वास है कि अगर इस विषय पर खुले दिमाग से कार्यवाही की गई तो सभी सम्बन्धित पक्षों की संतुष्टि के साथ इसका समाधान हो जाएगा और आर० पी० एफ० कर्मियों से अपेक्षित

वांछित अनुशासन से समझौता किये बगैर, ऐसे अन्य किसी बल पर किसी कुप्रभाव के बगैर ऐसा हो सकेगा जिनके अपने कानून हैं जो विभिन्न विधानों के तहत विशेष रूप से बनाये गये हैं और इन समितियों ने सरकार को बार-बार सिफारिश की है और मैं इनसे उद्धृत करके अब उनका उल्लेख नहीं कर रहा, उनके अनुसार उनका कार्य सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाये रखना है और ये संगठन विशेष रूप से गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत है जबकि आर० पी० एफ० रेलवे का एक विभाग है और इसे इसी प्रकार लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह सरकारी संशोधन लायें ताकि जो लोग रेलवे की वास्तविक सेवा अनेक वर्षों से कर रहे हैं और वे सत्तर हजार से भी अधिक है और जिन्होंने आन्दोलन का रवैया कभी नहीं अपनाया उन्हें यह शिकायत न हो, यह महसूस न हो कि आन्दोलन के रवैये के द्वारा ही कार्य होता है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं श्री वासुदेव जी आचार्य एवं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्थापित रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक नामक गैर सरकारी विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मान्यवर समर्थन करने का भी विशिष्ट कारण यह है कि रेलवे सुरक्षा बल जो है वह अधिनियम 1957 के अनुसार गठित हुआ था। पहले रेलवे की सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए वाच एण्ड वार्ड का स्टाफ हुआ करता था। 1957 के अन्दर इसी संसद ने एक विधेयक पारित किया जो बाद में अधिनियम बना जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट कहलाया, जिसके अनुसार आर० पी० एफ० का पुनर्गठन हुआ और उसके बाद में भली प्रकार से ये संगठन अपना सेवा-कार्य कर रहा था और इसको मुख्य रूप से रेलवे की सम्पत्ति की देखभाल का कार्य सौंपा गया था और एक प्रकार से जैसे रेलवे के अन्य अंगों में कार्य करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी रेलवे कर्मचारी माने जाते हैं इसी प्रकार से रेलवे सुरक्षा बल के अन्दर कार्यरत सैनिक या अर्द्ध-सैनिक जो भी कर्मचारी थे वे भी रेलवे के ही कर्मचारी माने जाते थे। उसके अनुसार 1972 में इनके संगठन का निर्माण भी हुआ, इनका कल्याण करने वाला जो वेलफेयर एसोसिएशन, जिस प्रकार से अन्य संगठन, अन्य कर्मचारी लोग बनाते है उसी प्रकार से रेलवे सुरक्षा बल के सैनिकों ने भी मिल करके अपने 75 हजार सैनिक जो देश के विभिन्न भागों में रेलवे की सम्पत्ति की देखभाल का कार्य भली प्रकार से करते थे तो उनके लिए उन्होने एक संगठन बनाया था, 1972 के अन्दर और वह भली प्रकार से सदस्यों के कल्याण के कार्यों को देख रहा था और भली प्रकार से उनकी दिक्कतें या कठिनाइयां जैसे अन्य संगठन दूर करते हैं वैसे यह भी कर रहा था लेकिन यह ट्रेड यूनियन की तरह नहीं था यह केवल कर्मचारी कल्याण करने वाला संगठन इन्होंने बनाया था। उसके बाद में लगभग कई वर्षों तक यह संगठन भली प्रकार से कार्य करता रहा और इसने इन कर्मचारियों के हितों के लिए भी काफी काम किया। 1972 में बना, 1973 के द्वारा इसको केन्द्रीय सरकार ने मान्यता प्रदान की थी और कई सुविधाएं भी इनको प्रदान की थीं। 14 वर्ष तक रेलवे सुरक्षा बल का यह कर्मचारियों का कल्याण करने वाला संगठन निरन्तर अपना संगठन का कार्य करता रहा और अधिकारियों को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन 1985 के अन्दर तत्कालीन सरकार, मैं तो यह कहूंगा कि काला कानून ले आई और रलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के अन्दर एक ऐसा उल्टा संशोधन कर दिया जिसके अनुसार यह जो कल्याणकारी संगठन, जो रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के सैनिकों के कल्याण में लगा हुआ था उनकी आशाओं पर तुषारापात कर दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां हम संविधान के मूल अधिकारों

की रक्षा की बात करते हैं, जहां हम संविधान के मूल अधिकारों के लिए रात-दिन दुहाई देते हैं, जहां हम प्रजातंत्र के सबसे बड़े विश्व के लोकतान्त्रिक राष्ट्र होने का दावा करते हैं वहां की प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार इस प्रकार का काला कानून कैसे ले आई और रलवे सुरक्षा बल के उन लोगों को कौन से कानून के अन्तर्गत उन्होंने सशस्त्र बल मान लिया। मैं तो कहूंगा कि 1985 में, 1957 के कानून में जो संशोधन किया था, अधिनियम द्वारा वह वास्तव में काला कानून था और उसी अधिनियम के अनुसार विभिन्न पहले जितनी भी कृपाल सिंह समिति या अन्य समितियां बनी थीं जिन्होंने संगठन के निर्माण के बारे में या संगठन की बेहतर सेवाएं दिलाने के बारे में जो संस्तुतियां या अनुशंसाएं की थीं उसके विपरीत इसने रिपोर्ट दी, उसके विपरीत कार्य किया गया, इस 1985 के कानून के द्वारा, और वे खामियां इसके अन्दर बहुत थीं।

सभापति महोदय, अभी वासुदेव आचार्य जी जिस संशोधन को लाए हैं और पवन कुमार बंसल जी ने भी इसका समर्थन किया है और वह भी पुरःस्थापित करने वालों में से एक हैं तो इसमें उन खामियों को दूर करने का सबसे पहले निश्चय है और इसके साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल को रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए अधिक सहायता करने वाला सक्षम बल बनाना और रेल सुरक्षा बल की कार्य-प्रणाली को बेहतर बनाना है। उसके साथ ही, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परसों के दिन माननीय रेल मन्त्री जी ने यहां पर रेल बजट प्रस्तुत किया। उसमें यात्रा भाड़ा बढ़ाने, माल भाड़ा बढ़ाने और अन्य बातों की घोषणा की। रेलवे में बढ़ते हुए अपराधों को कम करने के लिए रेलवे में बढ़ती हुई चोरियों को कम करने के लिए, रेलवे सम्पत्ति को निरन्तर विभिन्न चोरियों के माध्यम से या आपराधिक लोगों के माध्यम से होने वाले नुकसान से, हानियों से रक्षा करने के बारे से कोई विशेष बात करनी चाहिए। आर० पी० एफ० के बारे में या उनके कल्याणकारी संगठन को पुनः पूर्ववत मान्यता देने के बारे में इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। यह बड़े खेद की बात है।

इसलिए रेलवे सुरक्षा बल की कार्य-प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और सम्पत्ति को निरन्तर जो चोरी हो रही है, चाहे यात्रियों के सामान की चोरी हो चाहे रेल सम्पत्ति की चोरी हो, इन सबके बारे में अभी रेलवे में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे सुरक्षा बल है और दूसरी तरफ राजकीय रेलवे पुलिस है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। कानून और व्यवस्था को स्टेशनों की परिधि में या रेलवे ट्रैक पर बनाए रखने का प्रश्न है यह काम जी० आर० पी० करती है, लेकिन रेलवे सम्पत्ति के बारे में रक्षा करना, रेलवे सम्पत्ति की चोरियों की रोकथाम करना उनके बारे में पूरी देखभाल करना, यह सारा काम आर० पी० एफ० के हाथ रहता है। लेकिन आर०पी०एफ० के हाथ में जो कानूनी अधिकार होने चाहिए, जैसे चोर को पकड़ा, उसके केस की जांच की; जांच करने के बाद कोर्ट में उसका चालान पेश किया, ऐसे अधिकार आर० पी० एफ० को प्राप्त नहीं है। जी० आर० पी० को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। परिणाम यह होता है कि यदि आर० पी० एफ० अपराधों को रोकना भी चाहती है तो प्रभावी ढंग से अपराधों को रोक नहीं पाती है। कारण यह है कि उनके हाथ में जो कानूनी अधिकार होना चाहिए उनकी जो मान्यता होनी चाहिए, वह नहीं है। दूसरी तरफ देश के अन्दर जो 75 हजार सैनिक हैं आज उनमें असन्तोष व्याप्त है। क्योंकि उनकी विभिन्न प्रकार की जो एसोसिएशन्स थीं और उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन था उस संगठन ने निरन्तर जो पहले अच्छा कार्य किया, एकदम 1985 के कानून के द्वारा उस संगठन की मान्यता समाप्त कर दी गयी। मान्यता समाप्त करने के बाद उनको जो विशेष सुविधाएं थीं, संगठन के नाते कार्य करने की, वह भी छीन ली गयीं। परिणाम यह हुआ कि उनमें असन्तोष पैदा होने लगा।

मैं यह कहूं, यह सरकार मूल अधिकारों की बात करती है, लेकिन 400 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर करके आर० पी० एफ० एसोसिएशन को पुन: मान्यता बहाल करने के लिये, जो संगठन पूर्ववत कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ था, उसको वैसा ही कार्य प्रदान करने के लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी।

यह लोकतन्त्र में सबसे बड़ी पंचायत है। लोकतन्त्र की सबसे बड़ी पंचायत में जब विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल अपनी राजनीति से ऊपर उठकर, जिसे राष्ट्रीय कल्याणकारी कार्य कहना चाहिए, रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करने वाला जो संगठन है, 400 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर करके सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

मान्यवर और तो और आठवीं लोक सभा में, नवीं लोक सभा में और दसवीं लोक सभा में सर्वसम्मत निश्चय अभिव्यक्त किया गया और यह कहा गया कि इस संगठन की रिकॉगनिशन बहाल की जाये, आर० पी० एफ० अमैण्डमेंट एक्ट 1985 को वापस लिया जाये, उनको समाप्त किया जाये, 1987 में जो रेलवे ने कानून, नियम बनाये थे, 1985 के काले कानून के अन्तर्गत, उनको भी वापस लिया जाये। लेकिन नवीं-दसवीं लोक सभा के निश्चय भी सरकार के कानों में सुनायी नहीं पड़ रहे हैं और सरकार एक प्रकार से उनकी अनदेखी कर रही है। बहरी और गूंगी सरकार है। सभापति जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व आपका भी है, जब हम लोग, 400 संसद सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के, सर्वसम्मति से मंत्री को या भारत सरकार को कोई ज्ञापन देते हैं, आर० पी० एफ० एक्ट के बारे में, उनकी एसोसिएशन के बारे में, विविध अधिकार देने के बारे में, उस पर सही कार्यवाही नहीं होती या सरकार उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं होती तो ऐसी सरकार के बारे में क्या कहा जाए।

मान्यवर, हम कल भी भुगत चुके हैं। मूल अधिकारों की बात करने वाली सरकार लाठी और गोली के दमन पर दिल्ली के अन्दर कैसा आतंक पैदा करती है···(व्यवधान) कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने पर भी सरकार पाबंदी लगाती है और श्रमिकों का भला करने वाली बात कहती है और यह कहती है कि श्रमिकों की छंटनी नहीं करेंगे और नहीं निकालेंगे और सारी सुविधाएं उनको प्रदान करेंगे। आर०पी०एफ०आर्म्ड फोर्सेस या बी०एस०एफ० की तरह लॉ एण्ड आर्डर के लिए जा रही है क्या सी० आई० एस० एफ० इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी का काम करती है जो उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आता है लेकिन उसका सारा अधिकार गृह मंत्रालय को दिया गया है। लेकिन जो कानून रेलवे कर्मचारियों के लिए है वह आर० पी० एफ० के ऊपर भी लागू होना चाहिए। इस गैर सरकारी विधेयक को इसलिए प्रस्तुत किया है कि 1957 के कानून के अन्तर्गत आर० पी० एफ० के सम्बन्ध में जो खामियां पैदा हुई हैं उनको दूर किया जाए और उनको 1985 के काले कानून द्वारा ऐसा अधिकार दिया जाए कि वह लॉ एण्ड आर्डर की तरह ही अपराधों की जांच कर सके और चालान वगैरह पेश कर सके इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। आठवीं और नौवीं लोक सभा की सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने भी इस प्रकार की प्रशंसा की थी और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इस सदन के पटल पर मांग भी रखी थी। 1990-91 में जो सरकार आई तो उसमें भी परिवर्तन आया जबकि 1990 के अन्दर जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार बनी थी, लेकिन 1991 में सरकार आई लेकिन पूर्व सरकार ने आर० पी० एफ० के एसोसिएशन की मान्यता हेतु आदेश जारी किया था, वह आदेश जारी हो गया।

लेकिन खेद है कि वह लागू नहीं हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि न शक्ल बुरी है, न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। सरकार की नीयत में खोट मालूम पड़ता है चूंकि वह पिछली सरकारों के दिए हुए आदेशों का क्रियान्वयन नहीं करती है। हमारे सैनिकों में असंतोष

पैदा हो रहा है कि और उनके कल्याण के बारे में सरकार कहती है कि स्टाफ काउन्सिल बना लेंगे। जब पन्द्रह साल से संगठन बना हुआ था और उसको मान्यता दे रखी थी और वह कल्याण के काम कर रहा था और आज उसकी बात को सुन रहे थे और आज अचानक कैसे यह मान्यता का प्रश्न आ गया। उसके पदाधिकारी भूख हड़ताल पर गए और आत्म दाह करने की बात कही गई तो उस समय सारे बड़े-बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे और इन्साफ हम दिलवायेंगे। सरकार अभी तक इन्साफ नहीं दिला पाई है। विधान की दृष्टि से आर्म्ड फोर्सेस आफ दी यूनियन कौन से कानून के अन्तर्गत कहा गया है। आर्म्ड फोर्स है तो जल, नभ और नौ सेना की तरह डिफेंस के अन्दर आना चाहिए। जैसे बी० एफ० एस० एफ० और सी० आई० एस० एफ० के ऊपर जो गृह मंत्रालय के अन्दर कानून लागू होता है वह आर० पी० एफ० के ऊपर भी लागू होना चाहिए। यह रेलवे का, रेलवे के अन्तर्गत, रेलवे का एक्ट है, रेलवे सम्पत्ति की रक्षा का भार इसके ऊपर है। इसलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न तो यह देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है न कानून और व्यवस्था इसके जिम्मे है और आर० पी० एफ० कर्मचारी जो संगठन बना हुआ है, वह रेलवे कर्मचारियों की तरह का एक संगठन है जिस पर रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा का भार है। इसलिए रेल मन्त्रालय अपने नियन्त्रण के अन्दर आर्म्ड फोर्सेस मानकर नहीं रख सकता है। इसको रेलवे विभाग मानकर रखे और इसी के अनुसार इसको सारी सुविधाएं प्रदान करे। अन्त में केवल एक बात कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"कि आर० पी० एफ० कल्याण संघ एक सेवा कल्याण संघ है। यह न तो श्रमिक संघ है और न ही किसी अन्य संघ या संगठन से इसका कोई सम्बन्ध है।"

[हिन्दी]

इसलिए आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि 1985 के काले कानून के अन्तर्गत जो खामियां की गयी थीं जिसके द्वारा विभिन्न समिति की अभिशंसाओं की क्रूर हत्या कर दी गयी थी उस काले कानून को खत्म करके और जो संशोधन श्री बसुदेव आचार्य लाये हैं और इस विधेयक के माध्यम से श्री पवन कुमार बंसल ने समर्थन किया है, उसको सरकार मान ले। रेलवे सुरक्षा बल को रेल की सम्पत्ति को संरक्षण देने का अधिक प्रभाव इस बल प्राप्त हो जाएगा, कार्य प्रणाली दक्ष हो जाएगी, रेलवे सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों को निपटने के लिए उनके पास और शक्ति आ जायेगी, कानूनी शक्ति उनके पास आ जायेगी। इस प्रकार से चोरियों को, आपराधिक प्रवृत्तियों को रोका जायेगा। और रेलवे का घाटा कम होगा। रेलवे को अब जितना मुनाफा हो रहा है, इस बिल के द्वारा उसकी कमायी और ज्यादा हो जायेगी तथा देश का ज्यादा कल्याण होगा, देश का ज्यादा हित होगा, सैनिकों में असंतोष दूर होगा। मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारी तरह इस सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, जिस संशोधन विधेयक को श्री बसुदेव आचार्य जैसे विद्वान ने प्रस्तुत किया हो और जिसका पुरजोर समर्थन एक विद्वान साथी श्री पवन कुमार बंसल जैसे व्यक्ति ने किया हो, उसमें बहुत कुछ कहने को नहीं है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि सभी साथी दलगत भेदों से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करें और मैं भी अपनी तरफ से इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, भारत में आजादी के बाद कानून और व्यवस्था का सवाल राज्य सरकारों के तहत आता था। अर्द्ध सैनिक बलों की बात का संज्ञान तो आजादी के बहुत बाद में आया। जब इस देश

में सीमाओं के नजदीक या ऐसे राज्यों में जहां बहुत ज्यादा इन्सरजेंसी की घटनायें होने लगीं, राज्य सरकार जब अपहाग होने लगी तो एक कानून के तहत गृह मंत्रालय में अर्द्ध सैनिक बल के बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया लेकिन यह आर० पी० एफ० एसोसिएशन था यह पहले ही चला आ रहा था। कई मित्रों ने ठीक कहा कि इसका इतिहास यह था कि रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए वाचिंग वार्ड का संगठन पहले से रेलवे के संगठन के साथ क्रियाशील था और उसी के स्वरूप को 1957 में बदलकर रेलवे सुरक्षा बल के रूप में किया गया। इसके पहले तो यह वेलफेयर एसोसिएशन था उसकी मान्यता संगठन के साथ आ रही थी। एक साजिश के तहत 1985 में एक संशोधन विधेयक लाकर जो गैर-कानूनी है, असंवैधानिक है और यदि उसकी सही ढंग से समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय में होगी तो इस तरह का संशोधन इस संसद के द्वारा पास नहीं किया जा सकता था। मैं ऐसा समझता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए थी लेकिन इस संगठन ने दिया या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए यह असंवैधानिक है।

सभापति महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि रेलवे की सुरक्षा तो आर० पी० एफ० करेगी लेकिन स्वयं सुरक्षा करने का अधिकार उसे नहीं मिला हुआ है। आज बिहार में हड़ताल हो रही है। पहले से वहां मिलिट्री पुलिस है जो सशस्त्र बल है। उसको पहले से संगठन बनाने का अधिकार 1942 में पहले जब पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके साथ बिहार का जो सशस्त्र बल था, आन्दोलित था, तब से बिहार में मिलिट्री पुलिस को अपना संगठन बनाने का अधिकार मिला हुआ था। उसके संस्थापित नेताओं में वहां के पूर्व ग्रह मंत्री श्री रामानन्द तिवारी भी हैं। आज बिहार में पुलिस वालों की हड़ताल हो रही है, उस संगठन के जरिए हो रही है। संगठन की मांग पर हो रही है। केवल यह कहना कि ये अर्द्ध सैनिक बल हैं, इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान में सभी काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जो संगठन बनाने का अधिकार मिला हुआ है, यह उसका निषेध है, उसके विपरीत है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल को भी सही मायने में रेलवे कर्मचारियों की तरह ही ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत अपना संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। आखिर रेलवे पुलिस जी० आर० पी० पहले से ही लगी हुई है। किसी भी स्टेशन के ऊपर वारदात होती है, उसकी जांच पड़ताल जी० आर० पी० रेलवे पुलिस करती है, लेकिन रेलवे पुलिस उसके अन्तर्गत नहीं आती। उसके ऊपर सारा अनुशासन पुलिस विभाग का चलता है लेकिन जो आई० पी० सी० है, सी० आर०पी० सी० है, इसके तहत जी० आर० पी० काम करती है लेकिन उसके ऊपर अनुशासन रेलवे का नहीं होता। ठीक उसी तरह रेलवे की सुरक्षा का मामला है। आप वहां पर दूसरे अर्द्धसैनिक बल को नियुक्त करते हैं जो सी० आर० पी० नाम से जाना जाता है। फिर यदि रेलवे के जो दूसरे कारखाने हैं, उनमें कई वारदात होती है तो रेलवे इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स को डिप्यूट किया जाता है, आर० पी० एफ० वहां जाती है। इसलिए उनके और अर्द्ध सैनिक बल के जो कार्यकलाप हैं, दोनों ही अलग हैं, इनके ऊपर अर्द्ध सैनिक बलों का कानून लागू करके उनको ट्रेड यूनियन राइट से वंचित रखना अपने आपमें अनुचित काम है।

उसी तरह राज्यों में जो आई० पी० एस० के अधिकारी हैं, इन्होंने सभी राज्यों के हिसाब से अपने एसोसिएशन अलग-अलग बना रखे हैं और अपनी सुविधा की बात वह राज्य प्रशासन से समय-समय पर निरन्तर करते रहते हैं और उनकी एसोसिएशन से बात करने और उनकी दिक्कत दूर करने का काम विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्री और राज्यपाल करते हैं। जो वरिष्ठ पदों पर स्थापित सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनको संगठन बनाने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन यदि उनकी तानाशाही पर रोक लगाने के लिए उनके अधीनस्थ कर्मचारी अपनी मांग रखते हैं तो उनको यूनियन बनाने का

अधिकार नहीं है, संघ बनाने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके अधिकारों के साथ यह खुला हस्तक्षेप है। इसलिए इसके खिलाफ पहले भी आन्दोलन हुए और पिछले साल भी इस सदन में बात उठी। इस पर धरना हुआ और विभिन्न राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं पर लाठियां चलाई गई, इस संगठन के हक में उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। इस सदन में जब यह एक्ट आया था, मुझे स्मरण है, 1985 में इस तरह का संशोधन विधेयक सदन में आया था, उसके ऊपर सभी दलों ने आपत्ति की थी। इस सदन में समय-समय पर विभिन्न रेल मन्त्रियों ने आश्वासन भी दिये हैं कि इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे और इस तरह का एक निर्देश एक सर्कुलर के तहत जार्ज फर्नान्डीज साहब, तत्कालीन रेल मन्त्री ने किया था। इसलिए इस संगठन बनाने के आश्वासन को विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाना चाहिए और रेलवे सुरक्षा बल को अपना संगठन बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस मांग का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और इन्हीं चन्द शब्दों के साथ इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नीथला (कोट्टायम) : महोदय, इस विधेयक पर पछले सत्र में भी चर्चा हुई थी। आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभाओं में भी अनेक बार यह विचार सर्वसम्मति से पूरे बलपूर्वक व्यक्त किया गया था कि आर० पी० एफ० द्वारा संघ बनाने के अधिकार को बहाल किया जाए और इसलिये 1985 के अधिनियम और उसके तहत बने नियमों में संशोधन किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य ने यहां पर अपने भाषण में यह उचित ही कहा कि आर० पी० एफ० के सदस्य कई वर्षों से इस मान्यता की मांग कर रहे हैं। इस गरिमामय सभा में और बाहर भी काफी चर्चा हुई थी। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया था। मुझे याद है कि संघ के सचिव अनशन पर बैठे थे और हम सबने उनसे अनशन तोड़ने का अनुरोध किया था। महोदय, यह उनकी वास्तविक मांग है। पूर्व सुरक्षा तथा प्रतिपालन विभाग भारतीय रेल का अभिन्न अंग का नाम संसद के एक अधिनियम रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल रखा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संघ का सशस्त्र बल नहीं है। अगर आप उनके कार्य पर गौर करें तो समझ जायेंगे कि यह सशस्त्र बल नहीं है। आर० पी० एफ० अधिनियम 1957 और आर० पी० एफ० (संशोधन) अधिनियम, 1985 के अनुसार आर० पी० एफ० का मुख्य दायित्व रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करना है। यह बल हमारी सीमा की सुरक्षा या कानून और व्यवस्था बनाए रखने से बिल्कुल भी सम्बद्ध नहीं है। रेल मन्त्रालय ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है।

8वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के एक लिखित वक्तव्य में यह उल्लेख है कि आर० पी० एफ० की अधिसेवी प्रकृति के कारण इसे सशस्त्र बल नहीं माना जा सकता। लेकिन रेल मन्त्री ने दुर्भाग्य से इसे एक सशस्त्र बल की तरह माना है। यदि हम उनके कार्य और दायित्व पर ध्यान-पूर्वक गौर करें तो पायेंगे कि वे हमारे देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के किसी दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे।

आर० पी० एफ० अधिनियम 1957 की धारा 10 अनुसार इस बल के सदस्य हर मामले में रेल कर्मचारी हैं और वे संघ के सशस्त्र बल के सदस्य नहीं हो सकते। आर०पी०एफ० अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 314 आर० पी० एफ० कर्मियों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद केवल असैन्य कर्मचारियों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद किसी सशस्त्र बल के सदस्य पर बिल्कुल लागू नहीं

होता। इसलिए आर० पी० एफ० के सदस्य असैन्य कर्मचारी हैं और वे सैन्य बल के सदस्य नहीं हो सकते।

आर० पी० एफ० अधिनियम की धारा 8 के अनुसार आर० पी० एफ० जोनल रेलवे के महाप्रबन्धक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगी।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिये आवंटित समय 4.53 म० ब० तक था। क्या सभा चाहती है कि यह अवधि दो घंटे और बढ़ा दी जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

श्री रमेश चेन्नीथला : महोदय, इस प्रकार वे भारतीय रेलवे के महाप्रबन्धक के अधीन कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें सशस्त्र बल नहीं माना जा सकता।

हमारे प्रधान मन्त्री जब गृह मन्त्री थे तब उन्होंने सभा की सर्वसम्मत भावनाओं से सहमत होकर विशेषकर इस आधार पर आर० पी० एफ० को सशस्त्र बल में शामिल करने से इन्कार कर दिया कि यह बल देश की सुरक्षा से कतई सम्बद्ध नहीं है। यह बल सशस्त्र बल कर्मियों के दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा। इसलिए हमारे प्रधान मन्त्री ने जब वह गृह मन्त्री थे तब असैन्य स्वरूप के कारण इसे सशस्त्र बल के रूप में शामिल नहीं किया।

इसी प्रकार, औद्योगिक बल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत है लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से गृह मन्त्रालय के संचालन के अधीन है।

आर० पी० एफ० संघ ने अनेक बार ज्ञापन दिये हैं। उन्होंने आश्वासन दिये हैं वे प्राय: सभी संसद सदस्यों से मिले हैं और सरकार से भी मिले हैं और उन्होंने इन सभी मुद्दों को उठाया है। यदि आप उनके द्वारा प्रधान मन्त्री को दिये गये ज्ञापन का अध्ययन करें तो पायेंगे कि उन्होंने कुछ शर्तों का बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। मैं इनमें से कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। शर्त संख्या 2 में कहा गया है :

> "आर० पी० एफ० संघ मुख्यत: इस उद्देश्य के लिए गठित किया जाना है कि सदस्यों के समान सेवा हितों को बढ़ावा दिया जाए।"

शर्त 7 : संघ की प्रत्येक बैठक का कार्यवाही सारांश अधिशासी महाप्रबन्धक को भेजा जाए। यदि महाप्रबन्धक आवश्यक समझे तो बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए ए० एस० ओ० के पद तथा इससे उच्च अधिकारी को भेज सकता है।

वे रेलवे के अधीन कार्य कर रहे हैं। इसलिए एक पर्यवेक्षण प्राधिकारी होगा। यह संघ केवल आर० पी० एफ० कर्मिकों के कल्याण हेतु है और वे रेलवे के नियमों और विनियमों के विरुद्ध नहीं जाएंगे।

शर्त 8 : कोई भी व्यक्ति जो इस बल का सदस्य नहीं है, आर० पी० एफ० संघ के कार्यों में संबद्ध नहीं होगा।

शर्त 10 : संघ कानून के खिलाफ गतिविधियों में स्वयं को शामिल नहीं करता।

शर्त 11 (ग) : संघ कोई राजनैतिक कोष स्थापित नहीं करेगा और न ही यह किसी राजनैतिक पार्टी या राजनीतिज्ञों के मत का प्रचार करने में स्वयं को शामिल करेगा।

इस प्रकार वे किसी श्रमिक संघ से संबद्ध नहीं होंगे। वे किसी राजनैतिक विचारधारा का प्रचार

नहीं करेंगे। यह केवल एक सेवा संगठन होगा जो संघ के सदस्यों के हितों का ध्यान रखेगा। वे रेलवे प्राधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन होंगे।

शर्त 11 (च) : यदि महाप्रबन्धक निदेश देता है कि कोई प्रकाशन केन्द्र सरकार के हितों के खिलाफ है तो इस आधार पर संघ ऐसी पत्रिका प्रकाशित करना बन्द कर देगा।

शर्त 11 (छ) : संघ किसी अन्य संघ या श्रमिक संघ इत्यादि के साथ कोई सम्बद्धता नहीं रखेगा।

प्रधान मन्त्री को दिए गए ज्ञापन में वर्णित शर्तों में वे इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से ये सुझाव दिए थे। हमारा अनुरोध यही है कि इस संघ को मान्यता दी जाए और उन्हें स्वतन्त्रता दी जाए ताकि वे रेलवे में कार्यरत आर० पी० एफ० कर्मियों के हितों का ध्यान रख सकें।

शर्त 11 (ज) : संघ महाप्रबन्धक के माध्यम के अलावा किसी विदेशी संस्था से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा और महाप्रबन्धक को इसे रोकने का अधिकार प्राप्त होगा।

मैं यह सब यह दर्शाने के लिए कह रहा हूं कि उनका हित बहुत सीमित है। वे आर० पी० एफ० कर्मियों के कल्याण के लिए ही मान्यता की मांग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हर बार रेल मन्त्रालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

महोदय, हमने इस मामले पर रेल मन्त्रालय से भी चर्चा की थी। मैं नहीं जानता कि वह हमारे सारे तर्कों से क्यों संतुष्ट नहीं हैं। संघ के नेता और सभी राजनैतिक पार्टियों के नेता भी उनसे मिले हैं। संसद के लगभग सभी सदस्यों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे रेल मन्त्री को भेजा है। इस मुद्दे पर काफी चर्चा भी हुई। मुझे नहीं पता कि इन तर्कों से रेल मन्त्रालय और प्राधिकारी संतुष्ट क्यों नहीं हुए।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं यह कह कर भाषण समाप्त करता हूं कि इस संघ को मान्यता दे दी जाए ताकि वे सदस्यों का मार्ग निदेश कर सकें और संघ के सदस्यों के कल्याण का ध्यान कर सकें।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, हमारे साथी श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं— एक तो यह है कि रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारी संघ सरकार के मातहत है और सिर्फ वह रेलवे की सम्पत्ति की ही सुरक्षा के लिए है, रेलवे द्वारा ले जाने वाली सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए भी है। उस सुरक्षा के दौरान, असुरक्षा के कार्यों को रोकने, उनको पकड़ने का भार भी उस पर है मगर जहां तक उसकी जांच का सवाल है, उस पर प्रतिवेदन देने का मामला है, वह अधिकार उसको अभी नहीं है। इससे बड़ी द्विविधा पैदा होती है और उस द्विविधा पैदा होने के चलते, जो जी० आर० पी० है और यह जो आर० पी० एफ० है, इनमें किसके ऊपर आप पकड़ियेगा, उसमें कठिनाई हो जाती है।

6.00 म० प०

चूंकि रेल सुरक्षा बल के अधिकारी कहते हैं कि यह जी० आर० पी० एफ० का काम है और वे जांच

कर रहे हैं, हमने तो पकड़कर दे दिया है, उनका कथन है कि उन्होंने पकड़ कर के हमको दिया है, हम वक्तव्य लेंगे जांच करेंगे, इसलिए मालूम पड़ता है कि इस प्रकार से ये दो समानांतर बल एक ही काम के लिए रेलवे में बने हुए हैं और इस द्विविधा में जिम्मेदारी किसी की नहीं रह पाती है। इस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए यह रेलवे सुरक्षा बल बनाया गया है, वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार में रेलवे के एक आंदोलन को बन्द करने का काम हुआ, लेकिन वह नहीं हो सका, क्योंकि जी०आर० पी०एफ० राज्य सरकार के मातहत है और वह मामला अभी तक लटका हुआ है। वह श्री जॉर्ज फर्नान्डीज के जमाने की बात है। ऐसी स्थिति में रेल सुरक्षा बल को ही यह अधिकार होना चाहिए कि वही रोके, पकड़े और जांच करे और कार्रवाई ही न करे बल्कि हिरासत में भेजने उस पर अभियोग पत्र देकर, मुकदमा चलवाने का जिम्मा उसका रहे, ताकि उसकी जिम्मेदारी रहे और उसमें कोताही होने पर उसको पकड़ा जा सके कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही दूसरा मामला है। इस बारे में भी वो राय सदन में नहीं हो सकती हैं और यह खुशी की बात है कि यह अधिकार हम बहुत से पेशों में लगे हुए संगठनों को दिये हुए हैं और रेल सुरक्षा बल को अपना संगठन बनाने का अधिकार मिलने से उस सुरक्षा में कौन-सी असुरक्षा आ जाएगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। जिस समय इसमें संशोधन हुआ था उस समय भी ऐसा कोई तर्क नहीं दिया था कि इसको देने से इसमें कौन-सी असुरक्षा आ जाएगी। मैं समझता हूं कि यदि उन्हें अपना संगठन बनाने का विधिवत् अधिकार दे दिया जाए, खास करके जिस प्रकार से दूसरे अखिल भारतीय संगठन हैं, उसी प्रकार से, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई असुरक्षा आ जाएगी।

सभापति महोदय, इस मामले में शुरू में यह चीज नहीं थी। बाद में इसको रखा गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो इसमें संशोधन हुआ और उनके अधिकार को छीना गया, मैं समझता हूं कि उसको हटाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए वे मांग करते रहे हैं। इस सदन में सभी चाहते है, सभी दलों के लोग चाहते हैं। इससे भी यदि उनको यह अधिकार वापस नही मिलेगा तो वे लोग आंदोलन करेंगे या हम लोग उनके आंदोलन का अगर नेतृत्व करें, तो वह बुरा होगा। रेलवे सुरक्षा बल के लोग नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते, इसलिए सरकार के लिए यह जरूरी है कि सरकार इस विधेयक को मान ले।

सभापति महोदय, पवन बंसल जी ने कहा कि सरकार विधेयक लाए। मैं समझता हूं कि जो विधेयक हमारे बासुदेव आचार्य जी द्वारा लाया गया है, यदि इसमें किसी को कोई खास ऐतराज न हो, इसी को पास कर दिया जाए। सरकार अपनी ओर से विधेयक लाये, यह आवश्यक नहीं है। निजी विधेयक को यहां पर स्वीकार किया जाना कोई पाप नहीं है। इसमें हमारे संविधान में कोई बाध्य नहीं है, नियमों में कोई बाधा नहीं है। लोक सभा की नियमावली में कोई बाधा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको दोहराकर लाने की जरूरत नहीं है। इन दो मुद्दों पर इसे पारित किया जाएगा।

सभापति महोदय, संघ के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। समाज के अन्य संगठनों की तरह से इस संगठन में भी गड़बड़ियां हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि डिब्बों को तोड़ने में रेलवे के लोग भी शामिल रहे हैं। अगर जांच का भार उन्हीं के अफसरों के ऊपर होगा, तो उसमें भी हम समझते हैं कि सुरक्षा होगी और रेलवे सुरक्षा बल इधर और जी०आर०पी० ऊपर वाली बात अर्थात् टकराव वाली स्थिति नहीं हो और एक दूसरे के खिलाफ चलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये जिम्मेदारी यदि उनके ऊपर रखेंगे, तो जो खुद माल के डिब्बों को तोड़ने का काम करते हैं, उसमें भी रुकावट आएगी। अगर उनका

संगठन राजनीतिक आधार पर बन जाए, तो उससे जनतन्त्रीय प्रणाली में जो हम आशा करते हैं, सारी गड़बड़ियों के बावजूद इसमें अच्छी व्यवस्था विश्व में कोई दूसरी नहीं है, उसके अन्तर्गत जनतांत्रिक अधिकार अगर इस संगठन को मिले तो अपनी मांगों को भी विधिवत् रूप से रख सकेंगे। रेलवे के सामने, भारत सरकार के सामने, तो यह बेहतर होगा। इसलिए इन एक-दो मुद्दों पर एक जो संशोधन की धारा है, आचार्य जी माफ करेंगे 4 (1), वह मैं समझता हूं कि विधेयक का जो उद्देश्य है, उसके विपरीत जाता है, अनावश्यक भी है। अगर सरकार इस विधेयक को मानने की स्थिति में हो तो हम आग्रह करेंगे कि उसको भी संशोधित कर दे। लेकिन उसको टालने का प्रयास नहीं हो बल्कि सरकार के साथ एक सहयोग है यह विधेयक लाकर कि हम रेल सुरक्षा बल को ज्यादा कारगर बनाएं, जिस उद्देश्य के लिए कायम किया गया है उसको ज्यादा सफलता से अंजाम दें और आगे जाकर कोई विस्फोट का खतरा न हो, असंतोष न भड़के ! इसलिए इनके संगठन के जरिए से ही उनकी मांग आती रहे, वह संगठन एक ढाल का काम करे, यह बेहतर होगा।

इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि सरकार उसको मान ले और इस परम्परा को मजबूत करे कि निजी विधेयक केवल बहस के लिये नहीं है, इसको स्वीकार भी किया जा सकता है।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेल राज्य मंत्री 1985 में संशोधित अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन पेश किया है। पहले संशोधन में कुछ खामियां थीं। इसीलिए मैं अपने साथी श्री बसुदेव आचार्य और पवन कुमार बंसल का पूर्ण समर्थन करता हूं।

मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये दोनों प्रस्तुतकर्ता केवल इसी मुद्दे को उठा रहे हैं अर्थात् संघ को मान्यता देना। लेकिन इस सभा में उन द्वारा प्रस्तुत संशोधन एकदम भिन्न है।

संघ को मान्यता देने के अलावा इस विधेयक में अनेक मुद्दे और संशोधन हैं। मैंने पूर्व वक्ताओं को सुना है और मैंने देखा कि वे इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा भिन्न है। रेल मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति की पिछली बैठक में मैंने कुछ मुद्दे जैसे यात्रियों, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की समस्या जैसे कुछ कुछ मुद्दे उठाए। यह बिल्कुल भिन्न है।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप परामर्शदात्री समिति का उल्लेख नहीं कर सकते।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मुझे अफसोस है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन एक बात है। यात्रियों की सम्पत्ति, उनके जीवन और रेलवे की सम्पत्ति को अत्यधिक खतरा है। इसीलिए हमने इस संशोधन की मांग की है।

उन्होंने उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी कथन में आर०पी०एफ० और जी० आर०पी० के दो प्रमुख कार्यों अथवा भूमिकाओं का उल्लेख किया है।

आर०पी०एफ० को केवल रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा का कार्य दिया गया है और कुछ नहीं। जी०आर०पी० को कानून और व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है और कुछ नहीं दिया गया।

इस संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन रखे गये हैं इसलिये हमें इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए। इसी कारण मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध कर रहा हूं कि एक विस्तृत संशोधन लाएं।

1957 में जब इस सभा में यह अधिनियम स्वीकृत हुआ तो उस समय संघ को मान्यता भी निहित थी और बाद में इसे हटा दिया गया।

इसके अलावा हमें पूरे देश के हितों, रेलयात्रियों और देश के विभिन्न भागों में रेल द्वारा अपना सामान भेज रहे लोगों के हितों का भी ध्यान करना चाहिए। इसी कारण यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया गया है कि यह संघीय सशस्त्र बल नहीं है। यह रेलवे का अभिन्न अंग है और इसलिये इस संगठन आर०पी०एफ० को मजबूत बनाया जाये।

कुछ प्रस्ताव हैं। कुछ संशोधन सुझाये गये हैं। सर्वप्रथम यह सुझाव दिया गया है कि—

> "केन्द्र सरकार इस बल का महानिदेशक नियुक्त करे तथा महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक; उप महानिरीक्षक तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी तथा सहायक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करें।"

यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि यह संरचनात्मक निकाय के रूप में होना चाहिए। आर० पी० एफ० लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कुछ शक्तियां दी जाए। इसी कारण यहां पर स्पष्ट रूप से शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आर०पी०एफ० के लोग डकैती, हत्या या मृत्यु के मामलों अथवा अन्य आपराधिक मामलों जैसे अपराधों की जांच करेंगे :

खण्ड 12-क में प्रस्ताव है :—

> "जब धारा 12 के खण्ड (ii) या (iii) के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो बल का अधिकारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच करेगा और इस उद्देश्य के लिए बल का अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और रेलवे सम्पत्ति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत प्रावधानों का प्रयोग कर सकेगा। जैसे पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत करता है।"

यहां यह पाया गया है कि कुछ शक्तियां नहीं दी जायेंगी। मैंने पहले ही इसकी आशंका व्यक्त की थी। मैंने मंत्री महोदय के साथ मामले पर की थी और उन्होंने मुझे उत्तर दिया था। मैंने किसी अन्य स्थान पर घटी एक घटना का उल्लेख भी किया था। नीलांचल एक्सप्रेस में गोमो और बोकारो रेलवे स्टेशनों के बीच मुरी स्टेशन पर महिलाओं के साथ बलात्कार तथा छेड़खानी हुई। इस घटना की जांच की गई और माननीय मन्त्री ने कहा कि महानिरीक्षक, जी० आर० पी० एफ० को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट कहा है कि जब जी०आर०पी०एफ० के लोग ऐसे मामलों में शामिल होते हैं तो वे कर्तव्य निर्वाह करने से आनाकानी करते हैं। यही हो रहा है। कुछ मामलों में जी० आर०पी०एफ० के लोगों ने भी कुछ गड़बड़ की। मैंने इस भूमिका का भी उल्लेख किया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति श्री विश्वनाथ प्रधान नीलांचल एक्सप्रेस में दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी अटेची की तलाशी ली गई और जी० आर० पी० एफ० के कर्मियों ने 2500 रुपये छीन लिए। यह मामला रेलवे पुलिस के ध्यान में भी लाया गया।

इसी प्रकार हावड़ा और खड़गपुर के बीच अगरदाह रोड स्टेशन के निकट उन्होंने एक यात्री से 100 रुपये मांगे। वह सज्जन 100 रुपये नहीं दे सका। उसे जी० आर० पी० की हिरासत में ले लिया गया, वहां उसने 250 रुपये दिये। उसे छोड़ दिया गया।

एक पूर्व मंत्री जब यात्रा कर रहे थे तो कुछ गुण्डों ने उन पर हमला किया लेकिन रेलवे कर्मियों ने उनकी मदद नहीं की। यह स्थिति है। इसीलिए यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए कोई संगठन बनाया जाए। आर० पी० एफ० इसलिए मुख्य तन्त्र हो और इसे मजबूत किया जाए। उनके संघ को मान्यता दी जाए।

यह मेरा अनुरोध है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और विधेयक पेश करने वाले सदस्य का धन्यवाद करता हूं।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

यद्यपि इस अधिनियम में कर्मियों द्वारा अपनी मांग उठाने के लिए प्रारम्भ में सुरक्षा दी गई थी लेकिन वर्तमान संशोधन जो 1985 में लाया गया था इसने कर्मियों के एकत्र होने, संघ बनाने और अपने वास्तविक मांगें रखने और आम शिकायतों के निराकरण के अधिकार पर बहुत पाबन्दियां लगा दी। अब ये संशोधन स्थिति को स्पष्ट करेंगे। मंशा यही है कि रेलवे सुरक्षा बल को दिए गये सशस्त्र बलों के स्वरूप को बदला जाए।

मेरे विचार से इस संशोधन को आमतौर पर सभी दलों, न सिर्फ इस सभा के सभी सदस्यों बल्कि इस मामले पर चर्चा कर चुकी पूर्व सभाओं के भी सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। विभिन्न रेल मंत्रियों तथा मंत्रालय ने यह वचन दिया था कि रेलवे सुरक्षा बल को संघ बनाने का अधिकार दिया जाएगा।

इसलिए, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नीति के अनुरूप उचित संशोधन लाए और मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई देरी होनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री भी इस विधेयक को समर्थन देंगे। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इस विधेयक का किसी प्रकार से विरोध नहीं होगा और मुझे विश्वास है सरकारी संशोधन भी आ रहे हैं।

मेरा यह भी सुझाव है कि रेलवे सुरक्षा बल को, जो रेलवे के लिए, रेलवे के परिसर में तथा रेलगाड़ियों में भी हमेशा उपलब्ध होता है, और अधिक संरक्षण देते समय उन शक्तियों को और अधिक सकारात्मक एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए जो वे एक बल अथवा सुरक्षा कार्मिक के रूप में उपयोग करते हैं ताकि रेलगाड़ियों में तथा रेल परिसरों में संपत्ति से सम्बन्धित अनेक बढ़ते हुए अपराधों को रोका जा सके तथा उनसे तत्काल ही प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मेरे विचार में अपराधियों को अपराध करते समय मौके पर पकड़ने तथा तत्काल कार्यवाही करने के लिए कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा दुर्लभ विधेयक है, जिसे सभा के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है और हालांकि कांग्रेस पार्टी का पिछला रिकार्ड अच्छा नहीं है क्योंकि इन्होंने ही इन सभी संघों के ट्रेड यूनियन संबन्धी अधिकारों को छीना है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि रेलवे सुरक्षा बल के साथ सेवा दल की अतिरिक्त शक्ति होने तथा सभा में सभी ओर से समर्थन प्राप्त होने के कारण सरकार इसे और ध्यान देगी।

यह सरकार से प्राप्त होने वाला कोई दान नहीं है। यह सरकार की उदारता भी नहीं है। हमारे संविधान में कुछ अधिकार मूलभूत मानव अधिकारों के रूप मे रखे गये हैं। अब जबकि हम ऐसी शक्तियों की धृष्टता का सामना कर रहे हैं, जो देश को विभाजित करने का प्रयत्न कर रही हैं और हमें मध्य-युग में वापिस ले जाने का प्रयास कर रही है तो मैं यह सोच भी नहीं सकता कि सरकार जान-बूझकर इस देश के श्रमिक वर्ग के उन न्यूनतम अधिकारों को क्यों छीन लेना चाहती है जो देश के श्रमिक वर्ग ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद, पूंजीगत एकाधिकार तथा शोषक पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के बाद प्राप्त किए हैं तथा जिन्हें हमारे संविधान में, संविधान के संस्थापकों ने बुनियादी मानवाधिकार के रूप में रखा है तथा मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया है। हमारे देश की बहुत अधिक क्षमता है। हमें अपनी महान-पुरातन संस्कृति, आधुनिक विचार तथा विकास के अवसर होने के कारण अपने भारतीय होने का गर्व है। हालांकि रामेश्वर ठाकुर तथा अन्य लोग उसे नष्ट करने के लिए मौजूद हैं,···(व्यवधान)···हमारे देश में विकास की अपार क्षमतायें हैं। लेकिन लोगों पर बंदिशें लगाना तथा उनके मौलिक अधिकारों को छीनने के इन प्रयासों से मुझे लगता है कि इस देश के कुछ लोग देशभक्त नहीं हैं तथा देशभक्ति का एकाधिकार केवल रेल भवन में या नॉर्थ-ब्लॉक स्थित गृह-मंत्रालय में ही है। यही कारण है। हम प्रसन्न हैं कि सभा में प्रत्येक पक्ष यह महसूस करता है कि बहुत भारी अन्याय किया जा रहा है। हम इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते। हालांकि ये राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में उल्लिखित हैं फिर भी हम देश में उन लोगों को भी अच्छी मजदूरी नहीं दे सकते जिनको रोजगार मिला हुआ है। यहां तक कि जो लोग रोजगार प्राप्त करने में सफल हो गये हैं, जो देशभक्त नागरिक है, उनके अधिकार छीने जाने के प्रयास हो रहे हैं। किसके फायदे के लिए? इससे किसको फायदा होता है? मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय इस सभा को विश्वास में लें और इस देश के लोगों को बतायें कि उनके संघ को रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को मान्यता का अधिकार अथवा संघ बनाने के अधिकार को छीनने से क्या लाभ मिला। मैं जानना चाहूंगा कि 1985 से जब यह क्रूर कानून बनाया गया था, तबसे अब तक आपको क्या फायदा हुआ है···(व्यवधान)··· आपसे मेरा तात्पर्य देश से है रेलवे प्रसासन से है। रेलवे-प्रशासन इस देश की सबसे बड़ी जनोपयोगी सेवा है। निःसंदेह उपयोगिता वाला पक्ष समाप्त हो चुका है। आजकल 'पब्लिक' की क्या परिभाषा है, मैं नहीं जानता। श्री जाफर शरीफ और सी०के०सी०लेंका का यह गठबंधन हमें कहां ले जायेगा, हम नहीं जानते। इस सबसे बड़ी जनोपयोगी सेवा ने जनता के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इस देश में यही मुसीबत है। आप अपने लोगों पर भरोसा क्यों नहीं करते? मंत्री महोदय को वह आंकड़े हमें बताने दीजिये क्योंकि हमें वह आंकड़े मालूम नहीं हैं। मैं 1985 में यहां था। हमें ऐसे कोई आंकड़े नहीं मिले थे, कोई ब्यौरे नहीं मिले थे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी कि रेलवे सुरक्षा बल को चूंकि संघ बनाने का अधिकार दिया गया है इसलिए वह देश के हितों के विरुद्ध किसी प्रकार काम कर रहा है। मैं कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों की भावना की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता कि वे इस सभा के अन्दर अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं। और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं; अभी भी कुछ सदस्य यहां है; कुछ नहीं भी हैं; मुझे उम्मीद है कि वे कम से कम अपने क्षेत्र गढ़वाल में लड़ेंगे और अपने विरोधियों को हराकर वापिस आयेंगे। मैं नहीं भूल सकता कि वे इस सभा में बैठे; लेकिन किसी फायदे के लिए नहीं; संसद सदस्यों के किसी अधिकार के लिए नही। कुछ गृह मन्त्री बन गये, कुछ सेवा दलों के मुख्य पदों पर चले गये और कुछ संसदीय कार्य मंत्री बन गये। यह सब ठीक है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम इसकी सराहना करते हैं कि वे इस देश के इन लोगों के लिए, जो इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, के फायदे के लिए लड़े।

महोदय, हर जगह अनिश्चतता का दौर है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यह देखने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, अपना आत्म-विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई

मेवा, कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो सोने की भांति खरा हो। सोना भी खरा हैया नहीं, यह मैं नहीं जानता।

अत: इस प्रकार उन्हें दोष मत दीजिये। आप सबके चेहरों पर काली स्याही नहीं पोत सकते। इसीलिए, मैं अनुरोधपूर्वक माननीय मंत्री को सलाह दे रहा हूं कि वे इस सभा की समवेत भावना की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से कोई भारी समस्या नहीं पैदा होगी, रेल व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी और न ही नियमितता में कोई परिवर्तन होगा। यह जैसा भी है इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जायेगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : रेलवे के ब्रेक कहीं और ही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा। कभी-कभी आप बड़ी समझ की बातें करते हैं; अन्य अवसरों पर क्या होता है, मैं नहीं जानता।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : क्या अब आपको उनकी बात समझ आ गई है?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : भगवान जगन्नाथ की दुआओं की आवश्यकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां। आजकल भगवान जगन्नाथ की दुआएं महत्वपूर्ण हैं।

आप दूसरों को भगवान जगन्नाथ की दुआएं लेने की सलाह क्यों नहीं देते।

कुछ भी हो, मैं सभा का समय और नहीं लेना चाहता।

मेरा विश्वास है कि इस सभा को अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिये कि इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार न छीने जायें, तथा इस देश के श्रमिक वर्ग के लोगों के न्यूनतम अधिकार सुरक्षित हों।

यह देश इतना शक्तिहीन नहीं है। इस संसद को अधिकार मिले हैं। सरकार स्वयं भी कार्यवाही करने की दिशा में प्रयासरत है।

मुझे बहुत खुशी होगी, अगर आप इन सांप्रदायिक ताकतों से समझौता करने के अलावा कुछ अन्य काम करें। आप कोई अन्य काम कीजिए। आप रेलवे को समुचित रूप से चलाने का प्रयास करें। लेकिन मेहरबानी करके हमें यह बतायें कि रेलवे सुरक्षा बल का यह मामला किस प्रकार आपकी उन्नति में बाधा बन रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा।

अत: मेरा यह विचार है कि सरकार इस सभा की भावना को समझते हुए समुचित उत्तर देगी। अगर ऐसा नहीं है; अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह सरकार के दुराग्रह, प्रतिकूलता तथा जनविरोधी दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करेगा और समग्र रूप में यह कुछ और नहीं बल्कि संसद की अवमानना ही होगी। अत: मैं मांग करता हूं कि माननीय मन्त्री को यहीं और इसी वक्त यह कहना चाहिए कि वे इसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपको गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक से कोई एलर्जी है, तो आप इसे स्वयं लाइये। मैं जानता हूं; इसीलिए मैं कहता हूं कि आधा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जायेगा और आधा हमें क्योंकि यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कांग्रेस गठबन्धन है : वह लग भी रहा है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, विचारों में कोई भिन्नता नहीं है।

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : क्या यह केवल इसी विधेयक के लिए है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर आप कभी-कभी समुचित रूप से व्यवहार करें, तो हम आपको सहयोग देंगे।

अतः, महोदय, आपके माध्यम से मुझे विश्वास है कि आप भी सहमत होंगे···

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने 'हां' कहा। सभाध्यक्ष की अनुमति के साथ···

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, वह अपनी बात दूसरों से कहलवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा कहना है कि देश की महान संसद के सभाध्यक्ष की अनुमति के साथ, मैं मन्त्री महोदय से यह विधेयक स्वीकार करने की मांग करता हूं।

प्री० के० वी० थामस (अर्नाकुलम) : महोदय, हमारे मित्र महोदय श्री आचार्य जी द्वारा लाये गये इस संशोधन को सभा के सभी पक्षों का समर्थन मिला है। महोदय, मेरे विचार में, ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं जब किसी मामले पर सारी सभा एकमत हो। इस मामले पर इस सभा में आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के दौरान भी चर्चा हो चुकी है। अतः मैं समझता हूं कि सरकार सभा की इस भावना को समझेगी और या तो इस विधेयक को स्वीकार करेगी अथवा सरकार स्वयं अपना विधेयक लायेगी।

महोदय, चर्चा में भाग लेते हुए निःसन्देह मैं रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के बारे में व्यक्तिगत रूप से चिंतित हूं।

महोदय, केरल से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो त्रिवेन्द्रम से दिल्ली और त्रिवेन्द्रम से कलकत्ता तथा त्रिवेन्द्रम से मुम्बई जैसे लम्बे सफर तय करते हों। रेलगाड़ियों में अक्सर हमारे लोगों को लूट लिया जाता है और जब शिकायत करनी होती है तो, यह रेलवे सुरक्षा बल को नहीं की जा सकती, यह राज्य पुलिस के पास दर्ज करानी पड़ती है। अतः, लूटपाट के पश्चात् जब रेलगाड़ी नजदीकी रेलवे स्टेशन पर रुकती है; तो उतरते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं तथा चले जाते हैं और कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः मेरे विचार में रेलवे सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये कि अगर कोई किसी यात्री को कोई शिकायत है, तो रेलवे सुरक्षा बल स्वयं मामला दर्ज कर सके, उसकी जांच पड़ताल करे और उचित कार्यवाही की जा सके।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सभी तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना और वायुसेना में महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। मेरे विचार में रेलवे सुरक्षा बल में भी महिलाओं को भर्ती किया जाना चाहिये ताकि महिला यात्रियों को समुचित सुरक्षा मिल सके।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अपना विधान लाने का अनुरोध करता हूं ताकि इस मांग में निहित इस सभा की भावनाओं को सरकार स्वीकार करे।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आर० पी० एफ० एसोसियशन के बारे में जो विधेयक आचार्य जी एवं बंसल जी ने लाया है, राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी यह विधेयक एक मानवीय दृष्टिकोण से मानवता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। हालांकि कुछ लोग मानवता के सवाल को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह सवाल को

राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, जनहित के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए इस सवाल का समर्थन करते हैं।

इस विधेयक पर चर्चा के दरमियान यह चर्चा आयी थी कि साम्प्रदायिक शक्तियां देश तोड़ रही हैं। आज एक फैशन-सा हो गया है कि साम्प्रदायिकता का प्रमाणपत्र और देशभक्ति का प्रमाणपत्र साउथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक और राईटर्स बिल्डिंग से मिलने लग गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि देशभक्ति का प्रमाणपत्र ऐसे भवनों से मिले। यह अपने आप में एक प्रमाण है। जो देशभक्त होगा, देश की जनता उसको स्वयं ही यह प्रमाणपत्र देगी। यह आवश्यकता नहीं है कि देशभक्ति का प्रमाणपत्र राईटर्स बिल्डिंग, पश्चिम बंगाल से मिले या नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक से मिले। सवाल आर० पी० एफ० एसोसिएशन का है। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एसोसिएशन का गठन हुआ था। सभापति महोदय, लेकिन आई० पी० एस० अधिकारी, जो डेपूटेशन पर आर० पी० एफ० में गए, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब इस संगठन ने कोई सवाल उठाया तो आई० पी० एस० अधिकारियों के समक्ष ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की……

सुरक्षा बलों के यहां चुनाव नहीं होना चाहिए और यह संगठन अमान्य घोषित कर दिया जाए इसलिए सरकार ने इसको अमान्य घोषित कर दिया। यह संगठन सुरक्षा बल से संबंधित नहीं है बल्कि रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है तो आई०पी०एस० अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि यह सरासर वैसी ही रिपोर्ट है, जैसे कोई चोर चोरी करता है और कोतवाली की ड्यूटी भी करता है। आई०पी०एस० के लोग चोरी भी करते थे और चोरी को उजागर करने में एसोसिएशन ने अपनी कोतवाली की भूमिका निभाई थी।

आज के प्रधान मन्त्री 1934 में गृह मन्त्री भी हुआ करते थे। उस समय उन्होंने कहा था कि धारा-33 लाने का क्यों प्रस्ताव किया गया था और सदन में आप भावना से सहमत हो गए थे कि आर० पी० एफ० एसोसिएशन चलाने के अधिकार को नहीं छिना जा सकता। यह गैर-सरकारी विधेयक कह रहा है कि आर० पी० एफ० को पूरी तरह मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। यह 1984 का सवाल है जबकि आज के प्रधान मन्त्री उस समय गृह मन्त्री हुआ करते थे, इसीलिए आज यह सवाल मजबूरी में लाना पड़ा। सैंकड़ों सांसदों ने संसद के बाहर और भीतर आवाज बुलन्द की थी, लेकिन आर० पी० एफ० एसोसिएशन के महामन्त्री आमरण अनशन किया था। उस अनशन को तुड़वाने के लिए कई नेता थे जिसमें श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बासुदेव आचार्य, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री भोगेन्द्र झा और विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने इस आशा के साथ अनशन तुड़वाया था कि संगठन को पूरा सहयोग श्री झा को मिलेगा और इस संगठन को मान्यता दिला दी जायेगी। सरकार ने दो बार इसको माना है। मैं नहीं समझता हूं कि मान्यता देने में क्यों देर होती रही। जो सुविधाएं रेल कर्मचारियों की हुआ करती थी तो उन सुविधाओं से आर० पी० एफ० को वंचित क्यों रखा जबकि आई० पी० एस० के अधिकारियों ने अपने कोष में उस पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया। एसोसिएशन को चलाने का मौलिक अधिकार नहीं गिना जाना चाहिए, इसमें आई० पी० एस० अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यह सुरक्षा बल है इसलिए चुनाव से सम्बन्धित जितने संगठन है उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। आर० पी० एफ० में हर साल चुनाव होता है और किसी तरह की बिसंगति नहीं होती और कोई दुष्परिणाम परिलक्षित नहीं होता। उस तरह की रिपोर्ट आई० पी० एस० ने दी है, यह सरासर गलत है। यह मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली रिपोर्ट है।

मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि इस संगठन को मान्यता मिलनी चाहिए। इस संगठन के लिए जो सवाल उठेगा तो इसकी देशभक्ति का प्रमाण पत्र साऊथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक या राइटर्स बिल्डिंग से से नहीं मिला करता बल्कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र देश की जनता के लिए किए सत्कर्मों के द्वारा मिला करता है। यही सत्कर्म अगर सरकार करेगी तो निश्चित रूप से मानवता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो मानवता को न्याय मिलेगा। आर० पी० एफ० एसोसिएशन से अफसरशाही और मजदूरों के बीच में जो खाई पैदा हो रही है तो इस संगठन को मान्यता दिलाकर इस खाई को पाटने का कार्य सरकार को करना चाहिए। वर्तमान प्रधान मन्त्री और उस वक्त गृह मन्त्री थे तो अगर उनको बातों की प्राथमिकता के साथ रखना है तो मैं रेल मन्त्री से कहना चाहूंगा कि इस मान्यता को मान लेंगे तो मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमन्त्री को अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के बारे में आज वक्तव्य देना है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वक्तव्य दिया जाना मान लिया गया है या वक्तव्य दिया जाएगा अथवा यह दे दिया गया है या नहीं दिया जाएगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, कुछ शर्मिन्दा होकर यहां खड़ा होना पड़ रहा है। हमारी सरकार की भले ही उसकी कालावधि बहुत कम रही, लेकिन उस कालावधि में भी अफसोस है कि हम इस मामले को हल नहीं कर पाये। रेल मंत्रालय में जाने के बाद हमारे सामने ऐसे कई महत्व के सवाल आये थे कर्मचारियों के संगठन और उनके मौलिक और प्रजातान्त्रिक अधिकारों को लेकर, उनमें एक प्रश्न था उनके संगठनों की मान्यताओं का, केवल आर० पी० एफ० का ही नहीं, बल्कि तमाम संगठनों की मान्यताओं का। मैं आर० पी० एफ० की मान्यताओं की बात करना चाहता हूं कि हम इसके साथ दूसरे सवाल को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये मामले मौलिक अधिकारों के हैं और संवैधानिक अधिकारों के हैं। मुझे अफसोस है कि हम सब लोगों में एक बुराई हमेशा देखने में मिलती है वह यह कि न्याय-अन्याय के बारे में हम एक साथ मापदण्ड को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। यहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठते हैं, मैं उनके बीच में बैठता हूं ये हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी इसके समर्थन में भाषण दिये जो इस सदन में पसन्द करने वाले ही नहीं, बल्कि प्रशंसा करने वाले भाषण हुए हैं। लेकिन उसी मापदण्ड को मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वहां के मुख्य मन्त्री से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से हम लड़ते रहे कि इनको मान्यता दो, छतरपुर में केवल मान्यता को लेकर गोलियां चलीं और नौ मजदूर मारे गये। मैं एक बात को बता रहा हूं कि जो मापदण्ड प्रजातान्त्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों के बारे में हों रखने चाहिए यह इस सदन में एक हो और बाहर दूसरी हो तो यह नहीं हो सकता। इससे हमारे तर्क में कहीं न कहीं कमजोरी आ जाती है और हम चाहे जितना मजबूत तर्क यहां रखें उसका अमल नहीं होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं खुद शर्मिन्दा हुं, क्योंकि इस प्रश्न को रेल मन्त्रालय में जाने के कुछ ही दिनों के बाद जहां हमने हल करने का प्रयास किया, हमारी सरकार के गृह मन्त्रालय की ओर से इसमें रुकावटें डालने का हुआ था। इसलिए बात ही रुक गई। आज उस तरफ से चर्चा हो रही है आर० पी० एफ० की मान्यता की, उसके मौलिक अधिकारों की, मैं जानना चाहूंगा कि जो लोकोमोटिव स्टाफ है उसकी मान्यता का, उसके प्रजातान्त्रिक अधिकारों का और मौलिक अधिकारों का क्या हुआ। यही बात आज रेलवे में जितने सगठन हैं उनके बारे में आ जाती है। इसलिए यह जो कमजोरी है हम लोगों की, अगर यह कमजोरी हर मसले पर उसी तरह से यहां दिखाई दे तो यहां पर एक बहस और हो जायेगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि

इसमें कितनी राजनीति है यह जो सरकार आने-जाने वाली है यह जो ट्रांजिएंट सरकारें हैं। आज कोई यहां बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है और कल कोई यहां बैठेगा। इस प्रकार आते हैं, जाते है और अपने सीमित राजनैतिक दृष्टिकोण रखकर ऐसे मौलिक और बुनियादी सवालों को देखने का काम करते हैं तो उनसे, लोगों को जिस इन्साफ के मिलने की चर्चा करते हैं, वह नहीं मिलता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन हो रहा है, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि आर० पी० एफ० को मान्यता देने के साथ रेलवे के अन्दर जो कर्मचारी संगठन आये हैं, उनकी मान्यता के बारे में भी प्रश्न आप उठाने को तैयार हैं? अथवा जो मौलिक अधिकार हैं कि अधिकारी या कर्मचारी कैसे काम करेगा। आर० पी० एफ० लोगों के क्या काम हैं, यह सारी बहस केवल वाक्चातुर्य तक ही सीमित रहेगी क्योंकि अगर आपको विश्वास है कि आर० पी० एफ० को इन्साफ मिलना चाहिए तो आपको यह मान लेना चाहिए कि रेलवे कर्मचारियों को आज इन्साफ नहीं मिल रहा है। उनके मौलिक अधिकार केवल उनके संगठन की मान्यता से जुड़े हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ या किसी अन्य भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नेताओं से पूछेंगे तो बोलेंगे कि यह सबसे बड़ा संगठन है अब यह कोई यहां कह सकता है कि इसको मत बोलिए और केवल आर० पी० एफ० को बोलियेगा। आप अलग अलग चीज के लिए अलग मानदण्ड क्यों लगाते हैं? वही बात अन्य संगठनों के बारे में जिनको विभाग-तार संगठन कहा जा रहा है, उनको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सितम्बर, 1990 में हम हताश हो गये थे, मान्यता के प्रश्न के बारे में रेल मन्त्रालय के अन्दर जो कुछ मैंने कहा कि यह ट्रांजिएंट गवर्नमेंट है, यह नौकरशाह गवर्नमेंट है जो रेलवे या रेलवे से बाहर हो, जब हम इस बात से तंग आ गये तो तब हमने अपनी तरफ से आदेश निकालने का काम किया बल्कि उसके साथ साथ रेलवे के अन्दर जितने मजदूर संगठन थे, उनको मान्यता किस तरह से देनी चाहिये, किस आधार पर और किस प्रकार से अधिकारों को मिलना चाहिये, इस पर भी एक निर्णय दिया। आपको आश्चर्य होगा। मैं कोई ऐसी जानकारी इस सदन के सामने नहीं रख रहा हूं जिनको स्टेट सीक्रेट कह सकते हैं। रेलवे अधिकारियों की फाइल में लिखकर बताया गया है कि दो संगठनों को इसलिए बना रखा है कि एक-दूसरे में बैलेंस कराकर एक टकराव वे अपने ढंग से कर सकें। अब अगर यह सोच कि इस आधार पर जिसको परमानेंट गवर्नमेंट कहते हैं, वह इस प्रकार के दिमाग से चलाना चाहते हैं तो मान्यता का सवाल कैसे हल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आज इस विधेयक का समर्थन करते हुए चाहेंगे कि रेल राज्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे केवल आर०पी०एफ० के प्रश्न की बात ही न रखें। आप रेलवे के अन्दर मौलिक अधिकारों के संगठन बनाने के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, उसके लिए आप कैसे रास्ता निकलोगे, इस बात पर हम आपको सुनना चाहेंगे। आज मजदूरों के एक संगठन दूसरे से लड़ाकर और लड़ाने के वास्ते बना रखकर सारे पैटर्नज सरकार की तरफ से उनके ऊपर वरदहस्त रखकर मजदूर आन्दोलन की चलाने की बात होती है, उससे न तो आन्दोलन चलता है और न किसी ट्रेड यूनियन का काम होता है और न आप लोग किसी समस्या के हल करने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर यह सोच हुई कि लोगों को आपस में लड़ाकर हम अपने संस्थान को बहुत मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करते हैं। तो समूचे विश्व को यह अनुभव है कि कमजोर मजदूर आंदोलन किसी काम का नहीं बना रहता है। वह न मजदूर के किसी भी प्रश्न को हल कर सकता है और न वह उस संस्थान के लिए मददगार हो सकता है जिसने उसको विभाजित करके आपस में टकराने के काम में लगाया है। लेकिन रेलवे में यह बीमारी आज की नहीं है। रेलवे में ऊपर से यह सिलसिला बना रखा है कि जितने संगठन बन

सकते हैं, उतने बनाओ आपस में लड़ते रहो और हम लड़ाते भी रहेंगे और यही वजह है कि आज इस देश के कर्मचारियों, इस देश के मजदूरों की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, रेल मजदूरों की, वह सबसे कमजोर होकर, हताश होकर पड़ी हुई नजर आती है। हो सकता है रेल प्रशासन को इससे समाधान मिले कि हमने इसको कैर मारकर रखा है, लेकिन हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि इससे कोई रास्ता निकलेगा नहीं, आपको इस प्रश्न को ईमानदारी से हल करने का काम करना होगा और इस कानून के अन्दर जो 15 (ए) का मेकशन है, इसे हटाने का जो विधेयक बंसल जी ने और आचार्य जी ने यहां पर पेश किया है, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको कुबूल करेंगे आज मन्त्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस सदन के अन्दर धरना देने का काम किया है। आपके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सदन के कामकाज को चलने नहीं दिया है, आर०पी०एफ० की एसोसिएशन की मान्यता के प्रश्न पर चलने नहीं दिया है और आज अगर मन्त्रिमण्डल में रहते हुए उनके स्वर को दबाने का, उनकी मन की इच्छा जो उन लोगों ने सदन के भीतर व्यक्त की है, अगर उसे दबाने के लिए आप उस गवर्नमेंट को वह श्रेय देना चाहेंगे तो फिर उसमें जो बेइज्जती होगी, वह उन व्यक्तियों की नहीं, आपकी समूची सरकार की बेइज्जती होगी और उस बेइज्जती से सरकार को बचाने का काम मन्त्री जी आप करिये। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की चर्चा में अनेक विद्वान वक्ताओं द्वारा भाग लिये जाने के बाद अब मेरे लिए इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने को नहीं रह गया है।

प्रारम्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक असामान्य नई बात है, नई चीज है। यह बात एकदम नई न सही असामान्य अवश्य हैं क्योंकि इस विधेयक को दो सदस्यों — एक विपक्ष से और दूसरे सत्तारूढ़ पार्टी से अर्थात् श्री बसुदेव आचार्य सी० पी० आई० (एम) और श्री पवन कुमार बंसल कांग्रेस (आई) संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया है।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करते समय श्री जार्ज फर्नान्डीज इसके एक पहलू का उल्लेख कर रहे थे कि पिछली लोक सभा में और वर्तमान लोक सभा में भी हमारी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया अथवा रेल सुरक्षा बल द्वारा एक यूनियन गठित करने के तर्क का पूर्णतया समर्थन किया और वे अध्यक्ष के सामने तक गये। उन्होंने इसका इसलिए समर्थन किया क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वास्तव में उनके सेवाकाल के दौरान भी एक संघ गठित करने का उनका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (ग) में निहित है। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज उल्लेख कर रहे थे उनमें से कुछ आज मन्त्री हैं।

इसमें कोई खास बात नहीं है। उन्हें इसे अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया था और इसलिये सत्तारूढ़ दल के कई सदस्य आज इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

मैं सरकार से विशेषकर यहां रेल राज्य मन्त्री के प्रतिनिधित्व वाली सरकार से अनुरोध करूंगा कि कभी-कभी कुछ मामलों में कतिपय कार्यवाही की जाती है, कतिपय उपाय किये जाते हैं जो अन्ततः गलत सिद्ध होते हैं। यह सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। स्वाभाविक ही है कि स्थिति को देखते हुए, सरकार के लिये सही होगा कि वह यदि किसी भी कारणवश कोई ऐसी बात हो गई है, जिसे आज असंगत समझा जा रहा हैं तो उक्त स्थिति का विश्लेषण करे और उस बात को स्वीकार करे। वास्तव

में सरकार को उक्त स्थिति को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। सरकार को स्थिति में सुधार करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह स्थिति का विश्लेषण करे और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करे।

मुझे यह देखकर दुख होता है कि यद्यपि हमारा लोकतन्त्र आज 40 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है फिर भी कतिपय क्षेत्रों में नौकरशाही काफी हावी है और रेलवे निश्चित रूप से वह क्षेत्र हैं जहां नौकरशाही बहुत हावी है और कभी-कभी तो यह अपनी चरम सीमा पर होती है। रेल मन्त्रालय में राजनीतिक सत्ता को इसके प्रति सजग रहना चाहिए।

विविध यूनियनों के बारे में, एक से अधिक यूनियन के बारे में इससे पहले भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया था कि नौकरशाह एक से अधिक यूनियन बनाने को प्रोत्साहन देते हैं और वे एक यूनियन को दूसरी यूनियन के विरुद्ध लड़ाकर इसका आनन्द लेते हैं। वे उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और वे भी उनकी इच्छानुसार गतिविधियां करते हैं। यह बात केवल रेलवे के बारे में ही सत्य नहीं है बल्कि कोयला जैसे अन्य विभागों में भी यही होता है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मजदूर संघवाद के बारे में गान्धी जी विचार क्या थे। जैसा कि आप जानते हैं शुरू-शुरू में गान्धी जी ने अपना आन्दोलन ट्रेड यूनियन कार्य से शुरू किया। उन्होंने अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें धरना सत्याग्रह पर भी बैठना पड़ा तथा हड़ताल तक करवानी पड़ी। उनका यह दृढ़ मत था कि एक उद्योग में एक ही यूनियन होनी चाहिए। 'ट्रेड यूनियन' के बारे में गान्धी जी की एक यूनियन एक उद्योग की धारण थी।

जैसा कि मैंने कहा था मैं अधिक समय नहीं लूंगा। एक बात यह है, 1985 में जब संशोधन हुआ चाहे कोई भी परिस्थितियां रही हों। उस समय तक रेल सुरक्षा बल 12 वर्ष से अधिक समय तक यूनियन बनाने की सुविधा, इस विशेषाधिकार का लाभ उठा चुका था। आप जानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यदि किसी की भूमि किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में 12 वर्ष से अधिक रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

5.58 म० प०

सम्पत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 26-2-1993 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग २, खंड 2 में प्रकाशित।

"कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं विधेयक पुन:स्थापित करती हूं।

5.58½ म० प०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 125 और 127 में संशोधन)

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

5.59 म० प०

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 479 आदि का लोप)

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में और संसोशन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

* दिनांक 26-2-1993 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जी भोगेन्द्र झा स्पष्टीकरण चाहते थे और माननीय मन्त्री जी वास्तव में इस विषय को अगले सप्ताह प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन सभा में व्यवधान के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। जहां तक प्रस्तावों का सम्बन्ध है इन्हें अगले सप्ताह लिया जाएगा।

अब सभा स्थगित की जाती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार, 27 फरवरी, 1993/7 फाल्गुन, 1914 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053